लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation
4-8-92
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—9, गुरुवार, 6 अगस्त, 1970/15 श्रावण, 1892 (शक)

No.—9, Thursday, August 6, 1970/Sravana 15, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
प्र० संख्या Q. Nos.		
243. साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिये आकाशवाणी का कार्यक्रम	AIR Programme to Promote Communal Harmony	1—5
244. प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के पश्चात् बेरोजगारी में हुई वृद्धि	Increase in Unemployment after Each Plan	5—13
245. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में शकरकंदी के चूर्ण का मिश्रण	Mixing of Sweet Potato Powder in Milk Supplied by Delhi Milk Scheme	13—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
241. दिल्ली में भू-उपग्रह केन्द्र	Earth Satellite Station at Delhi	14—15
242. स्वीकृत मजदूर संघों को मान्यता देने के लिये सांविधिक उपबंध	Statutory Provision for Recoginition of Approved Trade Unions	15
246. वनस्पति घी के उंचे मूल्य	High Price of Vanaspati Ghee	15—16
247. हिन्दी तथा तमिल फिल्मों के आयात में श्रीलंका द्वारा कटौती	Cut Imposed by Ceylon on Import of Hindi and Tamil Films	16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ट Pages
248.	खाद्यान्न से लदे जहाजों पर विलम्ब शुल्क लगाया जाना	Demurrage Charges on Foodgrains Shipments	17
249.	पंजाब तथा हरियाणा में खाद्यान्न वसूल करने वाली एजेन्सियां	Food Procurement Agencies in Punjab and Haryana	17—18
250.	कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Agricultural Products	18
251.	भारतीय नवयुवकों पर भारतीय फिल्मों का प्रभाव	Impact of Indian Films on Indian Youth	18—19
25 .	कलकत्ता के लिये टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station for Calcutta	19
253.	चीनी उद्योग सम्बन्धी द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति	Implementation of Recommendations of Second Wage Board on Sugar Industry	19—20
254.	औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना	Setting up of Industrial Relations Commission	20
255.	आकाशवाणी के महानिदेशक तथा आकाशवाणी कर्मचारी संघ के बीच वेतनमानों के बारे में वार्ता	Negotiation over Pay Scales between Director General, AIR and AIR Employees Federation	20
256.	भारत द्वारा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में डा० ऐंसमिंजर के विचार	Views of Dr. Ensminger on Attainment of Self Sufficiency in Food in India	20—21
257.	आकाशवाणी से प्रसारित टुडे इन पार्लियामेंट/संसद समीक्षा कार्यक्रमों के प्रसारण का समय बढ़ाया जाना	Extension in Time for Broadcasting of To-day in Parliament/Sansad Samiksha Programme on AIR	21
258.	फिल्मों के निर्माण के लिए भारत-श्रीलंका संयुक्त प्रयास	Indo Ceylon Joint Venture for Production of Films	2?
259.	ताइचुंग किस्म के चावल में संक्रामक विषाणु का पाया जाना	Presence of Infectious Virus in Taichung Variety of Rice	2?

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
260.	राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस	National Food Congress	23
261.	पश्चिमी बंगाल में बिड़ला फर्मों को फिर से खोलने के बारे में ज्ञापन	Memorandum Re: reopening of Birla Concerns in West Bengal	23
262.	प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा भारतीय क्षेत्र का अध्ययन	Study of Indian Region by International Union of Conservation of Nature and Natural Resources	24
263.	बिजली मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Electricity Wage Board	24
264.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, बढ़ाने के लिये आवश्यक उर्वरक, बीज आदि	Inputs for Increasing Agricultural Yield in Drought Areas	24—25
265.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये दालों की खरीद के बारे में जांच की मांग	Demand of Inquiry into purchase of Pulses for Defence Personnel	25—26
266.	बड़े बन्दरगाहों में बार-बार होने वाली हड़तालें और उन के उपचार के लिये किये गये उपाय	Frequent Strikes in Major Ports and Remedial Measures Taken	26
267.	चलचित्र परिषद् की स्थापना	Establishment of Film Council	27
268.	पश्चिम बंगाल में मई तथा जून, 1970 के दौरान चावल तथा धान की वसूली	Procurement of Rice and Paddy in West Bengal during May and June, 1970	27—28
269.	मत्स्य प्रतिष्ठानों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Administrative Officers in Fisheries Establishments	28
270.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of East Pakistan Refugees in Andaman and Nicobar Islands	29

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1601. मद्रास में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से हुई हानि	Loss Suffered due to Strike by Port and Dock Workers in Madras	30
1602. केरल में मछुओं को मछली पकड़ने के जहाज/यंत्रीकृत नावें खरीदने के लिये दी गई सहायता	Assistance given to Fishermen in Kerala for Purchase of Fishing Vessels/ Mechanised Boats	30—31
1603. उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार घर	Post and Telegraph Offices in Uttar Pradesh	31—33
1604. कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों के लिये योजनाओं का लागू न किया जाना	Non-Introduction of Schemes for Calcutta Port Workers	33—34
1605. केरल को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Kerala	34
1606. नई दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालय का दर्जा बदला जाना	Change in Status of International Labour Organisation Office in New Delhi	34—35
1607. वनस्पति घी के बुरे प्रभाव जानने के लिये इसके परीक्षण	Tests of Vanaspati Ghee to find out its ill Effects	35 - 36
1608. स्वैच्छिक पंच फैसला विषय पर पुस्तिका	Brochure on Voluntary Arbitration	36
1609. जनता में प्रोटीन की कमी	Protein Starvation amongst Masses	36—37
1610. कोयला खान मजदूरों को बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की अदायगी	Payment of Increased dearness Allowance to Coal Mine Workers	37
1611. शाहदरा कारखाने, दिल्ली में एक सिलेंडर का विस्फोट	Explosion of a Cylinder in Shahdara Factory, Delhi	37
1612. भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिये गृह विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training Programme in Home Science for Rural Women of India	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1613.	तामिल नाडु का सिंचाई के लिये विशेष निधि	Special Fund to Tamil Nadu for Irrigation	3
1614.	प्रधान मंत्री की पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों से भेंट	Meeting of Prime Minister with Refugees from East Pakistan	39
1615.	ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम से उड़ीसा को वंचित करना	Exclusion of Orissa from Rural Works Programme	39
1616.	"अपना टैलीफोन लगवाईये" प्रणाली के अन्तर्गत दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र	Applications Pending for Telephone Connections under "Own Your Telephone System" in Delhi	39 · 41
1617.	दिल्ली में सहकारी समितियों का परिसमापन	Liquidation of Cooperative Societies in Delhi	41— 2
1618.	उर्वरकों के क्रय के लिये पश्चिमी बंगाल को ऋण	Loan to West Bengal for Purchase of Fertilisers	42
1619.	किसानों को सस्ते उर्वरक की सप्लाई	Supply of Cheap Fertilizers to Farmers	42 - 43
1620.	उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Uttar Pradesh	43—44
1621.	फालतू पुर्जों के न मिलने के कारण बेकार पड़े ट्रैक्टर	Tractors Lying Idle due to Non-availability of Spare Parts	45
1622.	शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Aid to West Bengal for Rehabilitation of Refugees	46
1623.	समाचार पत्रों को अखबारी कागज तथा सरकारी विज्ञापन वितरित करने के लिये एक स्वतंत्र निकाय	Independent Body for Distribution of Newsprint and Government Advertisements to Newspapers	46—48
1624.	आमों के आन्तरिक व्यापार सम्बन्धी अनुमान	Estimate of Internal Trade in Mangoes	48
1625.	पश्चिम बंगाल में काजू की खेती, उत्पादन तथा क्रय-विक्रय में सुधार	Improvement in Cultivation, Production and Marketing of Cashewnuts in West Bengal	48—49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1626.	पश्चिम बंगाल के पिछड़े हुए तथा भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि को वापस लेना	Taking Back the Land Allotted to Backward and Landless Peasants of West Bengal	49
1627.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार विधेयक का पुरःस्थापन	Introduction of West Bengal Land Reforms Bill	49
1628.	बर्मा से चावल का आयात	Import of Rice from Burmah	50
1629.	श्रीलंका में भारतीय	Indians in Ceylon	50—51
1630.	क्षेत्र मंडलीय प्रसार संचार व्यवस्था	Troposheric Scatter Communication	51—52
1631	साम्यवादी दलों द्वारा भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा करना	Forcibly Occupation of Land by Communist Parties	52
1632.	विदेशी दूतावासों द्वारा ट्रैक्टरों के क्रय हेतु राज्यों में परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Projects for Purchase of Tractors in States by Foreign Embassies	52
1633.	पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका में निष्क्रान्त सम्पत्ति	Evacuee Property in Pakistan, Burma and Ceylon	52—53
1634.	राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्यों में भूमि सुधार कार्य	Land Reforms in States during President's Rule	53—54
1635.	वर्ष 1970-71 में चीनी के निर्यात के लक्ष्य	Targets for Export of Sugar during 1970-71	55
1636.	चण्डीगढ़ में अनाज मंडी में तथा अन्य सैक्टरों में डाकघर खोलना	Setting up of Post Offices in Grain Market and in other Sectors of Chandigarh	55—56
1637.	कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से खाद्य सामग्री का उतारना	Unloading of Food from Ships in Calcutta Port	56
1638.	पंजाब में गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat in Punjab	56
1640.	सामुदायिक परियोजनाओं की बजट और कर्मचारी नीति के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	Recommendation of Programme Evaluation Organisation regarding Budget and Staff Policy of Community Projects	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1641.	त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की दयनीय स्थिति	Miserable Condition of East Pakistan Refugees in Tripura	57—58
1642.	दण्डकारण्य परियोजना के परलकोटे क्षेत्र के लिये एकमुश्त (पैकेज) कार्यक्रम को अस्वीकार करना	Rejection of Package Programme for Paralkote Zone of Dandakarnaya Project	58
1643.	सामुदायिक विकास खंडों तथा सहकारी समितियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये समिति	Committee to Evaluate Working of Community Development Block and Cooperatives	58—59
1644.	राजकोट में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर	Rajkot High Power Transmitter	59
1645.	भारत के खाद्य निगम द्वारा प्रतिरक्षा सेवाओं को दाल तथा जौ की सप्लाई	Supply of Dal and Barley by Food Corporation of India to Defence Services	59—60
1646.	सांविधिक मजूरी बोर्ड	Statutory Wage Boards	60
1647.	पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन	Production of Potatoes in West Bengal	61
1648.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास करने हेतु राज्यों से सहायता मांगना	Seeking Help from States for Rehabilitation of East Pakistan Refugees	61
1649.	रेलवे अधिकारियों द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर डाक तथा तार विभाग के तिरपाल के शेडों को हटाना	Removal of Tarapaulin Sheds of P and T Department at Delhi and New Delhi Railway Stations by Railway Authorities	62
1650.	खाद्य तेलों की कमी	Shortage of Edible Oils	62—63
1651.	आम के उत्पादन में कमी	Fall in the Production of Mangoes	63
1652.	हरियाणा तथा पंजाब में पिछली फसल के गेहूं की क्षति	Loss of Wheat of Previous Crop in Haryana and Punjab	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1653.	मध्य प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधनों के अंतर्गत भूमि का ब्यौरा	Break up of Land in Madhya Pradesh under different means of Irrigation	63—64
1654.	मध्य प्रदेश में वनों का विकास	Development of Forests in Madhya Pradesh	64—65
1655.	बिहार के दरभंगा जिले के चोरी और छतरा गांवों में डाक घरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Chouri and Chatra Villages in Darbhanga District, Bihar	65—66
1656.	श्रमिक-प्रबन्धक संबंधों के लिये संहिता	Code of Labour-Management Relationship	66
1657.	चौथी योजना के अंतर्गत सघन कृषि	Intensive Agriculture under Fourth Plan	66—68
1658.	दिल्ली और बम्बई के मध्य दूर संचार सम्पर्क का भंग होना	Breakdown in Telecommunication Link between Delhi and Bombay	68
1659.	जीवन बीमा निगम में मज़ूरी सम्बन्धी विवाद	Wage Dispute in Life Insurance Corporation	68
1660.	दिल्ली में कमीशन एजेंटों द्वारा सब्जियों तथा फलों की जमा खोरी तथा उपभोगताओं के हितों के रक्षार्थ कार्यवाही	Hoarding of Vegetables and Fruit by Commission agents in Delhi and Measures to Safeguard Interest of Consumers	69
1661.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध की किस्म में गिरावट और उस में सुधार लाने के लिये की गई कार्यवाही	Deterioration in quality of Milk Supplied by Delhi Milk Scheme and Steps taken for its Improvement	69—70
1662.	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि	Losses by Food Corporation of India	70
1663.	भूमि सुधार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Land Reforms	70—71
1664.	गोरखपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange at Gorakhpur	71

अता० प्र० संख्या U. S Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1665.	ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में श्रम विभाग द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by Labour Bureau on Rural Labour	71
1666.	आर्थिक लाभों वाले पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारी	Employees Working against Posts Carrying Pecuniary Benefits	72
1667.	गलत समाचार छापने पर समाचार पत्रों के खिलाफ की गई कार्यवाही	Action taken against Newspapers for Publication of False News	72
1668.	ग्रामीण जन शक्ति योजना के लिये आवंटित धनराशि और किया गया व्यय	Allocation and Expenditure under Scheme for Rural Man Power	72
1669.	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित एक समाचार में शुद्धि करना	Correcting of a News item, Broadcast by AIR	72—73
1670.	अहमदाबाद के बड़े डाकघर में चोरी	Theft in General Post Office, Ahmedabad	73
1671.	छोटे कस्बों में डाक तार कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for P and T Employees in Smaller Towns	73—74
1672.	"अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोन केन्द्र	Telephone Centres Covered under "Own your Telephone" Scheme	74
1673.	पश्चिम बंगाल में शीतागारों का बन्द किया जाना	Closure of Cold Storages in West Bengal	75
1674.	खुरजा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Applications Pending for Telephone Connections at Khurja	75
1675.	खुरजा की टेलीफोन लाइनों की मरम्मत	Repairs to Telephone Lines of Khurja	75—76
1676.	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये छिद्रण मशीनों की आवश्यकता	Requirement of Drilling Machines for Hilly Areas	76
1677.	गौ संरक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of Cow Protection Committee	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1678.	रतीब्ती कोयला खान दुर्घटना में एक श्रमिक की मृत्यु	Death of a Worker in Ratibati Colliery in an Accident	77—78
1679.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी जहाज उद्योग का केरल में स्थापित किया जाना	Location of Deep Sea Vessel Industry in Kerala	78
1680.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike in Durgapur Steel Plant	78
1681.	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा शरणार्थियों के शिविरों का दौरा	West Bengal Governor's Visit to Refugee Camps	79
1682.	दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शनों के लिये सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के अनिर्णीत आवेदन पत्र	Applicalions from Social Workers Pending for Telephone Connections in Delhi	79 80
1683.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वनों और कृषि की स्थिति	Conditions of Jungles and Agriculture in Andaman and Nicobar Islands	80—81
1684.	जेनेवा में श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on Labour at Geneva	81
1685.	श्रमिकों के कल्याण के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा क्रियान्वित की गई योजना	Scheme Executed by Delhi Administration for Welfare of Labourers	81—83
1686.	बम्बई में टेलीफोनों को शिफ्ट करने के बारे में शिकायतें	Complaints against Shifting of Telephones in Bombay	8
1687.	पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों का बन्द किया जाना	Closure of ESI Dispensaries in West Bengal	83 · 84
1688.	एक केन्द्रीय कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना करना	Setting up Central Agro Industrial Corpo ration	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1689.	पोस्ट मास्टर जनरल, हरियाणा के लिये एक पृथक सर्किल का बनाया जाना	Creation of Separate Circle for Post Master General, Haryana	84
1690.	दण्डकारण्य में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये शिविरों की स्थापना	Setting up of Camps for East Pakistan Refugees in Dandakaranya	84
1691.	भारत से अन्तर्राष्ट्रीय "टेलक्स" सेवा का विस्तार	Expansion of International Telex service from India	84—85
1692.	पंजाब के कृषकों की सहायता हेतु गेहूं के नमूनों का पुनरीक्षण	Revision of Wheat Grain Specifications to Help Farmers of Punjab	85
1693.	ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये कस्टाम सर्विस	Custom Service for Repairs of Tractors	86
1694.	काश्मीर में देखा गया पाकिस्तान का भारत विरोधी टेलीविजन कार्यक्रम	Anti-Indian Pak. T. V. Programme Viewed in Kashmir	86
1695.	विदेशों के साथ जवाबी पोस्ट कार्ड की सुविधा	Facility of Reply Post Cards with Foreign Countries	86—87
1696.	कार्ड जीवाणु संवर्धन उर्वरक (अलगाई कल्चर्स बैक्टीरियल फर्टिलाइजर) का उत्पादन तथा वितरण	Production and Distribution of Algae Cultures Bacterial Fertilisers	87
1698.	खण्ड विकास कार्यालयों की समाप्ति	Abolition of Block Development Offices	87—88
1699.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घटिया किस्म के दूध के लिये मानक दूध का मूल्य लेना	Price Charged by Delhi Milk Scheme for Inferior Quality of Milk at Standard Milk Rate	
1700.	दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रों के प्रबन्धकों और सहायक प्रबन्धकों का जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार	Rude Behaviour of Mangers and Assistant Managers of D. M. S. Booths with the Public	89—90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1701.	स्वचालित मशीनों के प्रयोग के बारे में वेंकटरामन समिति	Venkatraman Committee on Automation	90
1702.	दिल्ली की कालोनियों में खाली पड़े प्लाटों की नीलामी	Auction of Plots Lying Vacant in Colonies in Delhi	90—91
1703.	मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के लिये अलाटियों द्वारा पूरा भुगतान न किया जाना	Houses not Fully Paid for by Allottee in Malviya Nagar, New Delhi	91
1704.	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों की वार्षिक ओवर हालिंग तथा मरम्मत	Annual over Hauling and Repair of Sugar Factories in U. P.	91—92
1705.	अमरीका के कृषि विभाग के सहयोग से जबलपुर में दालों की बीमारियों के बारे में परियोजना	Project on diseases of Pulses at Jabalpur in Colloboration with US Department Agriculture	92—94
1706.	मार्जिनल किसानों के लिये परियोजनाएं	Project for Marginal Farmers	95
1707.	कृषि वित्त निगम द्वारा क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिये सहायता	Aid for Area Projects by Agriculture Finance Corporation	95—96
1708.	कलकत्ता के बहु संस्करण वाले समाचारपत्रों में भिन्नता	Varying News Items in Multi Edition News Paper of Calcutta	96—97
1709.	अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन से सम्बद्ध समाचार पत्रों की संख्या	Number of Affiliated Newspapers with All India Newspapers Editors' Conference	97—98
1710.	आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र से तुलू भाषा में प्रसारण	Broadcast in Tulu Language over AIR Bangalore	98—99
1711.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना की आलोचना	Criticism of ESI Scheme	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1712.	आकाशवाणी द्वारा धीमी गति से प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिन	Slow Speed News Bulletin over AIR	99—100
1713.	डाक तथा तार विभाग के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Report of Administrative Reforms Commission of Posts and Telegraph Department	100—102
1714.	खाद्यान्नों का रक्षित भंडार	Bufferstock of Foodgrains	103
1715.	मछली पकड़ने वाले जहाजों का निर्माण	Manufacture of Trawlers	103—104
1716.	कृषि क्षेत्र पर छिड़काव के लिये विमान	Agricultural Aircraft for Spraying	104—105
1717.	वर्ष 1969 में सरकारी क्षेत्र में हड़ताल	Strikes in Public Sector in 1969	105
1718.	स्थल डाक द्वारा पोस्टकार्डों का भेजा जाना	Carriage of Postcards by Surface Mail	105—106
1719.	टेलीविजन पर भ्रांतिपूर्ण फिल्में दिखाना	Wrong Films over T. V.	106
1720.	दिल्ली में चलते-फिरते डाकघरों में वृद्धि	Increase in Mobile Post Office in Delhi	106
1721.	उत्तर प्रदेश तथा बिहार को गेहूँ का अतिरिक्त कोटा दिया जाना	Supply of Additional Quota of wheat to U. P. and Bihar	107
1722.	आकाशवाणी द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु आकाशवाणी की प्रतिष्ठित नेताओं की सूची में डा० राम मनोहर लोहिया का नाम सम्मिलित करना	Inclusion of Dr. Ram Manohar Lohia's name in AIR List of Distinguished Leaders for Broadcasting Special Programmes	107
1723.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम स्मारक टिकट जारी करना	Issue of Commemorative Stamps on Pandit Din Dayal Upadhyay	108
1724.	कृषि परियोजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation for Agricultural Projects	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1725.	लेनिन के स्मारक टिकट को दुबारा छापना और उनका वितरण	Reprint and Distribution of Commemorative Stamps on Lenin	108—109
1726.	मन्त्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों तथा उनके पुत्रों के कृषि भूमि, डेयरी, पोल्ट्री फार्म और बाग	Agricultural Lands, Dairy, Poultry and Gardens Owned by Ministers and Ex-Ministers and their Sons	.09
1727.	ट्रैक्टरों की सप्लाई की स्थिति और उनका वितरण	Supply Position of Tractors and their Distribution	10?—110
1728.	मनीपुर में धान का मूल्य	Price of Paddy in Manipur	110
1729.	मनीपुर में खेती वाले क्षेत्र और मछली पालन वाले क्षेत्र का ब्यौरा	Break up of Areas under Cultivation and Fisheries in Manipur	111
1730.	साम्यवादी दल के आन्दोलन के परिणामस्वरूप जबर्दस्ती कब्जे में ली गई भूमि	Acreage of Land Grabbed as a result of Agitation by Communist Party	111—112
1731.	राज्यों में श्रम आयुक्तों की शक्तियां तथा कृत्य	Powers and Functions of Labour Commissioners in States	113
1732.	मनीपुर में बिजली और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के मजदूर संघों की मान्यता	Recognition of Trade Unions of Electricity and PWD Employees in Manipur	113
1733.	बिहार में नये डाक घर खोलना	Opening of New Post Offices in Bihar	113—121
1734.	बिहार में "अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications Pending for Telephone Connections under "Own your Telephone" Scheme in Bihar	121
1735.	अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज वितरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh Government for Providing Food Grains for Scarcity Areas	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1736.	मध्य प्रदेश में और अधिक डाक प्रभागों का बनाया जाना	Creation of More Postal Division in Madhya Fradesh	122
1737.	मध्य प्रदेश के कपड़ा मिलों में कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में अनियमिततायें	Irregularities regarding Employees Provident Fund in Textile Mills in Madhya Pradesh	122—123
1738.	गंगा पुर (भरतपुर) राजस्थान, में टेलीफोन और तार लाइनों का खराब होना	Breakdown of Telephone, Telegrams Lines of Gangapur, (Bharatpur) Rajasthan	123
1739.	गंगापुर और दोसा के बीच नई टेलीफोन लाइनों का बिछाया जाना	Laying of New Telephone Lines between Gangapur and Dausa	123
1740.	पश्चिमी बंगाल के वन विभाग द्वारा कृषि भूमि के बदले में बेगार का लिया जाना	Forced Labour taken by Forest Department of West Bengal in Return for Agricultural Land	124
1741.	कोचीन पत्तन पर हड़ताल	Strike at Cochin Port	124
1742.	अखबारी कागज़ के दुरुपयोग के लिये दोषी ठहराये गये समाचार पत्र	Newspapers Charged with Misuse of Newsprint	124—125
1743.	भारत में काम कर रहे अमरीकी विशेषज्ञ	Agricultural Experts from USA Working in India	126
1744.	काजू की खेती के विकास और आत्मनिर्भरता के लिये केरल को केंद्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for Development of Cashew Cultivation for Self-Sufficiency	126
1745.	मैसूर के कारखानों में प्रदर्शनार्थ उर्वरक की मुफ्त सप्लाई	Free Supply of Fertiliser from Factories in Mysore for Demonstration Purposes	126—127
1746.	चीन तथा पाकिस्तान के प्रसारण स्टेशन का भारत के स्टेशनों से अधिक शक्तिशाली होना	Sino-Pak. Broadcasting Stations more Powerful than India's	127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1747.	टेलीविजन के निर्धारित समय के बाद भी टेलीविजन पर प्रधान मंत्री का भाषण	Prime Minister's Speech Televised beyond T. V. Time Schedule	127
1748.	पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्तियां	Evacue Properties Left by Migrants from East Pakistan	128
1749.	प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आई० यू० सी० एन० एन० आर०) का सम्मेलन	Conference of International Union of Conservation of Nature and Natural Resources	128—129
1750.	प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग	Educational Commission of International Union of Conservation of Nature and Natural Resources	129—131
1751.	राष्ट्रीय पार्कों और वन्य-पशु संरक्षण क्षेत्र से सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on National Parks and Sanctuaries	131—132
1752.	गुरु नानक साहिब के जीवन तथा उपदेशों पर ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम	Sound and Light Performance on Life and Teachings of Guru Nanak Sahib	132—133
1753.	चौथी योजना काल में बारानी खेती	Dry Farming during Fourth Plan	133
1754.	कृषिजन्य वस्तुओं के व्यापार का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over Trade in Agricultural Commodities	134
1755.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खट्टे अंगूरों से तैयार किया गया मीठा रस	Sweet Juice Produced from Sour Grapes by Haryana Agricultural University	134—135
1756.	जलाभाव के कारण संरीक्षित गिरि वन के वन्य पशुओं का विनाश	Loss to Wild Life of Gir Forest Sanctuary due to Scarcity of Water	135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1757.	राज्यों को आयातित उर्वरक का वितरण	Distribution of Imported Fertiliser to States	135
1758.	कानपुर हवाई अड्डे पर पक्षियों का अनाधिकृत निर्यात करने के कारण वन्य पशु परिक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा एक गिरोह की गिरफ्तारी	Arrest of a Gang by Officials of Wild Life Preservation Department at Kanpur Airport for Unauthorised Export	136
1759.	खाद्यान्न उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के उचित मूल्य	Fair Price to Producers and Consumers of Foodgrains	136
1 61.	भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत में आने वाले शरणार्थी	Refugees Coming to India after Indo-Pak. War	136—137
1762.	घोंघे का उपयोग तथा उनका निर्यात	Utilisation of Snails and their Export	137
1763.	खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Foodgrains	137
1764.	दुग्ध चूर्ण आयात तथा इण्डियन डेरी कारपोरेशन द्वारा उसका वितरण	Import of Milk Powder and its Distribution through Indian Dairy Corporation	138—139
1765.	सहकारी क्षेत्र का बकाया शुल्क	Outstanding Co-operative dues	140
1766.	दुग्ध संयंत्रों तथा दुग्ध टैंकरों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistant for Manufacture of Milk Plants and Milk Tankers	140—142
1767.	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन	Production of Foodgraing in U. P.	142—143
1768.	भारत में कृषि मजदूरों की संख्या	Number of Agriculture Labour in India	143
1769.	अन्तर्जातीय तथा विधवा विवाहों का प्रचार करने वाली फिल्मों को विशेष पुरस्कार दिया जाना	Special Prizes to Films Propagating Inter Caste and Widow Marriages	143

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
1770.	उद्योगों में संगणकों को लोकप्रिय बनाने की योजना	Scheme to Popularise use of Computers in Industries	143—144
1771.	प्रति गाय दूध का वार्षिक औसत उत्पादन और डेरी उद्योग मानक में सुधार	Average Annual Yield of Milk per Cow and Improvement in Dairy Farming Standards	144—145
1772.	संगीत की सहायता से गेहूं की फसल का विकास	Growth of Wheat with the Help of Music	146
1773.	नवनीत तेल (बटर आयल) के पहुंचने में देरी और दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सप्लाई पर उसका प्रभाव	Delay in Arrival of Butter Oil and its Effect on Milk Supply of Delhi Milk Scheme	146—147
1774.	ट्रैक्टरों के लिये बिहार कृषि उद्योग विकास निगम के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Applications for Tractors Pending with Bihar Agro Industries Development Corporation	147—149
1775.	दिल्ली में 1970 में टेलीफोन का काटा जाना	Disconnection of Telephones in Delhi during 1969-70	149
1776.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध तथा अन्य उत्पादों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Milk and other products by Delhi Milk Scheme	149—150
1777.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मानकित दूध की सप्लाई का बन्द किया जाना	Discontinuation of Supply of Standardised Milk by Delhi Milk Scheme	150
1778.	टेलीफोन कनैक्शनों के लिये नये आवेदन पत्र	New Application Forms for Telephone Connections	150—151
1779.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का नेफा क्षेत्र में पुनर्वास	Rehabilitation of East Pak. Refugees in NEFA Area	151
1780.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों के आसपास पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees Around Industrial Units in West Bengal	152

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
1781.	शरणार्थी पुनर्वास पुनविलोकन समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Review Committee for Refugee Rehabilitation	152—154
1782.	कपास उद्योग वाले क्षेत्र में कमी	Fall in the Acreage of Cotton	154
1783.	गोबर से गैस वनाने वाले कारखानों की स्थापना	Setting up Cow Dung Gas Plants	155—156
1784.	दिल्ली में डाक वितरण की विलम्बकरी और त्रुटिपूर्ण प्रणाली	Late and Defective System of Delivery of Dak in Delhi	156—157
1785.	दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों में कुप्रशासन	Mal-Administration in Telephone Exchanges at Delhi	157
1786.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये माना शिविर	Mana Camp for East Pakistan Refugee	158—160
1787.	अन्तर्देशीय पत्र के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Inland Letter	161
1788.	दिल्ली में बम्बई से आने वाली डाक के वित्तरण में विलम्ब	Delay in Delivery of Mail in Delhi from Bombay	161—162
1789.	कृषि का एक लाभदायक धन्धे के रूप में सुधार	Improvement of Agriculture as Profitable Vocation	162
1790.	सोयाबीन के तेल निकालने के लिये कारखाने की स्थापना	Setting up of a Factory for Extracting Oil from Soyabean	162
1791.	महाराष्ट्र में खाद्यान्नों की वसूली के लक्ष्य	Targets for Procurement of Food Grains in Mahrashtra	162—163
1792.	त्रिवेन्द्रम (केरल) में महा डाकपाल के कार्यालय के बाहर डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह	Satyagraha by P and T Employees before P. M. Gs. Office in Trivandrum (Kerala)	163

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1793.	केरल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Instructional Staff of Industrial Training Institutes in Kerala	164
1794.	खोसला समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना	Implementation of Khosla Committee Recommendations	164
1795.	उर्वरक के मूल्य घटाना	Reduction in Fertilizer Prices	164
1796.	1968 सितम्बर की हड़ताल के बाद में केरल में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of P and T Employees in Kerala Since Strike of September, 1968	165
1797.	बीड़ी सिगार कारखाना अधिनियम को समाप्त करने की मांग	Demand for Scrapping Beedi Cigar Factory Act	165—166
1798.	वर्ष 1969-70 में ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Requirement of Tractors during 1969-70	166—167
1799.	चम्पारन जिले (उत्तर बिहार) में टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone Facilities in Champaran district (North Bihar)	167
1800.	आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाला मौसम सम्बन्धी बुलेटिन	Weather Bulletin Broadcast by AIR Delhi	167
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	168
	मनीपुर को राज्य का दर्जा देने से केन्द्रीय सरकार के कथित इन्कार से उत्पन्न स्थिति	Situation Arising out of Reports Refusal to Grant Statehood to Manipur	168
	श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	168—169
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	169—171
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	172—174
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	174

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	174—175
कृषि उपज उपकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	Agricultural Produce Cess (Amendment) Bill—Introduced	175
दिल्ली दुकान तथा स्थापन (संशोधन) विधेयक	Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill—Contd.	175—90
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Passed by Rajya Sabha	176
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	178
खंड 2 से 8 तथा 1	Clauses 2 to 8 and 1	179—86
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	187
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	187
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	187
श्री रामावतार शास्त्री	Shai Ramavatar Shastri	188
श्री ब० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	188
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	188
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	189
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohamad Ismail	190
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	190
डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक	Dock Workers' (Regulation of Employment) Amendment Bill	190—196
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Passed by Rajya Sabha	190
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	190—191
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	191—192
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	192—193
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	193—195
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	195—196

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा जादवपुर विश्वविद्यालय में लाठी प्रहार और विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में चर्चा	Discussion Re. Lathi Charge by CRP in Jadavpur University and Closure of the University	196—203
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	196—198
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	198—200
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	200—201
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	201
श्री मृत्युजंय प्रसाद	Shri Mrityunjay prasad	201
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	201—202
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	203

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 6 अगस्त, 1970/15 श्रावण, 1892 (शक)

Thursday, August 6, 1970/Sravana 15, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए आकाशवाणी का कार्यक्रम

*243. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** **श्री शशि भूषण :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री राम चरण :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में साम्प्रदायिक सौहर्दा बढ़ाने और बढ़ती हुई हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से आकाशवाणी पर कुछ कार्यक्रम आरम्भ किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां । ऐसे कार्यक्रम काफी समय से आकाशवाणी के कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण अंग हैं ।

(ख) इन्हें विभिन्न कार्यक्रमों जैसे वार्ताओं, चर्चाओं, रूपकों, नाटकों, संगीत आदि में प्रस्तुत किया जाता है । इन कार्यक्रमों के प्रभाव का सर्वेक्षण हो रहा है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether Government have considered to organise seminars of leading persons belonging to different religions and to broadcast their proceedings and if not, whether Government will consider to do so in future ?

Shri I. K. Gujral : Attention is given to this matter. On several occassions All India Radio has arranged such seminars on the air.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I wanted to know whether the seminars of religions leaders have been organised or not and what is the Government view on it for future broadcasts ?

Shri I. K. Gujral : We have arranged such seminars in the past.

Shri Raghuvir Singh Shastri : All India Radio broadcasts Yuv Vani Programme. May I know whether Government propose to hold such seminars under this programme with students parpicipation every participant expressing his views on religions other than his own religion ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह कार्यवाही करने के लिए एक उपयुक्त सुझाव है ।

Shri Ram Charan : The Communal Propaganda done through the All India Radio had its reaction. It is the main cause of communal disturbance Propaganda has also been done by the All India Radio with the help of political leader. May I know whether in the interest of maintaining communal harmony broadcasts by all political leaders including the Ministers will be stopped by the A I. R. ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य का आशय नहीं समझ पाया । नेताओं और मंत्रियों के भाषण कभी-कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटने पर प्रसारित किये जाते हैं । लेकिन मेरे सामने कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं आया है जिससे यह विदित हो कि उक्त भाषण के परिणामस्वरूप स्थिति और बिगड़ी हो ।

Shri Ram Charan : Government have made the All India Radio a means of Communal disturbances. I want to know in order to create Communal harmony the Government will see to it that statements of political leaders are not broadcasts by the All India Radio. *(Interruptions)*

Shri Atal Bihari Vajpayee : I will make it clear.

Mr. Speaker : He can make it clear himself. If you want to ask any question you may ask.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the recent meeting of the All India Congress Committee of the ruling Party held in Delhi the Prime Minister made a speech against Communalism. May I know whether it is a fact that that speech was broadcast by the All India Radio and if so, whether Government has the policy to broadcast such type of speeches of all the political leaders or of the Prime Minister only ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस बारे में दो बातें बताना चाहूंगा । यदि प्रसारण से उनका अभिप्राय भाषण को साथ-साथ रिले करने से है तो यह बात सच नहीं हैं । दूसरे प्रधान मन्त्री का साम्प्रदायिक विरोधी भाषण का विषय देश के लिए सामायिक महत्व का था । उनके सम्पूर्ण भाषण को प्रसारित न कर उनके भाषण के सारांश को रेडियो से प्रसारित किया गया था क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समस्त देश चिन्तित है ।

माननीय सदस्य को स्मरण रखना चाहिए कि जब विभिन्न नेता भाषण देते हैं तो उनके भाषण के अंश समाचार बुलेटिन में प्रसारित किये जाते हैं । हाल ही में चंडीगढ़ में हुए जनसंघ के सम्मेलन के बारे में अधिकांश कार्यवाही को रेडियो से प्रसारित किया गया था । इसी प्रकार जब मेरे माननीय मित्र ने रामलीला ग्राउंड में भाषण दिया था तो उनके भाषण को समाचार बुलेटिन

में स्थान दिया गया था। इसी प्रकार सब दलों के नेताओं के भाषणों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has not been answered. My question is being distorted. There is no question of taking notice of in the news bulletin. May I know whether you have so far broadcast over the A. I. R. the speech of a leader of a party other than the ruling Congress made by him in his Party session in the name of topical interest and if so, who that leader was ?

श्री इ० कु० गुजराल : देश में प्रधान मन्त्री की विशेष महत्व की स्थिति होती है। इस मामले में यह प्रश्न नहीं है कि उक्त भाषण कहां दिया गया या किस मंच से दिया गया। जब कभी किसी भी मंच से कोई भाषण दिया जाता है और यदि वह देश हित में होता है तो हमें उसकी ओर ध्यान देना होता है।

श्री रंगा : यह महत्व केवल राष्ट्रपति को ही देना चाहिए प्रधान मन्त्री या अन्य व्यक्ति को नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The thing is taking us towards dictatorship.

Dr. Ram Subhag Singh : The Members of opposition should also be given the time equal to that of the Prime Minister over the radio, rather the combined opposition should be given more time than the Prime Minister.

The Minister of Information and Broadcasting and Communication (Shri Satya Narain Sinha) : Today the Prime Minister is from our party. Tomorrow, the Prime Minister may be from their party. So we shall have to maintain the position of the Prime Minister irrespective of his Party affiliations.

Shri Sheo Narain : When I was in the ruling party the extracts of my speeches were broadcast from All India Radio and now when I have crossed over to this side, the extracts of my speeches have never been broadcast over the Radio.

श्री रंगा : केवल राष्ट्रपति के भाषण रोज प्रसारित किये जाने चाहिये और किसी व्यक्ति के नहीं। प्रधान मन्त्री आते हैं और चले जाते हैं। वे सभा की दया पर आश्रित हैं। **(व्यवधान)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let me make my question clear. Agreed that the Prime Minister has a special position. But when the Prime Minister speakes in the meeting of the All India Congress Committee, she speaks in the capacity of the leader of the party and not in the capacity of the Prime Minister. Is the hon. Minister prepared to make this distinction ?

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न यह नहीं है कि प्रधान मंत्री कहां भाषण देती हैं **(व्यवधान)** मुख्य प्रश्न यह है कि वह अपने भाषण में कभी कहती हैं। प्रधान मंत्री के भाषण को न केवल आकाशवाणी बल्कि सब लोग, चाहे वे सरकारी हों, अथवा गैर-सरकारी, महत्व देते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये भाषणों को अन्य लोगों के भाषणों की तुलना में समाचार पत्रों में भी अधिक महत्व दिया जाता है।

डा० रामसुभग सिंह : देश में समाचार-पत्र स्वतन्त्र नहीं है। वे आपके आश्रित हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : This question has two parts : one is to doster communal harmony and the other to curb the violence. As regards the curbing of incident of violence sufficient coverage is given the news bulletins of All India Radio to the news that. Naxalites have subotaged this and that but if the names of the people condemning these incidents are also mentioned in the news, an impression will be created in the country that the people do not like such violent incidents. A new Radio Station set up near Calcutta is encouraging such violence just as Radio Peace and Progressive of Moscow Radio is doing. May I know the steps being taken by Ministry of Information and Broadcasting to counter such activities ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की चुनौती का सामना करने का सम्बन्ध है, न केवल आकाशवाणी से ही इनका विरोध किया जाता है बल्कि इस प्रकार की विनाशकारी गतिविधियों के विरुद्ध प्रकट किये गये सभी विचारों को भी उचित महत्व दिया जाता है। जहां तक अन्य रेडियो स्टेशनों का सम्बन्ध मुझे अलग से सूचना मिलनी चाहिए। तत्पश्चात मैं इस संबन्ध में पूछताछ करूंगा।

Shri Shashi Bhushan : Two types of tendencies are being nourished by the youth of assassinated our country. One Gandhiji and the other is making a bonfire of books written by Gandhiji. One believes in the false institution of Guru and the other in Maoism. National spritit is vanishing due to there two tendencies. Neither believes in democracy. Both of them belive in stabbing and arson. May I know the action being taken by All India Radio against these tendencies and the reasons for not launch a propaganda compaign against them ?

Shri I. K. Gujral : All India Radio cannot taken any action. But if the hon'ble Member means propoganda against them, that we are doing.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon'ble Minister has stated that All India Radio has not relayed and speech of the Prime Minister simultaneously. The Prime Minister had delivered a speech at a meeting in Chandni Chowk organised by the Delhi Congress Committee and All India Radio relayed it simultaneously. There was the audience of thirty thousand people at that meeting whereas in the meeting organised by Jan Sangh in Ramlila Grounds addressed by Shri Atal Bihari Vajpayee the audience was of 2 lakh strong. Despite that the All India Radio gave Coverage of 6-7 minutes to the meeting addressed by the Prime Minister while the speech delivered by Shri Vajpayee was disposed of in three sentences. The hon'ble Member has stated that All India Radio will not he converted into a corporation. It has been alleged that All India Radio is reserved for a single party or for selected leaders people even call it All India Radio. How for these allegations are correct and will Government set up a Parliamentary Committee to go into these allegations and to ensure equitable Coverage to all Party leaders ?

Shri I K. Gujral : It is absolutely incorrect that the speech delivered by the Prime Minister in Chandni Chowk was relayed simultaneously. In so far as the audience in Chandni Chowk or Ramlila Grounds is concerned I think the hon'ble Member should not utilise this forum for propaganda purposes. The figures given by him were just the reverse. In so far as allegations about All India Radio and the Parliament Committee on them is concerned, even earlier hon. Members and some persons land made such allegations. After the Consultative Committee had taken the decision, we placed those bulletins in the Library. It is seven months now. None of the Members of Parliament has so far pointed out that such and such news was wrong in the News Bulletin.

Dr. Ram Subhag Singh : Why the scripts are not sent ? *(Interruptions)*.

Shri Satya Narain Sinha : It is sent on receipt of a letter requiring its dispatch. *(Interruptions).*

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether an assessment has been made of the programmes broadcast by All India Radio to create an atmosphere of communal harmony and in regard to which the name of Shrimati Indira Gandhi has also been mentioned if so, the results thereof ? Hindu Communalism and particularly Hindu Mahasabha and Muslim League are not only being revised, but they are stretching their tentacles all over the country. What steps have been taken by the All India Radio in this regard and to what extent success has been achieved in that ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि किसी घटना के बारे में समाचार देना प्रचार करना है। मेरे विचार में किसी भी समाचार साधन के लिए घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

जहां तक साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन का सम्बन्ध है हमने यह जानने के लिए पहले ही एक ब्यौरेवार सर्वेक्षण आरम्भ किया हुआ है कि विभिन्न कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है और किस प्रकार के अन्य कार्यक्रम आरंम्भ किये जाने चाहिये।

श्री समर गुह : क्या फिलमस डिवीजन और आकाशवाणी आदि जैसे प्रचार एवं प्रसार साधन भारत के विभिन्न धर्मों और जातीय वर्गों की कला, संगीत सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं सम्बन्धी मूल तथा अनिवार्य बातों पर ध्यान देंगे जिससे भारतीय राष्ट्रीयता को संकल्पना का विकास हो सके, बार-बार साम्प्रदायिक सदभावना की बात करते रहने से साम्प्रदायिक सदभावना समाप्त हो जाती है और मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिये प्रतियोगी राजनीतिक प्रचार का अवसर उपलब्ध किया जाता है और फिर पाकिस्तान भी हमारे विरुद्ध प्रचार करता है।

श्री इ० कु० गुजराल : कुछ समय पूर्व प्रचार एवं संचार साधनों सम्बन्धी समिति इस प्रयोजन के लिये स्थापित की गई थी कि राष्ट्रीय एकता क प्रयोजन के लिए प्रचार एवं संचार साधनों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। इस समिति ने उस सम्बन्ध में वार्ताओं तथा चर्चाओं पर ही जोर नहीं दिया बल्कि उन्होंने हमारे देश की मूल सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि पर भी जोर दिया है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही कार्यक्रम बनाया गया है चाहे वह संगीत, कविता, ऐतिहासिक लेख आदि की पृष्ठभूमि हो। हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले सभी मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है जिससे वास्तव में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के पश्चात बेरोजगारी में हुई वृद्धि

+

*244. प्रकाशवीर शास्त्री : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामावतार शर्मा : श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भारत में बेरोजगारी

की संख्या बढ़ी है और चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी उनकी संख्या में और वृद्धि हो जाएगी ;

(ख) गत 20 वर्षों में अब तक सरकार ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की संख्या से सम्बन्धित अधिकृत आंकड़े क्यों एकत्र नहीं किये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान परिस्थितियों में समस्त स्वस्थ तथा योग्य लोगों को अगले 10 वर्षों में भी रोजगार देना सम्भव न हो सकेगा ;

(घ) क्या सरकार का कोई ऐसी योजना तैयार करने का विचार है जिसके अन्तर्गत विकास की दर 10 प्रतिशत तक बढ़ाकर तथा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर प्रत्येक बेरोजगार को काम दिया जा सके ; और

(ङ) क्या सरकार का रोजगार प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि प्रत्येक योजना के अन्त में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है । चौथी योजना के प्रलेख (पैरा 22.13 से 22.16 पृष्ठ 425 से 428) में उन कारणों का, जिनके आधार पर बेरोजगारी के पूर्वानुमान यथातथ्य नही थे ब्यौरेवार स्पष्टीकरण दिया गया है । उक्त प्रलेख में चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ की बेरोजगारी और योजना के अन्त की सम्भावित बेरोजगारी के आंकड़े, अपूर्व प्रथा के अनुसार न देने के कारणों पर भी सविस्तार प्रकाश डाला गया है । सरकार बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़ों के सुधार के लिये सतत प्रयत्न कर रही है । इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने अगस्त 1968 में प्रोफेसर दांतवाला की अध्यक्षता में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने सम्बन्धित आंकड़ों की संकलन पद्धति में सुधार के लिये सुझाव दिये हैं और उसकी रिपोर्ट योजना आयोग के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). आर्थिक विकास के लिये बनी अब तक की भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य, अधिकाधिक नियुक्ति अवसर उपलब्ध कराना रहा है जो इस दिशा में 1951 से अब तक किये गये सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप नियुक्ति अवसर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुये हैं । तथापि तेजी से बढ़ रही श्रमिकों की संख्या और उपलब्ध सीमित आर्थिक और वित्तीय साधन इस दिशा में बाधक रहे हैं ।

कुल 24,882 रुपये की लागत की चौथी योजना में जिसकी कार्यविधि में समस्त उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि का भी अनुमान है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर नियुक्ति अवसर जुटाने का लक्ष्य रखा है । इस योजना में सड़क निर्माण, देहातों में बिजली की व्यवस्था,

भूमि संरक्षण, छोटी सिंचाई योजनाएँ ग्रामीण और लघु उद्योग, आवास और शहरी विकास जैसी श्रम प्रधान प्रायोजनाओं पर काफी बल दिया गया है।

तथापि देश के वर्तमान आर्थिक विकास के संदर्भ में और पूंजीनिवेश की वर्तमान क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, सब के लिये नियुक्ति अवसर जुटाना (अथवा पूर्ण नियोजन) एक ऐसा लक्ष्य होगा जिसे आगामी वर्षों में प्राप्त करने के लिये हमारी अर्थ व्यवस्था गतिशील होगी।

(ङ) अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने की दिशा में किये और किये जा रहे प्रयत्न तथा सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुये इस समय इस तरह का कोई कदम उठाना व्यावहारिक नहीं समझा गया। फिर भी संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित राज्य के नीति सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तों में "कार्याधिकार" को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : The main purpose of asking this question was to know the increase in Unemployment at the end of each Five Year Plan. This information has not been given even in the statement attached to the reply. Government has been spending crores of rupees on these plans. It is inexplicable on the part of the Government not to give the back-log of unemployment at the end of each successive Five Year Plan even after 22 years of Independence. Secondly, may I know whether the Ministry of Labour and the Ministry of Education have together drawn any coordinated programme to check the rising incidence of unemployment among the educated as also to absorb the back-log of the educated unemployed ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : We have given figures relating to unemployment after the end of the first two Five Year Plans. But we are unable to furnish the unemployment figures asked for by Shastriji because as you know, both inside and outside this House, in the Planning Commission itself and different Committees have revealed that all the figures given by us after the Plans are too variant to be believed. The Expert Committee of the Planning Commission has also endorsed the views that keeping in view the economic situation of the country it is neither feasible nor useful to give out these figures. As regards the second part of the question relating mounting unemployment among the educated, I want to tell the hon. Member that they will be observed when increased employment opportunities are created after the implementation of various schemes envisaged in the Fourth Five Year Plan.

Shri Prakash Vir Shastri : I wanted to know whether the Ministries of Labour and Education have together chalked out any coordinated Programme for the absorption of the back-log of the educated unemployed and for speaking out further unemployment among the educated ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I have answered this that employment opportunities will be created by the schemes envisaged in the Fourth Five Year Plan. Such schemes would be controlled by various Ministries. In view of this it has been stated that employment opportunities would be created as and when these schemes are implemented.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, at least I am not convinced with this answer. May I know whether the Ministries of Labour and Industry are working out a scheme under which a unit of 8-10 villages will be formed in which small scale industries will be set up and work provided to the uneducated unemployed to this rural areas.

Shri Bhagwat Jha Azad : I had stated that there are variations in figures given out at the end of each Five Year Plan and in view of this those figures are not given out. It

does not mean that employment opportunities were not provided. The number was comparatively higher in the labour market and in th's infloted the number of the unemployed during every Five Year Plan period. In so far as unemployment in rural areas is concerned, the Plan lays considerable emphasis on labour oriented schemes such as roads, rural electrifications, so that people of rural areas can secure employment.

Shri Kanwar Lal Gupta : Is the hon'ble Minister in a position to give an assurance that at least all the new unemployed will be provided with employment and that there will be no further addition to the present back-log or to pui it differently at least the status-940 will be maintained ? May I know whether Government are aware that according to Government Institute the figures of the unemployment Engineers is 70 thousand at present and that it will swell to 1 lakh in 1974. In view of this what steps have been taken to see that all the engineers get employment ?

Shri Bhagwat Jha Azad : We cannot give any guarantee. We can assure that we shall try our best to provide employment to maximum number of people and to minimise the number of the unemployed If the number of unemployed persons may increase but simultaneously the opportunities of employment will also increase.

It has been stated that the number of unemployed engineers is 70 thousand but according to our Employment Exchanges there are about 13 thousand Engineers and Diploma Holders and about 45 thousand people have sought employments. Steps are being taken to provide them employment under various schemes. The Cabinet Secretariat has asked the State Governments to provide employment to the engineer in engineer-oriented schemes. We have been making efforts in this direction and will continue to do so.

Shri Balraj Madhok : May I know the time by which the Government will be able to place on the Table the figures relating to the unemployed.

Secondly the Directive Principle of an constitution guarantee the right to employment citizen. Are Government prepared to make this right to employment justiciable and a Fundament right

Thirdly in the statement it has been stated that a certain amount will be spent according to the Plan. May I know whether the earmarked amount will be spent or small scale industries or on Gandhian lines or on the industries modelled on Japanese lines in view of the fact that employment potential of small scale industries is 4000 persons for every one crore of rupees of investment as compared to large scale and medium scale industries which offer employment to only 40 persons and 1000 persons respectively.

Shri Bhagwat Jha Azad : I have not stated that the figures are not available. After completion of every Plan figures are given. Although we have not given figures regarding this Plan yet we have not said that figures are not there. The reason for non-compilation of statistics regarding this Plan are that the Committee of experts on unemployment statistics headed by Prof. Dantwala had stated that the compilation of statistics in the present economic set-up entails a lot of difficulty. Therefore the Committee on Unemployment which we are now setting up in accordance with the resolution of the House will also include the hon. Members of Parliament and all these aspects will be considered in that Committee. As regard giving of statistics we can still furnish them. At the end of year 1969, 34,23,885 persons were registered on the live registers in the Employment Exchanges.

As regard the question of Fundamental Right, the Directive Principles embodies that work should be secured for every person. Therefore the question is not connecting it into fundamental right but that of providing employment to people.

Thirdly, I am at one with the hon. Member that our policy should be employment oriented. In an Fourth Plan emphasis has been given on such plans which can absorb the maximum number of persons.

श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या सरकार ने गत पांच वर्षों में जनसंख्या तथा रोजगार क्षमता में वृद्धि के अनुपात के बारे में कोई अनुमान लगाया है और क्या अनुपात सभी राज्यों में समान है।

Shri Bhagwat Jha Azad : I cannot say precisely about the ratio but that must have been worked out by the Planning Commission. We have provided employment to the unemployed in various Plans but it is also true that there have been a back-log at the end of every Plan. It is therefore clear that people get employment during the Plan period but at the same time it also cannot be denied that some people remained unemployed.

Seri Ramavtar Sharma : When first of all the Planning was started by Shri Jawahar Lal Nehru he had given an assurance that there would be no unemployment at all. After that several Plans have been completed and their result is before us. I would like to know as to what provision has been made in this Plan to solve the unemployment problem.

Secondly the menace of Naxalites and dacoits prevailing in the rural areas and in Madhya Pradesh. Rajasthan and other places is directly attributable to unemployment. May I know whether some steps will be taken to solve the unemployment problem and whether some allowance will be provided to the people who are not able to secure employment during the current Plan ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As you know, Sir, in the Fourth Plan we have put more emphasis on the Employment-Oriented Schemes and Plans. We are contemplating to spend an extra amount of Rs. 400 crores. We are spending much more in 1970-71 than that in 1969-70 on such schemes.

Keeping in view the present economic condition of the country it is not possible for the Government to give unemployment allowance to each unemployed person.

श्री हेम बरुआ : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान पंच वर्षीय योजना में, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का उल्लेख नहीं किया गया है तथा युवकों में व्याप्त असंतोष और विशेष रूप से असामान्यत: यह समस्या अधिक गम्भीर है क्या बेरोजगारी की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए समिति नियुक्त करने के बजाय जो कि मौखिक रूप से सहानुभूति प्रदर्शित करना है, सरकार बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने अथवा इसकी गम्भीरता को कम करने अथवा कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : यह सच है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है कि पंच वर्षीय योजनाओं में इस बारे में आंकड़े नहीं निकाले गये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में लगभग 53 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान था। दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में लगभग 90 लाख व्यक्ति तथा तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में एक करोड़ 20 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान था। अत: इस बात का पता लगता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। परन्तु यह राय/अनुमान शुद्ध नहीं हैं। इनका पता प्रो० दन्तवाला, जिसको योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रति-वेदन से लगता है और प्रो० दन्तवाला ने महसूस किया था कि यह आंकड़े निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। उन्होंने आंकड़े निकालने के लिए कुछ सुझाव भी दिये

थे । इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ठीक आंकड़े निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति करने का निर्णय किया है ।

रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु इस बीच योजना में की गई व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया जा रहा है । चालीस और उद्योगों को लघु क्षेत्र तक सीमित रखने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ताकि लघु क्षेत्र में और अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके । जहां तक व्यय का मामला है योजना के अन्तर्गत सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण आदि जैसी योजनाओं को महत्व दिया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल सचिवालय में एक रोजगार अधिकारी है जो योजना आयोग के परामर्श से कुछ योजनाएं बना रहा है जिनको अल्पावधि में क्रियान्वित किया जायेगा और जिससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बहुत सहायता मिलेगी । फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस समस्या का उन्मूलन करना सम्भव नहीं है तथापि इसकी गम्भीरता को हम अवश्य कम कर देगें ।

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक सदस्यों को समय देना कठिन है । हम दो प्रश्नों पर पहले ही 40 मिनट का समय ले चुके हैं।

कुछ माननीय सदस्य : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को उनके अवसर से वंचित नहीं करूंगा । यदि सभा प्रश्न काल में चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर अल्पावधि की चर्चा क्यों न करली जाये !

अध्यक्ष महोदय : हम किसी भी दिन तीन प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं ले सके, प्रतिदिन ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसके बावजूद लगभग 30 सदस्य उठकर कह देते हैं कि उनको अवसर नहीं मिला है । एक दर्जन अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद यह स्थिति है । इस बारे में क्या किया जा सकता । मैं माननीय सदस्यों का परामर्श चाहता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस समस्या पर उचित चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु एक ही तो विषय नहीं है । प्रत्येक प्रश्न पर ऐसी ही स्थिति होती है । यदि किसी एक प्रश्न के साथ पाँच सदस्यों के नाम जोड़ दिये जाते हैं तो सर्वप्रथम वे अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं । इसके पश्चात अन्य सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं । हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते । अनुपूरक प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है । इस बारे में कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन 30 प्रश्नों की सूची होती है परन्तु एक अथवा दो से अधिक प्रश्न नहीं लिए जाते । यह आपके प्रश्न हैं और आपकी ही सभा है ।

Shri Bibhuti Mishra : During Shri Mavalankar's time 15 to 20 questions were taken up daily. He was so alert that just after two supplementaries he used to take up the next question. You can ask hon Member who were also Members of this House at that time as to how much work was disposed of in those days. We know the history of the persons who adorned this chair.

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर के समय अनेक प्रश्नों को आपस में जोड़ा नहीं जाता था एक प्रश्न पर एक ही सदस्य का नाम होता था । अनुपूरक प्रश्न भी दो अथवा तीन ही किये जाते थे । तब इतने ग्रुप भी यहां पर नहीं थे ।

श्री हेम बरुआ : क्या श्री मावलंकर का यहां पर उल्लेख करने से जो कि यहां पर अध्यक्ष थे । आपका अपमान नहीं होता है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरे से पूर्व अध्यक्ष के समय में प्रचलित प्रथा का उल्लेख किया जाता है तो इसमें कोई हानि नहीं । मैं इसे अपने पर आक्षेप नहीं समझता । प्रक्रिया के बारे में मुझे परामर्श करने हेतु एक बैठक बुलानी पड़ेगी । मैं आप सबको बुलाऊंगा । हमें इस बारे में कोई निर्णय करना है कि हमें दो अथवा तीन अनुपूरक प्रश्न की अनुमति होगी अथवा वर्तमान अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछने की प्रथा जारी रहेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : पहले यहां पर लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे परन्तु हम लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं । हमें अधिक से अधिक बोलना चाहिए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रपति ने बेरोजगारी के बारे में एक पुस्तक लिखी है जो उन्होंने प्रत्येक सदस्य को भेजी है और जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से पांच करोड़ है और अपूर्ण रोजगार वालों की संख्या 00 से 15 करोड़ है । सरकार की ओर से यह वक्तव्य दिया गया है कि उनके पास बेरोजगारी के बारे में आंकड़े नहीं हैं । राष्ट्रपति ने पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व इन आंकड़ों की अवश्य पुष्टि की होगी । मैं जानना चाहती हूँ कि सरकारी आंकड़ों और राष्ट्राध्यक्ष की पुस्तक में दिये गये आंकड़ों में इतना अन्तर होने के क्या कारण हैं ।

सरकार द्वारा इस बात को स्वीकार किये कि जिस के बावजूद भी देश में बहुत बेरोजगारी है योजनाओं में परिवर्तन न किये जाने के क्या कारण है जिनसे बेरोजगारी में वृद्धि ही होती रही है । बेरोजगारी की समस्या देश की सबसे गम्भीर समस्या है । क्या सरकार योजना में तुरन्त परिवर्तन करेगी ताकि इस समस्या को शीघ्रता से हल किया जा सके ।

श्री डी० संजीवैया : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार योजना में की गई व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने को तैयार है ताकि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किये जा सकें । राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित पुस्तक में दिये गये आंकड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं उनका पूरी तरह सम्मान करता हूं ।

Shri Jageshwar Yadav : The number of landless unemployed is increasing. It has increased to such an extent that these people are now starving and they want that they should get land from somewhere. Few days back the Government had announced that they will give them land on leave but it has not yet been doneand as a result thereof agitations are taking place everywhere. The situation in Bundelkhand is so acute that they have not been able to get the meals. When the people tried to grab the land the Government arrested 300 to 350 persons. I would like to know the steps being taken by Government to provide meals to such people.

Shri Bhagwat Jha Azad : The operative part of hon. Members question is about land which does not concern us. Regarding unemployment I have already replied.

Shri Molahu Prasad : The 75 percent people in our country are illiterate. I would like to know whether Government will create Sena of educated people to educate these 75 percent people.

Secondly, will Government take steps to increase the production by forming the Agricultural Sena of these uneducated people.

Thirdly, I want to know whether some ordinance will be issued to stop further the education of Engineering and Medicines because so many engineers and doctors are already unemployed in our country.

Shri Bhagwat Jha Azad : These are good suggestions and the concerned Ministries will consider them.

Shri D. N. Tiwary : I want to know the percentage of people who got employment every year out of the people who got themselves registered with the Employment Exchanges ? Whether this percentage has been reduced ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I do not have the figures as to how many got employment and how many remain unemployed. But it is clear that some persons remain unemployed even after giving employment to many others. I can give figures of the last four years. 39,11,748 persons got themselves registered in 1967 and out of these 4,30,588 persons got employment. Notification affected 6,99,0301 persons and at the end 27,40,435 people remained unemployed.

Shri D. N. Tiwary : I want to know whether the knowledge of the people who got themselves registered and got employment during the last two years have been reduced or increased as compared to the persons who got themselves registered and got employment earlier ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Member wants to know whether the number of persons who are now getting employment is more or less. He should also think that the number of job seekers is increasing. Five lakh persons were employed in 1964 and again in 1965 employment was provided to another five lakh people.

Shri Hukam Chand Kachwai : At the end of his reply, the hon. Minister has stated that it is very difficult to collect the figures. But it is, however, clear that the figures which he has given are not correct because they only relate to the educated unemployed and a number of unemployed persons who do not get their names registered in the employment exchanges have not been included in them. Do Government take them into account also ? Will the Government consider to start paying unemployment allowance to all the persons not withstanding whether they are educated or not ?

Secondly, will Government prepare any labour-intensive scheme or is there any such scheme under the consideration of the Government to solve this problem ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I have already stated in reply to an earlier question that in view of the present economic condition of the country, it is not possible to give allowance to every unemployed person. So far as the question of having labour-intensive schemes in the country is concerned, we are making efforts in this direction.

Shri Janeshwar Misra : May I know whether any memorandum has been received by the Government from any institution of students or youths of the country to the effect that the voters in the country should at least, be provided with jobs and in case it is not possible to do so, they should be given allowance equal to an average income of an individual ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Memorandum might have been received. But as I have pointed out in my reply to the main question, it is not possible for us to give any allowance

Shri Sarjoo Pandey : On a point of order, Sir, half-an-hour has been already been taken on this one question. It is for you to decide about the number of questions to be answered on the floor of the House. There should be some time-limit and not more than 5 to 6 Members should be allowed to put supplementaries.

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम समिति की एक विशेष बैठक बुला रहा हूं । उसमें विभिन्न दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जायेगा । प्रश्नों के बारे में काफी भ्रांति है और प्रक्रिया भी अच्छी नहीं है । उनके साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात, मैं ऐसी किसी बात पर ध्यान नहीं दूंगा जिसकी उन्होंने सिफारिश न की हो । (व्यवधान) ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में शकरकंदी के चूर्ण का मिश्रण

+

*245. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री झारखण्डे राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जा रहे दूध की किस्म में गिरावट आ गई है तथा दूध में शकरकन्दी का चूर्ण नियमित रूप से मिलाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Sarjoo Pandey : It has, however, been reported in the press that sweet potato powder is mixed with the milk. Prior to this lizards and flies have also been found in the milk. May I know the steps being taken by the hon. Minister to remove these complaints so that pure and clean milk can be ensured to the people.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : उचित शिकायतों का, तो हम स्वागत करते हैं । परन्तु यह स्पष्ट कर दिया जाय कि प्रतिदिन औसतन 900 नमूने लिए जाते हैं और उनका प्रयोगशालाओं में

विश्लेषण किया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इंसान से गलती नहीं हो सकती है, किन्तु ऐसा कोई कारण नहीं होनी चाहिए कि दूध में कोई मिलावट की जा रही है। यह बिलकुल असम्भव है क्योंकि यह एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और दूध में मिलावट करने में किसी व्यक्ति का कोई हित नहीं है।

यह दूध तो कीटाणु रहित तथा बड़ा साफ और स्वच्छ होता है। माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि हम नवनीत वसा तथा सपरेटा दुग्ध चूर्ण को दूध में परिवर्तन कर रहे हैं और इसीलिए हम लगभग 40 प्रतिशत आबादी को दूध सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं। विशेष कर ग्रीष्म ऋतु में दूध बहुत कम मिलता है और इस कमी को 'सपरेटा' दुग्ध चूर्ण तथा नवनीत वसा का उपयोग करके पूरा किया जाता है। इस दूध का स्वाद सामान्य दूध के स्वाद से कुछ भिन्न जरूर होता है परन्तु जहां तक इसकी शुद्धता का सम्बन्ध है, यह शत प्रतिशत शुद्ध और स्वच्छ दूध है।

श्री रामावतार शास्त्री : बोलने के लिए उठे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद कही गई कोई भी बात को सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : ***

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

दिल्ली में भू-उपग्रह केन्द्र

*241. **श्री रा० की० अमीन** : **डा० एम० संतोषम्** :
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री कृ० मा० (कोशिक)**:
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में वैसे ही एक भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जैसा कि पूना के समीप आर्वी में स्थापित किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां, पूना के निकट आर्वी में स्थापित किये जा रहे उपग्रह संचार के भूमि-स्थित केन्द्र के अतिरिक्त चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में एक और भूमि केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

***कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया गया।
***Not Recorded.

(ख) अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

उत्तरी क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि-केन्द्र का ब्यौरा

विदेश संचार सेवा की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली के निकट दूसरा भूमि-स्थित-केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है । एक विभागीय समिति ने तकनीकी तथा अन्य विचारों के आधार पर प्रस्तावित दूसरा भूमि-केन्द्र स्थापित करने के लिए देहरादून के निकट एक स्थान की सिफारिश की है । इस कमेटी की यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

प्रस्तावित 'द्वितीय भूमि-स्थित केन्द्र प्रायोजना' की संभाव्यता-रिपोर्ट विदेश संचार सेवा के महानिदेशक द्वारा तैयार की गई है । इस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्तावित भूमि-केन्द्र की लागत जो कि उत्तरी क्षेत्र की विदेश—दूरसंचार परियात आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, लगभग 609 लाख रुपये रहने का अनुमान है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 190 लाख रुपये होगा । यह भूमि केन्द्र भी हिन्द महासागर उपग्रह के माध्यम से कार्य करेगा । सम्भाव्यता रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

स्वीकृत मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए सांविधिक उपबन्ध

*242. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीकृत मजदूर संघों को मजदूरों के प्रतिनिधियों के रूप में बातचीत करने के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु सांविधिक उपबन्ध बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार का कानून संसद में कब तक पेश किया जायेगा ; और

(ग) किसी मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें रखने का विचार है और ये शर्तें राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा सिफारिश की गई शर्तों की तुलना में कैसी हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस मामले में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

वनस्पति घी के ऊंचे मूल्य

*246. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वनस्पति घी की अत्यधिक कमी एवं उसके विद्यमान ऊंचे मूल्यों की ओर आकर्षित कराया गया है ;

(ख) 1 जनवरी, 1970 से उत्पादकों को सरकार ने वैध रूप से मूल्य में कितनी बार वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ग) क्या हाल में सरकार ने उत्पादकों को मूल्य में और वृद्धि करने की अनुमति दी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वनस्पति घी उत्पादकों के प्रति पक्षपात करने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार के पास हाल ही में वनस्पति की अत्यधिक कमी तथा ऊंचे मूल्यों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). पहली जनवरी, 1970 से अर्थात् 23-1-1970, 8-2-1970, 18-3-1970 तथा 23 6-1970 को चार बार वनस्पति के मूल्यों में संशोधन किया गया है ।

(घ) वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के अन्तर्गत अधिसूचित वनस्पति के मूल्य देसी कच्चे तेलों के मूल्यों तथा निर्गम मूल्य और सस्ते आयातित सोयाबीन के तेल जिसकी वनस्पति तैयार करने के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गई हो, के प्रयोग की मात्रा के संदर्भ में निर्धारित किये जाते हैं । क्योंकि देशी तेल के मूल्यों में घट-बढ़ होती रहती है और सोयाबीन के तेल के प्रयोग की मात्रा में उसकी उपलब्धि के अनुसार फेर-बदल होता है ; इसलिए वनस्पति के मूल्यों में उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए न कि वनस्पति निर्माताओं के प्रति पक्षपात के कारण संशोधन किया जाता है ।

हिन्दी तथा तमिल फिल्मों के आयात में श्रीलंका द्वारा कटौती

*247. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री अदिचन :**
श्री लताफत अली खां : **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फिल्मस कारपोरेशन के अध्यक्ष ने श्री लंका के हिन्दी तथा तमिल फिल्मों के आयात में 25 प्रतिशत कटौती करने के निर्णय के बारे में कोलम्बो में श्री लंका सरकार के साथ हाल ही में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). ऐसा पता लगा है कि इंडियन मोशन पिक्चर्स कारपोरेशन के अध्यक्ष जुलाई के शुरू में लंका में कारपोरेशन के कार्य के लिए कोलम्बो गये थे । यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने भारतीय फिल्मों पर लगाई गई कटौती के प्रश्न पर बातचीत की थी ।

सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट देखी है कि हिन्दी तथा तमिल फिल्मों के आयात में कमी कर दी गई है । मामले पर दूतावास के द्वारा आगे बातचीत हो रही है ।

खाद्यान्न से लदे जहाजों पर विलम्ब शुल्क लगाया जाना

*248. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को खाद्यान्नों से लदे जहाजों पर प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क (डेमरेज) के रूप में काफी बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, विलम्ब शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 90 प्रतिशत विलम्ब शुल्क तो जहाजों के इकट्ठे पहुंच जाने के परिणामस्वरूप पत्तनों पर घाट की प्रतीक्षा करते रहने के कारण देना पड़ा था ; और

(घ) यदि हाँ, तो खाद्यान्नों से लदे जहाजों के पहुंचने के बारे में गलत योजना बनाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां, लेकिन सामान्यतः लगभग बराबर अथवा अधिक राशि पेषण-राशि के द्वारा अर्जित की जाती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिया गया विलम्ब शुल्क इस प्रकार था :—

	(धनराशि लाख रुपयों में)
1967-68	96.43
1968-69	92.44
1969-70	20.10

(ग) आमतौर पर यह सही है ।

(घ) उत्तम आयोजन के बावजूद, जिन बन्दरगाहों पर माल चढ़ाना है जहां जहाजों का पहुंचना, उन बन्दरगाहों की स्थिति, जहाजों की भिन्न-भिन्न गति, समुद्री यात्रा के दौरान मौसम से मुकाबला, जहाजों के पहुंचने पर घाटों का उपलब्ध होना जो कि वहां उपस्थित जहाजों अथवा अन्य माल चढ़ाने आदि जैसे वश के बाहर के कतिपय तथ्यों के कारण खाद्यान्नों से लदे जहाजों को इकट्ठे पहुंचना और कुछ रुकना पड़ जाता है ।

पंजाब तथा हरियाणा में खाद्यान्न वसूल करने वाली एजेंसियां

*249. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में खाद्यान्न वसूली का कार्य करने वाली एक मात्र एजेंसी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन राज्यों में खाद्यान्न वसूली करने का कार्य और कौन-कौन एजेन्सियां कर रही हैं ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पंजाब सरकार और पंजाब में पंजाब राज्य सहकारिता पूर्ति तथा मार्केटिंग फेडरेशन और हरियाणा सरकार तथा हरियाणा में हरियाणा राज्य सहकारिया पूर्ति तथा मार्केटिंग फेडरेशन ।

(ग) जहां अन्य वसूली एजेन्सियों सहित भारतीय खाद्य निगम वसूली करता है वहां राज्य सरकारों की सलाह से प्रत्येक ऋतु के लिये क्रय हेतु अलग-अलग कार्यक्रम-सूची तैयार की जाती है ।

कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

250. **श्री द० रा० परमार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मीन महीनों में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1969 तथा 1970 की इन अवधियों में कृषि उत्पादों के मूल्य क्या थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3873/70]

Impact of Indian Films on Indian Youth

*251. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ascertain the impact of Indian films on Indian youth ;

(b) if so, whether Government propose to appoint a Study Group to gather this information by undertaking tours of different States ;

(c) if so, the time by which this Study-group is likely to be appointed ; and

(d) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d). The entire question of censorship of films and allied matter was examined by the Enquiry Committee on Film

Censorship set up in 1968. One of the terms of reference of the Committee was to study the effect of films exhibited in public on the people in the context of changing needs of society. In the chapter on 'Audience Reaction' in the Report it has been stated, *inter alia*, that films have "the greatest effect on young minds". The Report of the Committee is under active consideration of Government.

कलकत्ता के लिए टेलीविजन केन्द्र

*252. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री कं० हाल्दर : **डा० रानेन सेन :**

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस केन्द्र पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस केन्द्र के कब से प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कलकत्ता में टेलीविजन स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर के लिए स्थान के चयन के लिए सर्वे कर लिया गया है ।

(ख) लगभग 193 लाख रुपये ।

(ग) 1973-74 तक ।

चीनी उद्योग सम्बन्धी द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति

*253. **श्री रवि राय :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीत मजूरी बोर्ड ने चीनी उद्योग के कर्मचारियों को दी जाने वाली मजूरी में वृद्धि करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) मिल मालिकों से इनको कार्यान्वित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा करने वाले सरकारी संकल्प की प्रतियां 28-7-1970 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं । इस संकल्प में निष्कर्षों एवं सिफारिशों का सारांश भी दिया गया है ।

(घ) राज्य सरकारों से सिफारिशों की क्रियान्विति कराने के लिये अनुरोध किया गया है।

औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना

*254. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों के स्तरों पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्र तथा राज्यों के स्तरों पर औद्योगिक विवादों को हल करने के लिये अन्य किन बातों का सुझाव दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी के महानिदेशक तथा आकाशवाणी कर्मचारी संघ के बीच वेतनमानों के बारे में वार्ता

*255. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "नेशनल फेडरेशन आफ आल इण्डिया रेडियो एम्पलाइज" के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आकाशवाणी के महानिदेशक तथा अपने बीच वेतनमानों के प्रश्न पर उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए 29 मई, 1970 को मन्त्रालय के सचिव से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत द्वारा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में डा० ऐंसमिजर के विचार

*256. **श्री सीताराम केसरी** :
डा० कर्णी सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० ऐंसमिजर द्वारा व्यक्त किये इन विचारों का पता है कि भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये दस वर्ष और लगेंगे ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि तथाकथित हरी क्रान्ति गेहूँ क्षेत्र तक ही सीमित है ; और

(ग) चावल उगाने वाले क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने तथा निर्धारित तिथि तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी, हां। डा० ऐंसमिंजर के ऐसे विचारों के सम्बन्ध में एक प्रेस रिपोर्ट सरकार के नोटिस में आई है।

(ख) सरकार को ज्ञान है कि हाल ही के वर्षों में गेहूं के अतिरिक्त उत्पादन के रूप में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जबकि अब तक अन्य अनाजों के सम्बन्ध में प्रगति कम प्रभावशाली रही है।

(ग) देश में खाद्यान्नों (चावलों सहित) के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार पहले से ही उपाय कर रही है। इन उपायों में अधिक उत्पादनशील किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्र को लाना, बहु-फसली खेती, सिंचाई, विशेषकर भूगर्भ जल संसाधनों का सघन विकास, बीज, उर्वरक, कीटों तथा बीमारियों की निगरानी और सुसंगठित पौध रक्षण कार्यों, आदानों की सुनिश्चित सप्लाई संस्थागत ऋण की अधिक व्यवस्था, अनुसंधान को सघन करना, विस्तार तथा शिक्षण एवं कृषकों का प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं। विशेष रूप से चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उपयुक्त अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास हेतु ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जल की परिस्थितियों के लिये कुछ नई उपयुक्त किस्में हाल ही में निर्मुक्त की गई हैं।

आकाशवाणी से प्रसारित "टूडे इन पार्लियामेंट/संसद समीक्षा" कार्यक्रमों के प्रसारण का समय बढ़ाया जाना

*257. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले "टूडे इन पार्लियामेंट/संसद समीक्षा" कार्यक्रमों का समय 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट करने की माँग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समय में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं जबकि ग्रामीण जनता संसद की कार्यवाही को सुनने के लिये इतनी अधिक इच्छुक है ; और

(ग) क्या लोक सभा के आगामी सत्र में इस प्रस्ताव को लागू किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

फिल्मों के निर्माण के लिए भारत-श्रीलंका संयुक्त प्रयास

*258. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार श्रीलंका के साथ मिलकर फिल्म निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1970 के जुलाई मास में श्रीलंका के दौरे के समय भारतीय चलचित्र निगम के अध्यक्ष ने श्रीलंका सरकार से क्या बातचीत की थी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें सूचना दी गई है।

विवरण

इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री ए० एम० तारिक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 1970 तक श्रीलंका में थे। श्रीलंका में अपनी यात्रा के दौरान वे वहां की सरकार के विभिन्न मन्त्रियों और अधिकारियों तथा उस देश के फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से मिले। उन्होंने और बातों के साथ-साथ भारतीय फिल्मों के आयात पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों, फिल्मों को मिल कर बनाने, भारत में दिखाने के लिए श्रीलंका की कुछ फिल्मों के आयात, सांस्कृतिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दोनों देशों में फिल्म सप्ताहों के आयोजन और फिल्मी कलाकारों को श्रीलंका में भेजने से संबंधित मामलों पर बातचीत की थी।

ताइचुंग किस्म के चावल में संक्रामक विषाणु का पाया जाना

*259. **श्री मुहम्मद इसमाइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई विशेषज्ञों के निष्कर्षों के अनुसार ताइचुंग किस्म के चावल में संक्रामक विषाणु हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस

*260. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 के दूसरे सप्ताह में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस बुलाई थी तथा उसमें राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को आमन्त्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी रूप से बुलाया गया सम्मेलन था ; और

(ग) इस कांग्रेस में स्वीकार किये गए संकल्पों का सार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस का आयोजन भारतीय भूख से छुटकारा आन्दोलन समिति तथा खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था ।

(ग) औपचारिक रूप से कोई संकल्प पास नहीं किये गये परन्तु कांग्रेस ने खाद्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के विषय में सिफारिशें की हैं । विचार विमर्श के सार तथा सिफारिशों की प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

पश्चिम बंगाल में बिड़ला फर्मों को फिर से खोलने के बारे में ज्ञापन

*261. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जून, 1970 को वाणिज्य कर्मचारी यूनियन संघ तथा 'बिड़ला श्रमिक व कर्मचारी यूनियन की समन्वय समिति' ने सरकार से यह अनुरोध करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को दो ज्ञापन दिये थे कि वे बिड़ला कम्पनियों को फिर से शीघ्र खोलने के बारे में कार्यवाही करे ;

(ख) यदि हाँ, तो उन दो ज्ञापनों का पाठ क्या है ; और

(ग) बिड़ला कम्पनियों को फिर से शीघ्र खोलने के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा भारतीय क्षेत्र का अध्ययन

*262. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने भारतीय क्षेत्र के अध्ययन के बारे में जुलाई, 1970 में अमरीका में एक सम्मेलन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गए थे और सम्मेलन के निष्कर्षों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बिजली मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

*263. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली कर्मचारियों के बारे में मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसको सभी राज्यों में क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाली मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली है।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों से सिफारिशों की क्रियान्विति कराने के लिए अनुरोध कर दिया गया है। चूंकि बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्णयों की घोषणा हाल ही में की गई है, अतएव विभिन्न राज्यों में क्रियान्विति की स्थिति जानने के लिए कुछ समय लग जायगा।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक उर्वरक, बीज आदि

*264. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित एक सैमिनार में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उपयुक्त उर्वरक बीज आदि की व्यवस्था की जाय तो सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को दुगना अथवा यहां तक कि तिगुना भी किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सेमिनार द्वारा किन उपयुक्त उर्वरक बीज आदि का सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में इन उर्वरक बीजों की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां, राष्ट्रीय विज्ञापन संस्थान ने "शुष्क क्षेत्रों के लिए आयोजन" पर एक सेमिनार किया और उपयुक्त पैकेज प्रणालियों को अपना कर फसलों का उत्पादन बढ़ाने की सिफारिश की ।

(ख) पैकेज प्रणालियों के अन्तर्गत उपयुक्त जुताई की विधियों, नमी संरक्षण, पौध पोषकों के पर्णीय आहार, मौसम के अनुसार अल्पावधि अधिक उत्पादनशील, किस्मों के उपयोग और समुचित वनस्पति रक्षण उपायों की सिफारिश भी की गई ।

(ग) जी हां ।

(घ) शुष्क भूमि की परिस्थितियों में फसलोत्पादन की वृद्धि के लिए एक समेकित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है । शुष्क भूमि कृषि पर, 147.50 लाख रुपये के योजना परिव्यय से 24 केन्द्रों सहित एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है, जिसे कि और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है । देश में 25 शुष्क भूमि मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये के योजना प्रावधान से शुष्क भूमि मार्गदर्शी परियोजना के लिए एक विकास योजना की भी स्वीकृति दी गई है जिसमें शुष्क भूमि परिस्थितियों में फसलोत्पादन की वृद्धि के लिए पैकेज प्रणालियों को अपनाने की व्यवस्था है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए दालों की खरीद के बारे में जांच की मांग

265. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न खाद्यान्न के व्यापारियों से प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये के मूल्य की दालों की हाल की खरीद के बारे में जाँच कराने के लिए नागरिकों के एक स्वैच्छिक सगठन, भ्रष्टाचार निरोध समिति द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और जांच समिति के निर्देश पद क्या हैं ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को प्रस्तुत किये गए ज्ञापन में सदस्यों ने आरोप लगाया था कि "दालें मानवीय उपभोग के उपयुक्त नहीं थी "?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). कुछ समय पूर्व, भ्रष्टाचार निरोध समिति, जिसके अध्यक्ष चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी श्री महावीर प्रसाद गुप्त बताये जाते हैं, से भानी राम गुप्त तथा अन्य द्वारा रक्षा सेवाओं को घटिया किस्म की दाल सप्लाई करने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

ठेके की शर्तों के अनुसार सेना प्राधिकारियों ने सप्लाई किये गए माल की जांच की थी और जिन फर्मों का माल निर्दिष्टियों/मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था उनके विरुद्ध, सप्लाई के ठेके में उल्लिखित कार्यविधि तथा शर्तों के अनुसार कार्यवाही की गई थी। तथापि, जैसाकि 23 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में अल्प सूचना प्रश्न संख्या 22 के उत्तर में उल्लेख किया गया था आपराधिक कार्यवाही तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के प्रश्न पर विधि तथा गृह मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

बड़े बंदरगाहों में बार-बार होने वाली हड़तालें और उनके उपचार के लिए किए गए उपाय

*266. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** **श्री पी० विश्म्भरन :**
श्री अब्दुल गनी डार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी बड़े बन्दरगाहों में वहां के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं जिसके कारण निर्यात सम्बन्धी कार्यों में बाधायें पड़ती हैं और करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बम्बई के बन्दरगाहों में इन हड़तालों के कारण हुई हानि का अनुमान लगाया है ;

(ग) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से समूचे प्रश्न की जाँच करेंगे और उपचारात्मक उपाय करेंगे ; और

(घ) यदि हाँ, तो बन्दरगाहों में बार-बार होने वाली हडतालों के कारणों का क्या विश्लेषण किया गया है और किये गये उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कुछ मुख्य पत्तनों में हड़तालें हुई हैं जिनका प्रभाव माल के लादने तथा उतारने के काम पर पड़ा है।

(ख) हानियां कई प्रकार की हैं और इनका इतना शीघ्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ). पत्तनों तथा गोदियों में विवादों के प्रभावशाली एवं शीघ्र समझौते के लिए एक समुचित तंत्र बनाने की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और केन्द्रीय स्तर पर, तथा यदि आवश्यक हो तो स्थानीय स्तरों पर, इस प्रकार के तंत्र स्थापित करने के कुछ प्रस्तावों का इस समय अध्ययन किया जा रहा है।

चलचित्र परिषद की स्थापना

*267. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

श्री पुरासोली मारन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक चलचित्र परिषद की स्थापना का इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परिषद कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

(ख) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मई तथा जून, 1970 के दौरान चावल तथा धान की वसूली

*268. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में चावल तथा धान आंतरिक वसूली मई, 1970 के अन्त तक 400,000 मीटरी टन रही है जोकि इस वर्ष के 6 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के 87 प्रतिशत से अधिक है ;

(ख) जून 1970 के दौरान यह वसूली कितनी रही है ;

(ग) वर्ष 1969 में इस अवधि की वसूली की तुलना में जून, 1970 के अन्त तक की वसूली कितनी कम या अधिक रही है ;

(घ) वर्ष 1970 में उक्त अवधि में की गई वसूली पर वर्ष 1969 की इसी अवधि की तुलना में कुल कितना कम या अधिक खर्च हुआ है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त वसूली की सारी प्रक्रिया वर्ष 1969 की तुलना में निर्विघ्न तथा सुचारू रूप से हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में चालू विपणन मौसम में मई के अन्त तक चावल और धान की कुल अधिप्राप्ति चावल के हिसाब से लगभग 404 हजार मीटरी टन हुई थी। यह 6 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के 67 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है।

(ख) चावल के हिसाब से लगभग 1.9 हजार मीटरी टन।

(ग) इस वर्ष जून तक चावल के हिसाब से 4.06 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति ई थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 4.18 लाख मीटरी टन अधिप्राप्ति हुई थी।

(घ) 1969 और 1970 में पश्चिमी बंगाल में अधिप्राप्ति पर हुआ कुल खर्च अभी मालूम नहीं है क्योंकि हिसाब-किताब अभी तैयार नहीं हुआ है ।

(ङ) इस वर्ष कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण खाद्य, कानूनों के प्रवर्तन और फालतू क्षेत्रों की हृद बन्दी के मामले में कुछ कठिनाइयां हुई थीं लेकिन कुल मिला कर अधिप्राप्ति कार्य सन्तोषजनक था ।

मत्स्य प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

*269. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य संगठनों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण कर दिया गया ताकि उनको भारत सरकार के अधीन अन्य कार्यालयों में समान कर्तव्य तथा दायित्व के पदों के वेतनमानों के समान लाया जा सके ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने नियंत्रणाधीन मत्स्य प्रतिष्ठानों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण कर इस विषमता को दूर कर दिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपने नियंत्रणाधीन मत्स्य प्रतिष्ठानों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) तथा (ख). कृषि विभाग के अधीन मीन-उद्योग संस्थाओं में प्रशासन अधिकारी के पद के वर्तमान वेतनमान दूसरें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गए थे । इन मीन-उद्योग संस्थाओं में से एक संस्था में प्रशासन अधिकारी के पद के वेतनमान बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचराधीन था । परन्तु वेतनमानों के संशोधन पर लगे हुए सामान्य प्रतिबन्ध जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ती रही है को दृष्टि में रखते हुए इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने अधीन कार्य करने वाली मीन-उद्योग संस्थाओं के प्रशासन अधिकारियों के वेतनमान को संशोधित नही किया है । किसी एक संस्था में उच्च वेतनमान का एक पद सृजित किया गया है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे तथा सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण करने का कार्य अप्रैल, 1970 में भारत सरकार द्वारा गठित किये हुए वेतन आयोग को सौंप दिया गया है ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का बसाया जाना

*270. **श्री समर गुह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण के पश्चात यह सिफारिश की है कि कम से कम 1,50,000 शरणार्थियों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप में बसाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थियों को अब तक इस द्वीप समूह में बसाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस द्वीप समूह में अपने पुनर्वास वाले स्थानों को किसी भी शरणार्थी ने नहीं छोड़ा है जिससे इन क्षेत्रों में पुनर्वास योजनाओं की सफलता का पता चला है ;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों को पुनर्वास हेतु अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भेजा जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोई ऐसी उच्च-स्तरीय समिति न तो नियुक्त की गई थी और न ही उसने इस मामले में कोई सिफारिशें की थीं। तथापि एक अन्तर्विभागीय दल, जिसमें योजना आयोग तथा विकास के मुख्य पहलुओं से सम्बन्धित मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी थे, पुनर्वास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था जिसके आयोजक पुनर्वास मंत्रालय के भूतपूर्व अपर सचिव, श्री एल० जे० जानसन, थे। दल ने अपनी रिपोर्ट, अप्रैल 1966 में की थी। दल ने जिस कार्यक्रम की सिफारिश की है उसमें 1965 के मध्य की लगभग 75,000 की आबादी को 1971 के अन्त तक दुगना करना और इसमें 1976 के अंत तक एक लाख की वृद्धि करना दृष्टि में रखा गया है।

दल की रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) और (ग). 1949 और 1963 के बीच पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के 2,861 परिवार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में बसाये गए थे। इनमें से 46 परिवार लौट आये। छोड़ कर चले आये थे। पुनर्वास विभाग के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में बसाने के लिए प्रवासियों के 562 परिवार अब तक वहां भेजे गए हैं।

(घ) और (ङ). आवश्यक प्रारम्भिक व्यवस्था प्रदान करने और उद्धार की गई भूमि के उपलब्ध होने के उपरांत, कार्यक्रम सम्बन्धी विशिष्ट व्यवसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासी, बर्मा और लंका के प्रत्यावासी और मुख्य भूमि के अन्य लोग पुनर्वास के लिए इन द्वीपों में से भेजे जायेंगे।

मद्रास में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से हुई हानि

1601. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1970 में मद्रास के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप नौवहन उद्योग को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया और उनकी माँगे क्या थी ; और

(ग) गतिरोध को समय पर हल न करने और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था को इसे कई दिनों तक जारी रहने देने के क्या कारण थे ?

श्रम और पुनार्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) गोदी श्रमिक बोर्ड को रिजर्व पूल के श्रमिकों के सम्बन्ध में, नये प्रशासी-निकाय को सूचीबद्ध गोदी श्रमिकों के सम्बंध में तथा भारतीय खाद्य निगम लगभग 10,02,640 रु० के राजस्व की हानि हुई है। नौवहन उद्योग की हुई हानि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 7,777 श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया । मुख्य मांगे सूचीबद्ध तथा भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों को पूरे मास के मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी तथा नियोजकों एवं मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा की गई परिगणना के स्थान पर दो यूनियनों द्वारा की गई श्रमिकों की फिटमेंट (वेतन निर्धारण) की स्वीकृति के बारे में थीं ।

(ग) श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा की गई परिगणनाओं से सहमत नहीं थे और वे चाहते थे कि गोदी श्रमिकों को मजूरी तथा भत्ते, उनकी परिगणनाओं और व्याख्याओं के अनुसार दिये जाएं । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय), मद्रास द्वारा दी गई समझौता वार्ता तथा सीधी बात-चीत के असफल होने पर नई दिल्ली में विचार विमर्श हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार 16-5-1970 की पहली पारी से हड़ताल समाप्त हो गई ।

केरल में मछुओं को मछली पकड़ने के जहाज यंत्रीकृत नावें खरीदने के लिए दी गई सहायता

1602. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल में छोटे मछुओं की यंत्रीकृत नावें/मछली पकड़ने के जहाज खरीदने के लिए कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) विभिन्न नाव निर्माण केंद्रों पर कितनी यंत्रीकृत नावों/मछली पकड़ने के जहाजों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई केन्द्रीय नाव निर्माण एजेंसी है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक वि कास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भाड़ा खरीद प्रणाली के अधीन एक उत्पादक को 10 नौकायें दी गई हैं और उन के इन्जनों की लागत पर 25 प्रतिशत उत्पादन दिया गया है।

(ख) और (ग)- 81 नौकायें निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त एक योजना के अधीन (जिसके लिये कृषि पुनर्वित्त निगम धन दे रहा है) 50 और नौकाओं के निर्माण के लिए आदेश दिये गए हैं। नौका निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय एजेंसी नहीं है। उपदान एवं भाड़ा खरीद व्यवस्था के अधीन मछुओं को यान्त्रिक नौकाये सप्लाई करने के लिए स्टेट स्कीम के हेतु जिन नौकाओं की आवश्यकता है उनका निर्माण केरल मात्सयकी निगम (जो एक सरकारी संस्था है) के नौका-निर्माण यार्डों में होता है।

Post and Telegraph Offices in Uttar Pradesh

1603. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4831 on the 2nd April, 1970 and state :

(a) the number of new post offices opened in the rural and urban areas of various Districts of Uttar Pradesh separately ;

(b) the number of sub-offices among them ;

(c) whether Government feel that the number of telegraph offices from where telegrams can be sent in Hindi, is much less for a big State like Uttar Pradesh and this number ought to be increased ; and

(d) if so, the number of additional telegraph offices where Government propose to provide facilities for sending telegrams in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Number of new post offices opened in the rural and urban areas of Uttar Pradesh during 1969-70, district-wise

Name of District	Number of New Post Offices Opened during 1969-70 in	
	Rural areas	Urban areas
1. Saharanpur	7	—
2. Muzaffar Nagar	1	—
3. Agra	14	1
4. Meerut	4	[illegible]
5. Gorakhpur	16	2
6. Deoria	12	—
7. Farrukhabad	5	—
8. Etawah	7	—
9. Mainpuri	5	—
10. Allahabad	—	—
11. Mirzapur	8	—
12. Azamgarh		

(1)	(2)	(3)
13. Ballia	11	—
14. Faizabad	12	2
15. Jaunpur	9	—
16. Kanpur	18	1
17. Unnao	2	—
18. Fatehpur	5	—
19. Lucknow	—	—
20. Barabanki	14	—
21. Gonda	7	—
22. Bahraich	9	1
23. Basti	10	—
24. Sitapur	18	—
25. Hardoi	4	—
26. Kheri	4	—
27. Varanasi	3	—
28. Ghazipur	4	—
29. Aligarh	12	—
30. Bullanshahr	11	—
31. Almora	16	—
32. Pithoragarh	9	—
33. Bareilly	2	—
34. Budaun	6	—
35. ShahjahanPur	4	—
36. Dehradun	3	1
37. Tehri	3	—
38. Uttarkashi	1	—
39. Jhansi	8	—
40. Hamirpur	1	—
41. Jalaun	7	—
42. Banda	1	—
43. Mathura	3	1
44. Etah	8	—
45. Moradabad	8	1
46. Rampur	3	1
47. Bijnore	11	
48. Nainital	4	
49. Pilibhit	2	
50. Pauri	13	
51. Chamoli		

1		2	3
52.	Partapgarh	6	—
53.	Rae Bareli	13	—
54.	Sultanpur	6	—

In this connection it may be stated that in reply to the Unstarred question No. 4831, on the 2nd April, 1970 the total number of post offices opened during 1969-70, was mentioned as 381. This reply was based on the information received from the subordinate units by the Postmaster General, Lucknow and furnished by him on 26-3-1970. The present information will indicate the total number of post offices opened during 1969-70 as 397. This information includes all the Post Offices opened during the year 1969-70.

(b) During the year 1969-70, 17 sub-post offices (2 in the rural areas and 15 in the urban areas) were opened in Uttar Pradesh.

(c) Out of 1,102 Telegraph Offices existing in Uttar Pradesh as on 29-7-1970, facilities for sending telegrams in Hindi exists in 621 telegraph offices as against 582 on 31st March, 1969.

(d) It is, however, proposed to extend the facility for sending telegrams in Hindi to 60 more telegraph Offices in Uttar Pradesh in the current year i.e., 1970-71.

कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों के लिये योजनाओं का लागू न किया जाना

1604. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के कर्मचारियों के लिये दो योजनाओं को 1 जुलाई, 1970 से लागू न करने के श्रमिक प्रतिनिधियों के क्या कारण बताये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा इन दो योजनाओं में पाये गये दोषों के बारे में कोई आश्वासन दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) बताये गये कारणों में से अधिक महत्वपूर्ण कारण वर्तमान गैंग पद्धति को तोड़ने, सेवानिवृत्ति की आयु, प्रशासकीय निकाय की समाप्ति, नौभरक नियोजकों के अन्तर्गत श्रमिकों का मासिक रोजगार तथा प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में थे।

(ख) और (ग). नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप, अन्य मामलों के साथ, यह स्वीकार किया गया कि नई योजना का, उसके लागू होने के तीन महीने के पश्चात पुनरीक्षण किया जायगा तथा इन तीन महीने की अवधि में वैयक्तिक बुकिंग प्रणाली के लागू होने के कारण पदोन्नति के अवसर न मिलने पर हुई इस प्रकार की हानि के लिए संबंधित श्रमिकों को मुआवजा दिया जायगा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन भी दिया गया कि प्रोत्साहन योजनायें प्रयोगात्मक रूप में तीन महीने के लिए लागू की जायगी और इस समयावधि में कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड वैध कारणों से निर्दिष्ट तत्व प्राप्त न होने के लिए कोई सजा नहीं देगा। यह भी स्वीकार किया गया कि नौभरक नियोजकों के अन्तर्गत

मासिक रोजगार में श्रमिकों को बदलने संबंधी धारा की वास्तविक क्रियान्विति के बारे में गोदी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के श्रमिक सदस्यों के बहुमत की सहमति से ही निर्णय लेंगे।

केरल को खाद्यानों की सप्लाई

1605. **श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई 1970 को केरल के खाद्य मंत्री द्वारा त्रिवेन्द्रम में दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि जबकि आन्ध्र, तमिल नाडु तथा मैसूर राज्य अपने फालतू खाद्यान्नों का निपटारा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और केरल राज्य बार-बार और अधिक चावल की मांग कर रहा है, केन्द्र सरकार अपने पुराने नियमित तरीके से ही कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्र सरकार इन राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्नों की वसूली करने तथा केरल राज्य को राशन की मात्रा बढ़ा कर 8 से 10 औंस तक करने हेतु सहायता करने में क्यों संकोच कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग). यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और मैसूर अपने फालतू स्टाक का निपटान कराने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं अथवा केन्द्र इन राज्यों से फालतू स्टाक खरीदने के लिए संकोच कर रहा है। वास्तव में इन राज्यों के पास जितना भी फालतू चावल उपलब्ध है वह शर्तें तय होते ही केन्द्र द्वारा लिया जा रहा है और वह चावल अधिकांशतः केरल को भेजा जाता है। केरल में चावल के राशन की मात्रा खासी उचित है और किसी भी अन्य कमी वाले राज्य से अपेक्षाकृत अधिक ही है। सरकार के पास चावल की सम्भावी प्राप्यता इतनी पर्याप्त नहीं होगी जिससे और वृद्धि की जाए।

नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालय का दर्जा बदला जाना

1606. **श्री चंद्र शेखर सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालय का दर्जा बदल कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले की तरह एक भारतीय राष्ट्रिक के बजाये एक जर्मन राष्ट्रिक को नई दिल्ली में इस कार्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राधिकारियों को नई दिल्ली स्थित अपने इस क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष पद के लिए किसी भारतीय की नियुक्ति न करने के बारे में कोई विरोध पत्र भेजा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और क्या यह नियुक्ति भारत सरकार की स्वीकृति से की गयी थी ; और

(ङ) सरकार का जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राधिकारियों से इस बात का आग्रह करने के लिये कि नई दिल्ली स्थित इस कार्यालय में केवल कोई भारतीय राष्ट्रिक ही नियुक्त किया जायेगा, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां, भारत में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाखा कार्यालय को, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, एक अप्रैल 1970 से क्षेत्रीय कार्यालय में बदल दिया गया। स रे संसार में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय ढांचे के पुनर्गठन के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ऐसा किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). संगठन के अन्तर्गत पदों पर ये नियुक्तियां संगठन के महा-निदेशक द्वारा की जाती हैं और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं समझती ।

वनस्पति घी के बुरे प्रभाव जानने के लिए इसके परीक्षण

1607. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब आलू के चिप, काजू आदि को वनस्पति घी में तला जाता है, तो घी को ठण्डा करने पर वह कड़े और चिप-चिपे हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वनस्पति के निर्माता इसमें कम मात्रा में बिनौले का तेल प्रयोग कर रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं पर पार्श्व प्रभाव पड़ना आरम्भ हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला अथवा मैसूर स्थित फल अनुसन्धान प्रयोगशाला में वनस्पति में किसी हानिकारक तत्व का पता लगाने के लिये किसी प्रकार का परीक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). वनस्पति अपनी ठोस वसा प्रकृति के कारण चाहे वह अपने असली रूप में हो अथवा तलने के लिए प्रयोग करने के बाद ठण्डा होने पर ठोस तथा चिकना हो जाता है ।

(ग) भारत तथा अन्य देशों में वनस्पति बनाने के लिए बिनौले के तेल का प्रयोग किया जा रहा है । सरकार के ध्यान में इसके प्रयोग के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर किसी भी पार्श्व प्रभाव होने के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है ।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसन्धान संस्थान, मैसूर में किए गए परीक्षणों से पता चला कि बिनौले से तैयार किए गए वनस्पति में कोई हानिकारक तत्व नहीं होते और वह मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त है। प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद का यह मत है कि विश्व भर में पिछले 50 वर्षों से बिना किसी पार्श्व प्रभाव के बिनौले के तेल का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि इस तेल में कोई हानिकारक तत्व मौजूद नहीं और इस प्रयोजन के लिये कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

"स्वैच्छिक पंच फैसला" विषय पर पुस्तिका

1608. श्री **चंद्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "स्वैच्छिक पंच फैसला" विषय पर प्रस्तावित पुस्तिका को तैयार कर लिया है तथा प्रकाशित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह पुस्तिका सम्भवतः कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). "स्वैच्छिक पंच फैसला" विषयक पुस्तिका का मसौदा राष्ट्रीय पंचफैसला प्रोन्नति बोर्ड के सदस्यों को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है। अनेक सदस्यों के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। सदस्यों के विचार प्राप्त होने पर इस पुस्तिका को अन्तिम रूप दिया जायगा।

जनता में प्रोटीन की कमी

1609. **श्री नंद कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम जनता में फैलने वाली बीमारियों तथा प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण की व्यापक घटनाओं से चिन्तित होकर केन्द्रीय सरकार ने सोयाबीन उत्पादन शुरू करने से सम्बन्धित जोरदार कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अधीन पेट्रोलियम से भी भोज्य प्रोटीन निकालने की योजनाएं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी कमी पूरी हो जाएगी और योजनाएं किस अवस्था में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक समन्वित सोयाबीन सुधार कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अन्तर्गत सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयुक्त किस्मों का

बड़े पैमाने पर गुणन और वितरण किया जा रहा है जोकि प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण का सामना करने के लिए लाभदायक होगा।

(ख) गुजरात रिफायनरी के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा पेट्रोलियम के कुछ अंश के किण्वन की प्रक्रिया से प्रोटीन सांद्रण के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोगिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) फिलहाल, पेट्रोलियम से प्रोटीन का उत्पादन करने सम्बन्धी कार्य प्रयोगात्मक अवस्था में ही है।

खरीफ वर्ष 1970 में सोयाबीन-फसल के अन्तर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्र के आने की आशा है।

कोयला-खान मजदूरों को बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की अदायगी

1610. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला-खान कम्पनियों ने पिछली बकाया धन राशि सहित, 1.53 रुपये प्रति दिन की दर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की अदायगी आरम्भ कर दी है अथवा यह भत्ता देना लिखित रूप में स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या सरकार दोषी कम्पनियों के वे प्रमाणपत्र रद्द करके जिनसे वे अपने उत्पादन सरकार को बेच सकती है, उन्हें दण्डित करने की किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) नब्बे ;

(ख) इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुये हैं। तथापि, दोषी कोयला-खानों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार करने से पहले कुछ और काल तक स्थिति पर निगाह रखने का विचार है।

Explosion of a Cylinder in Shahdara Factory, Delhi

1611. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 8 workers were seriously injured due to the explosion of a cylinder in a factory located at Loni Road (Shahdara), Delhi ;

(b) if so, the casues of the explosion of a cylinder ; and

(c) the type of medical facilities provided to the injured ones ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) On 22-4-1970 seven persons were injured, two of them seriously—in the establishment of M/s Shiv Sanitation at Loni Marg, Delhi-Shahdara, due to the explosion of the carbide tank.

(b) It appears that the cause of the explosion was due to excessive pressure of gas.

(c) The two seriously injured persons were admitted to hospital and the remaining five were discharged after giving first aid.

Training Programme in Home Science for Rural Women of India

1612. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that UNICEF, an organ of the U. N. O., has undertaken a laudable training programme for rural women in undevelop countries in order to acquaint them with Home Science ;

(b) if so, whether Government have also chalked out any such scheme for acquainting our rural women with Home Science ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Applied Nutrition Programme is being implemented in collaboration with the International Agencies The programme envisages, *inter alia*, training of various functionaries – both officials and non-officials—who are implementing the programme in the field. The programme aims at developing a planned effort in nutrition education touching all segments of population, specially the rural women. Nutrition education is backed by a series of actual demonstrations. While initially the training effort, in the first phase, is concentrated on programme functionaries as also the related technically and professionally qualified persons, the programme eventually envisages development of a fully coordinated and comprehensive training programme by providing permanent training facilities in human nutrition in agricultural colleges, colleges of veterinary science, home science colleges and appropriate health institutions. Summer schools are also held every year at the agricultural and home science colleges particularly for the trainers.

(d) Does not arise.

तामिल नाडु को सिंचाई के लिए विशेष निधि

1613. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने के लिए स्थापित विशेष निधि के रूप में तामिल नाडु सरकार को अधिक धनराशि प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह धनराशि कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं सुधारने के लिए केवल केन्द्र द्वारा कोई विशेष निधि की स्थापना नहीं की गई है। परन्तु सिंचाई कार्यों के सृजन से सम्बन्धित एक योजना ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जा सकती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Meeting of Prime Minister with Refugees from East Pakistan

1614. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister visited Calcutta in the months of May-June to hear the woeful tale of the refugees who were looted and driven out of East-Pakistan and to express her sympathy for them ;

(b) if not, whether she had sent some other Minister in her place for the aforesaid purpose ;

(c) if so, the details received by the Prime Minister regarding the illtreatment meted out to them in Pakistan ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The Union Minister of Labour and Rehabilitation and the Minister of State for Labour and Rehabilitation visited Calcutta on 12-7-1970 and 9-7-1970 respectively.

(c) and (d). As reported by the migrants, the causes of the fresh spurt in influx are stated to be insecure conditions of living in East Pakistan, economic distress and discriminatory treatment meted out to the minority communities. The situation in East Pakistan has further been aggravated by the propaganda carried out by the communal parties during the election compaign.

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम से उड़ीसा को वंचित करना

1615. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम से इस राज्य को पूर्ण रूप से वंचित रखने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अब तक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों की एक आंशिक सूची को अन्तिमरूप दिया गया है । और अधिक क्षेत्रों के चयन पर सरकार विचार कर रही है । सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के मामले पर अन्य राज्यों के मामलों के साथ ही विचार किया जाएगा ।

"अपना टेलीफोन लगवाये" प्रणाली के अन्तर्गत दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र

1616. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में 'अपना टेलीफोन लगाइये' और 'सार्वजनिक

व्यक्ति' की श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन के कनेक्शन लगवाने के लिये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) दिल्ली में, विशेष कर तीस हजारी एक्सचेंज में, और अधिक टेलीफोन लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) आगामी चार वर्षों में, वर्ष-वार दिल्ली में कितने टेलीफोन लगवाये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिल्ली टेलीफोन जिले के विभिन्न एक्सचेंजों में अपना टेलीफोन योजना तथा सार्वजनिक श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या 1-7-1970 को इस प्रकार थी :

एक्सचेंज	अपना टेलीफोन योजना वर्ग	सार्वजनिक कार्यकर्ता वर्ग
शाहदरा	98	139
तीस हजारी	2187	646
दिल्ली गेट	—	789
सचिवालय	—	—
नजफगढ़	—	—
राजपथ	—	—
दिल्ली छावनी	—	60
कनाट प्लेस	—	83
करोल बाग	—	860
जोरबाग	23)	576
ओखला	161)	
फरीदाबाद	4	13
गाजियाबाद	—	17
बदरपुर	—	4
बहादुरगढ़	—	—
नांगलोई	—	1
बल्लभगढ़	10	[illegible]
नरेला	—	2
बादली	—	

(ख) अगले चार वर्षों में जनपथ, चाणक्यपुरी, ईदगाह तथा हौजखास में नये एक्सचेंजों के खोलने तथा अन्य बहुत से एक्सचेंजों में अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 9000 लाइनों के ईदगाह एक्सचेंज के चालू होने पर 1972 में तीस हजारी एक्सचेंज को उत्तरोत्तर 5000 लाइनों की सहायता मिल सकेगी।

(ग) निम्नवर्ती अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता की उपलब्धि की संभावना है :

1970-71	9,000
1971-72	10,300
1972-73	9,000
1973-74	6,900
योग	35,200

इनमें से 3000 लाइनें पुराने उपस्कर की बदली करके बिछाई जाएंगी जिससे 32,200 लाइनों की निबल बढ़ोतरी हो जायेगी।

दिल्ली में सहकारी समितियों का परिसमापन

1617. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय ऐसी कितनी सहकारी समितियां है जिनके बारे में परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी ऐसी समितियों का परिसमापन किया गया है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि को बट्टे-खाते डाला गया है ; और

(घ) सहकारी समितियों को दीवालिया होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 640

(ख) 178

(ग) शून्य।

(घ) समितियों का परिसमापन वित्तीय कठिनाइयों सहित कई कारणों से होता है। निष्क्रिय समितियों के लिए भी परिसमापन कार्यवाहियां की जाती हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सहकारी समितियों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा समितियों की नियमित जांच की जाती है। दिल्ली प्रशासन द्वारा योजना स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके अन्तर्गत चुनी हुई समितियों को आर्थिक

सहायता जैसे—कार्य कर पूंजी ऋण, अंश-पूंजी अंशदान, प्रबन्धकीय उपदान तथा गोदामों के निर्माण के लिये अनुदान दिये जाते हैं ।

उर्वरकों के क्रय के लिए पश्चिमी बंगाल को ऋण

1618. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री जि० मो० विश्वास :
डा० रानेन सेन :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री ज्योतिर्मय बसु ।
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों के क्रय के लिये 3.78 करोड़ रुपये के ऋण के लिये पश्चिमी बंगाल की सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निवेदन को ठुकरा देने के आधार क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार इस उद्देश्य के लिये पश्चिमी बंगाल को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने 3.7 करोड़ रुपये के लिए लिखा था जिसकी तुलना में उनके लिये 74.25 लाख रुपये का अल्पावधि ऋण मंजूर किया गया है । राज्य सरकार को उर्वरकों के मौजूदा स्टाक तथा खरीफ के मौसम आदि में वितरित की जाने वाली मात्रा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें और अधिक ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जा सके ।

(ग) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(रुपये लाखों में) संस्वीकृत अल्पावधि ऋण
1967-68	69.63
1968-69	260.00
1969-70	219.00
योग	548.63

किसानों को सस्ते उर्वरक की सप्लाई

1619. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को सस्ते मूल्यों पर उर्वरक की सप्लाई करने की सरकार की नीति कहां तक सफल हुई है ;

(ख) इस बारे में कौन-कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं तथा उनमें किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) इन योजनाओं के गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्य कम करने में कहां तक सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिंदे) : (क) 'न लाभ न हानि' के आधार पर केन्द्रीय उर्वरक पूल को शुरू कर काफी कम कीमतों पर देश में आयातित उर्वरकों का वितरण करना, हमेशा सरकार का प्रयत्न रहा है। इसके चालू करने के कारण उर्वरकों की कीमत उचित स्तर पर रहीं। दूसरी ओर सप्लाई की काफी व्यवस्था कर 'पूल' कीमतों के बढ़ने को रोकता है, जोकि सप्लाई की कमी के कारण बढ़ सकती है। यह समीपस्थ रेल लक्ष्य स्थान के लिये परिवहन लागत को भी एक-सा रखता है ताकि दूर-स्थित क्षेत्रों के किसानों को अधिक राशि न देना पड़े।

(ख) चार मुख्य उर्वरकों, अर्थात् अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सी० ए० एन० तथा ए०एस०एन० की कीमतें कानूनी रूप से नियन्त्रित हैं और अधिक कीमत पर बेचे गये उर्वरकों के सम्बन्ध में किसी रिपोर्ट पर शीघ्रतया सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाती है तथा उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। नवीनतम तकनीकी से बड़ी उर्वरक फैक्टरियों को स्थापित कर उत्पादन-लागत और फलस्वरूप उर्वरक की कीमतों के कम हो जाने की सम्भावना है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निर्णय किया है कि उर्वरकों सहित कृषि आदानों को सहायता नहीं दी जानी चाहिये तथा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये कृषि उत्पादन की कीमतों को प्रोत्साहन-स्तर पर रखा जाना चाहिए।

(ग 'पूल' के वित्तीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप, अमोनियम सल्फेट की कीमत 5-8-1969 से 10 रुपये प्रति मीटरी टन तथा रंगीन चूर्ण अमोनियम सल्फेट की कीमत 1-11-1969 तथा 16-3-70 से प्रति मीटरी टन 50 रुपये (अर्थात् सम्पूर्ण 100 रुपये) कम की गई थी। अमोनियम सल्फेट छोटे किसानों का उर्वरक है और इसकी कीमत कम होने से इसके अधिक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

Financial Assistance to Uttar Pradesh

1620. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 6.4 crores has been given to U. P. Government by the Central Government for the neglected and backward areas during the current financial year ;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the resentment which was shown in the last budget session of U. P. Vidhan Sabha over the discriminatory way in which the said amount was spent ; and

(c) whether it is a fact that a part of the said amount has been earmarked for Raibareilly, the Constituency of the Prime Minister, a part thereof has been earmarked for Partapgarh, the Constituency of Shri Dinesh Singh, the Minister in the Central Government and a part thereof has been earmarked for District Badour, to which Shri Shiv Raj Singh, the Minister of Agriculture of U. P. belongs ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). I. In accordance with the provisions in the Fourth Five Year Plan the Union Department of Agriculture has drawn out a scheme in the nature of a pilot project, for setting up Small Farmers Development Agencies in such districts where there is a large concentration of small farmers with a view to helping them with the credit, inputs and intensive cultivation for becoming viable and surplus farmers.

It has been decided to set up 46 such projects in various parts of the country allocating a specific number to each State and some Union Territories. Uttar Pradesh has been allocated 4 in consultation with the Planning Commission. The scheme lays down that the areas to be selected for this purpose must meet three major criteria :—

(i) that the district or area selected should have about 50,000 such potentially viable farmers who can benefit from this scheme.

(ii) that the district must have either existing irrigation or should have good potential for development of ground water or surface irrigation.

(iii) the district must have an infra structure of fairly strong cooperative credit institutions.

The selection of the districts for these projects is made by the Government of India in consultation with the State Governments who make the initial proposals to be considered for sanction by a Special Committee of Secretaries consisting of Secretary (Agriculture)—Chairman, Secretary (Finance) and Secretary (Planning Commission).

Uttar Pradesh had presented 6 draft projects to the Department of Agriculture. They related to the following districts :

1. Gonda
2. Fatehpur
3. Pratapgarh
4. Rae-Bareli
5. Badaun
6. Basti.

Since the Union Department of Agriculture was to allocate only 4 projects to Uttar Pradesh, the State Government were requested to consider the inter-se-priority of their proposals before the Secretaries Committee could scrutinise them. In response the Uttar Pradesh Government finally presented the following projects to the Secretaries Committee :

1. Fatehpur
2. Pratapgarh
3. Rae-Bareli
4. Badaun.

The Secretaries Committee examined these and found them suitable for the purposes of above scheme as the criteria laid down in the scheme was met by these areas.

At no point was any mention made or any consideration given to the association of these areas with any political persons.

II. The scheme provides for an allocation of Rs. 1.50 crores tentatively for expenditure in each of these projects during the Fourth Plan period and thus the total expenditure envisaged for the four projects of U. P. is Rs. 6 crores. Release of funds will be made by the Union Department of Agriculture to each Agency (in charge of the project), from time to time, depending on the progress of work.

फालतू पुर्जों के न मिलने के कारण बेकार पड़े ट्रेक्टर

1621. **श्री देवेन सेन : श्री अदिचन :**
श्री इसहाक सम्भली : श्री चंद्र शेखर सिंह :
श्री लताफत अली खाँ : डा० कर्णी सिंह :
श्री जनार्दनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फालतू पुर्जे न मिलने के कारण देश में लगभग 20,000 ट्रेक्टर बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). यद्यपि प्रयोग न किये जाने वाले आयातित ट्रेक्टरों के ठीक-ठीक आकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि यह अनुमान लगाया गया है कि देश में पुराने मेक के लगभग 40,000 ट्रेक्टर हैं। इनमें से अधिकांश ट्रेक्टर अपनी-अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। केवल पुराने माडल के ट्रेक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों के विषय में भी कठिनाई है। ट्रेक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये ट्रेक्टरों के साथ-साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त पुर्जे भी आयात किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सुप्रसिद्ध आयातकों, राजकीय कृषि-उद्योग निगमों और वास्तविक उपभोक्ताओं को अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की अनुमति दे दी गई है। 1967-68 से 1969-70 तक की अवधि में आयात किये हुये कृषि-ट्रेक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण नत्थी है।

विवरण

(मूल्य 000' रुपयों में)
(मात्रा मीटरी टन में)

वर्ष	मूल्य
1967-68	6300
1968-69	89112
1969-70	67712

आयात व्यापार श्रेणीकरण में कृषि-ट्रेक्टरों के समस्त अतिरिक्त पुर्जों को अलग से श्रेणीकृत नहीं किया जाता है। अतः आयात व्यापार श्रेणीकरण के कोड नं० 732.8901 के अन्तर्गत आने वाले कृषि ट्रेक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों के आंकड़े ही उपरोक्त विवरण में शामिल किए गए हैं।

शरणार्थियों के लिए पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

1622. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु राहत कार्यों के लिये हाल ही में केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को राहत सहायता देने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किये गये सारे खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। तथापि, उपायों और साधनों की कठिन स्थिति को ध्यान में रखे हुए, पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवाह के संबंध में राहत की मदों पर खर्च के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "लेखे पर" अग्रिम मंजूर करने के लिये कहा। मई तथा जून, 1970 में 34 लाख रुपये की धन-राशि मंजूर की गई थी। राज्य सरकार ने पुनः जुलाई, 1970 में और 55 लाख रुपये के अग्रिम के लिये कहा। यह अग्रिम भी मंजूर कर दिया गया है।

समाचार पत्रों को अखबारी कागज तथा सरकारी विज्ञापन वितरित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय

1623. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों को अखबारी कागज तथा सरकारी विज्ञापन वितरित करने हेतु अब स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) सरकार ने इस आशय का एक समाचार समाचार-पत्रों में देखा है।

(ख) तथा (ग). :

अखबारी कागज का आवंटन

अखबारी कागज एक आवश्यक वस्तु है। समाचार-पत्रों की आवश्यकता अधिकतर आयातित अखबारी कागज से पूरी होती है, जिसके मंगाने के लिये लगभग 15.00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में हर साल बनाई जाने वाली नीति के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। यह आवंटन 'अखबारी कागज सलाहकार समिति' के विचारों तथा देशी और आयातित सप्लाई की

अनुमानित उपलब्धि तथा विशेष रूप से छोटे तथा मंझले दर्जे के समाचार-पत्रों का विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक समाचार-पत्र को अखबारी कागज का कोटा उसकी परिचालन संख्या, पृष्ठों की औसत संख्या तथा औसत पृष्ठ आकार, जो भी नीति के अन्तर्गत स्वीकार्य है, के अनुसार किया जाता है, चाहे उसकी सम्पादकीय नीति कुछ भी हो और वह किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्धित हो। सार्वजनिक सूचना जिस में अखबारी कागज के आवंटन सम्बन्धी नीति होती है, को घोषित करने से पूर्व उसकी एक प्रति संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखी जाती है।

'अखबारी कागज सलाहकार समिति' में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि तथा दो संसद सदस्य—लोक सभा और राज्य सभा में से एक-एक, होते हैं। अतएव, अखबारी कागज के वितरण के लिए किसी अलग संगठन की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी विज्ञापनों का रिलीज किया जाना

विज्ञापनों को रिलीज करते समय जिन बातों का ख्याल रखा जाता है वे हैं :

1. उपलब्ध धन के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करना ;
2. सभी प्रकार के पाठकों तक पहुंचना, विशेषकर राष्ट्रीय अभियान के मामले जिनमें देश के लगभग सभी लोगों के लिए सन्देश होता है ; और
3. उन पाठकों तक पहुंचना जिनके लिये विज्ञापन है।

विभिन्न सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं :

(1) प्रभावी खपत (सामान्यतः 1000 से कम बिक्री वाले समाचार-पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता),

(.) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है),

(3) पाठकों की श्रेणी,

(4) पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन,

(5) अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं, और

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उचित और स्वीकृत समझी जाए।

किसी समाचार-पत्र के बारे में सरकारी विज्ञापनों को देने में यह बात ध्यान में नहीं रखी जाती कि वह किस राजनैतिक दल से सम्बद्ध है। सरकारी विज्ञापनों के लिए सभी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित तथा विभिन्न राजनैतिक विचारों का समर्थन करने वाले पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तथापि, ऐसे पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिये जाते जो साम्प्रदायिक भावना उभाड़ते हों और इस बारे में तीव्र प्रचार करते हों, या हिंसा का प्रचार करते हों या सार्व-

जनिकशीलता और नैतिकता के सामाजिक तौर से स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हों और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचाते हों।

समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन आर्थिक सहायता देने के लिए जारी नहीं किये जाते वरन् सरकार की विविध प्रचार तथा सूचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिलीज किये जाते हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अभियान के लिए तथा प्रत्येक रिलीज के लिए पत्र-पत्रिकाओं का चयन किया जाता है। यहां तक कि ऐसे समाचार-पत्रों, जिनकी परि-चालन संख्या बराबर सी हो या जो लगभग एक जैसे पाठकों से सम्बन्धित हों, के मामले में भी निवेश के लिये एक जैसी तालिका बनाना संभव नहीं है। तथापि, प्रयत्न यही रहता है कि विज्ञापनों का सतुलित और समान वितरण हो।

विभिन्न विज्ञापनों को रिलीज करने के लिए पत्रों के चयन के लिये एक बोर्ड का रखना जरूरी या संभव नहीं समझा जाता, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशक नीति के अन्तर्गत रोजमर्रा के आधार पर कार्रवाई करनी होती है।

आमों के आंतरिक व्यापार सम्बन्धी अनुमान

1624. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष आमों के आंतरिक व्यापार के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के व्यापार की तुलना में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) आमों के उत्पादन और अन्तर्राज्य संचलन के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अतः गत तीन वर्षों में आमों के आंतरिक व्यापार के संबंध में कुछ भी बताना संभव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में काजू की खेती, उत्पादन तथा क्रय-विक्रय में सुधार

1625. **श्री समर गुह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में कोन्टाई तटीय पट्टी में काजू की खेती, उत्पादन तथा उसके क्रय-विक्रय में सुधार करने हेतु कोई सर्वेक्षण करायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सर्वेक्षण के निष्कर्षों के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े हुए तथा भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि को वापस लेना

1626. **श्री कं० हाल्दर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा भूमिहीन तथा पिछड़े किसानों को, जो कि मुख्यतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं, आवटित गैर सरकारी तथा खास भूमि को जोतदारों ने राष्ट्रपति के शासन में पुलिस की सहायता से बलपूर्वक वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की इस प्रकार बेदखली को रोकने के लिए कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) बंगाल सरकार ने योग्य श्रेणी से संबंधित वास्तविक व्यक्तियों को, राज्य के अलावा किसी अन्य पार्टी के उचित हित का उल्लंघन किये बिना, खस या बेनामी भूमि के अभिधारकों को बेदखल न करने तथा वार्षिक लाइसेंस देकर और तदन्तर रेयाती बन्दोबस्त द्वारा स्वीकृति देकर ऐसे व्यवसायों को नियमित करने की अपनी नीति स्पष्ट रूप से घोषित कर दी है । ऐसी भूमि का जबरदस्ती कब्जा लेने में जोतदारों को पुलिस की सहायता देने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) इस संबंध में जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश पहले ही भेज दिये गये हैं ।

Introduction of West Bengal Land Reforms Bill

1627. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have gone into the Admtnistrative, Social and Economic aspects of the situation in West Bengal ;

(b) if so, whether land problem is also a main economic aspect ;

(c) if so, whether Government have gone into the legal aspect with a view to solve the land problem ; and

(d) if so, whether Government propose to bring forward the West Bengal Land Reforms Bill soon in the House ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d). The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act 1970 has already been enacted as President's Act in accordance with the provisions of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1970 with a view to safeguarding the intersts of bargadars (share croppers), after taking into consideration the administrative, social, economic aspects of the situation in West Bengal and the legal aspects. Proposals are also under consideration for further amending the West Bengal Land Reforms Act, 1955 with a view to revising the provisions relating to ceiling on holdings, after due consideration of the various aspects of the problem in the light of the suggestions made at the first meeting of the Consultative Committee on West Bengal held on June 10-11-1970.

बर्मा से चावल का आयात

1628. श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री वि० कु० मोडक : श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार से कई हजार टन चावल के आयात के संबंध में हाल ही में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जून, 1970 के अन्त तक भारत सरकार के पास खाद्यान्न का कितना भण्डार था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार तथा बर्मा की संघ सरकार के म्यानमा निर्यात-आयात निगम के साथ 1970 की फसल के 100,000 टन चावल, जिसमें 80,000 टन नगासीन स्माल मिल्स स्पेशल तथा 20,000 टन नगासीन फुल बोयाल्ड चावल शामिल है, की खरीदारी के संबंध में एक करार हुआ था । ठेके की इस मात्रा का लदान दिसम्बर, 1970 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) केन्द्रीय पूल में जून, 1970 के अन्त तक 33.83 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था ।

श्रीलंका में भारतीय

1629. श्री भगवान दास : श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री के० रमानी : श्री अ० कु० गोपालन :
श्री नम्बियार :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से 1970 तक, वर्षवार, श्रीलंका में पंजीकृत भारतीय नागरिकों की कुल कितनी संख्या थी ;

(ख) वर्ष 1967 से 1970 तक श्रीलंका से कितने पंजीकृत भारतीयों को वापस भारत भेजा गया ;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां इन लोगों को बसाया गया है ; और

(घ) इन आप्रवासियों को बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों द्वारा कितना धन खर्च किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) भारत-श्रीलंका करार, 1964, के

अन्तर्गत भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :

1967	7,868
1968	12,991
1969	33,059
1970	8,943

(ख) 30-10-1964 से 30-6-1970 तक भारत-श्रीलंका करार, 1964, के अन्तर्गत 15,989 भारतीय नागरिक भारत आये हैं।

1967 से 1970 के वर्षों के बीच भारत आने वाले भारतीय नागरिकों के पृथक आँकड़े सुगमतया उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तमिलनाडू, केरल और मैसूर।

(घ) प्रत्यावासियों के राहत और पुनर्व्यवस्थापन का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रत्यावासियों के पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिये, राज्य सरकारों को 'ऋण' के रूप में 148.37 लाख रुपये की धन-राशि दी गई है।

राहत तथा स्वागत व्यवस्थाओं के लिए 53.72 लाख रुपये की धन-राशि सहायक अनुदान के रूप में मंजूर की गई है।

क्षेत्र मण्डलीय प्रसार संचार व्यवस्था

1630. **श्री नारायणन :** **श्री मयावन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने देश में क्षेत्रमंडलीय प्रसार संचार व्यवस्था के लिए अपने सात वर्ष पुराने प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर फिर से विशेषज्ञों का मत जानने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में प्राप्त किये गये विशेषज्ञों के मत संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तीसरी योजना के प्रारंभ में डाक-तार विभाग ने अपनी लाइनों में ट्रापोस्फेरिक स्कैटर प्रणाली चालू करने की संभावना की जांच की थी। सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करने पर यह निश्चय किया गया कि माइक्रोवेव को केवल 'साइट' प्रणालियों की लाइनों तक ही सीमित

रखा जाए । इस विषय में एक बार फिर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए आगे कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Forcible Occupation of Land by Communist Parties

1631. **Shri Sharda Nand :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the programme regarding the occupation of land forcibly by the Communist Parties ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the details of the action taken so far in this regard by the aforesaid parties and as a result of this the action taken/to be taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Government strongly disapprove of any category of persons taking the law into their own hands.

(c) Instructions have been issued by State Governments to District Officers for taking necessary action in this regard.

Setting up of Projects for Purchase of Tractors in States by Foreign Embassies

1632. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of foreign Embassies in India which have helped the State Governments in starting new agricultural projects to purchase tractors and to install tubewells for farmers ;

(b) the names of the States in which sandy and uneven land has been levelled and farming started ; and

(c) the conditions set forth for the distribution of the aforesaid land ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Government of India have not been approached by any Embassy for being allowed to undertake its agricultural projects in the country, or to take up cultivation after levelling land and any other preparatory steps.

(c) Does not arise.

Evacuee Property in Pakistan, Burma and Ceylon

1633. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Sharda Nand :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the value of the evacuee property left behind in Pakistan, Burma and Ceylon, which was due to be paid to India ; and

(b) the concrete steps taken by Government of India in this regard as well as the results thereof and the steps proposed to be taken in future ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): (a) On the basis of claims registered by the displaced persons from West Pakistan, it has been estimated that the aggregate value of the urban properties left behind by displaced persons in West Pakistan is about Rs. 500 crores and that of agricultural land is about 40 crores. No information is available regarding Burma and Ceylon.

(b) Negotiations were started with Government of Pakistan for settlement at Government level of the question of properties left by the minorities except in the States of East Pakistan and West Bengal, Assam and Tripura. These negotiations did not succeed. The Government of India had, therefore, formulated an independent scheme of payment of compensation for properties left by the displaced persons in West Pakiston. However, the Nehru-Liaquat Pact of April 1950 provided that in case of migrants from East Pakistan, West Bengal, Assam and Tripura the rights of ownership in or occupancy of the immovable property of the migrant shall not be disturbed. As such, no action has been taken or is proposed to be taken to assess the value of the properties left by the migrants in East Pakistan nor to pay any compensation.

There are no evacuees from Burma and Ceylon, but only repatriates. In regard to Burma, the question of compensation for assets of Indians being nationalised, is under the consideration of both the Government of India and Burma. In respect of Ceylon, repatriates are enabled to transfer their cash and mobile assets with them, subject to exchange control regulations.

Land Reforms in States during President's Rule

1634. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Sharda Nand :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States where President's rule was prolaimed and the period for which it remained in force during the last three years ;

(b) the details of the land reforms undertaken during this period ; and

(c) the comparative position of land reforms undertaken in the Union Territories ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The period of which President's Rule remained in force in the States during the last three years is indicated below :--

Name of State	Period of President's Rule
Haryana	21-11-67 to 21-5-68
West Bengal	20-2-68 to 25-2-69
Uttar Pradesh	25-2-68 to 26-2-69
Bihar	29-6-69 to 26-2-69
Punjab	23-8-68 to 17-2-69
Bihar	4-7-69 to 16-2-70
West Bengal	19-3-70 to (continuing).

(b) In Uttar Pradesh, zamindari had been abolished and all tenants and sub-tenants had been brought in direct contact with the State. The main problems with regard to land at present relate to distribution of culturable waste lands by Gaon Samaj and consolidation of holdings During President's Rule in U. P., the Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1968 was enacted as a President's Act for ensuring that such lands are distributed only to the eligible categories of persons. The U. P. Consolidation of Holdings Act was also amended to facilitate expeditious consolidation operations.

In Bihar, the Chota Nagpur Tenancy (Amendment) Act 1968, and the Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1968, were enacted as Prisidents Act, with a view to providing for adequate safeguards against alienation of land belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes At the same time they were also given a right of simple mortgage for obtaining institutional credit for agricultural development. Legislation was also amended for extension of the period within which the Tana Bhagat Raiyats in Ranchi District were permitted to initiate action for restoration of their lands.

The Bihar Land Reforms Act was also amended with a view to facilitating implementation and validating notification for acquisition of estates on the ground that copies of the notification were not published in local paper.

The Bihar Tenancy Act, 1885, was also amended for barring jurisdiction of civil courts in matters in which Revenue Officers were empowered to take decision with regard to declaration of title in which correctness of any entry in the record of rights is expressly or impliedly challanged or in which determination of incidence of any tenancy is involved.

Proposals with regard to bataiders in Bihar and revision of the ceiling provisions had been approved but before necessary legislation could be enacted as President's Act, the President's proclamation was revoked.

In West Bengal, the following President's enactment were made replacing the Ordinances issued earlier

(1) The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1968.

(2) The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Act, 1968.

(3) The Calcutta Thika Tenancy (Amendment) Act, 1968 and

(4) The Calcutta Thika Tenancy Stay of proceedings (Temporary Provision) Act, 1968.

The Calcutta Thika Tenancy Stay of Proceedings (Temporary Provisions) Act was further amended to extended the stay of eviction proceedings ;

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1970 has been enacted as a President's Act receiving the assent of the President on the 13th July, 1970 with a view to :

(i) ensuring complete security to every bargadar in respect of the minimum area ;

(ii) making the right of the bargadar heritable ;

(iii) increasing the bargadar's share of the produce from 60 percent to 75 percent in cases where the bargadar supplies the plough, cattle and other inputs ; and

(iv) transferring cases of appeal against decisions of the Bhagchas Officers from Munsif Court to Sub-divisional Officers.

Proposals are being finalised with regard to enactment of the President's Act for reviewing the provisions relating to ceiling on holdings.

(c) Special conditions prevail most of the Union Terrtories and they are not comparable with the conditions prevailing in most of the States. However, the requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House.

वर्ष 1970-71 में चीनी के निर्यात के लक्ष्य

1635. **श्री रा० की० अमीन :** **डा० म० संतोषम् :**
श्री नंजा गौडर : **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री गु० च० नायक : **श्री पीलु मोडी :**
श्री धी० ना० देव : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान चीनी के निर्यात के लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या इस लक्ष्य के चालू वर्ष में पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है । 1970 में लगभग 3.20 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात करने का निश्चय किया गया है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अधीन अनुमेय है । चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन संयुक्त राज्य अमरिका के यू० एस० कोटे और ब्रिटेन के एन० पी० क्यू० कोटे के प्रति लगभग 95,000 मीटरी टन चीनी का निर्यात किया जा रहा है और इस पर होने वाली हानि को चीनी उद्योग वहन करेगा । भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा 50,000 मीटरी टन और चीनी का निर्यात किया जा रहा है । शेष मात्रा का सरकार के खाते में निर्यात किया जा रहा है और उससे होने वाली हानि केन्द्रीय राजस्व स पूरी की जाएगी । तथापि, उद्योग इस मात्रा को संभालने का खर्च देने के लिए सहमत हो गया है । ये निर्यात किये जा रहे हैं और इस पंचांग वर्ष के अन्त तक सारा निर्यात हो जाने की संभावना है ।

1971 की निर्यात नीति विचाराधीन है ।

चण्डीगढ़ में अनाज मण्डी में तथा अन्य सैक्टरों में डाकघर खोलना

1636. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ की अनाज मंडी वहां पर एक डाकघर खोलने की मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यथेष्ट आय होने की संभावना है ;

(ग) क्या चण्डीगढ़ में कुछ ऐसे सेक्टर है जहां डाकघर नहीं हैं ; यदि हां तो उनकी कितनी संख्या है ; और

(घ) क्या प्रत्येक सेक्टर में एक डाकघर खोलना आवश्यक है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). चंडीगढ़ की अनाजमंडी में डाकघर खोलने के संबंध में अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यावेदन मिले थे । इसकी जांच करने के बाद 22-6 1970 को वहां एक उप-डाकघर खोल दिया गया है ।

(ग) और (घ). चंडीगढ़ के सेक्टर नम्बर 2, 3, से 6, 24, 25, 28, 30 से 38 और 44 में डाकघर नहीं हैं । अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल इन सेक्टरों में डाकघर खोलने के मामलों की जांच करेंगे और विभागीय मानकों के अनुसार जहां-कहीं डाकघर खोलने का औचित्य पाया गया, वहां वे खोले जायेंगे ।

कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से खाद्य सामग्री का उतारना

1637. **श्री श्रीचंद गोयल : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी कर्मचारियों की अनिश्चित काल की हड़ताल और तटीय श्रमिकों को धीरे काम करने की नीति के कारण कलकत्ता पत्तन पर सात जहाजों से खाद्य सामग्री नहीं उतारी जा सकी ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य सामग्री से लदे पोतों को खाली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तटीय श्रमिकों के धीरे काम करने की नीति और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह पर खाद्यान्नों से लदे नौ जहाजों से, पूरी तरह, खाद्यान्न उतारा नहीं जा सका । तटीय श्रमिकों ने 17-6-70 से धीरे काम करने की नीति अपनाई थी और 1-8-70 से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया था । जबकि गोदी कर्मचारियों ने 1-7-70 से हड़ताल की थी और 15-7-70 से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया ।

(ख) सामान्य रूप से काम होने लगा है । तथापि, पहले से यंत्रीकृत घाटों पर दो जहाजों से मशीनों से खाद्यान्न उतारने हेतु उपाय किये गये थे और दो और जहाजों को कलकत्ता जेटी (घाटों) पर ले जाया गया था जो कि तटीय श्रमिकों के धीरे काम करने की नीति से प्रभावित नहीं था ।

पंजाब में गेहूँ की वसूली

1639. **श्री जनेश्वर यादव : श्री लताफत अली खां :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद : श्री चंद्र शेखर सिंह :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68, 1968-69 और चालू वर्ष के दौरान पंजाब में कुल कितना गेहूं वसूल किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

वित्तीय वर्ष	वसूल की हुई गेहूँ की मात्रा
1967-68	5.70
1968-69	13.58
1969-70	18.73
1970-71 (28-7-70 तक)	21.87

सामुदायिक परियोजनाओं की बजट और कर्मचारी नीति के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिश

1640. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री लताफत अली खाँ :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री झारकण्डे राय :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं की बजट और कर्मचारी नीति के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन की क्या सिफारिशें हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने सिफारशें स्वीकार कर ली हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) अनुमानतः यह संदर्भ जनवरी, 1970 में प्रकाशित "द्वितीय चरणोत्तर सामुदायिक विकास खण्डों का मूल्यांकन अध्ययन" सम्बन्धी मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट में विचार किये गये बजट तथा कर्मचारी नीति के बारे में सम्बद्ध निकर्षों तथा सुझावों को अनुबन्ध में उद्धरित किया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3874/70]

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिश का जून, 19 8 में हुए मुख्य मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के संदर्भ में अवलोकन करना होगा अर्थात् सामुदायिक विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों को जारी रहना चाहिये और उन्हें सुदृढ बनाया जाना चाहिये, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में खण्डों को आर्थिक सहायता मिलती रहनी चाहिये जिसके वे हकदार हैं और द्वितीय चरणोत्तर खण्डों को भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये, राज्यों द्वारा राज्य मुख्यालयों में संरचनात्मक परिवर्तन जो आवश्यक समझे जायें किये जायें और हर क्षेत्र की वास्तविक कार्यक्रम समभाव्यता और कार्य-भार को ध्यान में रखते हुये खण्डों के संगठनात्मक प्रतिरूप में परिवर्तन किये जा सकते हैं, जिन कर्मचारियों के पास किसी क्षेत्र विशेष में पर्याप्त कार्य न हो उन्हें पुनः कार्य में लगाया जाए तथा दूसरे उचित प्रबन्ध किये जायें जिससे कि राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों के बीच अधिक अच्छी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। चौथी योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में चौथी योजना में राज्यों को राज्य योजना स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता खण्ड अनुदानों तथा खण्ड ऋणों के रूप में दी जाती है और यह पूर्व योजनाओं की भांति किसी स्कीमेटिक स्वरूप से सम्बन्धित नहीं है। इन परिस्थितियों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में दी गई सिफारिश को स्वीकार करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है ; रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को पहले ही भेजी जा चुकी हैं।

त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की दयनीय स्थिति

1641. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री किरित विक्रम देव बर्मन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1970 के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में त्रिपुरा में

"प्रव्रजकों का नारकीय जीवन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों की शोचनीय स्थिति के बारे में समाचार कहां तक सही है ; और

(ख) उन शरणार्थियों का समुचित रूप से पुनर्वास करने तथा उन्हें अस्थायी शिविरों में पर्याप्त सुविधायें देने के लिए अल्पकालीन उपाय करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां । मामले की छान-बीन की जा रही है और, यदि आवश्यकता हुई तो, आवश्यक उपचारी उपाय अपनाये जायेंगे ।

(ख) चूंकि त्रिपुरा की क्षमता पहले ही अधिकतम सीमा को पहुंच चुकी है, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में आने वाले जो प्रवासी राहत तथा पुनर्वास सहायता के लिये राज्य सरकार को पहुँच करते हैं उन्हें अस्थाई रूप से अरुनधती स्वागत केन्द्र । पबियाचेरा आवाजाही शिविर में आवास दिया जाता है । वहां से उन्हें उचित आकार के जत्थों में शिविर में प्रवेश, और अन्ततः पुनर्व्यवस्थापन, के लिये रायपुर में माना समूह के आवाजाही केन्द्रों में भेजा जाता है ।

दण्डकारण्य परियोजना के परलकोट क्षेत्र के लिए एकमुश्त (पैकेज) कार्यक्रम को अस्वीकार करना

1642. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना के परलकोट क्षेत्र के लिये एकमुश्त (पैकेज) कार्यक्रम को स्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या-क्या हैं और इसको अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यदि निर्देश दण्डकारण्य के परलकोट जोन में प्रस्तावित भारत-जापान सहयोग के सम्बन्ध में है, तो इसका उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सामुदायिक विकास खंडों तथा सहकारी समितियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए समिति

1643. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री भगवान दास :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री उमानाथ :**
श्री रविराय : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामुदायिक विकास खंडों और सहकारी समितियों द्वारा

किये गये कार्य की उपयोगिता तथा उनके कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, उसके निर्देश पद क्या हैं और समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, सरकार में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार आयोग गठित करने का निर्णय किया है। आयोग के गठन तथा विचारार्थ विषय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राजकोट में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर

1644. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने के लिए यूगोस्लाविया से आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के बारे में अग्रेतर प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस परियोजना में विलम्ब को दूर करने हेतु किसी अन्य देश से आवश्यक उपकरण आयात करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) उपकरण 25 जुलाई, 1970 को बम्बई पहुँच गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के खाद्य निगम द्वारा प्रतिरक्षा सेवाओं को दाल तथा जौ की सप्लाई

1645. **श्री रामावतार शर्मा :**   **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदानंद :   **श्री ओंकार सिंह :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं को दाल, जौ, आदि सप्लाई करने के लिए सरकार ने भारत के खाद्य निगम को क्या अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की हैं जो कि गैर-सरकारी व्यापारियों को नहीं दी जाती है ;

(ख) भारत के खाद्य निगम द्वारा गत दो वर्षों में प्रतिरक्षा सेवाओं को ऐसे कितने दाल, जौ आदि सप्लाई किए गए थे जिनको घटिया किस्म का होने के कारण प्रारम्भ में अथवा किसी अन्य अवस्था में बदलना पड़ा था ; और

(ग) भारत के खाद्य निगम के विरुद्ध कानूनी और अन्य कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जबकि प्रतिरक्षा सेवाओं को घटिया किस्म की दाल सप्लाई करने के लिए सरकार गैर-सरकारी व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) रक्षा सेवाओं के लिए की गई सप्लाई, चाहे वह भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हो अथवा गैर-सरकारी व्यापारियों से, सेना की निर्दिष्टयों/मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और इस मामले में भारतीय खाद्य निगम और निजी व्यापारियों दोनों के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाता है।

(ख) गत दो वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल एक मामले में माल बदला था जिसमें जनवरी, 1969 में 55 मीटरी टन साबत चना पुनः सप्लाई करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि वह सप्लाई सेना की निर्दिष्टयों/मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थी।

(ग) सेना के निर्दिष्टियों/मानकों के अनुरूप दालों/अनाजों की सप्लाई न करने के कारण कानूनी और/अथवा अन्य कार्यवाही करने के मामले में व्यापारियों और भारतीय खाद्य निगम के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

सांविधिक मजूरी बोर्ड

1646. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदा नंद : **श्री ओंकार सिंह :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य में सांविधिक मजूरी बोर्डों की नियुक्ति जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) सरकार इनकी सिफारिशों को मानना आवश्यक करार क्यों नहीं देती ;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिक वरिष्ठ वकील नहीं कर सकते हैं और मुकदमे-बाजी पर बहुत व्यय नहीं कर सकते हैं ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा मजूरी बोर्ड प्रणाली का व्यापक रूप से पुनरीक्षण किया गया है तथा आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मजूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशें कानूनन लागू की जानी चाहिएं। इस प्रश्न पर, स्थायी श्रम समिति की हाल की बैठक के निष्कर्षों के प्रकाश में कि सरकार द्वारा स्वीकृत मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानूनन लागू किया जाना चाहिए, आयोग की अन्य सिफारिशों के साथ विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन

1647. **श्री सरजू पाण्डेय : श्री चंद्र शेखर सिंह :**
श्री कं० हाल्दर : श्री धीरेश्वर कलिता :
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आलू के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्पादन में इस कमी के कारण राज्य में शीतागारों के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य में आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कुल कितने रुपये नियत किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास करने हेतु राज्यों से सहायता मांगना

1648. **श्री सरजू पाण्डेय : श्री झारखंडे राय :**
श्री इसहाक सम्भली : श्री जि० मो० विश्वास :
श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री जनार्दन :
श्री कं० हाल्दर : श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बिहार, उडीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इन राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). जी, हां । विस्थापित व्यक्तियों को भूमि पर पुनर्व्यस्थापन देने के लिए, बिहार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों को अतिरिक्त भूमि देने के लिए कहा गया है । राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि शरणार्थियों को अन्य व्यवसायों में बसाने की सम्भावना की भी गवेषणा करें । राज्य सरकारों को इस बात पर मनानें के प्रयत्न जारी हैं कि वे विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करें और उन्हें भारत सरकार को भेजें ताकि यथा शीघ्र समय में योजनाओं की क्रियान्विति की जाये ।

रेलवे अधिकारियों द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर डाक तथा तार विभाग के तिरपाल के शेडों को हटाना

1649. **श्री सरजू पाण्डे :** **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली स्थित रेलवे डाक सेवा के कार्यालयों के ऊपर डाले गये तिरपाल के शेडों को रेलवे अधिकारियों ने बिना कोई अन्य प्रबन्ध किये गिरा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इन शेडों के गिराये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन स्टेशनों पर रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये आवश्यक शेडों की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शेडों में अस्थायी तिरपाल बाहर से देखने पर अच्छे नहीं लगते थे और उन्हें दिल्ली प्रशासन के आदेशों से गिरा दिया गया था।

(ग) इस मामले को रेलवे प्राधिकारियों से उठाया गया था और वे ऊपरी आच्छादन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने को सहमत हो गए हैं।

खाद्य तेलों की कमी

1650. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सोयाबीन तेल अथवा अन्य खाद्य तेलों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए इनके आयात करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या मूंगफली का उत्पादन और इसकी उपलब्धता इस वर्ष बढ़ जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कमियों को पूरा करने के लिये सरकार के समक्ष क्या दीर्घकालीन प्रस्ताव हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) खरीफ़ की बुवाई हाल ही में शुरू हुई है। अतः इस वर्ष की फसल के उत्पादन के बारे में इस अवस्था में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1970-71 में पिछले वर्ष की तुलना में मूँगफली के उत्पादन में कुछ वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

(ग) पांच प्रमुख तिलहनों का 105.00 लाख मीटरी टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित

किया गया है जिसे चौथी योजना (1973-74) के अंत तक प्राप्त करना है। इस लक्ष्य में मूंगफली का उत्पादन 77.14 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है। उत्पादन में यह वृद्धि केन्द्रीय और राज्य योजना क्षेत्रों के अन्तगत सम्भाव्य क्षेत्रों में सघन खेती करके प्राप्त की जानी है। 1973-74 के अन्त तक मूंगफली के अधिकतम उत्पादन के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत 26.52 लाख हेक्टर क्षेत्र लाने का विचार है जिसके लिए चौथी योजना में अस्थायी तौर पर 265.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। .

Fall in the Production of Mango

1651. **Shri Mritunjay Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mango crop has been failing for the last so many years in North India particularly in Bihar and Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the type of experiments being performed and measures being adopted to ensure bumper mango crop every year, its protection and development ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Loss of Wheat of Previous Crop in Haryana and Punjab

1652. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any truth in the press reports to the effect that 4 lakh tons of wheat pertaining to the previous crop was damaged in Haryana and Punjab ; and

(b) the measures being adopted or proposed to be adopted to check such loss in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Reports had been received that considerable damage had been caused to wheat, particularly the harvested crop still awaiting threshing by untimely and successive spells of heavy rains in the months of May and June in the States of Haryana and Punjab. 40,000 tonnes of wheat were damaged in Haryana. Actual statistics of damage in Punjab are not available.

(b) Haryana Government have proposed popularisation of mechanical threshing and construction of sheds in fields. Information about Punjab is not yet available.

मध्य प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधनों के अंतर्गत भूमि का ब्यौरा

1653. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्र कितना है इसमें से कितनी भूमि की नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, कितनी भूमि की नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, कितनी भूमि को कुओं के पानी से सिंचाई होती है और कितनी भूमि केवल मौसम पर ही निभर है ;

(ख) उस राज्य में कितनी कृषियोग्य ऐसी भूमि है जिस पर खेती बिल्कुल नहीं होती है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में 1970-71 योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटी तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त भूमि में बड़ी और छोटी सिंचाई सुविधाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री अन्नासाहेब शिंदे**) : (क) वर्ष 1968-69 के लिए उपलब्ध मध्य प्रदेश के नवीनतम भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के दौरान कुल कृषि योग्य भूमि 22,066 हजार हैक्टार थी। इस वर्ष की अवधि में 6.5 हजार हैक्टार (निवल) क्षेत्र नहरी सिंचाई, 3 हजार हैक्टार नलकूपों तथा 446 हजार हैक्टार कुओं द्वारा सींचा गया था। इसके फलस्वरूप 20,757 हजार हैक्टार कृषि योग्य भूमि वर्षा पर आश्रित रह गई।

(ख) पड़ती भूमि (चालू पड़ती भूमि के अतिरिक्त) विविध वृक्षों, फसलों और वृक्ष समूहों आदि के अन्तर्गत आने वाली कृषि योग्य भूमि के लगभग 3255 हजार हैक्टार क्षेत्र में इस वर्ष खेती नहीं की गई थी।

(ग) मध्य प्रदेश की लघु सिंचाई योजनाओं में सामान्यतः खुदाई के कुएं, मरम्मत द्वारा कुंओं का सुधार, पुराने कुँओं की खुदाई तथा उन्हें गहरा करना, उथले कुएं, राजकीय नलकूप, सहकारी उठाऊ सिंचाई योजनायें तथा कम सतही भण्डार और विशाखन परियोजनायें भी सम्मिलित है। चतुर्थ योजना की अवधि में लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा 5.50 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

चतुर्थ योजना की अवधि में 15 मध्यम योजनाओं (तीन नई योजनाओं सहित) के अतिरिक्त बड़ी तथा मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत तावा, वरना, चम्बल प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था और हसदेव परियोजना पर कार्य होता रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 1970-71 के अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में बारगी तथा डाम्बा (बनसागर) नामक दो बड़ी परियोजनाओं को चौथी योजना में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं से 3.6 लाख हैक्टार क्षेत्र की सिंचाई क्षमता प्राप्त होने की सम्भावना है।

वर्ष 1970-71 के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं।

मध्य प्रदेश में वनों का विकास

1654. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना और 1970-71 के लिए उस समय की योजना के अन्तर्गत वनों का विकास करने की कोई योजना है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आयेगी और क्या सरकार ने उस का अनुमोदन कर दिया है ; और यदि हां तो किन परिवर्तनों के साथ ; और

(ख) क्या यह सच है कि 1,70939 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत वन क्षेत्र होते हुए भी मध्य प्रदेश प्रथम तीन पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध किये गये अपर्याप्त धन के कारण इस क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है ; यदि हां तो देश में मध्य प्रदेश के बन-क्षेत्रों की प्रतिशतत: की तुलना में उक्त अवधि में सम्पूर्ण

भारत में वन विकास पर किये गये व्यय की राशि में मध्य प्रदेश के वनों के विकास पर व्यय की गई राशि की प्रतिशतत: कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां। चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में वनों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें तैयार की गई हैं जिन पर 725 लाख रुपये का कुल खर्च होगा।

1970-71 के दौरान राज्य सरकार ने बजट में 150.95 लाख रु० की व्यवस्था की है जिसका योजनावार व्यौरा निम्न लिखित है :

	(रु० लाखों में)
1. लाख का विकास	0.40
2. संचार	1.12
3. कार्यकारी योजनायें तथा समझौता कार्य	50.10
4. मितव्ययी पौदारोपण	45.38
5. चरागाह का विकास	1.00
6. अवक्रमित बनों का पुनर्वास	7.05
7. राष्ट्रीय पार्क	1.00
8. तेजी से बढ़ने वाली किस्मों का पौदारोपण	28.36
9. साल बोरर आपरेशन	0.15
10. कार्यकारी योजना संगठन	6.58
11. कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.16
12. सीसल का विकास	0.15
13. वनों पर पूंजीगत परिव्यय सड़कों का निर्माण	7.50
	150.95

भारत सरकार के केन्द्रीय दल ने उपरोक्त योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया और चौथी योजना के प्रावधान के सम्बन्ध में 1970-71 के आवंटन को पर्याप्त समझा है। फिर भी, इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि वनों के प्रबन्ध को तीव्र किया जाये और बनों के संरक्षण पर बहुत बल दिया जाये।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार के दरभंगा जिले के चौरी और छतरा गांवों में डाकघरों का खोला जाना

1655. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले के चौरी (वर्तमान डाकघर के वीरसेर,

वारास्ता पंडौल) और छतरा (वर्तमान डाकघर घर्कजरी) गांव में डाकघर होने की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के दरभंगा जिले के चौरी और छतरा गांवों में डाकघर क्यों नहीं खोले जाते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). किसी गांव में डाकघर तभी खोला जाता है, जब वह जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी सम्बन्धी विभागीय मानकों पर पूरा उतरता हो और उसके चलाने पर घाटा भी विभाग द्वारा निर्धारित कतिपय सीमाओं के भीतर होने की संभावना हो ।

यह पता लगा लिया है कि चौरी एक टीला है और इसका निकटतम डाकघर विरसार में केवल लगभग आधे मील की दूरी पर स्थित है । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस गांव में डाकघर खोलने के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं हुआ । फिर भी बिहार के पोस्टमास्टर जनरल इस स्थान पर डाकघर खोलने की सम्भावना की जांच कर रहे हैं । जहां तक छतरा गांव का संबन्ध है, यह पता लगा लिया गया है कि इसकी जरसंख्या 1,811 है और इसका निकटतम डाकघर अकूर लगभग 2 मील की दूरी पर है । इस गांव में भी डाकघर खोलने के लिए एक प्रार्थना-पत्र मिला है और पटना के पोस्टमास्टर जनरल यहां डाकघर खोले जाने की संभावना की जांच कर रहे हैं ।

श्रमिक प्रबंधक के सम्बंधों के लिये संहिता

1656. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों के लिये कोई नई संहिता बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). उद्योग में एक स्वेच्छिक अनुशासन संहिता, जिसके द्वारा श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के संबंधों को नियमित करने का प्रयत्न किया जाता है पहले से ही विद्यमान है । राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, जिसने अन्य सम्बद्ध मामलों के साथ इसके कार्य-संचालन का पुनरीक्षण किया, कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार सम्बन्धित पक्षों के परामर्श से तथा जुलाई, 1970 में स्थायी श्रम समिति की हाल की बैठक में हुए विचार-विमर्श के प्रकाश में आवश्यक वैधानिक तथा अन्य कार्यवाही कर रही है । तथापि, श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों के विषय में एक अन्य स्वैच्छिक संहिता बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चौथी योजना के अंतर्गत सघन कृषि

1657. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी योजना-अवधि में नये बुआई वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन कृषि पर अधिक ध्यान देने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) चौथी योजना की अवधि में 10 एकड़ और इससे कम भूमि वाले किसानों द्वारा सघन खेती कराने के लिए क्या विशेष योजनायें बनाई गई हैं ; और

(घ) यदि छोटे किसानों के लिए ऐसी योजनायें नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). अतिरिक्त नये भूमि क्षेत्र को खेती के अन्तर्गत लाने की बहुत कम संभावना है, फिर भी उपयुक्त क्षेत्रों में खेती बढ़ाने के लिए भूमि सुधार तथा इस प्रकार के अन्य उपायों के लिए प्रोत्साहन जारी रहेगा। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कृषि के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीति मुख्यतया सघन-खेती पर ही आधारित होगी।

(ग) और (घ). चौथी पंच वर्षीय योजना की तैयारी की अवधि में छोटे किसानों की समस्याओं के विषय में किये गये कई अध्ययनों ने स्पष्ट कर दिया है कि छोटे किसानों को मुख्यतः छोटी जोतों के बिखर जाने, पानी तथा आदानों की असामयिक तथा अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, पट्टे की असुरक्षा, पर्याप्त ऋण सुविधाओं की कमी, विपणन तथा भंडारण की असंतोषजनक व्यवस्था आदि मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन अध्ययनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2.5 से 7.5 एकड़ तक की जोतों वाले किसान भी बड़े किसानों से कम प्रगतिशील नहीं हैं। छोटे परन्तु संभाव्य विकास क्षम किसानों की आवश्यकता यह है कि उन्हें पर्याप्त आसादन उपलब्ध कराये जाये जिससे कि वे खेती की सुधरी हुई तकनीकों को अपना सकें। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, छोटे परन्तु सम्भाव्य विकास क्षम किसानों के लिए चौथी योजना की अवधि में एक विशेष योजना सम्मिलित कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चुनिदा जिले में छोटे कृषकों की विकास की एक एजेन्सी होगी जो कि एक पंजीकृत समिति होगी जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसे सीधा केन्द्रीय सरकार से रुपया प्राप्त होगा। इस एजेन्सी का मुख्य कार्य इसके क्षेत्र के छोटे कृषकों की समस्याओं को समझना, उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, आदानों सेवा तथा ऋण की उपलब्धि को सुनिश्चित करना और समय-समय पर प्रगति का मूल्यांकन करना है। छोटे कृषकों को एजेन्सी निधि से भूमि सुधार, लघु सिंचाई, यंत्रीकरण, विपणन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 1969-70 के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए तीन परियोजनायें मंजूर की गई है। तत्पश्चात गुजरात, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में स्थित 10 और परियोजनायें मंजूर की गई हैं। अन्य राज्य सरकारों ने भी छोटे कृषकों की ऐसी ही परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं या तैयार कर रही हैं। इस प्रकार छोटे कृषकों को सघन कृषि अपनाने में सहायता दी जाएगी। केन्द्रीय क्षेत्र योजना में उपान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के विकास के लिए 47.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। देश के विभिन्न भागों में प्रयोगात्मक रूप से 40 परियोजनायें शुरू की जानी हैं। छोटे कृषक विकास एजेन्सी योजना के मामले में पर्याप्त ऋणों की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा और लगभग एक एकड़ से कम से 2.5 एकड़ तक की जोतों वाले उपान्त कृषकों के मामले में न केवल कृषि विकास, बल्कि ऋण और मजदूरी पर रोजगार की सहायता से डेरी, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, आदि सम्बद्ध व्यवसायों पर भी विशेष ध्यान दिया

जाएगा। उपान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के विकास के लिए परियोजना तैयार करने हेतु प्रस्तावित मार्गदर्शी रूपरेखा को अन्तिम रूप दिया गया है और उसे राज्य सरकारों में परिचारित कर दिया गया है ताकि वे ऐसी परियोजनायें तैयार कर सकें।

दिल्ली और बम्बई के मध्य दूर संचार सम्पर्क का भंग होना

1658. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री इसहाक सम्मली :
श्री लताफत अली खान :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली और बम्बई के मध्य दूर संचार सम्पर्क भंग हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके भंग होने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, जून, 1970 के महीने के दौरान तीन अवसरों पर 1-6-70, 2-6-70 और 27/28-6-70 को।

(ख) दिल्ली और बम्बई के बीच विभिन्न सेक्शनों में बिजली गिरने के कारण सहधुरीय केबल को क्षति पहुँचने के कारण ऐसा हुआ था।

जीवन बीमा निगम में मजूरी सम्बंधी विवाद

1659. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में मजूरी सम्बन्धी विवाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का क्या निर्णय है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला 22 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

दिल्ली में कमीशन एजेन्टों द्वारा सब्जियों तथा फलों की जमा खोरी तथा उपभोगताओं के हितों की रक्षार्थ कार्यवाही

1660. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री चन्द्र शेखर :**
श्री योगेन्द्र शर्मा: **डा० कर्णी सिंह :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सब्जियों तथा फलों के कमीशन एजेन्ट ऋतु के समय सब्जियों तथा फलों की जमाखोरी हेतु तथा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए शीतागार सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध की किस्म में गिरावट और उस में सुधार लाने के लिए की गई कार्यवाही

1661. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** **श्री बल राज मधोक :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री राम चरण : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध की शुद्धता में काफी गिरावट आ गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली दुग्ध योजना को एक दिन पूर्व सूचना देकर केवल औपचारिक नमूने लेते रहे हैं न कि बिना पूर्व सूचना दिये औपचारिक नमूने लेते रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने अच्छी किस्म के दूध की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारियों ने पीछे कुछ अवसरों पर दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के नमूने खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में लिए हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों ने अप्रैल और जून, 1970 में औपचारिक रूप से नमूने लिए हैं। एक अवसर पर नमूने इकट्ठे करने के बारे में जानकारी एक दिन पूर्व दी गई थी, परन्तु यह सूचित नहीं किया गया था कि ये नमूने किन दुग्ध डिपुओं से लिए जायेंगे।

(ग) और (घ). नमूने उस क्रियाविधि के अन्तर्गत, जिसका सुझाव इस अभिप्राय के लिए अधिशासी निकाय द्वारा स्थापित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना के अधिशासी निकाय ने दिया था, लिए गये थे। दिल्ली दुग्ध योजना की योग्यता प्राप्त-विशेषज्ञों के अधीन एक सुसज्जित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है और इसके उत्पादों के गुण के सन्तोषजनक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती जाती है। सरकार द्वारा प्रचालित संगठन के रूप में दिल्ली दुग्ध योजना का निम्न स्तर के उत्पादों को बेचने में कोई स्वार्थ नहीं हैं। बम्बई और कलकत्ता दुग्ध योजनाओं द्वारा अपनाई गई क्रियाविधियों के अनुरूप ही समिति ने सिफारिश की थी।

भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

1662. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम चरण :
श्री बल राज मधोक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के समय से वह भारी हानि उठा रहा है ;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों में, वर्षवार, उसको कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या यह हानि प्रबंध उच्चाधिकारियों की लापरवाही, अकुशलता तथा अक्षमता के कारण हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अकुशल कर्मचारियों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमि सुधार संबंधी विशेषज्ञ समिति

1663. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम चरण :
श्री शिव चरण लाल :
श्री श्री गोपाल साबू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्तकारों को संरक्षण देने, भूमि की अधिकतम

सीमा निर्धारित करने, और फालतू भूमि वितरण करने हेतु अविलम्ब उपायों के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्यों के नाम तथा निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

Automatic Telephone Exchange at Gorakhpur

1664. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to part (b) of the Unstarred Question No. 1698 on the 5th March, 1970 and state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in his Ministry (Department of Communications) had written a letter No. 1633/RM/S/69, dated the 24th November, 1969 and D. O. letter No. 27-614/69-T. C. dated the 7th February, 1970 to a Member of Parliament regarding Automatic Telephone Exchange of Gorakhpur ; and

(b) the date since when the action is taken to acquire the land for the said Exchange and the date by which the action would be completed and the time by which the Automatic Exchange is likely to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Informaiton and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : Yes, Sir.

(b) Action to acquire land by acquisition process was initiated on 19-2-1964. The award of land Acquisition Officer was made in 1968. The District Magistrate is still getting the land cleared of unauthorised occupation. It is hoped it would be possible to obtain vacant possession in a few months.

Keeping in view the limited availability of exchange equipment and cases of buildings already under construction, it would by possible to commission the automatic exchange at Gorakhpur only by 1976.

Study made by Labour Bureau on Rural Labour

1665. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1696 on the 5th March, 1970 regarding study made by Labour and Bureau on Rural Labour and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for this extraordinary delay ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The field work, i.e., collection of requisite information in respect of all the 20 regions wherein the Intensive Type studies on rural labour were proposed to be conducted, has been completed. The drafting of Reports in respect of 6 regions has since been completed. These Reports are to be placed before the meeting of the Technical Group on Intensive Type studies. The Reports will be finalised after obtaining the comments of the State Governments concerned.

(c) Does not arise.

Employees Working against Posts Carrying Pecuniary Benefits

1666. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labohr and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4255 on the 26th March, 1970 regarding employees working against posts carrying pecuniary benefits and state :

(a) the reasons for no furnishing information in regard to part (a) and (b) of the question in respect of Labour and Employment Department in addition to the Rehabilitation Department ; and

(b) the time by which the above information is likely to be supplied ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). So far as the Department of Labour and Employment was concerned the information was nil.

Action taken against Newspapers for Publication of False News

1667. **Shri Molahu Prasbad :**
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7239 on the 23rd April, 1970 regarding the action taken against newspapers for publication of false news and state :

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information furnished by the State Governments, Union Territory Administrations and the Press Council is laid on the Table of the House as per statement attached. [*Placed in Library See* No. LT—3875/70].

Allocation and Expenditure under Scheme for Rural Man Power

1668. **Shri Molahu Prasbad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7241 on the 23rd April, 1970 regarding allocation and expenditure under rural man power scheme and state ;

(a) whether the information asked for in the above question has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : (a) to (c). A statement showing the information received is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3876/70]. Information is still to be received from other State Governments, who are being persistently requested to furnish the necessary details.

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित एक समाचार में शुद्धि करना

1669. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई 1970 में संसद् में प्रजा समाजवादी दल के चुनावों सम्बन्धी समाचार के प्रसारण में आकाशवाणी ने शुद्धि करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसा न किये जाने पर समाचार-निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). मूल प्रसारण एक समाचार एजेन्सी की रिपोर्ट पर आधारित था। शुद्धि प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय मन्त्री से कुछ दिन बाद प्राप्त हुई थी और इतनी देर के बाद प्रसारण में शुद्धि करना उचित नहीं समझा गया। तथापि, कार्यालय मन्त्री को यह सूचित कर दिया गया था कि भविष्य के सभी प्रसारणों में शुद्धि को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद के बड़े डाकघर में चोरी

1670. **श्री द० रा० परमार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष 1969 में अहमदाबाद के बड़े डाकघर में कुल कितनी चोरियां हुई और उसमें कितनी राशि अन्तर्निहित है ;

(ख) क्या यह सच है कि संबंधित प्राधिकारियों ने अनुदेश जारी कर दिये हैं कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को किसी भी हालत में कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाय ;

(ग) क्या यह सच है कि अहमदाबाद के बड़े डाक-घर के डाकपाल द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को उक्त आदेश को निष्ठापूर्वक पालन करने पर दण्डित किया गया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उनका विचार इस मामले की विस्तृत जांच करने तथा उसका ब्यौरा प्रस्तुत करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) दो चोरियां हुई जिसमें 9,810 रुपये चोरी हुए।

(ख) जी हां। प्रवर अधीक्षक, डाकघर, अहमदाबाद ने ये आदेश कुछ चोरी की वारदातों के सिलसिले में जारी किए थे जो अहमदाबाद के बड़ा डाकघर में हुई थी।

(ग) एक मामले में बड़ा डाकघर के एक कर्मचारी को चेतावनी दी गई थी।

(घ) अहमदाबाद बड़ा डाकघर के प्रवर अधीक्षक डाकघर को उनके आदेश में संशोधन करने के लिए कहा जा रहा है। ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित मामले में जांच-पड़ताल भी की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो समुचित कार्रवाई भी की जाएगी।

छोटे कस्बों में डाक तार कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

1671. **श्री क० मि० मधुकर :**　　**श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री झारखंडे राय :　　**डा० रानेन सेन :**
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मेल सेवा के कर्मचारियों के लिए छोटे कस्बों में मकान बनाने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा और किन कस्बों में किया जायेगा ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) सामान्यत: किसी स्थान पर कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण की योजना सेवा की सभी शाखाओं में कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर बनाई जाती है और ये निर्धारित नियमों के अनुसार अलाट किये जाते हैं।

(ख) और (ग). इलाहाबाद में रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के लिए 1.15 लाख रुपये की लागत से विशेष रूप से अलग से 12 क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। देहरी-आन-सोन में रेलवे से 8570 रुपये की लागत से भूमि अर्जित करके रेल डाक सेवा कर्मचारियों के लिए 1.14 लाख रुपये की लागत से 10 क्वार्टरों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

अपना टेलीफोन लगाओ योजना के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोन केन्द्र

1672. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री इसहाक सम्भली :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० हाल्दर :
श्री जनार्दनन :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपना टेलीफोन लगाओ योजना के अन्तर्गत इस समय कितने टेलीफोन केन्द्र शामिल किये गये हैं ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) योजना के द्वारा अब तक कितना राजस्व एकत्रित किया गया है ;

(घ) क्या निकट भविष्य में शेष टेलीफोन केन्द्रों में भी इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 105

(ख) 1,70,140

(ग) 43, 15,82,532 रुपये

(घ) तथा (ङ). 1968 में सरकार द्वारा गठित शुल्क दर जांच समिति ने और अधिक स्थानों पर इस सुविधा का विस्तार करने की सिफारिश की थी। संबंधित सिफारिश विभाग के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में शीतागारों का बंद किया जाना

1673. **श्री क० मि० मधुकर : श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री इंद्रजीत गुप्ता : डा० रानेन सेन :
श्री कं० हाल्दर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में लगभग दस शीतागार पहले ही बन्द किये जा चुके हैं तथा कई और बुरी आर्थिक दशा में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य में शीतागार उद्योग की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Applications Pending for Telephone Connections at Khurja

1674. **Shri Sharda Nand : Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of lines in the Khurja Telephone Service and the number of application for telephone connections pending at present.

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The position in Khurja Exchange on 30-6-70 was as under :—

Capacity	200 lines
Working Connections	192
Waiting List	32

Repairs to Telephone Lines in Khurja

1675. **Shri Sharda Nand : Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of pubiic complaints against Khurja Telephone Service about telephone defect made during the last three months which took more than 24 hours in repairing and the number of those which took 3 days or more in repairing ;

(b) the number of operators, Linemen, Sub-Inspectors, Inspectors and Mechanics required for the proper running of telephone lines there and existing strength of such personnel and the percentage of absentees among them ; and

(c) the steps proposed to be taken in this regard and by when ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Braodcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Twenty-seven interruption cases

were for a period of more than 3 days in June 1970 as a result of cable failure but there were no other interruption cases beyond 24 hours during the last three months.

(b) The number of persons under various categories sanctioned and actually posted are tabulated below :

	Sanctioned	Posted	Absenteeism		
			4/70	5/70	6/70
T. I.	1	1	nil	nil	nil
T. Os.	11	7	9%	10%	7%
Mechanics	2	1	nil	nil	nil
L. M.	5	3	nil	nil	11%
S. I.	1	nil	nil	nil	nil

The percentage of absentees was 9, 10 and 7 in the case of T. Os. for the last 3 month and 11 in the case of linemen during June, 1970 only.

(c) The deficiency in the case of Sub-Inspectors and linemen is being made good shortly whereas shortage in other categories will be made good only after the officials become available after prescribed training in the training class.

Requirement of Drilling Machine for Hilly Areas

1676. **Shri Om Parkash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the hill areas of the country the shortage of drilling machines used for the purpose of digging wells is the main obstacle in the progress of the agriculture there ;

(b) whether Government have estimated the requirements of the drilling machines in the hill areas of the country, State-wise, and the number of drilling machines available at present ;

(c) the action being taken by Government to provide the said machines to all hill areas in the country ; and

(d) the time likely to be taken in roviding such machines ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. The shortage of drilling machines used for the purposes of drilling wells is not an obstacle in the progress of agriculture in the hill areas.

(b) The Fourth Five Year Plan requirement for drilling machines and the number of drilling machines available at present have been estimated State-wise for all the areas including the hill areas.

(c) and (d). Most of the requirement of the State Governments for drilling rigs, including those required for the hill areas is now being met from indigenous manufacture which has progressed satisfactorily during the recent years. Even high speed drilling rigs in the medium range (suitable for drilling in hard rock areas) are now being manufactured indigenously. Import is being allowed in respect of the requirement of rigs which is not met with indigenously.

Report of Cow Protection Committee

1677. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred so far on the Cow Protection Committee appointed by the Government ;

(b) the number of officials and non-officials who have been examined or whose advice has been sought so far by the Committee ;

(c) the number of persons yet to be examined ; and

(d) the time by which the Committee will submit its report to the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) 53 persons out of 123 persons who were invited by the Committee for oral evidence have been examined. Out of 230 persons who were requested by the Committee to send written memoranda, memoranda from 120 persons have been received. In addition, 15 persons have submitted memoranda of their own accord. Questionnaire were sent to 17 State Governments and 11 Union Territories ; Replies have been received by the Committee from all.

(c) 48 witnesses are still left to be examined.

(d) No specific date can be indicated at present. The Committee has not met since the representatives of the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti have withheld their cooperation.

रतीवती कोयला खान दुर्घटना में एक श्रमिक की मृत्यु

1678. **श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री जनार्दनन : श्री इंद्रजीत गुप्ता : डा० रानेन सेन : श्री जि० मो० विस्वास :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कार्यरत कोयला खान श्रमिक आसनसोल के निकट रतीवती कोयला खान में भूमिगत दुर्घटना में मारा गया था ;

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ; 9-5-1970 को।

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जांच की गई थी।

(ग) और (घ). जब कि एक लोडर किसी सड़क की दीवार को समतल कर रहा था जो कि उसके काम करने का नियत स्थान नहीं था, तब ऊपर लटकते हुए कोयले का एक ढेर जो लगभग 1.5 मी०×0.6 मी०×0.4 मी० मोटा था, 2.7 मीटर की ऊंचाई वाली छत से

गिरा, जिसके नीचे वह लोडर दब गया । उसके शरीर में गम्भीर चोटें आई जिनके कारण वह बाद में मर गया । यद्यपि स्वर्गीय मजदूर ऐसे स्थान पर जो कि उसके काम करने का नियत स्थान नहीं था पहुँचने के लिए स्वयं जिम्मेवार था तथापि खान सरदार, जो उस पारी का इन्चार्ज था, गैलेरी में ऐसा जंगला जो अनाधिकृत व्यक्तियों को अन्दर जाने से रोक सके, न लगाने का जिम्मेवार पाया गया । खान सरदार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और उसके प्रमाण पत्र को एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी जहाज उद्योग को केरल में स्थापित किया जाना

1679. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी जहाज उद्योग को राज सहायता देने के बारे में केरल सरकार से परामर्श किया गया गया है और क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी ऐसे जहाज उद्योग को उपयोगिता के साथ केरल में ही स्थापित किया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय मे राज्य मत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकायें बनाने के लिए परियोजना स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है अतः ऐसी किसी परियोजना के बारे में राज्य सरकार के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है । देश के कई जहाज निर्माण करने वाले यार्ड गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 57 फुट लम्बी नौकाओं का निर्माण कर रहे हैं और इनसे बड़ी नौकाओं के लिए डिजाइन्स भी तैयार किये जा चुके हैं । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की 57 या उस से बड़ी देशी नौकाओं के निर्माण के लिए सहायता देने की योजना आरम्भ की गई है । यह सहायता आयातित नौकाओं के लागत बीमा, भाड़ा मूल्य के 27½ प्रतिशत तक सीमित रहेगी और यह देशी नौका के मूल्य और उसी प्रकार आयातित नौका के लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य तक सीमित रहेगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने मे हड़ताल

1680. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री जि० मो० विस्वास : **डा० रानेन सेन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मजदूर को निलंबन आदेश दिये जाने के कारण 25 मई, 1970 को दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी हां । तथापि, सम्बंधित पक्षों में द्विपक्षीय समझौता हो जाने के बाद 26 मई, 1970 को हड़ताल समाप्त हो गई तथा सामान्य रूप से काम शुरू हो गया ।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा शरणार्थियों के शिवरों का दौरा

1681. श्री कं० हाल्दर : श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जि० मो० विश्वास : श्री धीरेश्वर कलिता :
डा० रानेन सेन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शरणार्थियों के शिवरों और बशीरहाट तथा हसनाबाद क्षेत्र में शरणार्थियों की दशा का स्वयं अध्ययन करने के लिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे के पश्चात शरणार्थियों के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) आश्रय, पीने के पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि की सुविधाओं के लिये की गई व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाये गये हैं ।

मध्य अप्रैल, 1970 से आरम्भ की गई खाद्य खाद्यान्न की सप्लाई के अतिरिक्त, दूध का पाऊडर, बाल खाद्य-पदार्थ, बहु-विटामिन गोलियां, ब्लीचिंग-पाऊडर इत्यादि की सप्लाई की व्यवस्था भी, या तो सरकार द्वारा या विभिन्न लोकोपकारी संगठनों की सहायता से, कर दी गई है ।

Applications from Social Workers Pending for Telephone Connections in Delhi

1682. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of applications received from social workers in Delhi during the last three years for telephone connections ;

(b) the number of telephones sanctioned and installed so far out of the above ;

(c) the number of such cases wherein telephones have not been provided for four years or more ;

(d) whether it is a fact that whereas applications received four years back and even earlier have not even been considered yet one or two years' old or even later applications were considered and telephones were provided on the recommendations of Members of Telephone Advisory Committee ; and

(e) if so, the reasons for such out-of-turn allotment of telephones as also for such discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 2818.

(b) 823.

(c) 1449.

(d) and (e). All applications are considered at the time of allotment of telephone connection by the Telephone Advisory Committee. According to existing rules, 15% of the connections are earmarked for allotment to applicants 'Special' category, which, besides

public/social workers, includes Doctors, Press, Public Institutions, Small Scale Industry and Agricultural Farms. 50% of such connections can be sanctioned on out of turn basis on the recommendations of the Telphone Advisory Committee.

Conditions of Jungles and Agriculture in Andaman and Nicobar Islands

1683. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of the jungles and agriculture in Andaman and Nicobar Islands has reached a critical stage due to the maladministration and negligence of the Administration there ; and

(b) if so, the reaction of Government and the details of the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

There is a well established Forest Department in the Andaman and Nicobar Islands headed by Chief Conservator of Forests. The working of the Department is scientific and systematic The forests are worked according to the prescriptions of Working Schemes or Plans.

Forests of South and Middle Andaman Division are worked departmentally, while the forests of North Andaman Divisions were leased out in 1951 to M/s. P. C. Ray & Co. Ltd.

The total yield of timber from the South Andaman and the Middle Andaman Divisions has been prescribed at 68,000 to 78,000 cu metres, according to the Working Plan in force The extraction of timber has also been according to these prescriptions.

A specialised technique for natural regeneration of valuable species has been evolved for these tropical forests by the Forest Department of Andaman and Nicobar Islands and over 50,000 acres have been successfully naturally regenerated with this technique. Besides, plantations of valuable timber species like padauk and teak have also been raised over about 11,000 acres.

The Government has also been aware of the urgent need to improve facilities for shipment of timbre from the Islands. For this purpose, one cargo ship has been obtained and put into commission. Loading facilities are also being steadily improved, by constructing a new wharf and improving the existing jetty at Port Blair.

Further, in order to ensure proper utilisation of timber, three Ply Wood Factories have been established, besides the Match Splint Factory.

The Government Saw Mill at Port Blair which is one of the biggest in South Asia, also contributes considerably for the full utilization of the timber extracted and also meets the local demands of sawn timber for various developmental activities and of local population.

Under the IV Plan the Andaman Administration has proposed an outlay of Rs. 65 lakhs for the various forestry schemes for the Islands. Out of this, Rs. 20.48 lakhs have been proposed for the year 1970-71.

Agriculture in the Islands has been progressing satisfactorily taking into consideration the peculiar conditions prevailing there. High Yielding Variety Programme has been successfully introduced in paddy which is the main crop of the Islands. The integrated programme of soil conservation-cum-horticulture development has been taken up. To give a further fillip to the agricultural activities in the Islands, a Central Team of Agricultural Experts headed by Joint Commissioner (Cash Corps) visited the Islands in November 1969

and has since submitted a report on intensive development of agriculture. The recommendations of the Team are under the active consideration of the Government.

(b) Question does not arise.

International Conference on Labour at Geneva

1684. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an International Conference on Labour was recently held at Geneva ; and

(b) if so, the names of the organisations whose leaders participated therein and in what capacity ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, the 54th Session of the International Labour Conference of the I.L.O. was held in Geneva from the 3rd to the 25th June, 1970.

(b) Besides the Government Group, the names of the organisations whose representatives participated therein and their capacity are as follows :

	Organisations	Delegate	Advisers
1.	Council of Indian Employers (constituted by the Employers Federation of India and All India Organisation of Employers).	1	2
2.	Indian National Trade Union Congress.	1	2

श्रमिकों के कल्याण के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा क्रियान्वित की गई योजना

1685. **श्री कंवर लाल गुप्त : श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के कल्याण के लिये गत तीन वर्षों में दिल्ली प्रशासन द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ष कितनी धन राशि खर्च की गयी थी ;

(ख) आगामी दो वर्षों में दिल्ली में रहने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिये दिल्ली प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) गत तीन वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई उन योजनाओं के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया था ; और

(घ) इन योजनाओं का अनुमोदन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) गत तीन वर्षों में दिल्ली प्रशासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गईं ; प्रत्येक योजना पर किया गया खर्च उसके सामने दर्शाया गया है :

योजना का नाम	व्यय (लाख रुपयों में) 1967-68	1968-69	1969-70
1. श्रम-आंकड़ों का सुधार	0.158	0.146	0.161
2. क्रियान्वित तथा मूल्यांकन इकाई	—	0.038	0.249
3. श्रमिक सूचना सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ करना तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।	—	—	0.673
4. न्यूनतम मजूरी तंत्र को सुदृढ़ करना।	—	—	0.081
5. औद्योगिक श्रमिकों सम्बन्धी अध्ययन दौरा।	—	—	0.51
6. औद्योगिक श्रमिकों के लिये साहाय्य प्राप्त औद्योगिक आवास योजना।	8.731	72.007	61.839

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा दो श्रमिक कल्याण केन्द्र-एक ओखला औद्योगिक बस्ती में तथा दूसरा झिलमिल ताहिरपुर, शाहदरा में बनाने का विचार है। लौरेंस रोड, नजफगड़ रोड़ एक्सटेंशन तथा ओखला में दस-दस एकड़ भूमि खरीदने का भी विचार है। आगामी दो वर्षों के दौरान लारेंस रोड पर लगभग 900 औद्योगिक मकानों का निर्माण-कार्य शुरू करने का विचार है। तैयार होने पर ये मकान कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(एल) के क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक श्रमिकों को आबंटित किये जायेंगे।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने श्रमिकों के कल्याण के लिये गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तुत कीं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई :

1. मान्यता प्राप्त पंजीकृत मजदूर संघों को मुफ्त कानूनी सहायता।
2. संक्रामक तथा दुदर्म्य रोगों से पीड़ित औद्योगिक श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था।
3. औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा-वजीफे की मंजूरी।
4. दुर्घटना रोक-थाम के लिये सुरक्षा पुरस्कारों की योजना तथा सुरक्षात्मक सुझावों के लिये पुरस्कार।
5. बेरोजगारी बीमा योजना।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में 1 से 4 नम्बर पर निर्दिष्ट योजनाएं योजना आयोग को प्रस्तुत की गई। योजना आयोग के कार्यकारी दल का यह मत था कि ये योजनाएं उच्च

प्राथमिकता की नहीं हैं तथा श्रम कानूनों एवं न्यूनतम मजूरी अधिनियम की और अधिक क्रियान्विति पर जोर दिया जाय।

जहा तक नं० 5 पर निर्दिष्ट योजना का संबंध है, भारत सरकार स्वयं अखिल भारतीय आधार पर इसी प्रकार की एक योजना तैयार कर रही है। अतः दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजना स्वीकार नहीं की गई।

बम्बई में टेलीफोन 'शिफ्ट' के बारे में शिकायतें

1686. **श्री दिनकर देसाई : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगर में टेलीफोन शिफ्ट करने के बारे में बहुत सी शिकायतें अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतें कितनी हैं ; और

(ग) टेलीफोन शिफ्ट करने के कार्य को तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह सच है कि बम्बई शहर में बाइकुला, गामदेवी और खार एक्सचेंजों में टेलीफोनों के स्थानान्तरण संबंधी कई मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) इस तरह के प्रामाणिक मामलों की संख्या 170 है।

(ग) एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाकर और अतिरिक्त केबल बिछाकर स्थानान्तरण को संभव बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों का बन्द किया जाना

1687. **श्री दिनकर देसाई :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 1700 से अधिक औषधालयों को बन्द किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन औषधालयों में आवश्यक दवाइयां नहीं होती हैं ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाला कर्मचारियों का अंश अभी कर्मचारियों पर बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पश्चिम बंगाल में 31 मार्च, 1970 तक नियोजकों द्वारा देय कर्मचारियों के अंशदान की कुल रकम 34,23,346.74 रु० है ।

एक केन्द्रीय कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना करना

1688. **श्री राम किशन गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना का प्रश्न इस समय किस अवस्था में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : एक केन्द्रीय कृषि उद्योग निगम की स्थापना करने का प्रश्न अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा के लिए एक पृथक सर्किल का बनाया जाना

1689. **श्री राम किशन गुप्त : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** 16 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के लिए एक पृथक पोस्टमास्टर जनरल और उसका अलग सर्कल बनाने का कार्य किस स्थिति में है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : अभी इस मामले की जांच की जा रही है ।

दण्डकारण्य में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए शिविरों की स्थापना

1690. **श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए आवास की अस्थायी व्यवस्था करने के लिए दण्डकारण्य में केन्द्रीय शिविर स्थापित करने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी, हां। 10,000 परिवारों (लगभग 50,000 व्यक्तियों) को दण्डकारण्य में आवास देने के लिए राहत शिविर स्थापित किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

भारत से अंतराष्ट्रीय टेलेक्स सेवा का विस्तार

1691. **श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई, 1970 से कुछ और देशों को भारत से अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा उपलब्ध कराई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा, 13 जुलाई, 1970 से निम्नलिखित 40 देशों को लन्दन से होकर, बढ़ाई गई :—(1) आबू धाबी (2) कनारी द्वीपसमूह (3) जिब्राल्टर (4) मोनाको (5) वैटिकन सिटी (6) बाहामाज (7) कैमरून गणराज्य (8) केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य (9) चाड (10) कांगो गणराज्य (11) कोस्टारिका (12) क्यूबा (13) दहोमे (14) डोमिनिकन गणराज्य (15) इक्वेडोर (16) एल सालवाडोर (17) फ्रेंच एंटीलीज (18) गैबोन (19) गैम्बिया (20) हेइडी (21) आइवरी कोस्ट (22) लाइबेरिया (23) लेसोठो (24) मालागासी (25) मलावी (26) माली (27) मौरितानिया (28) मोरक्को (29) नीदरलैंड एंटीलीज (30) निकारा गुआ (31) नाईजर (32) पैरागुए (33) रवान्डा (34) रीयूनियन (35) रूयूक्यू द्वीपसमूह (36) सेनेगल (37) सीयरालियोन (38) सुरीनाम (39) स्वाजी लैण्ड (40) टोगो।

पंजाब के कृषकों की सहायता हेतु गेहूँ के नमूनों का पुनरीक्षण

1692. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कृषकों को हाल में कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; और पंजाब के कृषकों, जिनकी गेहूँ की फसल हाल की अचानक अतिवृष्टि से नष्ट हो गई थी, की सहायता हेतु केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं के नमूनों का पुनरीक्षण कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 की क्रय-विक्रय ऋतु की गेहूं की फसल को असामयिक वर्षा द्वारा हुई क्षति की सूचना मिलते ही भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा, तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए गेहूं के स्तर के बारे में रियायतें दे दीं। ये रियायतें 31-8-1970 तक लागू रहेंगी।

(ख) (i) गेहूँ के स्तरों में "थ्री ग्रेड बिलो" (तीन श्रेणी नीचे) नामक एक नई श्रेणी चालू की गई है जिसमें क्षतिग्रस्त अनाज के 5 प्रतिशत की अधिकतम छूट दी गई तथा 15 प्रतिशत की छूट कम क्षतिग्रस्त अनाज के बारे में दी गई है। अन्य वर्तन नहीं रहेंगे जो "टू ग्रेड बिलो" किस्म में निर्धारित है। "थ्री ग्रेड बिलो" की श्रेणी के गेहूँ के वसूली मूल्य 72 रुपये प्रति क्विंटल हैं।

(ii) सभी प्रकार के अनाजों के सम्बन्ध में, यदि वर्षा के कारण कुल गेहूं के तीस प्रतिशत से अधिक भाग के प्राकृतिक आकार, प्रकार तथा स्वाद को क्षति हुई हो तो श्रेणी के अनुसार देय मूल्य में एक रुपया प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त कटौती कर दी जायेगी।

Custom Service for Repairs of Tractors

1693. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the names of the States which have started austom service for agricultural implements like tractors and also making them available on hire basis.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Developmbnt and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : Agricultural Machinery Hiring Centres have been set up by the State Agro-Industries Corporations in Andhra Pradesh, Orissa, Punjab, Rajashthan, Uttar Pradesh and West Bengal. The Corporations in the remaining States are also taking necessary steps for establishment of these centres. These centres are having a number of tractors and other agricultural machinery depending upon the requirements of the area and these would be made available to the cultivators on hire basis. Besides some of them are also having workshops attached to them for handling, repair and servicing etc.

Anti-Indian Pak T. V. Programme viewed in Kashmir

1694. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that people in Kashmir view the television programmes of Pakistan containing anti-Indian propaganda ; and

(b) if so, the steps taken to offset the effects thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. Television programmes of Pakistan cannot be received on TV sets in Kashmir.

(b) Does not arise.

विदेशों के साथ जवाबी पोस्ट कार्ड की सुविधा

1695. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने देशों के साथ पारस्परिक जवाबी पोस्ट कार्ड की सुविधाएं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने अधिकतर देशों से इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) भारत उन देशों में एक है जिन्होंने 1964 के वियना विश्व डाक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ जवाबी पोस्टकार्ड सेवा की व्यवस्था है । फिलहाल विश्व डाक यूनियन के सदस्य-देशों की संख्या भारत को मिलाकर 142 है । भूटान, श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान को छोड़कर जिनके साथ भारत ने आपस में जवाबी पोस्टकार्डों समेत अन्य डाक वस्तुएं अंतर्देशीय डाक प्रचार दरों पर भेजने का समझौता किया है, इन सब देशों के साथ जवाबी पोस्टकार्डों का विनिमय अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचार दरों पर होता है ।

(ख) तथा (ग). अक्तूबर-नवम्बर, 1969 में टोकियो में हाल के विश्व डाक संघ के हुए अधिवेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवा के जवाबी पोस्टकार्डों के बन्द किये जाने का निर्णय मानने के लिए संघ के सभी सदस्य देश वाध्य हैं तथा यह निर्णय 1 जुलाई 1971 से लागू होगा। उक्त कांग्रेस के निर्णय का समर्थन सदस्य देशों ने भारी बहुमत से किया था तथा विदेश डाक सेवा में एक तरफा जवाबी पोस्टकार्ड सेवा चालू रखना भारत के लिए संभव न हो सकेगा क्योंकि अन्य देश भारत से जाने वाले जवाबी पोस्टकार्डों को स्वीकार नहीं करेंगे।

तथापि, यह संभव हो सकेगा कि जवाबी पोस्टकार्ड सेवा को भूटान, श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ चालू रखा जा सके जिनके साथ भारत का दुतरफा करार अथवा व्यवस्था मौजूद है वशर्तें कि वे देश भी सहमत हों। इस मामले में उनके साथ पत्राचार हो रहा है।

काई जीवाणु संवर्धन उर्वरक (अलगाई कल्चर्स वेक्टीरियल फर्टीलाइजर) का उत्पादन तथा वितरण

1696. **श्री सीताराम केसरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर काई जीवाणु संवर्धन उर्वरक का उत्पादन तथा वितरण करने के लिए परियोजना स्थापित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कोई योजनाएं हैं ताकि नाइट्रोजन पूरक उर्वरक की मांग को कम किया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना को सम्भवतः किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). जीवाणु संवर्धन (अलगाई कल्चर्स वेक्टीरियल फर्टीलाइजर) के बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के लिए एक मार्गदर्शी योजना शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजना के स्थान और लागत के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

खण्ड विकास कार्यालयों की समाप्ति

1698. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विकास खण्डों का कार्यकरण तथा उनकी प्रणाली समान है अथवा उन में भिन्नता है ;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में खण्ड समितियों की शक्तियों में अन्तर है अथवा वे समान हैं ; यदि उन्हें भिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, तो देश भर के लिए समान नीति न अपनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति जनता पर भारी बोझ है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर इन अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों की निधियों के बड़े भाग का गबन कर दिया जाता है ;

(घ) क्या सरकार को धन के गबन के बारे में शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो क्या शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) क्या सरकार खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्तियों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी अथवा क्या राज्य सरकारों को यह सलाह दी जायेगी या उन्हें यह आदेश दिया जायेगा कि खण्ड का कार्य खण्ड समिनियों के माध्यम से जनता से कराया जाये, और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चुं० जमीर) : (क) जी हां, विकास खण्डों के कार्यकरण में काफी हद तक समानता है। विकास खण्डों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी कार्य-कलापों को अभी भी सौंपा जाता है यद्यपि उनका मुख्य कार्य कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। खण्ड विकास अधिकारी, मध्य प्रदेश में जो अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के कार्यों को निष्पादित करता है वह विकास सहायक के नाम से अभिहित है, समस्त देश में ग्रामीण विकास की प्राथमिक एजेन्सी के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है। स्कीमेटिक खण्ड बजट में दिए गए प्रावधान की तुलना में विभिन्न कार्य-कलापों के लिए बजट प्रावधान के सम्बन्ध में कमियां हो सकती हैं फिर भी, तथापि, जून, 1968, में मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज कार्यक्रमों को जारी रखा जाए और मजबूत बनाया जाए। वास्तविक कार्यक्रम सम्भाव्यता तथा कार्यभार को ध्यान में रखते हुए खण्डों के संगठनात्मक प्रतिरूप में परिवर्तन करने की आज्ञा दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों को हस्तांतरित होने से, राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं को पुनः क्रमबद्ध करने तथा कार्यक्रम को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने की छूट है।

(ख) अधिकांश राज्यों में पंचायत समितियों की स्थापना की गई है। खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का कार्य इन समितियों को सौंपा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन में पंचायत समितियों द्वारा उपभोगित शक्तियां न्यूनाधिक समान हैं। इस सम्बन्ध में समस्त देश में एक समान नीति अपनाई जा रही है।

(ग) जी नहीं, यह मंत्रालय महसूस करता है कि स्वस्थ अन्तर्विभागीय सम्बन्ध होना आवश्यक है तथा खण्ड विकास अधिकारी खण्ड का पूर्णरूपेण कार्यभारी होना चाहिए और परिचालन क्षमता के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। यह कहना उचित नहीं होगा कि विकास निधि का अधिकांश भाग दुर्विनियोजित किया जाता है।

(घ) पिछले दो वर्षों में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सुलभ की गई राशि के दुर्विनियोजन की कोई भी शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि यह संकेत किया जाता है कि ऐसे मामलों पर, यदि वे घटित होते हैं, राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घटिया किस्म के दूध के लिये मानक दूध का मूल्य लेना

1699. **श्री प्रेम चंद वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदारों से घटिया किस्म के दूध के लिए मानक दूध की दरों के मूल्य लिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना निर्धारित स्टैन्डर्ड के अनुसार दूध वितरित करता है और उसी हिसाब से दूध का मूल्य लिया जाता है। दूध की बोतलों की सील तोड़ने और मानकीकृत दूध के मूल्य पर घटिया किस्म का दूध सप्लाई करने के सम्बन्ध में कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनके बारे में तुरन्त ही जाँच पड़ताल करके उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त योजना की गुण-नियंत्रण प्रयोगशाला में अकास्मिक जांच तथा परीक्षण करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा दुग्ध डिपुओं से दूध के नमूने लिए जाते हैं। दिनांक 1-1-70 से 28-7-70 तक की अवधि में इस प्रकार की कुल 47 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में जांच के लिए विभिन्न दुग्ध डिपुओं से 438 नमूने एकत्रित किए गए जिनमें से 4 मामलों में मिलावट पाई गई। इन मामलों की जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप डिपो स्टाफ के 19 सदस्यों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के केंद्रों के प्रबन्धकों और सहायक प्रबन्धकों का जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार

1700. **श्री प्रेम चंद वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध-योजना के दुग्ध केन्द्रों में कार्य करने वाले प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक जनता के साथ सौहार्दपूर्ण तथा अच्छा व्यवहार नहीं करते, यदि हां तो प्रशासन ने इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली और नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराने के लिये कम से कम दो केन्द्र खोलने का है जिससे यथा-शीघ्र जनता की कठिनाइयां दूर की जा सकें, यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली में शिकायतों के पंजीयन के लिये दो केन्द्रों की स्थापना का

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना परिसर में जन सम्पर्क अधिकारी के अधीन एक पूछताछ तथा शिकायत काउन्टर स्थापित कर दिया गया है। "दूध तथा दूध के टोकनों के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतों और पूछताछ" के लिये एक विशेष टेलीफोन नं० 585426 की व्यवस्था कर दी गई है और यह टेलीफोन डाइरेक्टरी में भी प्रकाशित करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतें योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुग्ध केन्द्रों का निरीक्षण करते समय, कार्यालय में तथा अधिकारियों के घर लगे टेलीफोन पर भी प्राप्त की जाती है। जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिये समस्त दुग्ध केन्द्रों पर शिकायत बक्सों की व्यवस्था भी की जा रही है। शिकायतें डाक से भी प्राप्त होती रहती है। सभी शिकायतों की जांच पड़ताल के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

स्वचालित मशीनों के प्रयोग के बारे में वेंकटारामन समिति

1701. **श्री अ० म० गोपालन : श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री के० एम० अब्राहम : श्री उमानाथ :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वचालित मशीनों के प्रयोग के बारे में वेंकटारामन समिति ने अपने कार्य में कहां तक प्रगति की है ;

(ख) समिति का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या समिति ने समय सीमा को बढ़ाये जाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). इस समिति की अभी तक तीन बैठकें हुई हैं। समिति की तीसरी बैठक में मौखिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिये कुछ औद्योगिक केन्द्रों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है। समिति यह आशा करती है कि वह सितम्बर, 1970 के अन्त तक मौखिक साक्ष्य एकत्रित करने का कार्य समाप्त कर लेगी और फरवरी, 1971 के अन्त तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

(ग) और (घ). समिति ने अपने कार्यकाल को 28 फरवरी, 1971 तक बढ़ाये जाने की मांग की है।

दिल्ली की कालोनियों में खाली पड़े प्लाटों की नीलामी

1702. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन कालोनियों के नाम क्या हैं जिनमें 20 वर्ष से अधिक की अवधि से प्लाट खाली पड़े हैं तथा उनको अभी तक अलाट/नीलाम नहीं किया गया है ;

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इन प्लाटों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार उनकी किस प्रकार बिक्री करना चाहती है ; और

(ग) इन प्लाटों को कब तक नीलाम/अलाट कर दिया जायेगा तथा इनकी अब तक बिक्री न करने के कारण सरकारी राजस्व में अनुमानतः कितना घाटा हुआ है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) पुनर्वास विभाग ने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, पुनर्वास कालोनियों का विकास 1950 के उपरान्त किया था। इसलिए, दिल्ली में इन कालोनियों में विकसित प्लाटों के बीस वर्ष की अवधि से अधिक तक खाली पड़े रहने और उनको निपटान न किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Houses not fully paid for by Allottees in Malviya Nagar, New Delhi

1703. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6405 on the 16th April, 1970 regarding Houses not fully paid by allottees in Malviya Nagar, New Delhi and state :

(a) whether it is a fact that as per Annexure "A" notices were issued to one, three, eight, nineteen and eighteen allottees in 1965, 1966, 1967, 1968 and 1969 respectively to make payment of outstanding dues ;

(b) the reasons for not issuing notices again to those persons to whom notices were issued in 1965, 1966, 1967 and 1968, the names of the officers held responsible for this and the action proposed to be taken against them for their failure in carrying out their responsibility ; and

(c) the specific action Government propose to take in respect of the cases where payment of out-standing dues is not made by the due date as also the time by which the said action is proposed to be taken ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) ; (a) Yes, Sir. Notices were issued to one allottee in 1965, two allottees in 1966, nine allottees in 1967, eighteen allottees in 1968 and nineteen allottees in 1969.

(b) Subsequent notices in these cases were not issued because :

(i) the original allottees having died, cases were pending for substitution proceedings ;

(ii) some cases were pending in Appeal/Revision in the various Appellate Courts ;

(iii) the cases were referred to the Assistant Collector for recovery of the dues as arrears of land revenue ; and

(iv) allottees had tendered the compensation claims of their friends and relatives for the payment of the balance cost.

In view of the above, the question of taking action against the officers concerned does not arise.

(c) Notices are issued to the allottees for making payment of outstanding dues and, on their failure to pay the same, the properties are resumed and put to auction. However, in deserving cases, further time is also allowed to allottees for making such payments keeping in view the rehabilitation aspect of the matter. The bulk of the properties have already been transferred to the allottees and the cases of the small number of such properties, remaining yet to be transferred, are also expected to be finalised soon.

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों की वार्षिक ओवर हालिंग तथा मरम्मत

1704. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों का वार्षिक ओवर हालिंग

तथा मरम्मत नहीं की गई हैं क्योंकि उनकी सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में जाने की सम्भावना थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे आगामी पेरने के मौसम को आरम्भ करने तथा चालू करने में विलम्ब होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) गन्ने की अधिकता के कारण उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीनी मिलें जुलाई में भी पेराई-कार्य करती रहीं । अतः अभी यह कहना जल्दबाजी है कि सरकार द्वारा चीनी कारखानों को हाथ में लेने की सम्भावना के कारण कारखानों की वार्षिक ओवरहालिंग और मरम्मत नहीं कराई गई है ।

(ख) और (ग). स्थिति पर निगरानी रखने हेतु उक्त मामले के इस पहलू की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

अमरीका के कृषि विभाग के सहयोग से जबलपुर में दालों की बीमारियों के बारे में परियोजना

1705. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के कृषि विभाग की कृषि अनुसन्धान सेवा के सहयोग से जबलपुर में दालों की बीमारियों के बारे में एक अनुसन्धान परियोजना ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके अनुसन्धान पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है तथा अमरीका सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कितना धन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) मुख्यत: पी०एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका के कृषि विभाग की कृषि अनुसन्धान सेवा के अनुदान से जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में मसूर की मुरझान बीमारी के अध्ययन के लिए एक अनुसन्धान परियोजना शुरू की गई है ।

(ख) परियोजना के ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) परियोजना पर कुछ 97,064 रुपये व्यय होंगे जिसमें से 93,064 रुपये का अनुदान अमरीका के कृषि विभाग से प्राप्त होगा तथा 4,000 रुपये की शेष धनराशि की व्यवस्था जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा की जायेगी ।

विवरण

(1) **परियोजना का नाम :** मसूर के मुरझान रोग का अध्ययन

(2) **प्रायोजक संस्थान का नाम :** कृषि महा-विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर।

(3) **मुख्य अंवेषक :** डा० एम० एन० खरे, पादम रोग विज्ञान के सह आचार्य।

(4) **परियोजना के उद्देश्य :**

(1) मसूर के रोगजनक फ्यूजेरियम के विभिन्न विभेदों की जांच पड़ताल के लिये मध्य प्रदेश में मसूर के मुरझान रोग का सर्वेक्षण।

(2) मसूर की फ्यूजेरियम मुरझान रोग निरोधक किस्मों को छांटना।

(3) मसूर के फ्यूजेरियम मुरझान रोग के नियंत्रण के लिये रासायनिक तथा सूक्ष्म जीवीं नियंत्रण उपायों का पता लगाना।

(5) **अवधि :** 3 वर्ष

(6) **कार्य की योजना** 1. **मध्य प्रदेश में मसूर के मुरझान रोगों का सर्वेक्षण :**

(1) मध्य प्रदेश के विभिन्नि कृषि जलवायु क्षेत्रों से मसूर की विभिन्न किस्मों के मुरझान रोग से ग्रस्त पौधों के नमूने एकत्र किये जायेंगे।

(2) मध्यम प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों से एकत्रित विभिन्त किस्मों से और नमूनों से भी विलगन।

(3) विलगन किये गये (आइसोलेटों) की जांच पड़ताल की जायेगी और रोगजन्यता सम्बन्धी परीक्षण किये जायेंगे।

(4) रोगजन्यता के विभिन्न विभेदों की विद्यमानता का पता लगाने के लिये संकर रोगजन्यता परीक्षण किये जायेंगे।

2. **किस्मों की छंटाई :**

(1) सर्वेक्षणाधीन आइसोलेटों की सहायता से मुरझान रोग ग्रस्त प्लाटों को बनाया जायेगा।

(2) संसार भर से मसूर का संग्रह किया जायेगा और उपलब्ध मुरझान रोग प्लाटों में अच्छी किस्मों की मुरझान रोग निरोधक क्षमता का परीक्षण किया जायेगा।

3. **रासायनिक तथा सूक्ष्म जीव नियंत्रण उपाय :**

(क) (1) मसूर के विभिन्न प्रकार के बीजों से सम्बद्ध फुंगल फलोरा का विलगन किया जायेगा जिससे बीज में विशेषरूप से मुरझान रोग और सामान्यरूप से अन्य रोगजन्य फुन्गी का पता लगाया जा सके।

(2) बीजों के प्राथमिक इनौकुल्म की समाप्ति तथा अंकुरण और खड़ी फसलों पर उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए बीजों को फफूंद-नाशी औषधियों द्वारा उपचारित किया जाएगा।

(3) भूमि में इनौकुल्म के प्रतिरोध में आपेक्षिक सुरक्षा के लिए मुरझान रोगग्रस्त भूखण्डों में उपचारित बीजों को बोया जाएगा।

(4) रोग के नियंत्रण में उनके प्रभाव को देखने के लिए मुरझान रोग ग्रस्त भूखण्डों में भूमि में विभिन्न फफूंद-नाशी औषधियों का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) **सूक्ष्म जीव नियंत्रण :**

(1) रिजोसफीयर से सम्बद्ध सूक्ष्म वनस्पति का अध्ययन किया जाएगा।

(2) मुरझान जीव के साथ रिजोसफीयर से निषिद्ध सूक्ष्म वनस्पति के सम्बन्ध का पता लगाया जायेगा।

(3) मुरझान फंगस के जैविक नियंत्रण के लिए एन्टोगोनिस्टिक वनस्पति के प्रयोग की सम्भावना का पता लगाया जाएगा।

6. **लागत का ब्यौरा :**

1.	कुल लागत	97,064.00 रु०
	(1) वेतन तथा भत्ता	57,564.00 ,,
	(2) अन्य खर्च यात्रा भत्ता, परिवहन, किराया, फुटकर खर्च आदि	31,500.00 ,,
	(3) उपकरण	8,000.00 ,,
2.	(क) अमरीकी कृषि विभाग का भाग	93,064.00 ,,
	(ख) विश्व विद्यालय का भाग	4,000.00 ,,

मार्जिनल किसानों के लिए परियोजनाएं

1706. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मार्जिनल किसानों तथा भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने के लिए योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है ;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि रखी गई है ; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी और किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी और इन परियोजनाओं को उक्त स्थानों पर किन कारणों हेतु स्थापित किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का लक्ष्य अतिरिक्त-उत्पादन द्वारा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की आय में सुधार करना है। इस योजना के अन्तर्गत डेरी, सुअर और मुर्गीपालन और वेतन और रोजगार में वृद्धि आदि गौण धन्धों पर बल दिया गया है। सम्बन्धित राज्या/संघ क्षेत्र प्रत्येक परियोजना के लिए ब्यौरे तैयार कर रहे हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) चौथी योजना काल के लिए 100 करोड़ रुपये प्रति परियोजना ; और

(ङ) ऐसी 46 परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। 16 बड़े राज्यों में से प्रत्येक राज्य में 2-2, नागालैंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में एक-एक और संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर और त्रिपुरा में एक-एक के हिसाब से स्थापित की जायेंगी। शेष 3 परियोजनाओं का नियतन अभी विचाराधीन है। जहां तक परियोजनायें स्थापित करने के लिये जिलों का चुनाव करने का सम्बन्ध है सम्बन्धित राज्य या संघ क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई कसौटी के आधार पर चुनाव करेंगे। इन कसौटियों में फालतू उत्पादों के लिये विपणन सुविधाओं की उपलब्धि परियोजना क्षेत्रों में अवस्थापना की उपलब्धि लगभग 20,000 सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक परिवारों की मौजूदगी आदि शामिल है।

कृषि वित्त निगम द्वारा क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सहायता

1707. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम का विचार राज्यों सरकारों द्वारा सहायता हेतु उनको प्रस्तुत की गई क्षेत्रीय परियोजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में सदस्य-बैंकों को परामर्श देने का है अथवा उनको परामर्श दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसका विचार सदस्य बैंकों के कृषि वित्त विभागों के प्रतिनिधियों की एक मध्य स्तरीय समिति स्थापित करने का है ताकि निगम तथा सदस्यों के बीच प्रभावी वार्ता को बढ़ाया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ङ) 1969 में निगम द्वारा कितनी परियोजनाओं के लिये सहायता दी गई है और उसकी राशि कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां । राज्य सरकारों द्वारा सहायता हेतु प्रस्तुत की गई क्षेत्रीय परियोजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में निगम सदस्य बैंकों को पहले ही परामर्श देता रहा है ।

(ग) और (घ). निगम ने सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों की एक मध्य स्तरीय समिति की स्थापना की हुई है ताकि निगम और सदस्यों के बीच प्रभावशाली ढंग से वार्ता होती रहे । समिति की पहली बैठक 25 जुलाई, 1970 को हुई थी ; और

(ङ) सन् 1969 में निगम द्वारा 20 परियोजनाओं के लिए 90.06 करोड़ रुपये के परिव्यय की सहायता दी गई थी ।

कलकत्ता के बहु संस्करण वाले समाचार पत्रों में समाचारों में भिन्नता

1708. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गरगेश घोष :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाली और अंग्रेजी के उन दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जो एक से अधिक संस्करण निकालते हैं तथा उनमें से प्रत्येक समाचार पत्र ने कितने संस्करण निकाले हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि समाचार प्रकाशित करने के मामले में इन समाचार पत्रों के विभिन्न संस्करणों में प्रायः एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है ; और यहां तक कि इन दैनिक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर छपी कोई रिपोर्ट या समाचार एक संस्करण में तो होता है किन्तु दूसरे में नहीं होता ;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि कभी-कभी समाचार पत्रों के सामान्य पाठकों को इस बात से भ्रम हो जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चार बंगला दैनिक समाचार-पत्रों अर्थात् 'कालान्तर' 'गणशक्ति' 'पैगाम' और

'लोक सेवक' को छोड़कर शेष सभी बंगला और अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों के कई-कई संस्करण निकलते हैं ।

डाक संस्करणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

अमृत बाजार पत्रिका और जुगान्तर :

पहला डाक संस्करण, चौथा डाक संस्करण, सातवां डाक संस्करण, आठवां डाक संस्करण हवाई सेवा डाक संस्करण और लेट सिटी संस्करण ; कुल 6 ।

आनन्द बाजार पत्रिका :

प्रभात डाक संस्करण, लेट सिटी संस्करण, तीसरा डाक संस्करण, पांचवां डाक संस्करण और अन्तिम डाक संस्करण ; कुल 5। सर्कुलेशन मैनेजर के अनुसार कभी-कभी संस्करणों की संख्या 8 तक हो जाती है जो रेल गाड़ियों के समय पर निर्भर है ।

हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड :

प्रभात डाक संस्करण, लेट सिटी संस्करण, टाटा संस्करण, तीसरा डाक संस्करण, पांचवां डाक संस्करण, और अन्तिम डाक संस्करण ; कुल 6 । सर्कुलेशन मैनेजर के अनुसार, कभी-कभी संस्करणों की संख्या 8 तक हो जाती है जो रेल गाड़ियों के समय पर निर्भर है ।

स्टेट्समैन :

ए० डाक संस्करण बी० 2 डाक संस्करण, बी० 3 डाक संस्करण, लेट सिटी 2 डाक संस्करण और लेट सिटी संस्करण ; कुल 5 ।

बसुमति :

डाक संस्करण और सिटी संस्करण ; कुल 2 ।

(ख) जी, हां ।

(ग) डाक संस्करणों में सामग्री उनके उन क्षेत्रों के पाठकों की रुचि को देखते हुये दी जाती है जिनमें वे वितरित किए जाते हैं । अतः किसी डाक संस्करण के लिये यह सामान्य बात है कि वह उपलब्ध स्थान के आधार पर उस क्षेत्र के अपने पाठकों की रुचि के समाचार दे जिसमें वह वितरित होता है और जो समाचार उनकी रुचि के न हों, उनका आकार छोटा कर दे या उनको बिल्कुल ही न दे । यह पत्रकारिता प्रथा डाक संस्करण निकालने वाले प्रायः सभी समाचार पत्रों में पाई जाती है । इससे पाठकों में भ्रम होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आमतौर से वही पाठक उसी समाचार पत्र के विभिन्न संस्करणों को नहीं पढ़ता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन से सम्बद्ध समाचार पत्रों की संख्या

1709. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने समाचार पत्र अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन से सम्बद्ध हैं ;

(ख) क्या यह सच कि इस सम्मेलन ने नये सदस्य बनाना बन्द कर दिया है तथा सदस्यता के लिए दिये गये कई प्रार्थना पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) क्या इस विषय पर अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार पत्रों की फैडरेशन ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 266, अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन से प्राप्त सूचना के अनुसार ।

(ख) जी, नहीं । इस समय 11 समाचार-पत्रों के सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के पास हैं । इन पर पहले उनकी प्रत्यय-पत्र समिति और बाद में स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाना है । इन दोनों समितियों की बैठकें सितम्बर 1970 में होने की सम्भावना है ।

(ग) तथा (घ). सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है । इसके अलावा, सरकार अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के सदस्यों के चयन से सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि यह निकाय सरकार के नियन्त्रणाधीन नहीं है ।

आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र से तूलू भाषा में प्रसारण

1710. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर की तूलू कूटा नामक संस्था से इस आशय का अभ्यावेदन मिला है कि आकाशवाणी के बंगलौर अथवा भद्रावती केन्द्रों से तूलू भाषा में प्रसारण कार्यक्रम होना चाहिये ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इन केन्द्रों से इस कार्यक्रम को प्रसारित करने से इंकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि तूलू भाषा एक प्राचीन द्रविड़ भाषा है जिसे दक्षिण कनारा जिले के 10 लाख से अधिक व्यक्ति बोलते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बंगलौर और भद्रावती केन्द्रों से किये गये प्रसारण दक्षिण कनारा क्षेत्र में जहां तूलू भाषा बोली जाती है, नहीं सुने जाते ।

(घ) तूलू के कार्यक्रमों को मंगलौर केन्द्र से प्रसारित किया जायेगा जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किया जायेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की आलोचना

1711. **श्री जार्ज फरनेन्डीज:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों द्वारा की गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना की आलोचना के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) मामले को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) बीमा डाक्टरों की प्रति व्यक्ति फीस की दर को बढ़ाये जाने की मांग है ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को 'एक व्यक्ति समिति' के रूप में तालिका प्रणाली के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये, जिसमें बीमा डाक्टरों को दी जानी वाली प्रति व्यक्ति फीस की दर भी सम्मिलित है, नियुक्त किया था । इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर निगम और राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

आकाशवाणी द्वारा धीमी गति से प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिन

1712. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से धीमी गति से प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिन किस तारीख को प्रसारित किये गये थे;

(ख) इस बुटेलिन के लिये समाचार सप्लाई करने वाली समाचार एजेन्सियों के नाम क्या हैं और इस कार्य पर सरकार को कितनी राशि व्यय करनी पड़ती है;

(ग) आकाशवाणी के धीमी गति से प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुनेटिन कितनी बार प्रसारित किये जाते हैं और उनका समय क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि आकाशवाणी को धीमी गति वाले सचाचार बुलेटिनों के बारे में जनता से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें इन प्रसारणों को बन्द करने के लिये कहा गया है ;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ।

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 18 दिसम्बर, 1969 ।

(ख) कोई भी समाचार एजेंसी विशेषकर इस बुलेटिन के लिये समाचार नहीं भेज रही है । बुलेटिन के लिये समाचारों का संकलन तथा सम्पादन समाचार सेवा प्रभाग में किया जाता

है । अतः किसी समाचार एजेंसी को भुगतान के लिये सरकार को कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता ।

(ग) 24 घंटे में उपरान्ह 2.30 बजे से 30 मिनट के लिये एक बार ।

(घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ङ) तथा (च) : इस बुलेटिन से निश्चित प्रयोजन अर्थात छोटे समाचार-पत्र संक्षेप में समाचारों को ले सकें, की पूर्ति होती है, अतः इसे बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

डाक तथा तार विभाग के सम्बंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

1713. **श्री श्रद्धाकर सूपकर : श्री देवराव पाटिल :**
श्री निहाल सिंह :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने डाक तथा तार विभाग के बारे में कुल सिफारिशें की हैं ;

(ख) आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्रियान्विति के लिये कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं । रिपोर्ट की एक प्रति, जिसमें ये सब सिफारिशें की गई हैं, संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

I. (1) जैसे कि हमने रेलवे की रिपोर्ट में सिफारिश की थी मौजूदा डाक और तार बोर्ड को रेलवे बोर्ड के अनुरूप ही पुनर्घटित किया जाना चाहिये । डाक और तार बोर्ड को प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार के मन्त्रालय की, तथा अपने वित्त के विषय में भारत सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये ।

(2) विदेश संचार सेवा और बेतार आयोजना तथा समन्वय शाखा को डाक-तार बोर्ड में मिला दिया जाना चाहिये और संचार मंत्रालय के स्थान पर नया डाक और दूरसंचार मंत्रालय बनाया जाना चाहिये ।

(3) डाक-तार बोर्ड को हस्तांतरण पर विदेश संचार सेवा और बेतार आयोजना तथा समन्वय शाखा के प्रधानों को उनके कार्य के अनुरूप ओहदा तथा दर्जा दिया जाना चाहिये ।

II. (1) डाक और तार बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित पांच कार्यभारी सदस्य होने चाहिये :—

(i) वित्त

(ii) दूरसंचार परिचालन

(iii) दूरसंचार विकास

(iv) डाक सेवायें

(v) बैंक तथा एजेंसी सेवायें

इसका अध्यक्ष समन्वय, व्यापक आयोजना, अनुसंधान, बेतार आयोजना तथा समन्वय शाखा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्तर-सेवा प्रकार के मामलों जैसे सतर्कता, कर्मचारी कल्याण तथा कर्मचारी संघों के साथ सम्बन्ध आदि के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) डाक-तार बोर्ड का अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की तरह प्रस्तावित डाक तथा दूरसंचार मंत्रालय का पदेन सचिव होना चाहिये ।

(3) सभी सदस्यों का ओहदा एक-समान रहना चाहिये । उनका कोई सचिवालय-ओहदा होने की आवश्यकता नहीं है । सभी सदस्यों और उनके अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारियों को राष्ट्रपति की ओर से प्रलेखों आदेशों आदि पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें प्रमाणित करने के अधिकार दिये जा सकते हैं ।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों के पद वरेण्य-पद समझे जाने चाहियें जिनके लिए चयन केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिये । सामान्यतः अध्यक्ष का चयन बोर्ड के सदस्यों तथा उसी ओहदे के बाहर काम कर रहे विभागीय अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये ।

(5) सदस्यों से नीचे के स्तर पर बोर्ड को उपयुक्त दर्जे तथा प्रवरता के अधिकारियों की सहायता प्राप्त होनी चाहिये ।

(6) इस बोर्ड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निदेशक मण्डल के समान तथा अध्यक्ष को इस दल के प्रधान के तौर पर कार्य करना चाहिये । विद्यमान अधिनियमों के अधीन महा निदेशक में निहित सांविधिक शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिये । अलग-अलग प्रभारों के सम्बन्ध में ये शक्तियां सम्बद्ध सदस्यों को प्रतिनिधानित की जा सकती हैं ।

(7) बोर्ड के निर्णय बहुमत के आधार पर होने चाहियें । यदि अध्यक्ष बहुमत निर्णय से असहमत हो तो वह अपने सहकर्मियों के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था दे सकता है । जहां वह ऐसा करे वह मामला मंत्री के ध्यान में लाया जाना चाहिये ।

III. (1) सभी सदस्यगण अपने प्रभार के प्रशासन के लिये पूरी तरह उत्तरदायी तथा बोर्ड द्वारा निश्चित नीति के भीतर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने की शक्ति से सम्पन्न होने चाहियें ।

(2) साधारणतः डाक-तार बोर्ड को केवल नीति विषयक मामलों से अपना सम्बन्ध रखना चाहिये जैसे शुल्क :—दरें, बजटीय तथा वित्तीय नीतियां, वेतन और भत्ते तथा अन्तर-सेवा प्रकार के मामले, जैसे कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी यूनियनों से

सम्बन्ध, सतर्कता और डाक और दूरसंचार स्कंधों के बीच समन्वय। अन्य मामलों में निर्णय करने की शक्तियां उप-बोर्डों को प्रतिनिधानित कर दी जानी चाहिये।

(3) विद्यमान डाक और दूरसंचार उप-बोर्डों को सक्रिय बनाया जाना चाहिये। उनका पुनर्घटन पैरा 19 में सुझाये गये प्रकार से किया जाना चाहिये तथा बोर्ड द्वारा प्रतिनिधानित मामलों में उन्हें अन्तिम निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। उप-बोर्डों के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे किन्तु डाक-तार बोर्ड के अध्यक्ष को असहमति की अवस्था में उनके विरुद्ध निर्णय देने की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिये। उसे इस प्रकार के मामलों को मंत्री के ध्यान में लाना चाहिये।

IV. (1) डाक-तार का बजट सामान्य बजट से अलग कर दिया जाना चाहिये।

(2) सदस्य (वित्त) और उसके अधिकारियों को डाक-तार के तन्त्र से पूर्णतः समेकित कर दिया जाना चाहिये और उसी रूप में उसे कार्य करना चाहिये। यदि सदस्य (वित्त) अपने सहकारियों से वित्तीय मामले को प्रभावित करने वाले किसी नीति विषयक प्रश्न पर असहमत हो तो वह उस मामले को डाक और तार मंत्री के पास भेजे जाने की मांग कर सकता है जो, यदि वह मामला अनन्य-रूप से डाक और तार से सम्बद्ध हो तो स्वयं अपने आप, अथवा वह सरकार की वित्तीय नीति से टकराये या उस पर प्रभाव डालता हो वित्त मंत्री की सहमति से, उसके विरुद्ध व्यवस्था दे सकेगा।

V. डाक और तार बोर्ड की स्थापना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1905 जैसे एक अधिनियम के अधीन की जानी चाहिये। डाक और तार बोर्ड की संरचना और शक्तियों के विषय में जिन परिवर्तनों की सिफारिशें हमने की हैं, वे, जब तक यह अधिनियम बने, एक कार्यकारी आदेश द्वारा लागू कर दी जानी चाहियें।

VI. डाक और तार तथा सामान्य राजस्व के बीच विद्यमान अभिसमय को, यह व्यवस्था करके कि यह एक निश्चित अवधि तक प्रचलन में रहेगा, अधिक स्थिर आधार प्रदान किया जाना चाहिये। इसके सावधिक पुनरीक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये।

VII. इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स का प्रशासकीय दायित्व डाक और तार बोर्ड में निहित रहना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों (पब्लिक सेक्टर अन्डर टेकिंग्ज) के विषय में हमारी रिपोर्ट में जिस "इन्जीनियरी कार्पोरेशन" नाम की सिफारिश की गई है, यदि वह नहीं बने तो उस अवस्था में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के विषय में औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा निर्वाहित दायित्व डाक और तार बोर्ड को हस्तांतरित कर दिये जाने चाहियें।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

खाद्यान्नों का रक्षित भंडार

1714. श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1970 के अन्त तक खाद्यान्नों के रक्षित भण्डार में कुल कितना अन्न एकत्र कर लिया जायेगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी भंडार क्षमता तैयार की गई है ; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम आपातकाल के लिए रक्षित समूचे खाद्य भंडार की व्यवस्था करता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहेब शिंदे) : (क) केन्द्र तथा राज्यों के पास जून, 1970 के अन्त में खाद्यान्नों का कुल प्रत्यक्ष स्टाक 55 लाख मीटरी टन था। इसमें से लगभग 30 लाख मीटरी टन स्टाक को बफर स्टाक माना जा सकता है।

(ख) स्टाक रखते समय बफर स्टाक और कार्यचालन स्टाक में कोई प्रत्यक्ष विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसलिये बफर स्टाक के लिए अलग से भंडारण क्षमता निर्धारित करना सम्भव नहीं है। सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर्याप्त है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के खाते में तथा कुछेक राज्य सरकारों की ओर से समस्त बफर स्टाक को सम्भालता है।

मछली पकड़ने वाले जहाजों का निर्माण

1715. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने वाले जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम क्या है और उसका निर्माण कैसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है ;

(ख) मंगलौर को मछली पकड़ने वाले जहाज सप्लाई करने की निर्धारित तिथि क्या है ;

(ग) इस बात के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि मछली पकड़ने वाले जहाज के मिलने वाले दिन आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हों ; और

(घ) मंगलौर को और कितने मछली पकड़ने वाले जहाज सप्लाई करने का कार्यक्रम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहेब शिन्दे) : (क) कृषि विभाग ने मार्च, 1968 में 40 ट्रालर प्राप्त करने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को आदेश दिये थे। महानिदेशालय ने अक्तूबर 1968 से जनवरी, 1969 तक की अवधि में जहाज बनाने वाली 2 फर्मों को आदेश दिये थे। तब से दस ट्रालर सप्लाई किये गये हैं। दस और ट्रालर सितम्बर, 1970 तक सप्लाई होने की सम्भावना है और शेष मार्च, 1971 तक सप्लाई हो जायेंगे।

(ख) मैसूर सरकार ने फरवरी, 1970 में एक ट्रालर ले लिया था। दूसरा ट्रालर संभवतः अगस्त, 1970 के अन्त से पहले ले लिया जाएगा।

(ग) मैसूर सरकार ने ट्रालरों के चलाने के लिए अपेक्षित पदों का सृजन किया है और उन पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा दिये गये अनेक आदेशों के मुकाबले में देशी जहाज बनाने वाले कारखानों में इस समय बन रहे चालीस ट्रालरों में से दो ट्रालरों के लिए मैसूर सरकार द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। इसी प्रकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत अतिरिक्त ट्रालरों की सप्लाई का इस समय कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर भी, मैसूर सरकार ने संकेत दिया है कि उनकी चौथी योजना के लक्ष्य के अनुसार प्रस्तावित मीन उद्योग निगम द्वारा मंगलौर सहित विभिन्न स्थानों से 13 ट्रालरों का परिचालन होगा।

कृषि क्षेत्र पर छिड़काव के लिए विमान

1716. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 30 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 'आफ सीजन' के दिनों में जबकि बीजों के छिड़काव की क्षमता 25 लाख एकड़ थी और उसके स्थान पर केवल 11.3 लाख एकड़ में बीजों का छिड़काव किया गया था, पेड़ों और घास के बीजों का छिड़काव करने के लिए विमानों का उपयोग क्यों नहीं किया गया ;

(ख) विमान द्वारा बीजों के छिड़काव में राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किये जाने पर केन्द्रीय सरकार ने विमान द्वारा बीजों के छिड़काव का तत्काल कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया ;

(ग) छिड़काव के कार्य की क्षमता के अनुरूप उपयोग न किये जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या उसने इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की गलती का अनुमान लगाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) वृक्षों तथा घास के बीजों के हवाई छिड़काव तथा हवाई एकक अथवा गैर सरकारी प्रचालकों से इस सम्बन्ध में की गई मांग का मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। हवाई एकक से ऐसी कोई मांग नहीं की गई।

(ख) 1952 में राजस्थान में किये गये बीजों के हवाई छिड़काव की पूर्ण असफलता और राज्यों में बीजों के हवाई छिड़काव की दिशा में और प्रयोग करने के प्रति उत्साह के अभाव के कारण केन्द्रीय सरकार का बीजों के हवाई छिड़काव का हाल में कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने योजना के अन्तर्गत स्थानीय रोग वाले क्षेत्रों में रसायनों के हवाई छिड़काव के लिये एक योजना प्रारम्भ की है। भारत सरकार 7 रुपये प्रति एकड़ (उच्चतम सीमा) तक प्रचलन लागत को वहन करेगी। इससे देश में कृषि विमानन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वायुयानों की क्षमतानुसार उनका उपयोग न किये जाने का कारण काम की अपर्याप्तता है और इसे कर्मचारियों की किसी असावधानी से नहीं जोड़ा जा सकता।

वर्ष 1969 में सरकारी क्षेत्र में हड़ताल

1717. **श्री लोबो प्रभु : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितनी हड़तालें हुई और कितने जन दिवसों की हानि हुई ;

(ख) इन जन दिवसों में से कितने दिवसों के लिये भुगतान किया गया था और कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया था ;

(ग) कितनी हड़तालों में सरकार ने हड़तालों को अनुचित और अवैध करार देने के लिए न्याय-निर्णय करवाने का निदेश दिया गया था ; और

(घ) सरकार समझौते के लिये एक समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं कर देती जिसके बाद हड़तालों के सभी मामले न्यायनिर्णय के लिए भेजे जा सकते हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) वर्ष 1969 में सरकार ने विवादों को पंच निर्णय के लिये भेजने के बाद, केन्द्रीय क्षेत्र में 4 मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत आदेश जारी किये जिनके द्वारा हड़तालों को आगे चलने से रोका गया।

(घ) हड़तालें नहीं, बल्कि औद्योगिक विवाद हर मामले के गुणों के आधार पर पंच निर्णय के लिए भेजे जाते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (6) में पहले से ही यह कहा गया है कि समझौते की कार्यवाही आरम्भ होने के 14 दिन के अन्दर पूरी हो जानी चाहिये तथा परिणाम की घोषणा उचित सरकार को मिल जानी चाहिए।

स्थल डाक द्वारा पोस्ट कार्डों का भेजा जाना

1718. **श्री लोबो प्रभु : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** 14 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल डाक द्वारा पोस्ट कार्डों को भेजने संबंधी प्रस्ताव का क्या औचित्य है जब स्थल डाक और विमान द्वारा पोस्ट कार्ड ले जाने की लागत में अन्तर को विमान के लिये भार में कमी और डाक गाड़ियों में पहले उपलब्ध स्थान के साथ सम्बद्ध किया गया है और जबकि अंतर केवल 0.63 पैसे का है ; और

(ख) क्या डाक के पखवाड़े में पोस्ट कार्डों के वजन का अलग अनुमान लगाया गया है और क्या पोस्ट कार्डों को ले जाने की नई दरों अथवा तरीकों के बारे में निर्णय करने से पूर्व ऐसा करना आवश्यक नहीं है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जैसा कि 30-4-1970 के प्रश्न संख्या 8039 के उत्तर में पहले ही बताया गया है, यह प्रस्ताव डाक-तार सर्कल अध्यक्षों के सम्मेलन द्वारा खर्च में किफायत करने की दृष्टि से की गई सिफारिशों में से एक है। यदि डाक को स्थल मार्ग और हवाई मार्ग से भेजने से प्रति कार्ड केवल 63 पैसे का भी अन्तर हो, तो भी यदि माननीय सदस्य के इससे पहले प्रश्न में दिए गए अनुसार यह मान कर चलने पर कि इस समय आधे कार्डों को हवाई जहाज से भेजा जा रहा है, उन्हें स्थल मार्ग से भेजने पर 50 लाख रुपये प्रति वर्ष बचत होगी। फिर भी अभी इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) पोस्ट कार्ड का औसत वजन और इस समय देश के भीतर हवाई जहाज से भेजे जा रहे पोस्टकार्डों के वजन के निर्धारण के लिए विशेष आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि इस समय प्रति छमाही की जाने वाली डाक वस्तुओं की गणना से काम नहीं चलेगा।

इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा।

टेलीविजन पर भ्रांतिपूर्ण फिल्में दिखाना

1719. श्री लखन लाल कपूर : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन पर अवांछनीय फिल्में दिखाई जा रही हैं ;

(ख) क्या 7 जून 1970 के बच्चों के लिए एक फिल्म कार्यक्रम में अन्दमान द्वीप समूह से एक ऐसा दृश्य दिखाया गया था जिसमें जंगलों में बड़े बन्दर दिखाये गए थे ; और

(ग) क्या सरकार ने यह फिल्म अन्दमान द्वीप समूह से प्राप्त की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। फिल्म भारत की बाल चित्र समिति से प्राप्त की गई थी।

Increase in Mobile Post Office in Delhi

1720. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to increase the number of Mobile Post Offices in the Capital ; and

(b) if so, the number of mobile post offices to be opened and the names of the areas to be covered ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh) : (a) There is no proposal at present to increase the number of mobile Post Offices in the capital.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Supply of Additional Quota of Wheat to U.P. and Bihar

1721. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at present in the markets of Uttar Pradesh and Bihar there has been tremendous rise in the prices of foodgrains ;

(b) whether Government propose to give or has given additional quota of wheat to these State Governments ; and

(c) if so, how much wheat is being given to the licensed shops through Food Corporation of India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) The Demand for wheat from U.P. and Bihar Governments is being met in full.

(c) Demands placed by the State Governments are for meeting the requirements of roller flour mills in the State as well as fair price shops. In the case of Bihar, the following quantities have been issued to fair price shops through Food Corporation of India since April, 1970.

(In '000 tonnes)

	Bihar
April, 1970	9.6
May, 1970	10.6
June, 1970	11.1
July, 1970	10.5 (Upto 25.7.70)

Besides the above issues, the State Government are also supplying wheat to fair price shops/retail shops out of the stocks held by them.

In the case of U.P. while there has been no issue to fair price shops by FCI, supplies of wheat have been made to fair price shops/retail shops from the stocks held by the State Government.

Inclusion of Dr. Ram Manohar Lohia's name in Air List of Distinguished Leaders for Broadcasting Special Programmes

1722. **Shri Hukam Chand Kuchwai :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a memorandum from the Deputy Speaker of the U.P. Legislative Assembly demanding the inclusion of the name of Dr. Ram Manohar Lohia in the list of distinguished leaders on the basis of which special programmes are broadcast from the All India Radio on their birthdays ;

(b) whether it is also a fact that this list does not contain the name of Dr. Ram Manohar Lohia ; and

(c) if so, the steps taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) A.I.R. will notice the public functions that may be held on this occasion.

Issue of Commemorative Stamp on Pandit Din Dayal Upadhyay

1723. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any plan for issuing a postage stamp to mark the memory of Pandit Din Dayal Upadhyay, ex-President of Bhartiya Jan Sangh is under the consideration of Government ;

(b) if so, the date upto which it is likely to be issued ; and

(c) if not, whether Government would ask the Post and Telegraph Advisory Committee to consider this matter or it is already under their consideration ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The proposal for issue of stamp in honour of Pandit Din Dayal Upadhyay was considered by the Philatelic Advisory Committee in its meeting held in July, 1968 but they did not recommend the proposal.

Allocation for Agriculture Projects

1724. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 46 agricultural projects are likely to be launched in various States of the country by September next ;

(b) if so, the details as also the names thereof, State-wise ; and

(c) the amount proposed to be spent thereon by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) (a) and (b). Under a scheme intended to help the potentially viable small farmers with credit and other facilities to improve their income and to bring them to a viable status it is proposed to set up 46 Small farmer's Development Agencies all over the country during the Fourh Five Year Plan period. The Projects so far approved are for (i) Purnea (Bihar) ; (ii) Darjeeling (West Bengal) ; (iii) Chindwara ; (iv) Ratlam-Ujjain (Madhya Pradesh) ; (v) Fatehpur ; (vi) Pratapgarh ; (vii) Budaun ; (viii) Rai Barieli (Uttar Pradesh) ; (ix) Patna (Bihar) ; (x) Bilaspur (Madhya Pradesh) ; (xi) Quilon (Kerala) ; (xii) Mysore (Mysore) ; and (xiii) Sabarkanta (Gujarat). The State Governments are selecting other districts and are preparing project reports for consideration of the Secretaries Committee set up by the Central Government to screen these projects. The final position could be known only after all the 46 projects are approved.

(c) Rs. 150 lakhs per project, on an average, during the Fourth Five Year Plan period.

Reprint and Distribution of Commemorative Stamp on Lenin

1725. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government released the Lenin Commemorative Stamp worth 20 paise on the occassion of Lenin Centenary ; if so, the number of the printed stamps ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid stamps were not sent to most of the Post Offices in the country ;

(c) whether it is also a fact that the stams were not supplied to the Members of Parliament according to their requirements ;

(d) if so, the reasons for not printing more stamps ; and

(e) whether Government propose to re-print them keeping in view its huge demand if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Departments of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. 3 5 million. Ordinarily only three million stamps are brought out in commemorative issues.

(b) Special postage stams are released for sale only from the Philatelic Bureaux and all Head Post Offices in the country.

(c) No complaints have been received.

(d) Stocks of Lenin stamps are still available in adequate quantities.

(e) The special commemorative stamps are not re-printed.

Agricultural Lands, Dairy, Poultry and Gardens owned by Ministers and Ex-Ministers and their Sons

1726. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Ministers amongst the former and present Ministers, their sons and wives to have agricultural land, dairy, poultry farms and gardens and the number thereof ; and

(b) whether the said farms were in their possession before they became Minister or after becoming the Minister ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Required information to the extent possible will be collected and placed on the Table of the House.

It may, however, be mentioned that it may not be possible to collect information relating to former Ministers since it relates to a period of over two decades and its collection will entail a lot of labour and time and even then it might not be possible to obtain it in respect of all the former Union Ministers.

Supply Position of Tractors and their Distribution

1727. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the supply position of Tractors as against their demand ;

(b) whether Government have taken any special steps to meet the shortage ;

(c) if so, the nature thereof ;

(d) whether Government have also received any complaints regarding faulty distribution of tractors ; and

(e) if so, the action taken to streamline it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The relative demand for tractors of the various States during 1969-70 was of the order of 1 14 lakh tractors whereas the total production of indigenous tractors during that year was only 17,099. With a view to meeting the increased demand for tractors, it has been decided to import 35,000 tractors. Besides stepping up indigenous production, import of tractors as gifts from Indian relations living abroad has also been allowed to ease the supply position. In addition to these, proposals for import of tractors under the various World Bank Projects are also under consideration.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

मनीपुर में धान का मूल्य

1728. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के राजस्व व्यापार निगम के पास इस समय धान का कुल कितना भंडार है ;

(ख) मनीपुर सरकार ने वर्ष 1969-70 में कुल कितना धान वसूल किया था ;

(ग) मनीपुर में खुले बाजार में धान की दर क्या है और मनीपुर सरकार द्वारा निर्धारित वसूल दर क्या है ; और

(घ) मनीपुर सरकार के निदेश पर चलाये जाने वाली प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानों में धान की दर क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 10,351 मीटरी टन ।

(ख) 4,274 मीटरी टन ।

(ग) मणिपुर में धान के मौजूदा बाजार भाग इस प्रकार हैं :

धान की किस्म	खुले बाजार में मौजूदा मूल्य प्रति क्विंटल
बढ़िया	46.67 से 50.00 रुपये
मध्यम	45.00 से 48.33 रुपये
मोटा	43.33 से 46.67 रुपये

मणिपुर की सरकार ने 52.50 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान अधिप्राप्त किया था ।

(घ) सरकारी स्टाक से बेची गई धान का खुदरा मूल्य 66.50 रुपये प्रति क्विंटल है ।

मनीपुर में खेती वाले क्षेत्र और मछली पालन वाले क्षेत्र का ब्यौरा

1729. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पृथक-पृथक कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की जा रही है :

(ख) उन किसानों के पास कुल कितने एकड़ भूमि हैं जिन्हें मनीपुर की घाटी में भूमिधरी के अधिकार अभी दिये जाने हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों 1967-68, 1968-69, 1969-70 में क्रमश: मनीपुर में मछली पालन और वन के लिए रक्षित क्षेत्र में से अब कुल कितना क्षेत्र मुक्त कर दिया गया है ; और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त आरक्षित क्षेत्र में से आज तक कुल कितने क्षेत्र में भूतिधरी के अधिकार दिये जा चुके हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) कृषिगत क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी भूमि उपयोगिता आंकड़ों के एक भाग के रूप में एकत्रित की जाती है और यह जानकारी कुछ समय बीतने पर ही उपलब्ध होती है । सन् 1963-64 की अवधि में (जो ऐसा अन्तिम वर्ष है, जिसके विषय में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध है) मनीपुर की घाटी तथा पहाड़ियों के विषय में कृषिगत क्षेत्र के लिए उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(हैक्टार हजारों में)

	घाटी	पहाड़ी	कुल
1. बोया गया कुल क्षेत्र	93.5	71.7	165.2
2. वर्तमान परती भूमि	0.2	—	0.2
3. कुल खेती किया गया क्षेत्र	93.7	71.7	165.4

(1+2)

(ख) से (घ). यह जानकारी मनीपुर प्रशासन से मंगाई गई है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Acreage of Land grabbed as a result of Agitation by Communist Party

17 0. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of Land grabbed throughout the country as a result of country-wide land distribution agitation launched by the Communist Party ;

(b) whether Government have tried to distribute land in most parts of the country; and

(c) if so, the Statewise details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Estimate of acreage of land grabbed throughout the country as a result of the agitation cannot be made without completing enquiries into each such case of land grabbing and collection of such information from the State Governments.

(b) Yes Sir. The State Governments are making efforts for expeditious distribution of cultivable waste lands and surplus lands.

(c) State-wise distribution of cultivable lands during the three Plan period is indicated below :

	(in lakh acres)
Andhra Pradesh	13.090
Assam	3.020
Bihar	5.064
Gujarat	3.332
Kerala	0.484
Madhya Pradesh	23.457
Madras	3.111
Maharashtra	6.407
Mysore	7.226
Orissa	1.663
Punjab	1.679
Rajasthan	28.350
Uttar Pradesh	9.442
West Bengal	1.220
Total	107.545

In addition, on imposition of ceiling 23.6 lakh acres have been declared surplus, 15.8 lakh acres out of which have been taken posession of and 11.4 lakh acres distributed so far as indicated below :

Surplus Lands distributed :

	(in thousand acres)
Assam	1
Gujarat	25
Haryana	65
Jammu and Kashmir	450
Madhya Pradesh	13
Maharasthra	123
Punjab	64
Tamil Nadu	16
Uttar Pradesh	121
West Bengal	264

राज्यों में श्रम आयुक्तों की शक्तियां तथा कृत्य

1731. **श्री एम० मेघचंद्र :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में श्रम आयुक्तों की शक्तियां तथा कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या उन्हें औद्योगिक विवादों के बारे में निर्णय देने का अधिकार भी दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका अधिकार क्षेत्र कितना है ; और

(घ) यदि उत्तर नकारात्मक है, तो इन विवादों के बारे में निर्णय कौन दे सकता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). अभीष्ट सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

मनीपुर में बिजली और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के मजदूर संघों की मान्यता

1732. **श्री एम० मेघचंद्र :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की सरकार ने मनीपुर के बिजली तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के मजदूर संघों में से किसी को भी मान्यता नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार मनीपुर बिजली कर्मचारी संघ को मान्यता देने के सम्बन्ध में मान्यता देने सम्बन्धी अनुशासन संहिता को क्रियान्वित करने में असकल रही है ;

(घ) क्या यह सत्र है कि उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित मामला अप्रैल, 1969 से विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो मान्यता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री(श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

बिहार में नए डाकघर खोलना

1733. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नए डाक घर खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में बिहार राज्य में जिलावार जिन स्थानों पर नए डाकघर खोले जाने का विचार है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उसी अवधि में उपर्युक्त राज्य में जिन उप डाक घरों का दर्जा बढ़ाये जाने की सम्भावना है, उनके नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार राज्य के जिन स्थानों पर वर्ष 1970-71 के दौरान नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है उनके जिलेवार नाम नीचे दिये गए हैं बशर्ते कि वे विभागीय मानकों को पूरा करते हों :

जिले का नाम	उन स्थानों के नाम जहां नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।
पटना	कोराय
	पतारिया
	दुभरी
	कोली
	मनवान
	दियावन
	मसावही बाजार
	साहनुआ
	शोहरोमपुर
	फरीदपुर
	पोस्टल पार्क बांकीपुर
	नेसरे पुर
	सहोरा
	मुधारी
	अमनावान
	मलपुरा
	मोहेद्दीन पुर
	जमालपुर
	भेषवा
	घोवरीहा
	रार्णपुर
	गोंग
	अजून सार्दू

1	2
	सोहिजना
	चापोस
	रैर्जुन
	सिंही
	विचाकोल
	लालबहादुर विद्यालय भखदूनपुर
	फैजलाहपुर
	वीरी
मुंगेर	ससवार
	विच्छीचचर
	कमलबीघा
	चौरा
	गोछारी
	सत्याना
	साजंला
	कल्याणपुर
	जानकीनगर
	मोरंगा
	पंचरुखी
	सतखुती
	नयागंव
	दापोपुर
	राजहा
दरभंगा	मक्रावा
	सतनिया
	शियोरदीलपुर
	लक्षमपार का करवा
	अगमोहरा
	रोतिनिया
	सौनवरसा
	बजराहा
	सिदपापरसादी
	दुमरामोहन
	नादानी

1	2
	झझरा
	कनकेंर
	पौलासराय
	सरहद
	भैरा
	लदारी
	चकसालेन
	सिसोना
	प्रतापुर
	पारूघात
	परिदाह
	बसंतपुर
	वारदीपुर
	कँवे पट्टी
हजारीबाग	सिरसा
	रोहिला
	दानदै
	ब्रहवा बाजार
गया	श्रोगार
	अमरपुर
	पकरिया
	भोरमगाघ
	वरैला
	भीमदासपुर
	बकसान्द
	बलिया
	विशुनपुर
	बाजीपुर
	बाड़ा
	बजंदा
	बैलुग्रा
	बुनुआर
	रैलियासन्तपुर
	भालवण्डी

1	2
	बिन्दान्त
	चारह
	दौरेपुर
	दुमरी
	धावा
	दिहवरी
	दिघी
	इथारी
	जिन्दापुर
	झुनायी
	खोया विशुनपुर
	खारंकर
	किशुनपुर
	करमा
	लवतारिया
	महुवामा
	मारझियामोन
	फुलवारी
	तजपुरा
	तारे
	सिंघता
	पुरैनी
	रैंश
	गोपालपुर
मुजफ्फरपुर	मझौली
	पचादै
	नवालपुर
	गुघवारा
	दिवनचौली
	दुमरी खुर्द
	गंसिखान
	रघुनाथपुर
	इमादपुर
	सथान्ता

1	2
	महासनल
	फूलवारी
	भटोना
	चकमाराह
	मुजा
	पत्राहिया
	बकरापुर
	काशी
	रामपुर
	कुम्हाराताल
	बन्धू
	कतरमाला
	बरिया
	ऊंची दीह
	निजामक्स
	उम्मेदचपरा
	हनुमानगढ़
	माधोपुर
	लत्तीपुर
	अगलोरिया बाजार
	हाजीपुर आर० एस०
	भुआरा
	भोजपट्टी
	बेरई
	हरपुर
सिंहभूम	छतकुरसी
	जबालकता
	रुपासकुंडी
	भगौन्दशी
	दिघी
	परदीह
	सखतजीनगर
	पाखा तांबा परियोजना

1	2
सन्थाल परगना	लेक्वी कैथी
	परना
	गांधी ग्राम
पूर्णिया	तेंजौर
	वासगढ़ी
	दुमरिया
	फतेहपुर
	बतनी
सहरसा	रतनपुर
	सिसोना
	क्रादी
	सहर्सा कस्बा
धनबाद	धनसानला
	पथेर दीह्
	खेदादीह
	ए०सी०सी० सिन्द्री
	कतनासरोइ
	गमारिया
सारन	चौबे परवा
	गाहितापुर
	भीखावाथ
	उसरी
	हरपुर
	पछेड़
	सरगारी
	सुरवाल
	इतहारी
	जैसवाली
	असैंयोम
	वांकरीयार
	बुरवा
शाहाबाद	घोकोराही टोला
	सोकारा
	जवाहिदियार

1	2
	बढ़ई कलां
	बोंधाखोली
	रतनाड़
	लोधस
	शंकराय
	रामनगर
रांची	पुसन
	टीकरलोली
	कमहरिया
	टोली
	खटोरी
चम्पारन	गनोंली
	जागृति
	पट्टीमठ माधव
	घोडी बाजार
	शीर्षवनिया
	सलही विशनधर
	मिस्त्रा टोला
	चांदवाड़ी
	पुलवारिया
	बालूवा
	घनौन
	इब्राहीमपुर
	हार्दी
	नटवा
	पुरन्दरपुर
	भादमुरली
	दशरथ
	कथमालिया
	शेरपुर
	जमुनापुर
	महावत
	छपरा

1	2
पालामऊ	कोई नहीं
भागलपुर	सगुनी
	अभ्युदय आश्रम
	लोकमानपुर
	नारायणपुर
	हलकाराचक
	चंदनदार
	लागमा
	मुरली
	गोसाई गांव
	बैद्यपुर

(ग) गया जिले के नवादा उप डाकघर मुजफ्फरपुर, के सीतामढ़ी उप-डाकघर तथा पूर्णिया जिले के कटिहार उप-डाकघर का 1970-71 के दौरान दर्जा बढ़ाकर उन्हें प्रधान डाकघर बनाने का प्रस्ताव है।

बिहार में 'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के अंतर्गत टेलीफोन कनकशनों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1734. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के अन्तर्गत इस समय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ख) ये आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन हैं और उन आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की आशा है और इस कार्य को शीघ्र करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 51

(ख) सबसे पुराना आवेदन 1968 से लम्बित पड़ा है। 29 कनेक्शन देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा एक्सचेंज के पूरी क्षमता पर काम करने के कारण शेष 22 आवेदकों को, जो झरिया में हैं, वहां 1971-72 में नया एक्सचेंज चालू होने पर कनेक्शन दिये जाने की संभावना है।

Financial Assistance to Madhya Pradesh Government for Providing Foodgrains for Scarcity Areas

1735. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh Government have assured the Central Government about procuring some quantity of foodgrains for providing relief to scarcity areas ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for more financial assistance for this ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Communications (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir, nor was such an assurance sought.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Creation of more Postal Divisions in Madhya Pradesh

1736. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of creating more postal divisions in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Yes, the Government have under their consideration proposals for creation of three new postal Divisions with headquarters of Saugor, Khandwa and Durg.

(c) Does not arise.

Irregularities Regarding Employees Provident Fund in Textile Mills in Madhya Pradesh

1737. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some textile mills of Madhya Pradesh have committed irregularities in regard to the Employees Provident Fund and some employers have been found guilty ; and

(b) if so, the decision taken by Government for taking deterrant action, including imprisonment, aganist the employers found guilty ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The provident fund authorities have reported that the employers of some textile mills have committed irregularities in the payment of Provident Fund dues and have been found guilty in a number of such cases.

(b) Legal action by way of prosecution and recovery proceedings under the Employees' Provident Fund Act, 1952 is taken by provident fund authorities against defaulting employers. Action under section 406/409 is also initiated in some cases. Section 14 of the Employees' Provident Funds Act provides for punishment with imprisonment upto 6 months and/or fine extending to Rs 1000/- in cases of defaults. The question of making the penal provision in the Act more stringent is under consideration of Government.

Breakdown of Telephone, Telegrams Lines of Gangapur, (Bharatpur) Rajasthan

1738. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of telegrams and complaints sent by Telephone Inspector, Gangapur (Bharatpur-Rajasthan) regarding various lines having gone out of order during the period November, 1969 to May, 1970 ;

(b) the action taken by the higher authorities on such complaints and telegrams ;

(c) whether it is a fact that the higher authorities did not pay any attention towards h ose complaints and telegrams ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 13 telegrams were sent by Telephone Inspector Gangapur about various lines having gone out of order during the period from November, 1969 to May, 1970.

(b) Higher authorities kept a close watch on early removal of faults in each case and took steps to divert overhead circuit through underground cable to decrease the number of interruptions.

(c) No.

(d) Does not arise.

Laying of New Telephone Lines between Gangapur and Dausa

1739. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to lay new telephone lines between Gangapur and Dausa *via* Lalsot because of the constant breakdown of Gangapur-Agra and Gangapur-Jaipur lines and the frequent thefts of the wire between Bayana and Agra ;

(b) if so, the time by which the aforesaid work would be started ; and

(c) if not, the reasons thererof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). A project for erection of a pair of Aluminium conductor wire between Gangapur and Dausa *via* Lalsot is under examination. The same will be sanctioned if found justified after receipt of certain clarification called for from the Postmaster General, Jaipur.

(c) Does not arise.

Forced Labour taken by Forest Department of West Bengal in Return for Agriculture Land

1740. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Forest Department in West Bengal takes forced labour for 90 days from farmers in the tribal areas for giving them agricultural land ;

(b) if so, whether Government have any proposal to change the procedure ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to frame rule to take away the subject of agricultural land from the forest department ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

कोचीन पत्तन पर हड़ताल

1741. **श्री क० लकप्पा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जुलाई, 1970 को कोचीन पत्तन पर 250 पर्यवेक्षक कर्मचारियों ने जिनमें फोरमैन, रिगर और स्टेवडो द्वारा काम पर लगाये गये चार्जमैन भी सम्मिलित थे, अकस्मात हड़ताल कर दी थी और जो एक सप्ताह से भी अधिक समय तक चली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई प्रयास किये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी०संजीवैया) : (क) से (ग). कोचीन बन्दरगाह में 6 जुलाई, 1970 की रात्रि पाली से जो हड़ताल आरम्भ हुई थी उसे सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अर्नाकुलम की मध्यस्थता से, जिन्होंने समझौता कार्यवाही आरम्भ कराई थी तथा 9 जुलाई, 1970 को एक समझौता कर दिया था, 9 जुलाई, 1970 की रात्रि पाली से समाप्त कर दिया गया ।

अखबारी कागज के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराये गये समाचार पत्र

1742. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य से प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचार पत्रों के नाम क्या हैं, जिन पर वर्ष 1968 से 197 तक अखबारी कागज के दुरुपयोग या उसे चोर बाजार में बेचने के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) इन आरोपों की जांच सरकार के किन विभागों द्वारा की गई है ; और

(घ) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

समाचार पत्र का नाम (क)	समाचार पत्र के विरुद्ध आरोप (ख)	किसके द्वारा जांच की गई (ग)	क्या कारंवाई की गई (घ)
तमिलनाडु			
(1) 'रि-रानी', तेलुगु मासिक, मद्रास (अब बन्द हो गया है)	प्रकाशन बन्द होने के बाद वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के अधीन आयात किये गये अखबारी कागज का दुरुपयोग ।	आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के एन्फोर्समेंट डिवीजन द्वारा ।	*आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा अप्रैल-मार्च, 1970 और अप्रैल-मार्च, 1971 की लाइसेंस अवधि के लिए रोक लगाई गई ।
(2) "दिनार्कादिर", तमिल दैनिक, कुड्डालोरे (अब मद्रास से प्रकाशित होता हैं ।)	आयातित अखबारी कागज की बिक्री और चोर बाजारी ।	—तथैव—	*आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा अप्रैल-मार्च, 1971 की अवधि के लिए रोक लगाई गई ।
पश्चिमी बंगाल			
(1) "न्यूज एण्ड व्यूज", अंग्रेजी साप्ताहिक, कलकत्ता ।	वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के अधीन आयातित अखबारी कागज का दुरुपयोग ।	तथैव—	*आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा अप्रैल-मार्च 1971 और अप्रैल-मार्च, 1972 के लिए रोक लगाई गई ।

*समाचार पत्रों को एस०टी०सी०/एम०एम०टी०सी० या ऐसी ही किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से आयातित वस्तुओं के आवंटन, आयात लाइसेंसों और सीमा शुल्क निकासी परमिटों के प्राप्त करने पर रोक लगाई गई ।

भारत में काम कर रहे अमरीकी विशेषज्ञ

1 43. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सरकार के अनुरोध पर इस समय भारत में 125 अमरीकी कृषि विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन से ;

(ग) भारत में काम कर रहे प्रत्येक अमरीकी विशेषज्ञ का नाम सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन्हें क्या विशिष्ट कार्य सौंपे गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारत सरकार की प्रार्थना पर यू० एस० एड कार्यक्रम के अधीन भारत में कार्य करने वाले अमरीकी कृषि विशेषज्ञों की संख्या 96 है ।

(ख) उनके विशिष्ट क्षेत्रों के मामले में सलाह देना ।

(ग) विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1) ।

(घ) जिन विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजना क्षेत्रों से विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है (अनुबन्ध 1) । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—3877/70]

काजू की खेती के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

1744. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के काजू विकास निगम ने राज्य में काजू की खेती के विस्तार और विकास की एक योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है और उससे उक्त योजना के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काजू की उपज में आत्म-निर्भरता से उसके आयात में कमी हो जायेगी, क्या सरकार इस योजना को प्राथमिकता देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) केरल के काजू विकास निगम से अब तक कोई ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

मैसूर के कारखानों में प्रदर्शनार्थ उर्वरक की मुफ्त सप्लाई

1745. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने किसानो को प्रदर्शनार्थ मुफ्त उर्वरक बांट रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ तो वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में मैसूर राज्य में किन-किन किसानों को उर्वरक मुफ्त दिये गये हैं ;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने मूल्य का उर्वरक मुफ्त बांटा गया ; और

(घ) किन-किन उपक्रमों ने उर्वरक मुफ्त बांटा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). उस क्षेत्र के सरकारी कारखानों से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ;

चीन तथा पाकिस्तान के प्रसारण स्टेशन का भारत के स्टेशनों से अधिक शक्तिशाली होना

1746. **श्री अब्दुल गनी डार : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन तथा पाकिस्तान ने भारत से बहुत अधिक शक्तिशाली प्रसारण-स्टेशनों की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) तथा (ख). प्रकाशित डाटा के अनुसार पाकिस्तान के बारे में यह सही नहीं है । चीनी स्टेशन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

टेलीविजन के निर्धारित समय के बाद भी टेलीविजन पर प्रधान मन्त्री का भाषण

1747. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जून को चांदनी चौक में हुई कांग्रेस की सभा में प्रधान मंत्री ने जो भाषण दिया था, उसका चित्र टेलीविजन पर कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात भी दिखाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस दल के पक्ष में टेलीविजन व्यवस्था का दुरुपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया भाषण सामाचारिक तथा सामयिक महत्व का था । स्वाभाविक ही दर्शकों की नगर की इस प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाओं में रुचि होती है ।

पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्तियां

1748. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर हक/अधिकार की धारिता समाप्त हो गई है क्योंकि उन प्रवासियों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ और पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने इस सम्पत्ति को शत्रु की सम्पत्ति के रूप में माना है और उसको बेच दिया है ;

(ख) क्या सरकार एफीडेविट तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों की सहायता से इन संपत्तियों के आंकड़े एकत्र तथा तैयार करना चाहेगी ;

(ग) क्या सरकार ने इन सम्पत्तियों को शत्रु की सम्पत्ति मानने पर पाकिस्तान से विरोध किया है, और भविष्य में इन सम्पत्तियों को पारस्परिक विनिमय के लिए न्यास अथवा मुआवजे के रूप में मानने को कहा है ; और

(घ) क्या सरकार प्रवासियों के हितों की सुरक्षा और उनके लिए मुआवजे की मंजूरी के लिए कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अप्रैल 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति उस देश में छोड़ी गई सम्पत्तियों पर अपना स्वामित्व अधिकार रखते हैं। तथापि, यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार समझौते की क्रियान्विति नहीं कर रही है और उसने प्रवासियों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का निपटान करना अत्यन्त कठिन कर दिया है । इसलिये, भारत सरकार ने समझौते को क्रियान्वित करने और उसका आदर करने का मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ।

(ख) प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों की सामग्री उनके हलफनामों इत्यादि की सहायता से एकत्रित या सत्यापित करना न तो संभव है और न ही व्यवहार्य ।

(ग) प्रवासियों की सम्पत्तियों को शत्रु—सम्पत्ति मानने पर, भारत ने पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा है ।

(घ) भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ यह मामला उठाया है कि वह समझौते को क्रियान्वित करे और उसका आदर करे और वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे जिनसे कि अल्पसंख्यक उस देश में शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। चूंकि प्रवासी अपनी सम्पत्तियों के स्वामित्व अधिकार रखते हैं इसलिए उन्हें मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आई० यू० सी० एन० एन० आर०) का सम्मेलन

1749. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का जो सम्मेलन 24 नवम्बर, 1969 से प्रारम्भ हुआ था क्या उसमें भारत ने उसके सदस्य के रूप में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सदस्यता का शुल्क क्या है और कितने वर्ष की सदस्यता के लिये शुल्क दे दिया गया था ;

(ग) उक्त सम्मेलन में जो निर्णय किये गये और संकल्प पारित किये गये, क्या वे भारत पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सम्मेलनों के निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य सर्वप्रथम 1969-70 में बना और उसने इस वर्ष का अपना 30,379 रु० का सदस्यता शुल्क (जिसमें भारतीय वन्य प्राणी मण्डल का सदस्यता शुल्क भी शामिल है) भी अदा कर दिया है ।

(ग) और (घ). जी नहीं । फिर भी ऐसे प्रस्ताव देश में प्रकृति संरक्षण के लिए लाभदायिक हैं जिन पर वन्य प्राणी मण्डल तथा सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार होने के पश्चात् उन पर समुचित कार्यवाही की जाती है ।

प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शिक्षा आयोग

1750. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आई० यू० सी० एन० एन० आर०) की दिल्ली में 24 नवम्बर, 1969 से हुई बैठक से पूर्व ही उक्त संगठन का शिक्षा आयोग भारत के विभिन्न संस्थानों के साथ विचार विमर्श कर चुका था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के पश्चात क्या सिफारिशें की गई और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां । 'भारत में प्राकृतिक वातावरण सम्बन्धी संरक्षण शिक्षा समस्याओं' पर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन परिरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ की कार्यकारी बैठक नवम्बर 21 तथा 22, 1969 को वन अनुसंधान संस्था एवं महाविद्यालय, देहरादून में हुई थी ।

(ख) नई दिल्ली में 24 नवम्बर, 1969 से हुई प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन परिरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ की सामान्य निकाय की बैठक द्वारा शिक्षा आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया और यह निकाय :

राष्ट्रीय शिक्षा प्रधिकारियों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य ऐसे निकायों, से जोकि सब राज्यों में पाठ्य-क्रमों के संशोधन में लगे हुए हैं, संरक्षण शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखने के लिए अनुरोध करता है तथा जीव-विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल, सामाजिक

विज्ञान तथा अन्य संबन्धित क्षेत्रों के पाठ्य-क्रमों में इन विषयों की धारणाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये ; और

आगे सिफारिश की गई है कि क्रिया-कलापों की देखरेख तथा राज्यों में अनुवर्ती कार्यवाही के लिए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन परिरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ की परिरक्षण शिक्षा की भारतीय समिति स्थापित की जानी चाहिये :

चार्ट, फिल्म-स्ट्रिप्स तथा फिल्मों जैसे पाठ्य-क्रमों तथा दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री पर आधारित उचित मूलपाठ पुस्तकों, अध्यापकों की संदर्शिका तथा पूरक सामग्री सहित अध्यापन सामग्री तैयार करना ;

प्रकृति अध्ययनों से सम्बन्धित ढंगों के अनुसरण के लिये कक्षा में अध्यापन सम्मिलित करना, जिसे कि विद्यार्थियों में प्रकृति के योगदान की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सके ।

संरक्षण तथा प्राकृतिक वातावरण की धारणाओं के लघु पाठ्य-क्रमों के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण देना ताकि वह सम्बन्धित क्षेत्रों में नेताओं को तैयार करने तथा अध्यापकों के और दलों को प्रशिक्षण देने के लिए मूल व्यक्तियों के रूप में कार्य करें ।

संरक्षण शिक्षा में, सेवा के दौरान अध्यापकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उचित प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करना ;

प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने वाले उत्तरदायी अध्यापकों को वर्कशाप, गोष्ठियां तथा अन्य प्रशिक्षण क्रिया-कलापों को संगठित करना चाहिए ।

युवक प्रकृतिवादी समितियों जैसी संस्थाओं के माध्यम द्वारा स्कूल से बाहर के क्रिया-कलापों को संगठित करना, जिन्हें प्रकृति तथा प्रकृति संरक्षण के अध्ययन के लिए भ्रमण तथा ग्रीष्म कैम्पों को शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

संरक्षण-शिक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के मार्ग-दर्शन के लिए कार्य-वाही समिति जैसे कार्यकारी दल को स्थापित करना ; प्रकृति संरक्षण क्रिया-कलापों में लगे हुए विश्व-विद्यालय के अध्यापकों, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा राज्य के शिक्षा विभागों एवं ऐच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना ;

उन प्रकृति संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमों के लिए जिनको कि ऐसी कार्यवाही करने से शक्ति प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का विस्तार होता है, अन्तः सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त सहायता का पूरा उपयोग करना ; तथा सम्मेलन यह भी सकल्प करता है कि ;

> प्रकृति परिरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन, विशेषकर अपने शिक्षा आयोग तथा प्राकृतिक वातावरण अध्ययनों तथा संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय युवक संघ के सह-योग से युवकों के लिये स्कूल से बाहर प्रकृति संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमों की सक्रिय उन्नति का विचार करती है ;

2. प्रकृति परिरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन को अपने सदस्य राज्यों, संस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को, जिनसे कि इसका संबन्ध है, प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिये ;

(क) निर्णय प्रक्रिया में युवकों के योगदान तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना ;

(ख) अपनी परियोजनायें संगठित करने तथा कार्य कैम्पों, अध्ययन कैम्पों, पाठ्यक्रमों, तथा सम्मेलनों जैसे कार्यकारी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तौर से युवकों को सहायता देना ;

(ग) सामुदायिक विकास प्रक्रिया में पारिस्थितिक उपागम के समाकलन की सहायता के लिये विकासशील देशों में युवक परिरक्षण कार्यक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।

ये सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय पार्कों और वन्य पशु संरक्षण क्षेत्र से सम्बंधित समिति का प्रतिवेदन

1751. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्य पशु बोर्ड ने भारत के राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्य पशु संरक्षण क्षेत्रों के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देशक पद क्या है ;

(ग) क्या उक्त समिति देश के सभी भागों का दौरा कर चुकी है और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय निम्न हैं :—

(क) **साधारण** : राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए (1) राष्ट्रीय पार्कों और आश्रय-स्थलों की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शिक्षात्मक और पर्यटक महत्व को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने और विद्यमान राष्ट्रीय पार्कों और आश्रय-स्थलों के प्रशासनिक सुधार के बारे में सुझाव देना और नये स्थापित करने के लिए मार्ग-दर्शन करना और (2) देश में वन्य-प्राणि रक्षण के लिए एक नीति का सुझाव देना।

(ख) **विशेष** : (1) राज्यों की सलाह से नये आश्रय-स्थलों और पार्कों को स्थापित करने पर विचार :—

(क) कश्मीरी बारासिंगा, गुरेल, मस्क हिरण और अन्य उच्च स्तरीय नसलों के प्रजनन के लिए हिमालय के उच्च शिखरों पर पार्क बनाना।

(ख) तुंगभद्रा मुख्य सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में उचित राष्ट्रीय पार्क बनाना।

(2) आश्रय-स्थलों और पार्कों में पालतू पशुओं के चरने की समस्या का अध्ययन और इस पर काबू पाने के लिए ठोस उपायों का सुझाव।

(3) उन नसलों को बताना जिनके बारे में इकोलौजीकल सर्वेक्षण और गणना करना आवश्यक है।

(4) वन्य प्राणि नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य और केन्द्र, में वन्य प्राणि प्रभाग स्थापित करने के लिए योजनायें तैयार करना।

(5) देश में केन्द्र और राज्य स्तर पर वन्य प्राणियों के लिए उचित अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के मामले पर विचार करना।

(6) केरल राज्य में पेरियार वन्य प्राणि आश्रय-स्थल में रहाईनोकेरोस और हिप्पोपाटामुस को आरम्भ करने के लिए आलोचनात्मक अध्ययन करना।

(7) मौजूदा पार्कों तथा जन्तु आश्रय स्थलों से समुचित व्यापारिक संचालन लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्यटकों के वैज्ञानिक एवं उदारचरित उद्देश्यों को किसी प्रकार विकृत किये बिना ही अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाले उपायों की जांच।

(8) भारत के अन्य भागों में शेर रखने की सम्भावनाओं का अध्ययन।

(ग) विशेषज्ञ समिति ने अध्ययन दौरों के लिए देश को चार क्षेत्रों में बांटा। समिति ने चारों क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है।

आशा है कि विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट अगस्त 1970 के अन्त तक पूरी कर लेगी ताकि इस पर वन्य प्राणियों के लिए भारतीय बोर्ड की अक्तूबर 1970 में होने वाली प्रस्तावित अगली बैठक में विचार किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

गुरु नानक साहिब के जीवन तथा उपदेशों पर 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम

1752. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत और नाटक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया गुरु नानक साहिब की जीवनी और उपदेशों पर आधारित 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम पूरे पंजाब में सफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कार्यवाही की जा रही है जिससे देश के अन्य सन्तो की जीवनियां भी इसी भांति प्रदर्शित की जा सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । यद्यपि कार्यक्रम केवल अमृतसर में ही आयोजित किया गया था, परन्तु इसमें पंजाब के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में उत्सुक लोग आये ।

(ख) विभिन्न प्रस्ताव, यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि वे सन्तों के कार्यों पर ही आधारित हों, विचाराधीन हैं ।

चौथी योजना काल में बारानी खेती

1753. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री हेमराज :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में एकीकृत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बारानी खेती पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस योजना में चौथी योजना के दौरान 24 मार्गदर्शी परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है । ये परियोजनायें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 24 मुख्य तथा उप-अनुसंधान केन्द्रों के आस-पास स्थापित की जायेंगी । शुरूआत के तौर पर 1970-71 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 9 परियोजनायें प्रारम्भ की जायेगी । ये मार्गदर्शी परियोजनायें प्रदर्शन-एवं प्रशिक्षण मार्गदर्शी परियजोनायें हैं ।

1970-71 के दौरान प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र 2,000 एकड़ होगा जोकि 1973-74 में बढ़कर 8,000 एकड़ हो जायेगा । क्षेत्र का विस्तार प्रारम्भिक चरण की सफलता पर निर्भर करेगा ।

इन व्यवहारिक कार्यक्रमों में भूमि की चकबन्दी, भूमि संरक्षण, भूमि विकास, खेती और मृदा प्रबन्ध में सुधार, जल में फसल काटने की पद्धतियां, पौध पोषकों सहित जैब पदार्थों को बढ़ाना, नई किस्मों बहु-फसल का प्रस्तुतिकरण, घास और चारा फसलों आदि के विकास सहित पशुपालन कार्यक्रमों का शुरू करना शामिल है।

विभिन्न कार्यों और आक्षनों के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है ।

चौथी योजना के दौरान इस योजना की क्रियान्विति के लिये 20.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । 1970-71 के लिए बजट में 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

कृषिजंय वस्तुओं के व्यापार का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

1754. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य कृषिजन्य वस्तुओं के व्यापार को अपने हाथ में लेने के संबंध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कृषि-व्यापार से संबंधित अनेक संस्थाओं ने इस निर्णय का विरोध किया है, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) तथा (ख). जी हां। खाद्यान्नों में राज्य व्यापार कई वर्षों से चला आ रहा है। सरकार ने रूई आयात को हाथ में लेने और शुरू में विशिष्ट कार्यों के लिए देशी रुई के लिए भारतीय रुई निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है। इस निगम के कार्य क्षेत्र में निम्न बातें भी शामिल होंगी मूल्यसाहाय्य के जरिये रुई की खरीद. अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की नई किस्मों की खेती करने वालों के लिए मण्डी तलाश करना और सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत मिलों के लिए रुई की खरीद में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सहायता प्रदान करना।

(ग) रुई व्यापार से सम्बन्धित कई संगठनों/संघों ने इस निर्णय का विरोध किया है। इनमें से कुछ ये हैं : ईस्ट इन्डिया काटन एशोसियेशन, बम्बई गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, अहमदाबाद, इन्डियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता, नागपुर चैम्बर आफ कामर्स, नागपुर, भारत चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता, कोआम्बेटूर काटन ग्रोअर एण्ड गिनर्स एशोसियेशन, मिल गिन स्टोर मर्चेन्टस एसोशियेशन, बम्बई और कुछ अन्य मरचैन्ट एसोशियेशन।

(घ) सब सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही रुई निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है अतः इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रश्न ही नहीं होता।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खट्टे अंगूरों से तैयार किया गया मीठा रस

1755. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने खट्टे अंगूरों से मीठा रस तैयार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना पर हाल ही में नई दिल्ली में हुई एक विचार गोष्ठी में इस दृष्टि से विचार किया गया था कि अंगूरों को कैसे बेचा जाये और उनसे अन्य माल कैसे तैयार किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आविष्कृत अंगूर से माल तैयार करने वाले तरीके का अपनाने और अंगूर की खेती वाले क्षेत्र में उसे लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अंगूर का रस तैयार करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त किस्मों का पता लगाने के लिये कार्य जारी है।

(ख) जी हां। इस समस्या पर मई, 1970 में हुई विचार गोष्ठी में विचार किया गया था।

(ग) विचार गोष्ठी ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय एक पूर्ण परियोजना रिपोर्ट तैयार करे ताकि विनिर्माता अंगूर का रस तैयार कर सकें। यह भी सिफारिश की गई कि अंगूर का रस तैयार करने के कार्य को गतिमान किया जाना चाहिये।

जलाभाव के कारण संरक्षित गिरि वन्य के वंय पशुओं का विनाश

1756. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 में कड़ी गर्मी और जलाभाव के कारण जुनागढ़ के संरक्षित गिरि वन में वन्य पशुओं की भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितनी हानि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्यों को आयातित उर्वरक का वितरण

1757. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आयातित उर्वरक स्टाकों का राज्यों के विभिन्न केन्द्रों में वितरण करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के प्रति केन्द्रीय सरकार की नीति में परिवर्तन होने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भूत काल में राज्य सरकारों को होने वाली आयातित उर्वरकों की अधिकांश सप्लाई राज्य सरकारों की इच्छानुसार बन्दरगाहों से सीधी गन्तव्य स्थानों को होती रही है परन्तु हाल में ही आयातित और देशीय उर्वरकों के सुगमता से उपलब्ध होने और राज्यों से प्रेषण सम्बन्धी अनुदेश देरी से प्राप्त होने के कारण यह आवश्यक समझा गया है कि इन्हें विभिन्न राज्यों में स्थित बफर स्टोरेज गोदामों में रखा जाये ताकि बन्दरगाहों पर उनका बहुत अधिक स्टाक इकट्ठा होने के कारण भीड़ न होने पाये। इस से उर्वरक खपत-केन्द्रों के निकट आसानी से उपलब्ध भी हो सकेंगे और वितरण के कार्य में सुविधा होगी।

Arrest of a Gang by Officials of Wild Life Preservation Department at Kanpur Airport for Unauthorised Export

1758. **Shri Nihal Singh :** ill the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of Wild Life Preservation Department have apprehended a gang at Kanpur airport which was trying to export 25 thousand birds stealthily to foreign countries ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ; and

(c) the names of the country to which the said birds were being exported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). Information is being collected from the U. P. Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

खाद्यान्न उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य

1759. **डा० रानेन सेन : क्या खाद्य तथा** कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के खाद्यान्न व्यापार में बहुत अधिक प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य निश्चित करने की स्थिति में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की मौजूदा मात्रा 1 करोड़ मीटरी टन के आसपास है जोकि समस्त खाद्यान्न व्यापार का 25 से 30 प्रतिशत है ।

(ख) सरकार का उत्पादक को प्रोत्साहन बोनस देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मूल्य अधिप्राप्ति मूल्यों से नीचे न गिरने पाये। ऐसा मूल्य साहाय्य खरीदारी के माध्यम से किया जा रहा है । विशेषतया कमी वाले क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उपभोक्ता को सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई कर उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा की जा रही है ।

Refugees Coming to India after Indo-Pak War

1761. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of refugees who have come to India so far from Pakistan after the last Indo-Pak war ;

(b) the number of such persons coming to India everyday at present ; and

(c) the details of the scheme formulated by Government to solve this problem and to rehabilitate those refugees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Between September, 1965, and 27th July, 1970, 2,21,336 persons have entered India from Pakistan.

(b) At present, about 1,200 persons are coming into India daily from East Pakistan

(c) Such of the displaced persons as are sponsored for admission in relief camps by the State Governments are provided government regulated relief and efforts are being made to find permanent resettlement for them.

घोघे का उपयोग तथा उसका निर्यात

1762. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घोघे का उपयोग उर्वरक तथा मुर्गी आहार के लिए किया जा सकता है तथा बेलजियम, कांगों, फिलिपीन और जापान में इसके निर्यात के लिये अच्छी मण्डियां हैं ; और

(ख) यदि हां, तो घोघे का नाश करने के बजाए उसका सही उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) घोंघों का उर्वरक तथा कुक्कुट खाद्य के लिए उपयोग किया जा सकता है । किन्तु वे सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं । और कुक्कुट खाद्य के लिए वाणिज्यिक स्तर पर इनका उपयोग नहीं किया गया है । उल्लिखित देशों से इस सम्बन्ध में कोई व्यापारिक पूछ-ताछ नहीं की गई है ।

(ख) अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता

1763. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एक समाचार की ओर आकर्षित कराया गया। जिसमें कहा गया है कि कुछ विशेषज्ञ सरकार के इस मत से सहमत नहीं है कि हम खाद्यान्न में शीघ्र ही आत्म निर्भर होने वाले हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरित-क्रांति वस्तुतः गेहूं क्रांति है, और इसीलिए आत्म-निर्भरता सम्बन्धी हमारी कल्पना एक धोखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). यह सत्य है कि हाल ही के वर्षों में गेहूं के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है, लेकिन खाद्यान्नों की सारी मांग को दृष्टि में रखते हुए अन्य अनाजों के कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । विभिन्न प्रकार की अड़चनों को दूर करने तथा चावल एवं अन्य अनाजों के उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढ़े जा रहे हैं ।

दुग्ध चूर्ण का आयात तथा इण्डियन डेरी कारपोरेशन द्वारा उसका वितरण

1764. **श्री देवकी नंदन पटौदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंडियन कारपोरेशन द्वारादुग्ध-चूर्ण आयात को नियमित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या बच्चों के खाद्य निर्माताओं को दुग्ध-चूर्ण के वितरण करने का तथा मूल्य निश्चित करने का कार्य भी उक्त कारपोरेशन को सौंपा गया है ;

(ग) यदि हा, तो इस विषय में अन्तर्निहित कार्यों का ब्यौरा क्या ; और

(घ) जब आयात कार्य निगम को सौंप दिया जायेगा, तो गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा अलग-अलग कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस विषय में किये गये मुख्य निर्णयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि भारत की सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण की मौजूदा मांग (जिसकी व्यवस्था अब भारतीय डेरी निगम करेगा) निम्न प्रकार है :

(i)	गैर-सरकारी क्षेत्र की डेरियां, मिठाई बनाने वाले और बच्चों के लिए दुग्ध आहार आदि बनाने वाले	7,000 मीटरी टन
(ii)	सरकारी क्षेत्र और रक्षा सम्बन्धी डेरियां।	13,000 मीटरी टन

विवरण

(क) सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण का समस्त आयात चाहे वह व्यापारिक आधार पर या विदेशों से उपहार के रूप में हो, एक ऐजेन्सी, अर्थात् भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा (गुजरात) के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो कि कृषि विभाग द्वारा स्थापित किया गया केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है।

(ख) व्यापारिक या विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के आयातित भण्डारों तथा देश में अधिप्राप्त सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का भी वितरण भारतीय डेरी निगम के माध्यम से किया जायेगा।

(ग) व्यापारिक या विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त किये गये सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण के समस्त आयात को, जो कि भारत में उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए है, एकत्र कर लिया जायेगा और औसत मूल्य पर विक्रय किया जायेगा।

(घ) कृषि विभाग द्वारा विशेष एजेन्सियों के आवंटन के अनुसार, सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण के संचित भण्डार का वितरण भारतीय डेरी निगम के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ता एजेन्सियों को किया जायेगा ।

(ङ) उपभोक्ताओं को मुफ्त बांटा जाने वाला सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण का विदेशी उपहार 'पूल' के क्षेत्र से बाहर होगा। विदेशी उपहार के लिए कोटा तथा इन विदेशी उपहारों से विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को कोटे की स्वीकृति, विदेशी उपहारों से सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय में सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार इन विदेशी उपहारों का वितरण आयात करने वाली एजेन्सी, अर्थात् भारतीय डेरी निगम द्वारा किया जायेगा।

2. आयात व्यापार नियंत्रण नीति, 1970-71 (रेड बुक भाग 2) के खण्ड 1 के भाग बी के पैरा 41 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए, यह भी निर्णय किया गया है कि पंजीकृत आयात-कर्ताओं के सम्बन्ध में, सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण की सप्लाई, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उचित आकस्मिक व्ययों को मिलाकर उपलब्ध होगी। ये सप्लाई पूल की व्यवस्था से बाहर होगी।

3. उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, विदेश व्यापार मंत्रालय ने 1970-71 वर्ष के लिए अपनी आयात व्यापार नीति की घोषणा करते हुए, दुग्ध-चूर्ण को ऐसी मद के रूप में शामिल किया गया है जिसका आयात केवल भारतीय डेरी निगम लिमिटेड द्वारा ही किया जायेगा और निर्मुक्ति आदेश लाइसेन्स देने वाले अधिकारीगण जारी करेंगे। यह भी आगे घोषणा की गई है कि "दुग्ध-चूर्ण और बड़े पैकेटों में आयातित दुग्ध-खाद्य" के लिए आयात लाइसेन्स मानक आयातकर्ताओं को नहीं दिये जायेंगे और सार्वजनिक दूध सप्लाई योजनाओं और बाल आहार और तरल दुग्ध खाद्य के निर्माण के लिए वास्तविक प्रयोग कर्ताओं की दुग्ध-चूर्ण की आवश्यकतायें सार्वजनिक एजेन्सी अर्थात् भारतीय डेरी निगम लिमिटेड द्वारा किये गये आयात से पूरी की जायेंगी।

4. भारतीय डेरी निगम, देशीय सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण की बातचीत द्वारा तय किये गये दरों पर न्यायसंगत खरीद करेगी, जो देशीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मूल्य के रूप में वर्तमान लाभस्तर सुनिश्चित करायेगी। यह उच्च दर पर देशीय खरीद को, जो वर्तमान में 2,000 मीटरी टन प्रति वर्ष से नहीं बढ़ेगी, कम मूल्यों पर वार्षिक अनुमानित लगभग 20,000 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण के आयात में पूल किया जायेगा, ताकि देशीय और आयातित सप्रेटा दुग्ध चूर्ण को बेचने के लिए पूल मूल्य निर्धारित किया जा सके, जिस पर वह सार्वजनिक दुग्ध सप्लाई योजनाओं और बाल आहार और तरल दूध खाद्य आदि के निर्माण के लिए वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को बेचा जायेगा।

सहकारी क्षेत्र का बकाया शुल्क

1765. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में बढ़ते जा रहे बकाया भुगतान तथा गत तीन वर्षों के भुगतान के बारे में वर्षवार स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) सूखा तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों एवं निहित स्वार्थों के द्वारा शोषण किये जाने के कारण जो भुगतान की राशि बढ़ गई है, उसका कोई सांख्यिकीय अध्ययन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). सहकारी ढाँचे के विभिन्न स्तरों के अतिदेयों से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा बुलाये गये राज्यों के सहकारिता मंत्रियों और सहकारी समितियों के पंजीयकों के वार्षिक सम्मेलन और भारतीय रिजर्व बैंक की राज्यों के प्रतिनिधियों से होने वाली वार्षिक चर्चाओं में इनकी समीक्षा की जाती है। अखिल भारतीय ग्राम ऋण समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सहकारी ऋण ढांचे में अतिदेय भीतरी तथा बाहरी दोनों ही प्रकार के कारणों की वजह से बढ़े हैं। सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं जौर अन्य कारणों जैसे हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा शोषण, के कारण जो अतिदेय हुए हैं उनकी प्रतिशतता के बारे में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

दुग्ध संयंत्रों तथा दुग्ध टैंकरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

1766. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने दुग्ध संयंत्रों तथा दुग्ध-टैंकरों का आयात किया है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) क्या भारत की कुछ कम्पनियों ने आश्वासन दिया है कि वे दुग्ध संयंत्रों तथा दुग्ध टैंकरों का निर्माण करने की स्थिति में हैं ; और यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) दुग्ध संयंत्रों तथा दुग्ध टैंकरों के निर्माण के लिए इन कम्पनियों को लाइसेंस तथा अन्य सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) केन्द्रीय और राज्य डेरी योजनाओं के लिये दुग्ध संयंत्रों और दुग्ध टैंकरों का आयात न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कैनाडा, ब्रिटेन, नीदरलैण्डस, संयुक्त राज्य अमरीका, डेन्मार्क और स्वीडन से किया गया है। व्यय की गई अधिकतर विदेशी मुद्रा विभिन्न विदेशी सहायता और विदेशी ऋण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध की गई थी। प्राप्त की गई विदेशी सहायता विदेशी ऋणों की राशि को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। जिस अवधि में राशि प्राप्त हुई है, उसका भी विवरण में उल्लेख कर दिया गया है।

विदेशी सहायता/विदेशी ऋण कार्यक्रमों के अन्तर्गत डेरी विकास योजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता

1—सहायता कार्यक्रम		2—ऋण कार्यक्रम	3—यूनिसेफ का रुपयों में प्रतिपूर्ति कार्यक्रम
(क) न्यूजीलैंड 1955-70	पौंड 1,996,878=रु० 27,391,074	(क) डेनिश ऋण=रु० 6,284,028 1963-64	1962-63 रु० 7,393,000
(ख) आस्ट्रेलिया 1956-70	आ० डालर 216,403=रु० 2,306,855	(ख) डेनिश ऋण=रु० 3,813,399 की दूसरी किस्त 1964	1963-64 रु० 1,662,021
			कुल रु० 9,055,021
(ग) कैनाडा 1962	डालर 105,398=रु० 501,894	(ग) स्वीडिश ऋण=रु०15,6[illegible]6,641 1964	
(घ) ब्रिटेन 1964	पौंड 3,408=रु० 45,439	(घ) यूगोस्लाव ऋण=रु० 3,393,225 1967-68	
		कुल रु० 29,127,293	
(ङ) नीदरलैंड 1959	डालर 41,000=रु० 194,750		
(च) यूनिसेफ 1953-68	डालर 9,667,000=रु० 48,231,000		
(छ) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण 1960-64	डालर 1,135,994=रु० 5,409,489		
	कुल रु० 84,080,501		

(ख) जी, हां। भारत में स्थापित डेरी उपस्कर विनिर्माण की निम्न मुख्य तीन कम्पनियाँ हैं :—

1. सर्वश्री लार्सन एण्ड टाब्रो लि०, बम्बई।

2. सर्वश्री ए० पी० वी० इंजीनियरिंग कम्पनी लि० कलकत्ता।

3. सर्वश्री वलकेन लावल लि० बम्बई।

(ग) डेरी उपस्कर विनिर्माण कम्पनियों को देश में दुग्ध संयंत्रों और दुग्ध टैंकरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। उन्हें आपेक्षित संघटकों और कच्ची सामग्री के आयात के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने में भी सहायता दी गई है और उन्हें विदेशी सहयोग के लिए करार करने की अनुमति भी दी गई है।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन

1767. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा प्रत्येक वर्ष में वह आवश्यकता से कितना कम था ;

(ख) इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की गई ; और

(ग) खाद्यान्नों की वसूली के क्या लक्ष्य हैं और इन वर्षों में वास्तव में कितनी मात्रा में अनाज की वसूली की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) कृषि वर्ष 1968-69 में, उत्तर प्रदेश में, खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 163 लाख मीटरी टन हुआ था। 1969-70 वर्ष के लिए पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

खपत संबंधी किसी विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य वस्तुओं की भांति खाद्यान्नों की मांग, जनसंख्या, आय-स्तर और लोगों की खाने की आदतों, शहरीकरण, अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों आदि की उपलब्धि और मूल्यों जैसे कुछेक तथ्यों पर आधारित करते हुए लचीली भी होती है, आवश्यकताओं का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है और इसलिए किसी वर्ष विशेष में किसी राज्य में खाद्यान्नों की कमी होती है।

(ख) 1968-69 और 1969-70 के वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय भंडार से खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं प्राप्त हुई थी :—

वर्ष	हजार मीटरी टन में मात्रा
1968-69	244
1969-70	475

(ग) 1968-69 और 1969-70 के वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश में क्रमशः 802 हजार मी० टन और 405 हजार मी० टन खाद्यान्न अधिप्राप्त किया गया था। प्रत्येक अनाज का उसके विपणन मौसम के लिए अधिप्राप्ति का अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्योंकि खरीफ और रबी खाद्यान्नों के लिए ये मौसम भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः ऊपर दिये गये वास्तविक अधिप्राप्ति के आंकड़े से संबंधित लक्ष्य को बताना सम्भव नहीं है।

भारत में कृषि मजदूरों की संख्या

1768. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) 1969-70 में उनकी वार्षिक औसत आय कितनी थी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 1961 की जन गणना के अनुसार देश में कृषि श्रमिकों की संख्या 31,521,641 थी।

(ख) 1969-70 वर्ष के सम्बन्ध में कृषि श्रमिकों की आय की सूचना उपलब्ध नहीं है। अध्ययन प्राप्त सूचना 1963-64 के सम्बन्ध में जो कि ग्रामीण श्रमिक जांच द्वारा एकत्र की गई है। इस जाँच के क्षेत्र में कृषि श्रमिकों का केवल एक भाग हो आता है अर्थात केवल वे श्रमिक जो ग्रामीण श्रमिक परिवारों के व्यक्ति थे। इनकी संख्या 30,809,832 थी। कृषि श्रमिक परिवारों के व्यक्तियों की 1963-64 के दौरान प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 147.69 रु० थी।

Special Prizes to Films Propagating Inter-Caste and Widow Marriages

1769. **Shri Meetha Lal Meena :** **Shri N. Shivappa :**
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to award special prizes to films propagating "Inter-Caste marriages" and "Widow marriage" for giving a new shape to the Society ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). No, Sir. The subjects, however, are covered under the existing categories of the National Film Awards Scheme, namely, National Integration, Social Documentation and Promotion (Non-commercial).

उद्योगों में संगणकों को लोकप्रिय बनाने की योजना

1770. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की इस शंका कि संगणकों के चालू किये जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी,

का निवारण करके संगणकों के प्रयोग को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में अधिक लोक प्रिय बनाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). उद्योग में संगणकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। स्वचालन समिति इस समय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न का अध्ययन कर रही है कि विभिन्न संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में संगणकों का प्रयोग कहां तक सीमित किया जा सकता है अथवा कहाँ तक उसकी अनुमति दी जा सकती है। इस बीच सरकार की नीति यह रही है कि स्वचालित मशीनों का प्रयोग चयनात्मक आधार पर उद्योग-विद्या की प्रगति तथा सामाजिक भलाई की आवश्यकताओं के अनुरूप शुरू किया जाय। इसके परिणामस्वरूप कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए तथा उद्योग में स्वचालित मशीनें शुरू करने से पहले भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) के 15वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिनवीकरण सम्बन्धी आदर्श समझौते के अन्तर्गत बनाई गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। विदेशी संगणकों के सम्बन्ध में भी एक प्रक्रिया विद्यमान हैं, जिसके अनुसार उनका आयात करने से पहले उनके लगाने के प्रस्तावों की सम्यक जांच की जानी चाहिए तथा उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रति गाय दूध का वार्षिक औसत उत्पादन और डेरी उद्योग मानक में सुधार

1771. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि विश्व भर में भारत की पशु संख्या सबसे अधिक है फिर भी दूध का उत्पादन भारत में सबसे कम है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में प्रति गाय दूध का वार्षिक औसत उत्पादन केवल 413 पौंड है जबकि नीदरलैंड में 8000 पौण्ड ; आस्ट्रेलिया में 7000 पौण्ड ; स्वीडन में 6000 पौण्ड और अमरीका में 5000 पौण्ड से भी अधिक है ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालक आकस्मिक निधि, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा सहायता देने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ;

(घ) क्या सन्तुलित भोजन के लिए प्रतिदिन आवश्यक न्यूनतम 284 ग्राम दूध के उत्पादों की आवश्यकता की तुलना में भारत में केवल 119 ग्राम ही मिल पाता है जो आधी मात्रा से भी कम है ; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय डेरी विज्ञान संघ और भारतीय डेरी परिषद् का हमारे डेरी उद्योग मानक में सुधार करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भारतवर्ष में विश्व के सब देशों की अपेक्षा सबसे अधिक पशु हैं। संयुक्त राष्ट्र स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 1965 के अनुसार भारत का स्थान विश्व के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों में तीसरा है। प्रथम स्थान रूस तथा द्वितीय स्थान निम्न प्रकार से अमरीका का है :

रूस	61,000,000 मीटरी टन
अमरीका	56,899,000 ,, ,,
भारत	20,933,000 ,, ,,

खाद्य तथा कृषि संगठन की प्रौडक्शन ईयर बुक 1968 (खंड 22) के अनुसार भारत तथा विश्व के कुछ प्रमुख देशों में प्रति पशु दूध का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :

1.	भारत	448 किलोग्राम
2.	नीदरलैंड	4,233 ,,
3.	आस्ट्रेलिया	2,300 ,,
4.	स्वेडन	3,650 ,,
5.	अमरीका	4,001 ,,

(ग) जैसा कि नीचे दिया गया है दूध का राष्ट्रीय उत्पादन अप्रत्याशित सूखा पड़ने के बावजूद भी बढ़ता रहा है :

1966-67	204.00 मीटरी टन
1967-68	208,00 ,, ,,
1968-69	212.00 ,, ,,

यूनिसिक, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से प्राप्त लेने वाली सहायता मुख्यत: डेरी संयंत्रों के सम्बन्ध में थी। यह दूध के लिए मण्डी उपलब्ध करके सहायता प्रदान करते हैं। केवल इन्डो-डेनिस परियोजना के अन्तर्गत ही एक पशु फार्म है, जो कि प्रत्यक्षत: दुग्ध-उत्पादन में सहायता कर रहा है।

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की सिफारिश के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति अनुकूलतम आवश्यकता 283 ग्राम है जबकि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि केवल लगभग 119 ग्राम है।

(ङ) दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता सर्वविदित है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए विधिवत् प्रयत्न किये जा रहे हैं। 40 सघन पशु विकास परियोजनाएं तथा 500 आदर्श ग्राम खंड कार्य कर रहे हैं जिनके अधीन पशु विकास का एक समेकित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। स्थानीय पशुओं तथा जरसी और फ्रिसिअन जैसी विदेशी नस्लों के सांडों के संकरण कार्य में कुछ प्रगति हुई है। इसके साथ ही साथ आहार और चारे विकास के कार्यक्रम पर भी बल दिया जा रहा है। रोग नियंत्रण कार्यों को भी गतिमान किया जा रहा है।

संगीत की सहायता से गेहूँ की फसल का विकास

1772. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ राग गेहूँ के पौधे के तेजी से विकास करने के योग्य थे ;

(ख) क्या हाल में जबलपुर में ऐसा कोई परीक्षण किया गया था जिसमें शास्त्रीय संगीत के रागों की सहायता से गेहूँ के पोधों में विकास दर्शाया गया था ; और

(ग) क्या इस प्रणाली के उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) कुछ लोगों की धारणा है कि पौधों की वृद्धि पर संगीत का कुछ प्रभाव पड़ता है परन्तु वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध नहीं हो सका है ।

(ख) जी, हाँ । सन् 1960-61 के दौरान जबलपुर में प्रयोग किये गये थे, लेकिन शास्त्रीय रागों के उपचार से गेहूँ के पौधों की वृद्धि में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा ।

(ग) पौधों की वृद्धि में संगीत या ध्वनि तरंगों के प्रभाव का अध्ययन करने की एक योजना भारतीय कृषि अनुसंधान के विचाराधीन है, जो सम्भवतः वैज्ञानिक आधार पर तीन केन्द्रों में चालू की जायेगी ।

नवनीत तेल (बटर आयल) के पहुँचने में देरी और दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सप्लाई पर उसका प्रभाव

1773. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1970 में नवनीत तेल (बटर आयल) के देर से पहुंचने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) उपभोक्ताओं की आवश्यक असुविधा को दूर करने तथा तत्पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) जहाज द्वारा बटर आयल बम्बई में 2-7-1970 को पहुँचना था परन्तु वह केवल 23-7-1970 को पहुंचा । इससे वसा की उपलब्धि में बाधा उत्पन्न हो गई जिसकी दिल्ली दुग्ध योजना को मानकीकृत दूध बनाने के लिए आवश्यकता थी । मानकीकृत दूध की सप्लाई 5-7-1970 के अपराह्न से बन्द कर दी गई ; और बटर आयल की काफी मात्रा दिल्ली पहुँचने पर यह सप्लाई 27-7-1970 से पुनः आरम्भ की जा सकी ।

(ग) गर्मी के मौसम (जबकि दूध की बहुत कमी रहती है) की समाप्त पर श्रौर बटर-श्रायल की काफी मात्रा पहुँचने के फलस्वरूप मानकीकृत दूध को सप्लाई बनाये रखने में श्रागे कोई कठिनाई अनुभव होने की सम्भावना नहीं है ।

ट्रैक्टरों के लिए बिहार कृषि उद्योग विकास निगम के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

1774. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पास लगभग एक साल से अधिक समय से ट्रैक्टरों की खरीद के लिए 3,000 से भी ज्यादा आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) ट्रैक्टरों की मांग की राज्यवार बकाया सूची क्या है ;

(ग) भारत के विभिन्न किसानों को ट्रैक्टरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; श्रौर

(घ) देश में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास श्रौर सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रन्नासाहेब शिंदे) : (क) बिहार राज्य कृषि-उद्योग निगम ने सूचित किया है कि उनके पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए 2,500 से भी श्रधिक श्रावेदन-पत्र बकाया है । इनमें भूमि बन्धक बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के पास पड़े ट्रैक्टरों की खरीद के श्रावेदन-पत्र शामिल नहीं है ।

(ख) विभिन्न राजकीय कृषि-उद्योग निगमों के पास ट्रैक्टर लेने वालों की बकाया पंजीयन सूची संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ट्रैक्टरों की बकाया मांग की संख्या
1.	श्रान्ध्र प्रदेश	5,102
2.	बिहार	2,500
3.	गुजरात	5,081
4.	केरल	500
5.	हरयाना	8,876
6.	महाराष्ट्र	1,936
7.	मध्य प्रदेश	1,140
8.	उड़ीसा	21
9.	पंजाब	19,030

1	2	3
10.	राजस्थान	4,217
11.	तमिल नाडु	?,621
12.	उत्तर प्रदेश	13,315
13.	पश्चिम बंगाल	70
14.	जम्मू और काश्मीर	उपलब्ध नहीं
15.	आसाम	कुछ नहीं
16.	मैसूर	939

(ग) यथा व्यावहार्य ट्रैक्टरों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये देशी उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त ट्रैक्टरों को काफी बड़ी संख्या में आयात करने का निर्णय लिया गया था। सप्लाई की स्थिति को सुगम बनाने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय रिश्तेदारों से भेंट में प्राप्त ट्रैक्टों के आयात की भी अनुमति दी गई। विभिन्न विश्व बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के आयात का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(घ) इस समय 20-50 अश्व शक्ति रेंज के पहिए वाले ट्रैक्टरों के उत्पादन में 5 औद्योगिक एकक व्यस्त हैं। गत 5 वर्षों का उत्पादन निम्न प्रकार है :

1965-66	5,714
1966-67	8,816
1967-68	11,394
1968-69	16,466
1969-70	17,099

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देशी उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। परन्तु, ट्रैक्टरों के उत्पादन को गतिमान तथा सघन बनाने की दृष्टि से ट्रैक्टर विनिर्माताओं को निम्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं :

1. ट्रैक्टरों को उद्योगों की प्राथमिक सूची में शामिल कर दिया गया है। सरकार, कल-पुर्जों और कच्ची सामग्री के आयात के लिए ट्रैक्टर विनिर्माताओं की, उनके चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार, सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर उन्हें अधिक मूल्य के 'पैक' आयात करने की अनुमति भी दी जाती है ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें।

   समस्त ट्रैक्टर विनिर्माताओं को उनकी लाइसेंस क्षमता की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पूंजीगत माल के आयात के लाइसेंस मंजूर करके सहायता दी जा रही है।

3 ट्रैक्टर उद्योग के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने, इण्डस्ट्रीज (डी० एण्ड आर०) एक्ट, 1951 के अन्तर्गत औपचारिकताओं को कम करने और पहिए वाले ट्रैक्टरों के निर्माण हेतु संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक पार्टियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग को 7 फरवरी, 1968 से तथाकथित एक्ट के लाइसेंन्सिग उपबन्धों से छूट दे दी गई थी। यह आशा की गई थी कि इस क्षेत्र में नई पार्टियों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त मौजूदा विनिर्माताओं को, यदि आवश्यकता हुई तो कम और अधिक रेंज के ट्रैक्टरों के उत्पादन को विस्तृत करने का मौका दिया जायेगा। परन्तु, 19 फरवरी, 1970 से उद्योग को फिर से उद्योग अधिनियम के लाइसेंन्सिग उपबन्धों के अन्तर्गत लाया गया है।

इन प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप 10 नये विनिर्माण प्रस्तावों को सिद्धांत रूप से मंजूर किया गया है।

दिल्ली में 1969 में टेलीफोनों का काटा जाना

1775. **श्री न० रा० देवघरे : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टेलीफोनों प्रयोक्ताओं के नाम क्या है, जिनका टेलीफोन वर्ष 1969-70 में बिल का भुगतान न किये जाने के कारण काट दिया गया था ; और

(ख) प्रत्येक प्रयोक्ता द्वारा कितनी राशि दी जानी थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). दिल्ली में औसतन हर महीने 1500 टेलीफोन काटे जाते हैं। इसलिए ऐसा विचार है कि वांछित सूचना संकलित करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे हासिल किये जाने वाले नतीजों के अनुरूप नहीं होगा।

6 जुलाई, 1970 तक ऐसे मामलों को छोड़ कर जिनमें बिलों का भुगतान आदतन न किया गया हो यदि बकाया रकम 5 रुपये या इससे कम थी तो भुगतान न करने के कारण टेलीफोन नहीं काटे गए थे। 7 जुलाई, 1970 से बकाया राशि की यह सीमा बढ़ा कर 25 रु० कर दी गई है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तथा अन्य उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

1776. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के दूध और अन्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दूध का अन्य उत्पादों की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होते।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मानकित दूध की सप्लाई का बन्द किया जाना

1777. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1970 के प्रारम्भ में दिल्ली में दुग्ध योजना द्वारा मानकित दूध की सप्लाई बन्द किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ख) मानकित दूध की सप्लाई जारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) गर्मियों में कच्चे दूध की कमी रहती है और अधिप्राति की स्थिति को देखते हुये दिल्ली दुग्ध योजना को टोंड दूध की आपूर्ति करनी पड़ती है।

विदेश से बटर आइल की प्राप्ति में विलम्ब के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को 5 जुलाई, 1970 के अपराह्न से मानकित दूध की आपूर्ति बन्द कर देनी पड़ी। बम्बई में जो जहाज 2-7-70 को पहुंचना था वह वस्तुतः अपना सामान बम्बई में केवल 23-7-70 को उतार सका। मानकित दूध की आपूर्ति को बटर आइल की प्राप्ति पर 27-7-70 अपराह्न से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ख) गर्मियों में अभाव की अवधि की समाप्ति तथा बटर आइल की समुचित मात्रा की प्राप्ति पर मानकित दूध की आपूर्ति को बनाये रखने में और कठिनाइयां आने की संभावना नहीं है।

टेलीफोन सेक्शन के लिये नये आवेदन-पत्र

778. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **सूचना** तथा **प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शन के लिए जनवरी, 1970 से चालू किये गये नये आवेदन प्रपत्रों के कारण प्रयोक्ताओं को बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या उन आवेदकों के लिए भी नये प्रपत्र भरना अनिवार्य है, जिनके पुराने आवेदन-पत्र गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से विभाग के पास पड़े हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें नये प्रपत्र भरने की छूट दी जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । सभी पुराने आवेदकों के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य है ।

(ग) जी, नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का "नेफा" क्षेत्र में पुनर्वास

1779. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेफा" क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है और सैनिक प्राधिकारी ने कम जनसंख्या वाले इन क्षेत्रों में और लोगों को बसाने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या 'नेफा" की घाटियां और ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती स्थान पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है ;

(ग) क्या हाल ही में आये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान के बहुत पुष्ट नामशूद्र समुदाय के व्यक्ति हैं ;

(घ) यदि हां, तो नामशूद्र समुदाय के इन शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए नेफा भेजा जायेगा ;

(ङ) क्या सीमावर्ती सड़क संस्था कृषि भूमि में पुनर्वासित पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के अतिरिक्त अन्य शरणार्थियों को भी आर्थिक पुनर्वास दे सकती है ; और यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को "नेफा" क्षेत्र में बसाने के बारे में कोई योजना बनायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह सत्य है कि नेफा क्षेत्र में आबादी कम है, किन्तु देश के इस भाग में और लोगों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये अब तक कोई सुझाव नहीं किया गया है ।

(ख) नेफा की घाटियों में कुछ भूमि उपलब्ध है किन्तु अधिक संख्या में लोगों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये वह पर्याप्त नहीं है ।

(ग) और (घ). यह ज्ञात हुआ है कि पूर्वी पाकिस्तान से नए आये शरणार्थियों में से अधिकांश संख्या नामशूद्र समुदाय के लोगों की है । उन्हें नेफा में भेजने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वहां उनके स्थायी पुनर्वास की पर्याप्त गुंजाईश नहीं है ।

(ङ) सीमा-सड़क संगठन मुख्य रूप से सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य करता है । इसलिये, पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के इस सगठन के माध्यम से, नेफा में आर्थिक रूप से स्थायी आधार पर पुनर्वास की कोई गुंजाईश नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों के आसपास पुनर्वास

1780. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को औद्योगिक एककों के आसपास बसाने का है, जिन्हें खेतिहर भूमि पर नहीं बसाया जा सकेगा ;

(ख) क्या इस प्रकार के औद्योगिक एकक पश्चिम बंगाल में स्थापित किये जायेंगे, जिससे वहां के स्थानीय व्यक्तियों को भी इस प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का विभिन्न रूप में लाभ हो सके ;

(ग) क्या बहुमंजिला मकान बनाये जाने की संभावनाओं के इस युग में प्रस्तावित औद्योगिक एककों के निकट बसाये जाने वाले शरणार्थियों के आवास के लिए भूमि की कोई समस्या नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के औद्योगिक एकक पश्चिम बंगाल में स्थापित किये जायेंगे, ताकि राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों को, जोकि पश्चिम बंगाल में ही रह गये थे, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई समीक्षा समिति विभिन्न औद्योगिक योजनाओं पर विचार कर रही है जिनमें पश्चिम बंगाल में औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित करना शामिल है । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

जहां तक 1970 के नए प्रवाह का सम्बन्ध है, प्रवासियों को पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न राहत शिविरों में भेजा जा रहा है क्योंकि उस राज्य में जनसंख्या के घनत्व के बारे में अधिकतम सीमा पहुंच चुकी है ।

विभिन्न राज्यों में उद्योगों में रोजगार की सम्भावनाओं की खोज के बारे में भारत सरकार ने पहले ही कार्यवाही प्रारंभ करदी है ; जब विशिष्ट पुनर्व्यवस्थापन योजनाएं हाथ में ली जायेंगी तो उस समय रिहायशी आवास की उपलब्धता के प्रश्न पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा ।

शरणार्थी पुनर्वास पुनर्विलोकन समिति का पुनर्गठन

1781. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरणार्थी पुनर्वास पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस समिति में वर्तमान संसद के एक, दो सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और क्या शारीरिक अक्षमता के कारण इस समिति के अध्यक्ष से यह आशा नहीं की जाती है कि वह बड़े पैमाने पर आये नये शरणार्थियों के नये कार्यभार को संभालें ;

(ग) क्या वर्तमान संसद के सहयोग से समिति का सक्रिय रूप से संचालन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति का पुनर्गठन किया जायेगा ;

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को और मुआवजा दिया जायेगा क्या इस मुआवजे का शरणार्थियों के मुख्यतः पश्चिम बंगाल औद्योगिक पुनर्वास हेतु एक संचित निधि के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा करने की क्या योजना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) समीक्षा समिति के सदस्यों के नाम संलग्न सूची में दिए गये हैं ।

(ख) समिति में वर्तमान संसद के दो सदस्य हैं—एक लोक सभा से और एक राज्य सभा से/समिति के अध्यक्ष का स्वास्थ्य अच्छा है और वे समिति के कार्य में सक्रिय रुचि ले रहे हैं । हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के प्रवाह के फलस्वरूप समिति द्वारा नये कार्य के भार को वहन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह कार्य समिति के वर्तमान विचारार्थ विषयों से बाहर है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति के सदस्यों की सूची

1.	श्री एन० सी० चटर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा)	अध्यक्ष
2.	श्री ए० सी० गुहा	उप-अध्यक्ष
3.	श्री निरेन घोष, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
4.	श्री पी० आर० चक्रवर्ती	"
5.	डा० एस० डी० शर्मा	"
6.	श्रीमती रेनु चक्रवर्ती	"
7.	श्री बसन्ता कुमार दास	"
8.	श्री बालकृष्ण वासनीक	"
9.	श्री आर० एल० विस्वास	"
10.	श्री गोपेश्वर नाथ, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पुनर्वास विभाग	"
11.	श्री बी० बी० मण्डल, सचिव, पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	"

श्री ए० पी० बी० कृष्ण, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय	सलाहकार
श्री एम० एन० चन्दा, उप-सचिव, भारत सरकार, पुनर्वास विभाग	सचिव

(ग) समिति को पुर्नगठित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ङ). प्रधान मन्त्रियों के अप्रैल 1950 के करार के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासी पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई अपनी सम्पत्तियों पर कानूनी अधिकार रखते हैं। चूंकि मालिकाना अधिकार पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पास ही है, इसलिये उन्हें मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कपास उगाने वाले क्षेत्र में कमी

1782. **श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार फसली सालों के दौरान कपास उगाने वाली भूमि का उपयोग गेहूँ, मूंगफली और मक्का जैसी अन्य फसल के उत्पादन के लिए होने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कितना क्षेत्र है जिसका उपयोग कपास की बजाए अन्य फसलों के उत्पादन के लिए होने लगा है और भूमि के उपयोग में ऐसा परिवर्तन किन क्षेत्रों में हुआ है ; और

(ग) सरकार की राय में भूमि के उपयोग में ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक 4 फसल-वर्षों के दौरान सारे देश में कपास के अधीन क्षेत्र निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

वर्ष	क्षेत्र
	(हजार हैक्टार)
1965-66	7,962
1966-67	7,836 (आंशिक रूप से संशोधित)
1967-68	7,995 (आंशिक रूप से संशोधित)
1968-69	7,685 (अन्तिम)

वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक चार वर्षों के दौरान कपास के अधीन क्षेत्र में घटाबढ़ी रही, लेकिन क्षेत्र का कोई निश्चित रुख नहीं रहा । वर्ष 1969-70 के अखिल भारतीय अन्तिम-अनुमान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । यद्यपि, कपास के अखिल भारतीय चतुर्थ अनुमान के अनुसार, जो सामान्यतया 95 प्रतिशत एकड़ क्षेत्र की फसल को आवृत करता है, वर्ष के दौरान कपास के अधीन क्षेत्र पिछले वर्ष के तदनुरूपी अनुमान की तुलना में कुछ अधिक है ।

अखिल भारतीय स्तर पर उपरोक्त अवधि के दौरान कुछ फसलों यथा गेहूँ, मक्का के अधीन क्षेत्र में बढ़ोतरी, अनुकूल मौसम एवं वर्षा की परिस्थितियों, बहु फसली खेती में प्रगति तथा नये क्षेत्रों में खेती का विस्तार आदि विभिन्न कारणों से हुई ।

गोबर से गैस बनाने वाले कारखानों की स्थापना

1783. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों में गोबर से गैस बनाने वाले कारखानों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित गोबर से गैस बनाने वाले कारखानों की संख्या क्या है तथा खाद का उपयोग करने तथा मितव्ययता लाने के लिए ईंधन के रूप में उस का उपयोग करने के लिए सरकार ने किसानों को कारखाने स्थापित करने हेतु क्या सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारत सरकार ने 1964-65 के दौरान गोबर गैस प्लान्टों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम मंजूर की थी। स्कीम के अनुसार 5 साल की अवधि में सारे देश में 5,000 गोबर गैस प्लान्ट लगाने का विचार था।

यह स्कीम 1966 के पश्चात बन्द कर दी गई थी और राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य योजना बजट में इस प्रकार के गोबर गैस प्लान्टों को स्थापित करने की व्यवस्था करें।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक राज्य में लगाये गये गोबर गैस प्लान्टों की संख्या निम्न प्रकार है :

राज्य का नाम	स्कीम के अधीन लगाये गये गैस प्लान्टों की संख्या	
	भारत सरकार	खादी और ग्राम उद्योग आयोग (मार्च 1966 तक)
आन्ध्र प्रदेश	कोई नहीं	8
आसम	,,	कोई नहीं
बिहार	,,	6
गुजरात	,,	630
केरल	,,	3
महाराष्ट्र	100	16
मैसूर	,,	116
मध्य प्रदेश	32	22
मद्रास	कोई नहीं	12
उड़ीसा	,,	6
पंजाब	16	8

1	2	3
राजस्थान	कोई नहीं	45
उत्तर प्रदेश	,,	26
पश्चिम बंगाल	,,	13
जम्मू व काश्मीर	,	कोई नहीं
संघ क्षेत्र		
दिल्ली	कोई नहीं	3
पाण्डीचेरी	,,	4
त्रिपुरा	।	कोई नहीं
हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं

कृषकों को अपने खेतों में प्लान्ट लगाने के लिए 600 रुपये प्रति प्लान्ट के हिसाब से ब्याज रहित ऋण दिया गया। यह ऋण 5 सामान किश्तों में वापस लिया जाता था। मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी सहायता लागत के 25 प्रतिशत भाग के बराबर होगी और 26 गोबर गैस प्लान्टों में से प्रत्येक प्लान्ट के लिए अधिक से अधिक 500 रुपये होगी। प्लान्ट को लगाने और उनके प्रयोग के बारे में आवश्यक तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन का प्रबन्ध विस्तार एजेन्सियों द्वारा किया गया था।

दिल्ली में डाक-वितरण की विलम्बकारी और त्रुटिपूर्ण प्रणाली

1784. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'तुरन्त वितरण' (एक्सप्रैस डिलीवरी) वाले पत्रों का दिल्ली में वितरण करने में तीन, चार दिन लग जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशेषतया नानकपुरा, दिल्ली में डाकिये चिट्ठियां यदाकदा दरवाजों के बाहर अथवा पत्र पाने वाले के घरों के निकट फेंक जाते हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि अनेक महत्वपूर्ण पत्र पाने वालों के पास नहीं पहुंचते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में डाक सेवाओं में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं । नानकपुरा क्षेत्र में दालान या बरामदे में पत्र डाल देने संबंधी कुछ शिकायतों की छानबीन करने पर यह पाया गया था कि आमतौर पर पत्र घरों में लगे लेटर बक्सों में डाले जाते हैं और जहां ऐसे लेटर बक्स उपलब्ध नहीं है, वहां दरवाजों आदि से उसे अन्दर डालने या पाने वाले को स्वयं वितरित करने के प्रयत्न किये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों में कुप्रशासन

1785. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों में और विशेषकर ईस्टर्न कोर्ट में केन्द्रीय तारघर कार्यालय में व्याप्त अत्यधिक अकुशलता और अनुशासनहीनता की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि ट्रंक बुकिंग, शिकायतों, डायरेक्टरी संबंधी पूछताछ पर कार्य करने वाले टेलीफोन आपरेटर, उन्हें किये गये टेलीफोनों का उत्तर नहीं देते और यह टेलीफोन कई-कई घंटों तक व्यस्त रहते हैं ;

(ग) क्या सायं के 7 बजे से प्रातः के 7 बजे के बीच ट्रंक काल बुक करने वाले व्यक्तियों को अपनी 'काल' की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने से पूर्व बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि टेलीफोन आपरेटर टेलीफोन पर उत्तर देने की परवाह नहीं करते अथवा टेलीफोन रिसीवरों को उठाकर रख देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) ट्रंक बुकिंग, शिकायतों और डायरेक्टरी संबंधी पूछताछ के 90 प्रतिशत कालों का उत्तर 10 सैकंडों के अन्दर दे दिया जाता है । जब ऐसे काल बहुत अधिक हों और सभी लाइनें व्यस्त हों तभी उपभोक्ता को संबंधित टेलीफोन व्यस्त रहने का स्वर सुनाई पड़ता है ।

(ग) उपभोक्ताओं को कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ताकि उनके काल के संबंध में सही स्थिति का पता लगाकर यह उन्हें बताई जा सके । यह कहना ठीक नहीं है कि आपरेटर उत्तर नहीं देते या रिसीवर उठाकर अलग रख देते हैं ।

(घ) सेवा में सुधार के लिए अतिरिक्त पोजीशन लगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए माना शिविर

1786. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में माना स्थिति अन्तर्मार्गीय शिविर की वर्तमान क्षमता पूर्वी पाकिस्तान से लगातार आने वाले शरणार्थियों की भारी संख्या के लिए अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्मार्गीय शिविर की निम्नलिखित बातों के संदर्भ में उक्त अन्तर्मार्गीय शिविर के कथित रूप में प्रस्तावित विकास कार्यक्रम का पूर्ण ब्यौरा क्या है :

इसकी वर्तमान क्षमता ; प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम ; प्रव्रजन की वर्तमान लहर से पहले शिविर में परिवारों की संख्या, शिविर में इस समय शरणार्थी परिवारों की संख्या ; शिविर में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या (केवल औसतन) ; शरणार्थियों के आगमन की वर्तमान लहर से पहले और बाद में किये गये मासिक व्यय की कुल राशि; शिविर में दी जाने वाली सुविधायें ; और स्थायी रूप से बसाये जाने के लिए शिविर से प्रति सप्ताह हटाये जाने वाले परिवारों की संख्या और उन्हें कहां-कहां भेजा जाता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) लगभग 17,000 परिवार, जिनमें तम्बुओं में रह रहे 11090 परिवार शामिल हैं ।

(ii) अन्य 10,000 परिवारों को बैरकों में आवास देने के लिए एक योजना तैयार की गई है ।

(iii) स्थायी दायित्व गृह में रह रहे परिवारों को मिलाकर, 3,308 परिवार ।

(iv) 19,424 परिवार (29.7.1970 को) ।

(v) पिछले तीन महीनों के अन्तर्गत, प्रतिदिन लगभग 290 परिवार ।

(vi) 31.12.1969 तक, औसत खर्च 8.00 लाख रुपये प्रतिमास था और उसके उपरान्त औसत खर्च 13.76 लाख रुपये प्रतिमास बनता है ।

(vii) एक विवरण संलग्न है ।

(viii) चालू वर्ष के अन्तर्गत, दन्डकारण्य, महाराष्ट्र में चान्दा, मध्य प्रदेश में पन्ना, अन्दमान और मैसूर में विसर्जित किये जाने वाले परिवारों की औसत संख्या लगभग 39 प्रति सप्ताह थी ।

विवरण

(क) नकद बेकारी अनुदान—बेकारी अनुदान नीचे दी गई दरों के अनुसार सभी शिविरों में तीन किस्तों में दिए जाते हैं :

क्रम संख्या	परिवार का आकार	दी जाने वाली नकद बेकारी अनुदान की राशि			
		महीने की 1 से 3 तारीख के बीच देय पहली किस्त	महीने की 11 तारीख से 13 ता० के बीच देय दूसरी किस्त	महीने की 21 तारीख से 23 ता० के बीच देय तीसरी किस्त	महीने भर में दिये गये नकद बेकारी अनुदान का जोड़
1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	1 सदस्य का परिवार	10.00	10.00	10.00	30.00
2.	2 सदस्यों का परिवार	13.00	13.00	14.00	40.00
3.	3 सदस्यों का परिवार	16.00	17.00	17.00	50.00
4.	4 सदस्यों का परिवार	19.00	19.00	19.50	57.50
5.	5 सदस्यों का परिवार	21.00	22.00	22.00	65.00
6.	6 सदस्यों का परिवार	23.00	23.00	24.00	70.00
7.	6 सदस्यों से अधिक का परिवार	25.00	25.00	25.00	75.00
					(1 जनवरी, 1966 से)

टिप्पणी: शिविरों में 7 से अधिक सदस्यों वाले सभी बड़े स्थायी दायित्व परिवारों को प्रत्येक सदस्य के लिए जिस की आयु 60 वर्ष से अधिक या 3 वर्ष से कम है 5 रु० प्रति मास के हिसाब से (नकद बेकारी अनुदान के रूप में) 1 अप्रैल, 1969 से फालतू दिये जाते हैं।

(ख) **चावल/गेहूँ/आटा** : सभी शिविरों में प्रवासियों को चावल/गेहूँ/आटा प्रति व्यस्क प्रतिदिन ½ किलो ग्राम और 8 वर्ष या उससे कम आयु वाले बच्चों को ¼ किलो ग्राम प्रतिदिन की दर से राज्य सहायना के रूप में 57 पैसे प्रति किलोग्राम की एक ही दर से दिया जाता है।

(ग) **कपड़े** : प्रवासी परिवारों के सदस्यों को एक-एक वर्ष की अवधि के बाद कपड़े दिये जाएंगे बशर्ते कि नकद बेकारी अनुदान सहित उनकी कुल मासिक आय 100 रु० से अधिक न हो।

इस पर खर्च होने वाली रकम की वार्षिक सीमा प्रति वयस्क पुरुष 20 रुपये और प्रति वयस्क स्त्री 30 रुपये तथा 12 वर्ष या उससे कम उमर के प्रति अवयस्क के लिए 14 रुपए निश्चित की गई है। भविष्य में भारत आने वाले प्रवासियों को भी शिविरों में प्रवेश करने के समय प्रारम्भ में उपर्युक्त लागत तक के कपड़े दिये जायें, चाहे उनकी आय कितनी ही क्यों न हो, किन्तु इसकी दर वयस्क स्त्री और पुरुष दोनों के लिए 20.00 रुपये प्रति व्यक्ति होगी।

(घ) **कम्बल** : प्रवासी परिवार के स्वागत केन्द्र/राहत शिविर में प्रवेश पाने के समय ऊनी कम्बल/रजाईयां प्रति वयस्क को (वयस्क में 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले शामिल हैं) एक कम्बल/रजाई दी जाती है। लेकिन एक परिवार को तीन से अधिक कम्बल/रजाईयां नहीं दी जाती हैं।

(ङ) **दाह संस्कार तथा श्राद्ध अनुदान** : वयस्क के लिए प्रति मृत व्यक्ति 30 रुपए की दर से तथा प्रति अवयस्क के लिए (12 वर्ष की उम्र तक) 20 रुपये की दर से।

(च) **बर्तन** : प्रवासी परिवार के स्वागत केन्द्र/राहत शिविर में प्रवेश पाने के समय प्रत्येक परिवार के बर्तन, बिस्तर, लालटेन और विविध वस्तुएं दी जाती हैं लेकिन इनकी अधिक से अधिक सीमा प्रति परिवार 15 रुपए है।

(छ) **दूध** : स्त्रियों, बच्चों तथा बीमार और अपंग प्रवासियों को पाउडर का दूध दिया जाता है।

(ज) **चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाएं** : शिविरों में प्रवासियों को चिकित्सा तथा शिक्षा की सुविधाएं देने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(झ) **विवाह अनुदान** : 200 रुपये अविवाहित लड़की के विवाह के लिए और विधवा के पुनर्विवाह के लिए।

(ट) शारीरिक, सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि के लिए अनुदान प्रति परिवार 1 रुपया वार्षिक।

(ठ) **गर्म कपड़े** : केन्द्र प्रशासित, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रशासित शिविरों में और असम की गारो पहाड़ियों के जिले जैसे अत्यन्त ठंडे क्षेत्रों में सभी नए प्रवासी परिवारों के बच्चों को मुफ्त गर्म कपड़े (स्वेटर या बंडी) दिए जाते हैं। लेकिन उनकी कीमत की सीमा नीचे दी गई रकम से अधिक नहीं होनी चाहिये।

आयु-वर्ग	सीमा
1 से 3 वर्ष	6 रु०
4 से 8 वर्ष	9 रु०
9 से 12 वर्ष	12 रु०

अंतर्देशीय पत्र के मूल्य में वृद्धि

1787. **श्री नंजा गौडर : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय पत्र का मूल्य लिफाफे के मूल्य के स्तर तक बढ़ाया जायेगा अर्थात् 20 पैसे किया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में बम्बई से आने वाली डाक के वितरण में विलम्ब

1788. **डा० कर्णी सिंह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के दिनों में बम्बई से दिल्ली और दिल्ली से बम्बई भेजे गए डाक पत्रों का अगले दिन वितरण नहीं हुआ है और अधिकांश मामलों में दो से तीन दिन तक विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस शिकायत का निवारण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि तत्काल-वितरण (एक्सप्रैस डिलीवरी) वाले पत्रों को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में नियमित डाक की उपेक्षा अधिक समय लगता है ; और यदि हां, तो क्यों ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली डाक द्वारा भेजे गए पत्र यदि समय पर डाक में डाल दिये जाएं तो अगले दिन वितरित कर दिये जाते हैं। फिर भी कभी-कभी इंडियन एयरलाइंस ने उन्हें दिल्ली में दी गई पूरी डाक को स्वीकार नहीं किया और ऐसी डाक को बाद की हवाई सेवाओं द्वारा भेजना पड़ा था जिससे देरी हो गई।

(ख) यह मामला इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष से उठाया गया है। दिल्ली और बम्बई तथा बम्बई और कलकत्ता के बीच एयर इंडिया की उपलब्ध उड़ानों का भी लाभ उठाया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। वितरण करने वाले डाकघर एक्सप्रैस डिलवरी पत्रों के वितरण की विशेष व्यवस्था करते हैं और यह पाने वाले के पास सामान्य डाक से पहले पहुँच जाते हैं। फिर भी कभी-कभी एक्सप्रैस डिलीवरी पत्र जिन पर निर्धारित लेबल न लगे हों और न ही प्रमुख रूप से ऐसा लिखा हो, तो वे साधारण डाक में मिल जाते हैं और उनका वितरण उसके साथ ही किया जाता है। ऐसी घटनाओं को कम करने की दृष्टि से डाकघरों ने एक्सप्रैस डिलीवरी के विशेष उभरे हुए लिफाफे जारी किये हैं।

Improvement of Agriculture as Profitable Vocation

1789. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that agriculture is a profitable occupation for only a few, while 44 percent farmers in the country, who have tenancy rights on less than 2.5 acres of land, are pursuing agriculture only under compulsion ; and

(b) if so, the efforts being made to make agriculture a profitable vocation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No All-India Survey has been conducted to assess the profitability of farms of various sizes, including tenant holdings below 2.5 acres.

(b) Various programmes for the development of agriculture, being implemented under the Fourth Five Year Plan, would help to bring about substantial increases in agricultural yields and incomes. Special schemes for small farmers, marginal farmers and agricultural labourers, which have been included in the Fourth Five-Year Plan would particularly help to improve the economic condition of these groups. Weaker sections of agricultural population would also derive benefit from the schemes for dry areas and the programme of rural works in chronically drought affected areas.

Setting up of a Factory for Extracting Oil from Soyabean

1790. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken on the proposal for the setting up of a factory to extract oil from Soyabean and make Soyabean flour ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). A decision has been taken, in principle, for setting up a Soyabean Processing Plant for producing edible Soyabean flour with assistance from UNICEF. The proposal has been approved by UNICEF with an estimated assistance of 8.79 lakh dollars from them. The details of the Project regarding capacity, location, etc. are being worked out.

Targets for Procurement of Foodgrains in Maharashtra

1791. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the targets fixed by the Government for the current year for the procurement of jowar, rice and wheat in Maharashtra ;

(b) whether the targets have been achieved ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Only Jowar and peddy are being procured in Maharashtra. No specific target has been fixed for either by Maharashtra Government.

(b) and (c). Do not arise.

त्रिवेन्द्रम (केरल) में महा-डाकपाल के कार्यालय के बाहर डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह

1792. **श्री ई० के० नायनार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 6 जून, 1970 को त्रिवेन्द्रम (केरल) में महा डाकपाल के कार्यालय के बाहर डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सत्याग्रहियों की मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। 6 जून, 1970 को केरल सर्कल के विभिन्न भागों के लगभग 200 डाक-तार कर्मचारियों ने पोस्टमास्टर जनरल त्रिवेन्द्रम के कार्यालय के सामने सामूहिक सत्याग्रह किया था।

(ख) उनकी मांगें सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों की बहाली तथा यूनियन के पदाधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों के रद्द करने के सम्बन्ध में थी। नौ कर्मचारियों को छोड़ कर जिन का ब्यौरा नीचे दिया गया है, विभाग ने केरल सर्कल के उन सभी डाक-तार कर्मचारियों को पहले ही बहाल कर दिया जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था :

4 अतिरिक्त विभागी कर्मचारी

1 बर्खास्त किया गया कर्मचारी

2 नौकरी से निकाले गए कर्मचारी

1 अस्थायी कर्मचारी जिसके लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं किन्तु वह अभी तक कार्य पर वापिस नहीं आया है।

1 अस्थायी कर्मचारी जो कि पुनः सेवा में नहीं आना चाहता क्योंकि वह बगैर किसी शर्त बहाली चाहता है।

कर्मचारियों के पहले वाले स्थानों पर अथवा उनकी इच्छानुसार स्थानों पर पुनः स्थानांतरण के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

केरल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कर्मचारियों की शिकायतें

1793. **श्री ई० के० नायनार :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षकों द्वारा मई तथा जून, 1970 में किये गए संघर्ष की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, अतः इस सम्बन्ध में सुधार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

खोसला समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

1794. **श्री मुरासोली मारन :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोसला समिति के प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ;

(ख) क्या इस समिति की किसी सिफारिश को कार्यान्वित करने का कोई विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). फिल्म सेंसर पर खोसला समिति की रिपोर्ट सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

उर्वरक के मूल्य घटाना

1795. **श्री विभूति मिश्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के कृषि मन्त्रियों ने 4 जुलाई, 1970 को अपने सम्मेलन में उर्वरक के मूल्य घटाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राज्यों के कुछ कृषि मन्त्रियों ने 4 जुलाई, 1970 के सम्मेलन में उर्वरकों के बढ़े हुए मूल्यों के बारे में संकेत किया था।

(ख) उर्वरक की वर्तमान लागत को पूरा करने के लिए उर्वरकों के प्रयोग को काफी लाभदायक समझा गया है। आशा है कि और बड़े उर्वरक कारखानों की स्थापना होने से उत्पादन की लागत और मूल्य कम हो जाएंगे।

1968 सितम्बर की हड़ताल के बाद केरल में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की छटनी

1796. **श्री ई० के० नायनार : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1968 की हड़ताल के बाद केरल राज्य में डाक व तार विभाग के कई कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है ;

(ख) हड़ताल के बाद कितने कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया ;

(ग) कितने कर्मचारियों को वापस ले लिया गया तथा केन्द्रीय मन्त्री के आश्वासन दिये जाने के बाद गत जून तक कितनों को सेवा में नहीं लिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 1

(ग) 9 कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी सभी कर्मचारियों को काम पर वापिस ले लिया गया है।

(घ) 4 अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के मामलों में, भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों पर उन्हें बतौर नये कर्मचारी के पुनः लगाये जाने के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। एक बर्खास्त किये गए कर्मचारी की अपेक्षा विचाराधीन है। सेवा से हटाये गए दो कर्मचारियों की अपीलें अपील प्राधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई है तथा इन कर्मचारियों को अपने अभ्यावेदन अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने की छूट है। विभाग में वापिस बुलाने के नियुक्ति प्रस्ताव भेजने पर भी एक अस्थायी कर्मचारी ने काम पर वापिस आने से इंकार कर दिया है। आदेशों के जारी होने के बावजूद एक अन्य कर्मचारी काम पर अभी तक वापिस नहीं आया है।

बीड़ी-सिगार कारखाना अधिनियम को समाप्त करने की मांग

1797. **श्री ई० के० नायनार : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में मई, 1970 को हुए बीड़ी कारखाने के स्वामियों के सम्मेलन में मांग की गई थी कि बीड़ी-सिगार कारखाना अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी कारखाने के स्वामियों की मांग के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग सम्मेलन ने 24 मई, 1970 को बम्बई में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में अन्य बातों के साथ-साथ यह आग्रह किया कि बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को वापस लिया जाना चाहिये, क्योंकि यह कहा गया है कि यह बीड़ी निर्माण इकाइयों के नमूने पर आधारित हैं और यह बीड़ी उद्योग के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है तथा इसकी क्रियान्विति को रोका जाए ।

(ख) चूंकि बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 में बीड़ी तथा सिगार प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था है और यह उनके काम की शर्तों को विनियमित करता है, अतएव इस अधिनियम को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Requirement of Tractors During 1969-70

1798. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the requirement of tractors, State-wise, during 1969-70 ;

(b) the number of tractors supplied by Government keeping in view their requirements ; and

(c) the gap between the demand and the supply of tractors and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A statement showing the relative demand of tractors State-wise during 1969-70 is appended.

STATEMENT

S. No.	Name of State Agro-Industries Corpn.	Relative Demand of State A.I.C.
1.	Andhra Pradesh	9,000
2.	Assam	400
3.	Bihar	2.355
4.	Gujarat	5,000
5.	Haryana	10,000
6.	Jammu and Kashmir	400
7.	Kerala	1,200
8.	Madhya Pradesh	2,400
9.	Maharashtra	3,200
10.	Mysore	2,300
11.	Tamil Nadu	3,200
12.	Orissa	360
13.	Punjab	50.000
14.	Rajasthan	9,000
15.	Uttar Pradesh	15,000
16.	West Bengal	400
	Total :	1,14,215

(b) and (c). During 1969-70, it was decided to import a substantially large number of 35,000 tractors besides 17,099 tractors manufactured indigenously. While all efforts were made to step up indigenous production by providing all possible incentives to the tractor industry and also by increasing imports, the demand could not be met in full. The reasons were mainly—(i) the demand increased abrupty as a result of bumper crops in the last two seasons ; (ii) indigenous tractors could not be manufactured to the extent estimated and (iii) more tractors could not be imported owing to constraint of foreign exchange and inability of the foreign manufacturers to supply the number required of a particular make and horse power range.

Telephone Facilities in Champaran District (North Bihar)

*1799. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone arrangements in North Bihar, particularly in Champaran district, are most unsatisfactory ; and

(b) if so, the steps contemplated to improve the same ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Following steps have been or are being taken to improve the position :

(i) Additional exchange capacity has been provided to Bettiah and Narkatiaganj.

(ii) A new exchange at Adapur and a public call office at Narkatia and Aurya have been opened.

(iii) An additional trunk pair has been provided between Bettiah and Motihari.

(iv) Additional circuits have been proposed between Motihari and Bettiah and between Muzaffarpur and Bettiah besides expending the local systems at Motihari and Bettiah to 400 lines.

(v) 8 new exchanges, 22 PCOs and 15 combined offices have been planned in Champaran district in 4th Plan.

Weather Bulletin Broadcast by A.I.R. Delhi

1800. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that weather bulletin is broadcast daily by the A.I.R. Delhi ;

(b) if so, whether it is also a fact that weather reports from all the States except Bihar are broadcast in the said bulletin ;

(c) if so, the reasons for not broadcasting the weather reports from Bihar ; and

(d) whether it is also a fact that the farmers of Bihar cannot know anything about the weather in Bihar because the weather reports in respect of Bihar are not broadcast in the aforesaid bulletin and thus agriculture is being adversely affected in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir. Apart from the weather forecast in the national news bulletins, Patna and Ranchi Radio stations broadcast every evening special weather bulletins for farmers.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"मनीपुर को राज्य का दर्जा देने से केन्द्रीय सरकार के कथित इन्कार से उत्पन्न स्थिति"

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सूचना गृह-कार्य मंत्री को सम्बोधित की गई है परन्तु गृह-कार्य मंत्री उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हैं। प्रधान मंत्री को स्वयं उपस्थित होकर ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह बड़ा गम्भीर विषय है। इसका उत्तर देने के लिए प्रधान मन्त्री को स्वयं सदन में उपस्थित रहना चाहिए। वे सदन की नेता भी हैं।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्यों का दर्जा देते समय किसी आदर्श को अपनाया जाना चाहिए। मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है जबकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अतः यह मांग संगत है कि प्रधान मंत्री को स्वयं सदन में उपस्थित होना चाहिये और दिल्ली, त्रिपुरा तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी मन्त्री इसका उत्तर दे सकता है। गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं। वे ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देंगे।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : यह देश के मामलों से संबंधित विषय है। अच्छा होता यदि प्रधान मंत्री यहां आकर इसका उत्तर देतीं।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"मनीपुर को राज्य का दर्जा देने से केन्द्रीय सरकार के कथित इंकार से उत्पन्न स्थिति"

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : जैसा कि सदन को ज्ञात है, भारत में कई संघ राज्य क्षेत्र हैं। इनमें से किसी भी प्रदेश को राज्य का दर्जा देते समय क्षेत्र, जनसंख्या, भूप्रदेश, आर्थिक विकास स्तर, वित्तीय संसाधन और सुरक्षा आदि पहलुओं पर विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रश्न पर हम ध्यान दे रहे हैं। किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सरकार को थोड़ा समय लगेगा।

श्री गणेश घोष : संविधान में यह उपबंध है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है, फिर भी मनीपुर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और मनीपुर के नागरिक को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जा रहा है। कांग्रेसी नेता ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अनुसरण कर रहे हैं और भेदभाव, आपसी फूट की नीति अपना रहे हैं। सरकार ने मनीपुर विधान मंडल को भी भंग कर दिया है। उसके बाद से मनीपुर में कोई चुनाव नहीं हुए हैं और सरकार ने मनीपुर का शासन अपने हाथ में ले लिया है। सभी वर्ग के लोग और मनीपुर के सभी राजनीतिक दलों ने

एकमत होकर मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है और कई अभ्यावेदन दिए हैं, शिष्ट मंडल भेजे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए हैं और निर्वाचित निकायों से त्यागपत्र दिए हैं। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यदि सरकार मनीपुर के लोगों की मांग नहीं मानती तो देश की एकता और प्रजातंत्रात्मक ढांचे को खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्या ये कांग्रेसी नेता एक उस निश्चित तिथि की घोषणा करेंगे जब तक कि मनीपुर के लोगों को सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे का अधिकार प्रदान कर देगी ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप 'कांग्रेसी नेता' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपका अभिप्राय 'सरकार' से होता है। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैंने पहले ही बताया है कि यह प्रश्न उलझा हुआ है और इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ पहलुओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। सरकार को मनीपुर के लोगों के साथ पूरी सहानभूति है। सरकार चाहती है कि मनीपुर के लोग अपने को देश का अंग मानें। अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले सरकार को कई पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : On 8th May this matter was discussed and Mr. Vidya Charan Shukla had replied that it was not proper to say that Government have turned down the demands of Manipur's people for giving statehood to Manipur. There is a lot of difference between the statement made by Shri Vidya Charan Shukla earlier and the statement being made at present. Perhaps Government want that first the people of Manipur should resort to violence and then only statehood will be given to them. There was Manipur bundh on 3rd May under the auspices of All-party Committee. Members of Shri Pant's party also participated. Similarly on All Party Parliamentary Delegation went to Manipur. The people of Manipur have been unanimously demanding the Statehood for Manipur. Manipur is a border area of North-East India and its population is 10 lakhs. Nagaland had been given Statehood only when the people of that region became hostile. Similarly Himachal Pradesh was given Statehood although it was not border area. Manipur is a border area. Why Statehood is not being given to that territory ? I can cite examples from History that people of Manipur have been agitating for the last ten years. After that Manipur was given territorial council. They again agitated and an Assembly was granted to them. Now they are agitating for getting Statehood to Manipur.

I would like to say that this Government is not competent to pass P. D. Act is Parliament because it is a minority Government. But Orissa Government have promulgated P. D. Act 1950 and the same has been enforced it in Manipur. Last year representatives of All Party Committee had majority but even them President Rule was imposed on Manipur. It seems that Government will only give the Statehood to Manipur when the people of Manipur become violent. I could not understand why Government is not giving Statehood to Manipur ? I would request the hon Minister to fix a date on which Statehood will be given to Manipur.

Shri K. C. Pant : As, hon. Member has just now stated that Congress Party in Manipur is also supporting the move so there is no politics or groupism involved in it. We are considering this question after setting aside the benefits of our party. We are thinking it on nation level. Unless we feel from the national point of view the necessity of giving Statehood to Manipur, till then it would nor be proper to give Statehood to Manipur. That is the only reason behind this and there is no other reason. I have not turned down the demand of the people of Manipur. We treat all Indians as equal. We respect their feelings and we do not want to heart their feelings.

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मंत्री महोदय का यह उत्तर संतोषजनक नहीं है कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु बड़े ही दुःख की बात है कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने पर सरकार नकारात्मक रवैया अपना रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1948-49 में क्या मनीपुर में विधान सभा और मंत्रिमंडल नहीं था ? यदि था, तो मनीपुर को संघ राज्य-क्षेत्र में शामिल करने के बाद यदि मनीपुर के लोगों से उपेक्षित व्यवहार किया जाएगा और मनीपुर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो इस पर मनीपुर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी ? इन सब बातों पर विचार किए बिना यह कहना ठीक नहीं कि मनीपुर एक पिछड़ा प्रदेश है। हम बचपन से ही मनीपुर नृत्य, और मनीपुर की संस्कृति से परिचित हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मनीपुर की जनता पिछड़ी हुई है या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार ने नागालैंड को पूरा राज्य का दर्जा दे दिया जब कि उसकी जनसंख्या केवल मनीपुर की जनसंख्या का आधा है और आर्थिक साधनों की भी वहां कमी है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का जवाब दें। अगर मेरी जानकारी ठीक है, तो मनीपुर के लोग अगस्त से समूचे राज्य में अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। यह सरकार उस सीमावर्ती प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति की दृष्टि क्यों करती है मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाए।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैंने कभी नहीं कहा कि मनीपुर की जनता पिछड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि मनीपुर की संस्कृति श्रेष्ठ है और इस पर हमें गर्व भी है। यह भारत की विशाल संस्कृति का एक अंग है।

अन्य प्रश्नों का जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चूंकि सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया अतः मैं सरकार को बधाई देता हूं। मगर अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों को भी इस प्रकार राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता ? मनीपुर में लोग काफी समय से आंदोलन चला रहे हैं। हाल मे म्युनिसिपल बोर्ड के 20 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य का दर्जा न देने के पीछे वित्तीय कारण है या राजनैतिक कारण है, क्योंकि मनीपुर सीमावर्ती प्रदेश है और वहां गैर-कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ होने की संभावना है। और एक मुस्लिम व्यक्ति मुख्य मंत्री भी बनेंगे ?

मंत्री महोदय के वक्तव्य में कोई तथ्य नहीं है। आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन का जहां तक सवाल है क्या वहां से आये शिष्टमंडल ने प्रधान मंत्री से कहा नहीं था कि ऐसी कठिनाइयों को दूर करने में वे प्रयत्न करेंगे ? सभी संघ राज्य-क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा देने संबंधी एक विशाल योजना सरकार ने क्यों नहीं बनाई ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जहां तक प्रश्न के अंतिम भाग का संबंध है, माननीय सदस्य को भी यह सोचना चाहिए कि इस प्रकार समूचे देश में कम आबादी वाले छोटे-छोटे राज्यों की स्था-

पना करना वांछनीय है या नहीं। यह संघ राज्य-क्षेत्रों के बारे में पूछा गया सामान्य प्रश्न है। सदन इससे अवगत है। अगर हम मनीपुर को राज्य का दर्जा देंगे तो सारे देश में इस की प्रतिक्रिया होगी। जहां तक वित्तीय बातों का सवाल है, 1971 के राजस्व का अनुमान 2.2 करोड़ रुपये हैं जबकि...

श्री हेम बरुआ : वे नागालेंड जैसे छोटे शब्दों को बहुत अधिक शक्ति देते हैं। मनीपुर को क्यों नहीं दे सकते ?

श्री कृष्ण चद्र पंत : लगता है कि आप प्रश्न के संबंध में ब्योरेवार जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब नहीं दिया गया।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : कांग्रेस दल सत्तारूढ़ होता है या अन्य दल, इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

श्री एम० मेघ चंद्र (आन्तरिक मनीपुर) **:** मुझे खेद है कि सरकार मनीपुर की जनता की आशा और आकांक्षाओं को समझ नहीं पायी। मनीपुर में 1948-49 में एक विधान सभा भी। जब मणिपुर का भारत संघ में विलयन किया गया, तो इस विधान सभा को भंग किया गया। 1954-55 में मैंने श्री गोविन्द बल्लभ पन्त के समक्ष मनीपुर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हजारों हस्ताक्षर समेत एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उसके बाद भारत सरकार ने एक क्षेत्रीय परिषद् की अनुमति दी। 1960 में हमने एक व्यापक आंदोलन चलाया और उसके परिणाम स्वरूप हमें एक क्षेत्रीय विधान सभा मिली।

हम जानते हैं कि 1962-63 में नागालेंड को राज्य का दर्जा देने का फैसला किया था। मनीपुर में भी उसी रंग-ढंग के लोग रहते हैं। मगर हमारी नितांत उपेक्षा होती रही।

यह एक ऐसा विषय है जिसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर मनीपुर की जनता असंतुष्ट रहती है, तो वहां विध्वंसक तत्वों की घुसपैठ की बहुत अधिक संभावनायें हैं। यह देश के हित के विरुद्ध होगा। अतः यह आवश्यक है कि मनीपुर की जनता की मांग को पूरा किया जाए और एक निर्धारित अवधि के अंदर मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाए।

श्री कृष्ण चद्र पंत : मैं वहां की जनता की भावना को समझ सकता हूं। मगर इस में कई बातें अन्तर्ग्रस्त हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। इस स्थिति में मैं इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

कई माननीय सदस्य : उठे।...(व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** उत्तर प्रदेश सरकार ने नजर बन्दी कानून लागू किया है ...(व्यवधान)...**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : अगर बगैर बुलाये आप बोलेंगे तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। आप बैठ जाइये अगर राज्य सरकारों ने कोई कार्यवाही की है तो हम यहां उस पर कैसे विचार करें। ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। आप अध्यक्ष-पीठ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यक्तियों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण सम्बन्धी संहिता —

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) व्यक्तियों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण संबंधी संहिता की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी० 3851/70]

(2) जन प्रसारण के माध्यम के संबंध के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम संबंधी समिति के प्रतिवेदन के भाग 2 में दर्ज सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3852/70]

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप-धारा (6) के अंतर्गत मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1970

श्रम, रोजगार तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० 2410 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी०—3853/70]

बाढ़ की स्थिति

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3854/70]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधि-सूचनायें

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) चीनी (मूल्य निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 9 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 934 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (मूल्य निर्धारण) पांचवां संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 18 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 956 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) चीनी (मूल्य निर्धारण) छठा संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, जो दिनांक 25 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 967 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) गुड़ (प्रयोग का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 26 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 970 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) रोलर मिल्स गेहूँ उत्पाद (एक्स-मिल) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 1 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1000 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) चीनी (मूल्य निर्धारण) सातवां संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1002 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) चीनी (मूल्य निर्धारण) आठवां संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 14 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1059 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) रोलर मिल्स गेहूं उत्पाद (एक्स-मिल) मूल्य नियन्त्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1969, (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2553 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3855/70**]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 987 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक

प्रति, जो दिनाँक जुलाई, 970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 842 में कतिपय संशोधन किये गये थे । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3856/70]

(3) धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 852 की एक प्रति जो दिनांक 30 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 4 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 553 का शुद्धि पत्र दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3857/70]

(4) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष, 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—3858/70]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3859/70]

भारतीय तार यंत्र (आठवां संशोधन) नियम

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय तार यन्त्र अधिनियम 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार यन्त्र (आठवां संशोधन) नियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 मई, 197 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 799 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3860/70]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1968 69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3861/70]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

छठा प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

आयुक्त तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के महानिदेशक के कार्यालयों के पुनर्गठन सम्बन्धी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ।

कृषि उपज उपकर (संशोधन) विधेयक

AGRICULTURAL PRODUCE CESS (AMENDMENT BILL)

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : श्रीमान्, मैं कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की सभा की अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दिल्ली दुकान तथा स्थापन (संशोधन) विधेयक—जारी

DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL—CONTD

अध्यक्ष महोदय : अब दिल्ली दुकान तथा स्थापन (संशोधन) विधेयक पर विचार जारी रहेगा ।

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagawat Jha Azad) : Mr. Speaker, Sir in yesterday ; debate no hon. Member has raised any no specific point which calls to a specific reply. But the point raised by Imam was replied to by Shri Tyagi in a very good many that the Government is directly dealing the matters regarding striking day with the view that if may uniformly be enforced on all shops. Therefore no contradictory point is here in this Bill.

I hope that this Bill will be passed through with out much discussion being held.

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री बि० प्र० मंडल द्वारा पेश किया गया संशोधन सख्या 53 मतदान के लिए रखना हूँ ।

प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The motion was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली दुकान तथा स्थापन अधिनियम, 1954 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 2 सदन के मतदान के लिए रखता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि दिल्ली दुकान तथा स्थापन (संशोधन) विधेयक पर हो रही चर्चा स्थगित की जाए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवारक नजरबन्दी कानून लागू किये जाने के बारे में विचार किया जाये । यह नहीं हो सकता । यहां कुछ निश्चित परम्परायें हैं । चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और वह भी असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है । अत: यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, Shri P. K. Mithra, second grade officer in the branch of Reserve Bank in Patna, is suspended on the ground that he took part in Trade Union Activities and also lead a deputation Show-cause Notices are served on another two hundred employees......**

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहते हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री श्री चंद गोयल (चंडीगढ़) : मैं संशोधन संख्या 4, 5, 6, 7 तथा प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, Mr. Goyal has moved his amendments. I would like to submit to you that the first reading of the Bill is not over. There are so many Members of other parties left to speak. Before they speak, how could you start the second reading ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और अब हम खण्डवार चर्चा कर रहे हैं।

श्री बि० प्र० मण्डल (मधेपुरा) : मेरा संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में है। इसको मतदान के लिये रखने के पहले मुझे सोचने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कहा गया है कि जब माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, उनका संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से विनती करता हूँ कि वे सदन के दैनिक कार्यों से बराबर सम्पर्क स्थापित करते रहें।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Deputy-Speaker, Sir, Shri Charan Singh, the Chief Minister of U.P. has become an autocrat and he has reinforced the preventive Detention Act. We have staged a walk-out as a protest against this. I would like to submit to you that Shri Ismail did not complete his speech and also several other Members are to speak. Please do justice towards everybody.

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब जानते हैं कि माननीय सदस्य बहुत संसदविज्ञ हैं। हम उनका आदर करते हैं। मगर वे इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्रीचंद गोयल : संशोधन संख्या 4 और 8 में मैंने यह सुझाव दिया है कि अधिनियम में 'शिक्षु' की परिभाषा उचित स्थान पर दी जानी चाहिये। 'शिक्षु' की परिभाषा खण्ड 7 के साथ खण्ड 7 (क) के रूप में दी जानी चाहिये। खण्ड 1 क के साथ दी गई इस परिभाषा से कोई तात्पर्य सिद्ध नहीं होता है। इसीलिये संशोधन संख्या 4 और 8 में मैंने यह सुझाव दिया है कि पृष्ठ 1 में पंक्ति, 7 से 12 का लोप किया जाय और पृष्ठ 2 में पंक्ति 12 के पश्चात् 'शिक्षु' का परिभाषा दी जाय।

इसके पश्चात् मैंने यह सुझाव दिया है कि खण्ड 1 (क) में 'स्थापन' से पूर्व दुकान या वाणिज्यिक जोड़ा जाय या कम से कम दुकान शब्द तो अवश्य ही जोड़ा जाना चाहिये। यदि दुकान शब्द का लोप रहेगा तो यह लाभ केवल उन्हीं 'शिक्षुओं' तक सीमित रहेगा जो स्थापनों में कार्य कर रहे हैं, दुकानों में कार्य करने वाले शिक्षु इस लाभ से वंचित रह जायेंगे।

इससे आगे मैंने यह सुभाव दिया है कि (ख) (7) में 'मुख्यतया' के स्थान पर आंशिक रूप में प्रतिस्थापित किया जाय, क्योंकि मुख्यतया का अर्थ पूर्णतया शब्द के अन्दर ही पूरा हो जाता है। यदि 'आंशिकरूप में' वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जो कर्मचारी 'मुख्यतया' और 'पूर्ण रूप से' नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त होंगे वे भी इस अधिनियम का लाभ उठा सकेंगे।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पूर्ण कालिक कर्मचारियों को छुट्टी तथा अन्य रियायतों का लाभ देना है। यदि इसे मान लिया जाय तो कर्मचारियों की नई श्रेणियों को इस विधेयक से किस प्रकार लाभ हो सकता है, इस विषय पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

जैसा कि एक मेरे मित्र ने कहा है कि यदि 'शिक्षुओं' के लिये भी इस प्रकार की रियायतों की व्यवस्था की जायगी तो निश्चित रूप से दुकानदार अपने यहां कम से कम शिक्षु रखना चाहेंगे। वर्तमान समय में दुकानों में काम करने वाले 'शिक्षुओं' पर काफी कार्य भार रहता है और यह कार्य भार और भी बढ़ जायगा क्योंकि दुकानदार यह सोचेंगे कि जिनको अभी प्रशिशित ही किया जा रहा है उनको इतनी अधिक रियायतें देनी पड़ती हैं अतः वे कम से कम 'शिक्षुओं' को भर्ती करके उन्हें अधिक से अधिक कार्य देना चाहेंगे।

दूसरे जहां तक 'पीसरेट' कर्मचारियों का सवाल है एक 'पीसरेट' कर्मचारी थोड़े समय में अपना काम पूरा करके यह कहेगा कि मेरा कार्य पूरा हो चुका है तो क्या ऐसे कर्मचारियों को ये रियायतें देना उचित होगा ?

कमीशन एजेन्टों के लिये जो व्यवस्था की गई है वह भी उचित नहीं हैं। यदि एक कमीशन एजेन्ट दो घन्टे प्रतिदिन कार्य करके अथवा दो ही दिन कार्य करने के पश्चात् छुट्टी मांगता है तो इस पर ये नियम किस प्रकार लागू होंगे ?

मन्त्री महोदय ने सदस्यों के सुझावों को नहीं माना है। मन्त्री महोदय कृपया यह बताने की कृपा करें कि जिस विधेयक से उन कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा जिनकी संख्या कम कर दी जाने की संभावना है और जिससे नियोक्ताओं को भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उन्हें अधिक दरों पर वेतन आदि देने होंगे इसलिये नियोक्ता विस्तार के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उसको प्रस्तुत करने से क्या लाभ है ?

दिल्ली एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यदि नियोक्ताओं और दुकानदारों के लिये कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जायेंगी तो दिल्ली के व्यापार का स्थानान्तरण हो जायगा। कर्मचारियों को सुविधा देने के हेतु सरकार ने दिल्ली के विकास की बात पर विचार नहीं किया है।

सरकार दुकानदारों पर जितना भी भार लायेगी वह सब किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जायगा। ये उपभोक्ता उन कर्मचारियों से भी अधिक गरीब हैं जिन्हें लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ऐसी परिस्थितियों में दुकानदार नये कर्मचारियों को रोजगार देने में असमर्थ हो जायेंगे।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : श्री श्री चंद गोयल द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन संख्या 4, 6 और 8 अधिनियमों में अपनायी जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के अनुकूल नहीं हैं अतः उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। आशा है माननीय सदस्य उन्हें वापस ले लेंगे।

जहां तक संशोधन संख्या 5 का सम्बन्ध है पृष्ट 18 खण्ड 9 में दिया गया है कि प्रस्थापना का अर्थ दुकान से है। अतः यह संशोधन भी आवश्यक नहीं है।

'प्रतिदिन' शब्द को अन्तःस्थापित करने के लिये सुझाव दिया गया है। इस शब्द को जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 'प्रतिदिन' शब्द का अर्थ दिये गये शब्द 'पीरियोडिकल' के अन्तर्गत ही समाविष्ट है।

कमीशन एजेन्टों के लिये इस लाभकारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कमीशन एजेन्ट भी एक प्रकार के मजदूर ही हैं उन्हें इन लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

यदि 'मुख्यतया' शब्द के स्थान पर 'आंशिक रूप से' शब्द को स्वीकार कर लिया जाय तो इस प्रकार क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जायगा जिससे अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां सामने आयेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी संशोधन मतदान के लिये रखे जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3—(धारा 6 का संशोधन)

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन सख्या 17 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना, संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha : This clause provides that each change will be intimated to the inspector which will be reached in the Official Register. You want to provided a period of thirty days for this test and we want the period to be extended to 40 days. There are certain small shop-keepers who are not so miticulous as to perfectly execute their task within the scheduled time. In view of this, they should be given a period of 40 days to intimate the inspector if there occurs any change.

Shri Om Prakash Tyagi : I want this period to be extend to 40 days since for the labourers and the official machinery it would be difficult to complete the requirements within 30 days.

Shri Bhagwat Jha Azad : It has been experienced that the requirement is not completed within 15 days, therefore it has been proposed to extend the period upto 30 days and more extension seems to be unnecessary.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 और 29 मतदान के रखे गए और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 17 and 29 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री श्रीचंद गोयल : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 19 और 20 प्रस्तुत करता हूँ

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं अपना संशोधन संख्या 46, 47 और 48 प्रस्तुत करता हूं

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीचंद गोयल : मेरा सुझाव यह है कि उप खण्ड 1 की पंक्ति 21 से "आधे" शब्द का लोप किया जाय । क्योंकि आधे घंटे के मध्यान्तर का कोई महत्व नहीं है । इसके स्थान पर 1 घंटे का समय किया जाना चाहिये ।

Shri Shiva Chandra Jha : There should be interval after 2½ hrs. instead of 5 hrs. work. Even in capitalist country like America, there has been made a provision of interval after 2½ hrs. of work. Here in India we should also make such a provision. Besides this, there should be an interval of one hour for lunch.

Time of interval should be fixed by the Employer in consultation with the employees or their representatives.

It has been said in clause 2 that the Act will remain in force for three months. I would like to know whether the Act would remain in force in case employers and employees desire a charge before the expiry of three months ? Secondly, whether it would be changed even if the employers and the employees are satisfied and want to continue for more than three months ?

It is with this objective that I have desired to amend the provision till that time the employers and the employees make some other decision.

Shri Om Prakash Tyagi : I agree to it that there should not be more than 5 hours of continuous work. But if the occasion demands and both the employer and the employee agree, the time limit may be extended as required.

I would like to mention for the information of the house that the inspectors are not interested to enquire whether the workers are enjoying interval time after five hours of works. He is only interested in making money from the shopkeeper in case the worker is released a bit later, therefore, I have suggested that the limit of 5 hours may be extended with the consent of the employer.

You have made a provision of half-an-hour interval for lunch and rest etc. I would like to know whether this ½ hour is sufficient for the purpose ? The interval time should be extended to one full hour.

It has been said that the time or interval shall be fixed by the employer. Instead the time being fixed by the employer, it should be fixed by the employer in consulation with the employees which would develop harmonious and cordial relations between the two.

श्री लोबो प्रभु : जैसा कि श्री शिव चन्द्र झा ने कहा है मेरा भी सुझाव यही है कि 3 महीने के समय के स्थान पर समय सीमा मजदूरों तथा मालिकों द्वारा आपस में मिलकर निश्चित की जानी चाहिये । इसका कारण श्री त्यागी जी ने बताया है कि इन्सपैक्टर आदि इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि मालिकों की कठिनाइयों से किस प्रकार लाभ उठाया जाय । यदि आप 3 महीने का समय निश्चित करते हैं तो मजदूर को तीन महीने के पश्चात् मालिकों के सामने अपनी नई माँगे रखने का अवसर मिल जाता है ।

समाजवाद का नाम लेकर, नये-नये कानून बनाकर आप लोग दिनों दिन उलझनें पैदा करते जा रहे हैं । ऐसी उलझनों से कोई भी दुकानदार प्रसन्न नहीं है । इन्टरवल का समय आध घन्टे का हो या 1 घन्टे का, इस विषय को मालिक तथा मजदूर ही अच्छी प्रकार से निपटा सकते हैं । जब मजदूर और मालिक सहमत हैं तो सरकार की ओर से 5 घन्टे आदि के समय की कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये क्योंकि कभी कभी निरन्तर 6 घन्टे कार्य करना भी बहुत लाभकारी हो जाता है तो कभी दो पारियों में 8 घन्टे काम करना लाभप्रद सिद्ध होता है । इस सम्बन्ध में कोई भी नियम बनाने से पूर्व मालिक और मजदूरों के सम्बन्धों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है ।

Shri Mohammad Ismail : Half-an-hour time provided for rest is not sufficient. The interval should be for one full hour, so that the workers may take their meals, tea and rest after five hours of continuous work. There are certain shops where sometimes man has to work for 16 or 17 hours. If the provision on hour's rest after five hours of work is agreed to, then such employees will also be satisfied and discharge their duties satisfactorily.

The decision arrived in this way should be communicated to the inspector and it should continue for one year in place of three months. The decision taken should have a legal binding. If the worker desires three hours reft after fifteen hours of continuous work, he should be legally authorised for that, If the decision requires a change, it should be changed after one year.

Shri Bhagwat Jha Azad : The Bill provides for half-an-hour rest after five hours of work. This does not mean that no employer can have rest prior to five hours, this also does not mean that only half an-hour can be taken. This is a binding on the employer that employees must be given half an-hour rest after five hours of work. There, both the provisions, that is the rest might be taken prior to two hours and it can be more than half-an-hour, are permissible.

It has been said that why the workers are not being allowed to work even after they have worked continuously for five hours ? In this regard my submission is that adversely affects the health of the worker, the working procedure and the quality of work. What we have done is not new. This procedure already exists in factories and we have it from there.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा गया और

अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No 18 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन-संख्या 19 और 20 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 19 and 20 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The rest of the amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill,

खण्ड 6

श्री लोभो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 6 के अन्तर्गत मालिक तथा मजदूर के बीच मजदूर संघ का सन्निवेश किया गया है । इस प्रकार का अधिनियम 1954 से चला आ रहा है । इस विधेयक के अन्दर ही मजदूरों को अपनी कठिनाईयां प्रस्तुत करने के लिये मजदूर संघ की क्या आवश्यकता आ पड़ी है । क्या मंत्री महोदय किसी ऐसे मामले का उदाहरण दे सकते हैं । जहां मजदूरों की कठिनाईयाँ मालिकों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गयीं ।

इस विषय में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से दिल्ली के आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा । कम से कम लोगों को उनके विचार जानने का तो अवसर दिया जाना चाहिये था । मजदूरों ने मजदूर संघ बनाने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है । मैं मजदूर संघ का विरोधी नहीं हूं । परन्तु उन मजदूर संघों का विरोधी अवश्य हूँ जो केवल यूनियन के हित के बारे में ही सोचते हैं ।

आपने जो व्यवस्था की इस से एक बहुत बड़ा व्यापार संघ बनेगा, सम्भवतया यह संघ देश में सबसे बड़ा संघ होगा। प्रत्येक छोटा सा झगड़ा औद्योगिक-विवाद का रूप ले लेगा और मजदूर हड़ताल कर देंगे। आप यही करने जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में गत पन्द्रह वर्षों से मजदूर संघ नहीं है वहां आप बिना कारण मजदूर संघ की व्यवस्था क्यों करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह मजदूर संघों की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं है। मजदूर संघ तो पहले ही विद्यमान हैं। प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत हम कर्मचारियों को यह अधिकार देना चाहते हैं कि यदि वह चाहे तो वेतन आदि न मिलने की स्थिति में मजदूर संघ की ओर से कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। मजदूर संघ उसकी ओर से उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं यदि कर्मचारी उन्हें ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कह दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 56 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 56 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खंड 7

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12, 13, 14, 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चंद्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 21, 22, 23 और 24 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने संशोधन संख्या 25, 26, 27 और 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माईल (बैरकपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपने संशोधन संख्या 51 और 52 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचंद गोयल (चंडीगढ़) : मैंने अपने संशोधन संख्या 12 से 15 तक में "निरन्तर" शब्द को हटाने का सुझाव दिया है। यह कर्मचारी को विशेष छुट्टी, बीमारी के अथवा आकस्मिक अधिकार पर छुट्टी देने के बारे में है। यदि कोई कर्मचारी 12 महीनें निरन्तर कार्य करता है तो उसे 15 दिन की विशेष छुट्टी, और 12 दिन की आकस्मिक या बीमारी की छुट्टी मिलती है। "कांटीन्युअस" (निरन्तर) शब्द से बहुत सी समस्यायें उत्पन्न होंगी, अतः केवल 12 महीने का कार्य लिखना ही काफी है।

इसी प्रकार मैंने पृष्ट 3 की पंक्ति 35 में प्रयुक्त "हाऊएवर" (तथापि) शब्द को हटाने का सुझाव भी दिया है। यह शब्द यहां ठीक नहीं बैठता और यह यहां अर्थहीन है।

Shri Shiva Chandra Jha : My amendment is : that sickness and casual leavs should be of 15 days. Instead of 12 days, privilege leave should be of 30 days instead of 15 days and similarly an employee who works for four months 'continuously' should be entitled to 7 days privilege leave instead of 5 days. One casual leave which becomes due in one month should be increased to two casual leaves. I do not think any confusion is caused by the word "continuous". The word "continuous" does not imply that an employee will have to work on all the 365 days in a year. The holidays are automatically included in this period. If my amendments are accepted this Bill will become more meaningful and it will be much appreciated.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : जब तक "कांटीन्युअस" (निरन्तर) शब्द की परिभाषा नहीं की जानी तब तक विधेयक में इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस शब्द की उचित व्याख्या की जानी चाहिये अन्यथा इससे बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि कांटीन्युअस" (निरन्तर) शब्द की व्याख्या करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : My first amendment is that at page 3, line 23, *after* "days", "sickness and" should be added, because I think that besides one day's casual leave, one day's "sickness" leave should be provided for. My second amendment is regarding accumulation of leave for ninety days Thirdly, the word "*not*" should be omitted from the expression 'leave admissible under clause D of sub-section I shall not be accumulated".

Shri Mohammad Ismail : As per the previous experience, the word "continuous" will not be correctly interpreted by employers. Actually, the workers who are governed by Shops and Establishment acts are to work for 240 days in 12 months. But the employers interpretation of the term 'continuous" will lead to several anomalies. It is a practical difficulty. It should be amended to read as 240 days instead of 12 months "continuously".

Shri Deven Sen : I feel quarters or living accommodation must for workers. I can say on the basis of previous experience of Asansol that if accommodation is provided to workers, it improves their standard of living. All the big business executives are having shops in Delhi. It should have been stated by the hon. Minister to how many employees are working in Delhi shops, how many of them come under direct labour and how many under indirect labour. I am sorry to say that no accommodation facilities have been provided to these workers either by the Government or by the Delhi Municipality. If it is difficult to provide accommodation at present, a provision for house rent should be made. Gratuity facility should also be there for these employees.

श्री भागवत झा आजाद : कुछ सदस्यों ने 'कांटीन्युग्रस' (निरन्तर) शब्द को हटाने की मांग की है परन्तु मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस शब्द का कोई असामान्य अर्थ प्रस्तुत विधेयक में नहीं निकलता। इस शब्द का प्रयोग श्रमिकों से सम्बद्ध पहले बनाये गये नियमों में भी किया गया है। श्री कुन्दू ने "कांटीन्युअस" (निरन्तर) शब्द की व्याख्या के लिए कहा है। मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि बीमारी के लिए दो या तीन दिन का अवकास लेने से नौकरी निरन्तरता में कोई विघ्न नहीं पड़ता क्योंकि बीमारी की छुट्टी के लिए विधेयक में पहले ही व्यवस्था है। हां यदि कोई व्यक्ति एक बार नौकरी छोड़कर दो महीने के बाद पुनः वापिस उसी दुकान पर आ जाये तो उसकी नौकरी के बारह महीने दूसरी बार नौकरी आरम्भ करने के दिन से गिने जायेंगे। अतः इस शब्द का हम सामान्य शब्दकोश वाला अर्थ ही लेते हैं। फिर साथ ही हमने यह व्यवस्था भी तो कर दी है कि हर महीने के बाद वह अपनी पांच दिन की छुट्टी ले सकता है। इसके साथ ही 12 महीने की जगह जो 240 या 150 दिन रखने की बात कही गई है वह उपयुक्त नहीं है और 12 महीने लिखना उससे कहीं अधिक सार्थक है। श्री श्रीचन्द गोयल ने "हाऊएवर" (तथापि) शब्द को अनुपयुक्त बताया है परन्तु यह विधि विशेषज्ञों की मंत्रणा से ही रखा गया है और इस शब्द का स्थान परिवर्तन उपयुक्त नहीं होगा।

श्री शिवचन्द्र झा ने छुट्टियाँ बढ़ाने का संशोधन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत विधेयक का आधार अखिल भारतीय होगा और जो हमने 15 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की है वह बिलकुल उपयुक्त है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते। श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 मैं स्वीकार करना चाहता था परन्तु चूंकि विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है, अतः श्री गुप्त को इसके लिए अधिक दबाव नहीं डालना चाहिये। श्री देवन सेन के संशोधन संख्या 51 और 52 सराहनीय है परन्तु वे अधिनियम की परिधि में नहीं आते।

मैंने सभी संशोधनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूं?

श्री शिवचन्द्र झा : संशोधन संख्या 21 को अलग से रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया
Amendment No. 21 was put to the vote of the House.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 22; विपक्ष में 79
Ayes 22; Noes 79

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The rest of the amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खंड 8 **धारा 24 के स्थान नई नई धारा का रखा जाना**

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ट , पंक्ति 11 में, "1969" **के स्थान पर** "1970" **रखा जाये ।** (3)

(श्री भागवत झा आजाद)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8, as amended, was added to the Bill

खंड 1—संक्षिप्त नाम संशोधन किया गया :

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "1969" **के स्थान पर** "1970" **रखा जाये** (2)

(श्री भागवत झा आजाद)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was adopted to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पक्ति 1 में,—"Twentieth Year" (बीसवें वर्ष) **के स्थान पर** "Twenty-first year" **(इक्कीसवें वर्ष)** रखा जाये। (1)

(श्री भागवत झा आजाद)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

Shri Shiva Chandra Jha : This Bill was stated to be an ordinary and simple one, when it was introduced in the House by hon. Minister. However, during the course of discussion it came to light that even this simple Bill is not without loopholes. So, I think, no Minister should claim that his Bill is perfect. Although, on the whole, I welcome this Bill but had a little more attention been given to make provision for quarters, eatables, libraries and social gathering halls for these workers, this Bill would have become more meaningful and beneficial.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : I welcome this Bill, but as a precautionary measure I would like to say that Delhi does not consist of Connaught Place and other big shops only. There are 250 to 300 villages around it, where there are small shops also. These shopkeepers are having only one or two as assistants. So we must keep these people also in view while passing any legislation for Delhi.

The speed of passing legislation in our country is faster than that of any other country in the world but I am sorry to say that these legislations are being violated with a higher speed. The rule of law is on the decline day by day. The laws which are already on the statute look, are not being implemented. Government must think over it.

There are exploiters and exploited in this country. The poor workers are being exploited by employers as well as by Trade Unions. So it is the duty of the Government to watch that legislation is put into effect is letter and spirit by the administration. The inspector, who ultimately implements it, should be made to understand that his duty is not to add to the difficulties but to solve them.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy-Speaker, although I support the Bill yet I want to draw the attention of the Government towards its loopholes.

My main point is that the legislation which is being passed should be strictly implemented by Government and Delhi Administration. There is no dearth of laws in this country. There are already several laws such as Labour Laws, employees laws and Land Ceiling Acts etc. but these are not being implemented for the other hand, these laws are being violated by big factories. Today, our bank employees are struggling for trade unions rights. Several trade union leaders are being harassed. The employees should be provided all facilities, such as accommodations, cheap foodgrains etc. In the end, I may again stress that this legislation should be properly implemented and with these words I support the Bill.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : Mr. Speaker, Sir, I thank the Government for having brought forward this Bill. Some facilities are sought to provide to the employees working in shops through the Bill. But it should have been made a comprehensive Bill. I would like to draw the attention of the Government to the grievances of the consumers in various shops in Delhi.

According to the Delhi Shops and Establishments Act, shops are generally closed at 7.30 p.m. This will create unlimited difficulties to the consumers who can go for shopping only after that time. The Government is allowing the big hotels where cabaret dances are staged, to remain open, until late at night. This is not fair. I want the shops to remain open upto 9 O'clock during winter season.

Another thing which I would like to bring to the notice of the Government is regarding the unwarranted difference in prices at various shops. This should be stopped as early as possible. The Government should issue strict instructions to the shopkeepers that they should always display price lists. Hence, the present Bill should be amended so as to include provision to this effect also.

Another thing is regarding the poor footpath sellers in Delhi. The Delhi Münicipal Committee seized their goods and the poor people are forced to pay considerable. The same amount to recover this exploitation should be ended.

Hence I would submit that the Bill may be made comprehensive so that these matters also can be included in it and thereby put an end to all kinds of exploitation and all others obsence entertainments such as cabaret dances etc.

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। लम्बे समय के बाद मजदूरों को कुछ सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था इसमें की गई हैं। मगर इसको और अधिक व्यापक बनाया जा सकता था।

इसमें जो कमियां हैं। उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पेरेन्ट (अधिनियम) करने के समय की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जितना समय कर्मचारी मालिक के अधीन रहता है। उतना काम का निर्धारित समय है। यह बहुत ही उपहासस्पद परिभाषा है। अगर काम करने के समय सम्बन्धी प्रावधान में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जाता, या यह

प्रावधान नहीं किया जाता कि काम करने का समय किसी भी हालत में आठ घंटे से अधिक न हो, पांच घंटे के बाद आराम लेने की व्यवस्था से कोई खास फायदा नहीं होगा।

ऐसे ही कई अन्य बातें हैं। 'कर्मचारी', 'स्थापना' और 'वाणिज्यिक स्थापना' आदि की परिभाषाएं भी बहुत विचित्र मालूम होती है। वाणिज्यिक स्थापनाओं में होटल, रेस्तोरां आदि को इस कारण से शामिल नहीं किया गया कि वे कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। मगर आगे कहा जाता है कि 'स्थापनाओं' के अन्तर्गत होटल, रेस्तोरां आदि आते हैं। वैसे ही कर्मचारी के संबन्ध में कहा गया है कि कर्मचारी वह व्यक्ति है जिसको कि नौकरी से हटाया गया हो और इस अधिनियम के आधार पर उसके दावों का निपटारा नहीं किया गया हो, और वह व्यक्ति जो कि किसी कारखाने द्वारा नियुक्त किया गया हो, मगर 1948 का कारखाना अधिनियम उस पर लागू नहीं होता हो। इस तरह की परिभाषायें अनावश्यक उलझनें पैदा करेंगी। अतः मैं चाहता हूँ कि दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र के अधिकारी लोग बाद में एक और अच्छा विधेयक पेश करें।

लगातार काम सम्बन्धी जो परिभाषा है। उसे और अधिक स्पष्ट कहना चाहिये। अगर कोई मजदूर एक दिन बीमार पड़ता है, तो यह बात न्यायालय के निर्दिष्ट करनी पड़ेगी कि इससे उसकी सेवा भंग हुई है या नहीं। यह बातें अनावश्यक उलझनें पैदा करेंगी। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार एक साल में 240 या 250 दिन का काम निश्चित करें। निरन्तर रूप से 365 दिन तक कोई काम नहीं कर सकता। अतः इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में रात के दस बजे के करीब एक, दो और कभी-कभी तीन बजे तक होटलों में कैबरे नृत्य वगैरह चलते रहते हैं। कभी-कभी समाचारपत्रों में औरतों के नंगे या अधनंगे चित्र आते हैं। मगर कभी भी यह नहीं सुना है कि पुलिस ने ऐसे किसी होटल में छापा मारा हो। बड़े बड़े अमीर लोग इसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। यह बहुत ही भद्दी स्थिति है। इस का तुरन्त निराकरण किया जाना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I congratulate the hon. Minister for he has brought forward a Bill which is progressive in all its aspects. The most important thing which I want to tell him in this connection is that it should be implemented as soon as possible. There are ample provisions in this Bill regarding working hours, leaves, salaries, uniforms, residence etc.

As Shri Mandal said, the consumers are facing difficulties since the shops are closed at 7.30 P.M. Amendment should be made to mitigate such difficulties.

There are so many people who are sleeping on footpaths, with their bodies exposed to the vagaries of weather. As a result of this, many of them die. They should also get some benefit through this Bill. Apart from this, there are so many private servants, taxi-drivers, rickshaw drivers and the like, who are earning a very meager amount. The Minimum Wages Act is there, but who will take pains to implement this ? Similarly, Harijans and their labourers in villages also are not covered by this Bill.

This Bill should be made comprehensive so that a vast majority of the people may benefit through this.

I wholeheartedly support this Bill.

Shri Mohammad Ismail : Mr. Deputy-Speaker. Sir, Bills of this kind could not hither to fore achieve their purpose for which they were passed. The Government is not giving any information regarding the working of laws. We have seen that workers get benefit only when they fight for it. Otherwise, the Government generally neglects their cases.

The Shops and Establishments Act has been in force since 1954, but no report is with us today to see as to how many people have benefited from it. Our experience is that the provision for leave in the Shops and Establishments Act, is applied on a very limited percentage of workers. Our amending Bill was introduced specially for Delhi, but nobody knows how many shops are there in Delhi and also how many employees are working there. I would like to submit that those entire workers who are not coming under the purview of any other Bill, should be covered by this Bill so that their interests are safeguarded.

Shri Madhok had said that Trade Unions are exploiting the workers. I don't think this Bill will also be implemented properly. We are passing legislations in the interest of the poor people, but it is the rich people who are benefited. Corruption is rampart in the Shops and Establishments Department The small goods seller and shop owners are terribly exploited. The Government should set up a Parliamentary Committee and institute an inquiry into the affairs of the Establishments Department. We have no factual information regarding Delhi. We don't know how many people are benefited by this. The shop-owners are harassed and the workers are not given their due. Corruption is rampart in this Department. Therefore, I urge the Government to make an inquiry into the functioning of this Department.

Shri Bhagwat Jha Azad : The suggestions made by hon. Members will be sent to the Delhi Administration.

Another thing which I would like to say specifically, is that the apprehension that leave will be granted only after continuous work for 12 months, is baseless. After continuous work for 4 months, a worker will be entitled to 5 day's leave. Then regarding the definition of continuous work, it was not given in the original law. If an difficulty arises in this connection, we will patiently go into it and make necessary arrangements to remedy them.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक

DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में, विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, मूल्य कानून 1948 में बनाया गया था। डॉक कर्मकारों की अस्थायी नौकरी के कारण उन्हें हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून के द्वारा सरकार नौकरी को नियमित करने के लिए डॉक कर्मकारों के पंजीकरण की योजनायें बना सकती है।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, विशाखपतनम, मर्मगोआ और खांडला के नौभरक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए हम ने कई योजनायें बनाई हैं। प्रत्येक योजना एक त्रिदलीय सांविधिक समिति द्वारा चलाई जाती है जिसमें सरकार के, डॉक कर्मकारों के और नौवहन कंपनियों के कर्मचारियों का समान प्रतिनिधित्व होता है। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को बारी से बुकिंग, महीने में गारंटी की हुई न्यूनतम मजूरी, उपस्थिति भत्ता, निराश भत्ता अवकाश, वेतन सहित छुट्टी भविष्यनिधि, उपदान और अन्य सुविधायें मिलेंगी। कुछ श्रेणियों के डॉक कर्मकारों की नौकरी को नियमित करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले उन के संबंध में विवरण प्राप्त करने के लिए उनकी सूची तैयार करने की योजनायें चालू की गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत जो कर्मकार आते हैं, उन्हें भी कुछ ऐसी सुविधायें मिलती हैं जो पंजीकृत कर्मकारों को मिलती हैं।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर वर्तमान कानून में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक महसूस हुआ है। इस विधेयक में आवश्यक संशोधन किया गया है। डॉक कर्मकार बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था इसमें की गई है। वैसे ही अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं में कंपनियों के निदेशकों, प्रबन्धकों आदि को दंड देने की भी व्यवस्था की गई है।

आशा है कि विधेयक के सभी प्रावधानों का सदन के सभी दलों द्वारा स्वागत किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

> "कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में, विचार किया जाए।"

श्री लोबो प्रभु : श्रीमान्, गोदी श्रमिक और पत्तन प्रबन्ध समिति की हालत बहुत अधिक बिगड़ी हुई है। 1948 में जो कानून बनाया गया उसके बावजूद भी आज यह हालत है, गोदी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में सरकार की असफलता को ध्यान में रखते हुए हमें इस विधेयक पर विचार करना चाहिए।

कलकत्ता पत्तन में गोदी कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई, उससे 110 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात-माल रुका रहा। इससे हमें विदेशी मुद्रा की कितनी हानि उठानी पड़ी इसका

हर कोई अंदाज लगा सकता है। यह सब इसलिए हुआ कि गोदी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में सरकार असफल रही। कलकत्ता पत्तन में एक ही समय तीन हड़तालें हुई। इन सब के परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन का जो पहला स्थान था, वह स्थिति नहीं रही। इसके अलावा कई अन्य बातें हैं जिनकी ओर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। निर्दलीय समिति ने सिफारिश की थी कि पत्तन में अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या 18,000 है और उन्हें नौकरी से हटाया जाना चाहिए। मगर यह अब तक नहीं किया गया। इसके विपरीत, उन्हें समयोपरि भत्ता भी दिया गया।

जो हालत कलकत्ता पत्तनों की है वही अन्य पत्तनों की है। सरकार का नवीनतम प्रस्ताव भारत की तीन मुख्य श्रमिक संस्थाओं को शामिल कर एक निर्दलीय निकाय बनाने का है, जो कि हड़ताल वगैरह का शांतिपूर्ण ढंग से हल खोज निकालेगा। यहां सवाल प्रस्ताव का नहीं, उसके कार्यान्वयन का है।

सरकार को हड़ताल संबंधी विवरण जनता को देना चाहिए। जो मांगें न्यायसंगत हैं। उनको पूरा किया जाना चाहिए और जिस मांग से देश को हानि होती है, उसका बोझा उन श्रमिकों पर डालना चाहिए जो हड़ताल करते हैं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जबकि गोदी का काम हमारी नौसेना कर सकती है, हम गोदी कर्मचारियों को मनमाने ढंग से क्यों काम करने देते हैं। यह बंद होना चाहिए।

अंत में मुझे यह कहना है कि जनता के मन में भारतीयता और निःस्वार्थ सेवा की भावना को पैदा करना चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी काम करना है।

डॉक कर्मकार कल्याण निधि में कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। पहले यह पता लगाया गया था कि नौसेना के अधिकारियों के विदेश जाने में इस निधि का उपयोग किया गया था। अतः मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस में से अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए।

संशोधन संख्या 7 ए (1) और (2) के द्वारा कंपनी और प्रबन्धक दोनों को दंड देने की व्यवस्था की जा रही है। जब अपराधी का पता लगाया जा सकता है, तो यह दंड कंपनी को भी क्यों दिया जा रहा है? आप किसी कंपनी को सजा नहीं दे सकते और अगर आप जुर्माना लगाते हैं, तो अन्त में लोगों को उसका बोझा सहना पड़ता है। अतः केवल अपराधी व्यक्ति को ही दंड दीजिए। इस प्रकार देश की जनता के साथ न्याय कीजिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Mr. Chairman, Sir, I support this Bill. The Government have done well by including the provision in this Bill for the registration of workers as also of the rotational work. We must open new avenues of employment so that the vast majority of our population can earn their livelihood.

In shipping business, we are far behind the other nations. Hence, we have to develope and improve this business.

One of the amendments seeks to impose five or impose other penalty on the offending officers also. This is a proper one. Formerly, the officers could easily escape from punishment.

The employees working in private ships are in a distressing condition. When ships go abroad, they do not have any connection with their houses. Both are quite unaware of what is happening to each other. Hence I make a suggestion that the shipping corporation should create a department for looking after the families of the workers who are going far away in ships. The Government should seriously think over it. In this Bill there is no such provision.

After continuous work for 6 months, long leave for six months is granted to them. What kind of system is this ? This should be stopped and leave should be granted to them as and when it is necessary and also they must get information regarding their houses when they are abroad. Their dearness allowance, should be increased and all other facilities should be given to them.

Finally, while I am supporting this Bill, I would like to request the Government to make their available newspapers when they are in ships on way to other countries. The Government think over these points.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा दिसम्बर 1967 में पास किया गया था परन्तु लोक सभा में इसे अगस्त 1970 में प्रस्तुत किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं। इस बात का एक विशेष महत्व है क्योंकि इस विधेयक में जो मुख्य संशोधन किया गया है उसके अनुसार समवायों को उनके द्वारा अपराध किये जाने पर दण्ड देने की व्यवस्था है। परन्तु राज्य सभा में इस विधेयक को लोक सभा तक आने में लगभग ढाई वर्ष का समय लग गया है और इस दौरान जिन समवायों ने अपराध किये हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इस विधेयक का उद्देश्य दण्ड प्रक्रिया को कठोर बनाना है। परन्तु सरकार ने विधेयक को पास करने में विलम्ब कर वास्तव में समवायों को अपराध करने की अनुमति दी है। सरकार को इन सभी बातों की व्याख्या करनी चाहिए।

दूसरे मेरे विचार में धारा 3 के अन्तर्गत जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके अन्तर्गत कल्याण निधि तथा कल्याण योजनाओं के लाभ के लिए गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों के साथ अधिकारियों को शामिल किये जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

गोदी श्रम बोर्ड के अन्तर्गत काम कर रहे लगभग 14,000 मजदूरों के लिए अभी तक मकान आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है वे बहुत दयनीय हैं। बम्बई में गोदी श्रम बोर्ड के अन्तर्गत काम कर रहे मजदूरों के लिए आवास परियोजना है परन्तु कलकत्ता में ऐसी कोई परियोजना आरम्भ नहीं की गई है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मजदूरों तथा अधिकारियों दोनों को ही कल्याण निधि से लाभ उठाने की अनुमति दी गई है तो इसका अधिक लाभ अधिकारी ही उठायेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि इस संशोधन में से अधिकारियों के वर्गों को निकाल दिया जाये। यदि आप अधिकारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए पृथक व्यवस्था कर दी जाये।

खण्ड 7 में जो परन्तुक है मेरे विचार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई भी अधिकारी, निदेशक अथवा प्रबन्धक न्यायालय के समक्ष जाकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकता है। उसको अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अतः इस उपबन्ध को भी हटा दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के ढाई वर्ष पश्चात् लोक सभा में लाया जा रहा है। इस दौरान अनेक घटनाएं घट चुकी हैं। अनेक मामलों में कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। अनेक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार संशोधन करने को तैयार नहीं है।

हाल में कलकत्ता में हड़ताल हुई थी जो कुछ सप्ताह तक रही थी। इसका कारण यह था कि सरकार पुरानी पद्धति को एकदम समाप्त करना चाहती है। वहां पर नौकरियां ग्रुपों के रूप में होती हैं। पदोन्नति भी गैंग-वार ही होती है परन्तु सरकार इस समूची प्रणाली में परिवर्तन करना चाहती है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार नई प्रणाली को भविष्य में भर्ती होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखे।

जब नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गैंग-वार बुकिंग की प्रथा खत्म हो गई है। प्रत्येक गैंग के अन्तर्गत जो पदोन्नति होती थी वह अब वर्ग-वार होगी। देश के मजदूर अभी पुराने विचारों के हैं। वे काम के एक तरीके के आदी हो चुके हैं अत. उस तरीके में परिवर्तन करना बहुत कठिन है। उनको नई प्रणाली के लोगों से अवगत कराया जाना चाहिए। उनको यह भी समझाया जाना चाहिए कि अन्त में उनको नई प्रणाली से लाभ होगा। उनकी सेवाओं को दूर किया जाना चाहिए।

मजदूरों को डर है कि नई योजना के अन्तर्गत अनेक मजदूर फालतू हो जायेंगे क्योंकि विशेषज्ञ समिति, चटर्जी समिति, ने यह सिफारिश की थी कि कलकत्ता गोदी में मजदूर फालतू हैं और उनकी संख्या कम की जानी चाहिए।

उनको दूसरा डर यह है कि यदि गैंग-वार पदोन्नति की प्रणाली खत्म कर दी जाती है तो मजदूरों को भारी हानि होगी।

मेरे विचार में इस नई योजना को यदि थोड़ा धैर्य से और थोड़ी और चर्चा करने के पश्चात् क्रियान्वित किया जाता तो इस प्रकार की हड़ताल न होती। सरकार को बाध्य होकर अन्त में उनसे एक करार करना पड़ा था। यह करार तदर्थ आधार पर किया गया है तथा अस्थायी है। तीन महीने के पश्चात् पूरी योजना का पुनर्विलोकन किया जायेगा। इसी आधार पर हड़ताल समाप्त हुई थी। सरकार उन मजदूरों को जो नई योजना के अन्तर्गत पदोन्नति से वंचित हो जायेंगे, मुआवजा देने पर सहमत हो गई है। परन्तु मैं नहीं जानता कि तीन महीने के पश्चात् स्थिति क्या हो।

मेरे विचार में अब समय आ गया है जबकि सरकार को पत्तनों के कार्यसंचालन की पद्धति को बदलने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। पत्तनों पर मजदूरों के लिए दो प्राधिकरण रखना आवश्यक नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से बहुत कठिनाई उत्पन होती है। मेरे विचार में एक ही केन्द्रीय प्राधिकार होना चाहिए। जहाज पर तथा शेडों पर काम करने वाले सभी मजदूरों को एक ही प्राधिकरण के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। दो प्राधिकरण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में इससे प्रशासनिक कठिनाई और उत्पन्न होती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहाज पर माल लादने वाले मजदूरों की पद्धति भी समाप्त की जानी चाहिए। इस बात से सभी अवगत हैं जहाजी मजदूरों सम्बन्धी कम्पनियां किस प्रकार लोगों को धोखा देती हैं। वे आयातकर्त्ता तथा निर्यातकर्त्ता के बीच अनावश्यक बिचौलिये का काम करती हैं। यह एक बहुत पुरानी परन्तु अनावश्यक प्रथा है जिसको अब समाप्त किया जाना चाहिए। श्री आर० एल० मेहता समिति ने कुछ वर्ष पूर्व इस मामले की जांच की थी और उसने इसके कार्यसंचालन के बारे में कुछ टिप्पणियां भी की थीं। मजदूरों तथा अधिकारियों के बीच सीधा सम्पर्क होना चाहिए और बिचौलियों को समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं श्री लोबो प्रभु से इस बात पर सहमत हूं कि हमारे पत्तनों में पर्याप्त सुधार किये जाने की आवश्यकता है। उनके कार्यसंचालन का हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कार्यप्रणाली को साधारण तथा युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए। मजदूरों के लिए सेवा की उचित शर्तें, उचित वेतनमान तथा अन्य सुविधायें होनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई गोदी नहीं देखी है जहां 14000 मजदूर काम करते हों परन्तु उनमें से एक के रहने के लिए भी मकान न बनाया गया हो। मजदूरों को मकान दिये जाने चाहिएं। अन्त में मेरा निवेदन है कि अधिकारियों का जो उल्लेख इस संशोधन में किया गया है उसको समाप्त किया जाये तथा पुस्तक को हटाया जाये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I am of the opinion that by removing the proviso the Bill will become much better but if the Government is not prepared to do that, then they should at least accept my amendment. By incorporating my amendment in the Bill, I feel that the objective of the Bill will be achieved.

I have been to Bombay dock and I know that, in regard to jobs, certain categories are preferred This is a had practice. All the people who are put to work as dock labourers and who is also willing to do that job should he employed. Preferential treatment should not be given to anyone. I want to know whether some change has been effected in this system or not ?

The contract labour system should also be done away with. The contractors and the middlemen who are appointed by the contractors exploit the labourers.

The workers should be made permanent after some specified period.

The Government should also adopt a definite policy for providing residential accommodation to labourers. This problem has attained serious proportions in Calcutta.

The person who commits offence should be punished. It is also desirable that reference of officers should be deleted from the amendment. I have given an amendment in regard to the association of individuals. I will speak on it at the time of Second Reading.

The administration should be stream lined so that the Bills which are passed, and become Acts can be implemented properly. Some time-limit should be fixed for the implementation of the legislation.

While encluding, I request the hon. Minister to accept my amendments. With these words I support the Bill.

———

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा जादवपुर विश्वविद्यालय में लाठो प्रहार और विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : LATHI CHARGE BY CRP IN JADAVPUR UNIVERSITY AND CLOSURE OF THE UNIVERSITY

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं जादवपुर विश्वविद्यालय में 24 जुलाई, 1970 को घटी दुखदायी घटनाओं की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। "अमृतबाजार पत्रिका" में यह शीर्षक था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जादवपुर में आपे से बाहर हो गये हैं, इस समाचारपत्र का मालिक पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस दल (सत्तारूढ़) का मंत्री है। इस समाचार पत्र में कहा गया है कि लगभग 150 विद्यार्थी, अध्यापक तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारी घायल हुए हैं जिनमें कुछ व्यक्ति गम्भीर रूप से भी घायल हुए हैं।

विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व पुलिस को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी तथा उप-कुलपति को वहां पर नहीं बुलाया था। पुलिस अपने आप विश्वविद्यालय के अहाते में प्रवेश कर गई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार, श्री कुन्दू का कहना है जो कि वहां पर उपस्थित थे, कि जादवपुर थाना के इन्चार्ज पुलिस के अतिरिक्त सुपरिन्टैन्डैन्ट घटना के बाद वहां पर पहुंचे थे। श्री कुन्दू का कहना है कि विद्यार्थी शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी सभा कर रहे थे। वे परीक्षा करवाने के बारे में कोई तरीका ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनकी सभा भी विश्वविद्यालय के अहाते के अन्दर हो रही थी, विश्वविद्यालय के अहाते के बाहर कुछ पटाखों के विस्फोट के बाद जिनका अन्दर की परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं था, पुलिस अहाते में घुस आई और विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों को बर्बरतापूर्ण पीटना आरम्भ कर दिया। इसमें 100 विद्यार्थी तथा 60 अन्य कर्मचारी घायल हुए। विद्यार्थियों द्वारा पुलिस को भड़काने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय के समूचे कर्मचारी वर्ग ने इस घटना की निन्दा करते हुए एक संकल्प पास किया है। पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पास कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की इस कार्यवाही की निन्दा की है। श्री कुन्दू ने आगे कहा है कि जब मैंने अपने कमरे से बाहर आकर पुलिस के आफिसर इन्चार्ज से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया हो एक सिपाही ने जो कि मारने के मूड में था, मेरे बारे में जानते हुए भी गन्दी भाषा का प्रयोग किया। मैंने उनसे अपील की कि वे लाठी चलाना बन्द कर दें परन्तु वे निरन्तर लाठी चलाते रहे। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से इस

प्रकार का व्यवहार किया जाता है । अगले दिन जादवपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के सभी विद्यार्थियों ने हड़ताल की । उसके अगले दिन कलकत्ता के सभी विद्यार्थियों ने हड़ताल की ।

हमें यह बताया जाता है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहाँ पर विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए भेजा गया है परन्तु उनका व्यवहार यह है । प्रश्न यह है कि क्या वे विधि तथा व्यवस्था को बनाये हुए हैं ? क्या उनके लिए भी कोई कानून है ? इसका नाम अपराधी रिजर्व पुलिस होना चाहिए । यह अपराधियों की पुलिस है जिसको लोगों को पीटने का प्रशिक्षण दिया गया है । इनके लिए कोई भी कानून नहीं है । यह लोग किसी को भी पीट सकते हैं । भारतीय दण्ड संहिता इन पर लागू नहीं होती ।

अभी पिछले दिन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी केरल में एक मस्जिद में प्रवेश कर गये थे और उन्होंने वहां पर सभी लोगों को पीटा था । ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । परन्तु क्या सरकार ने उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही की है ?

गृह सचिव श्री बी० आर० गुप्त ने संवाददाताओं को बताया था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को गोली चलाने तथा लाठी चलाने का कोई आदेश नहीं था । उन्होंने कहा है कि इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जा चुकी है । घटना के बारे में जांच कराने का निर्णय उन्होंने ही लेना है । उन्होंने आगे कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नहीं आती । मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस किस के प्रति जिम्मेदार है ?

पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल के दिल्ली से वापस आने पर घटना की जांच कराई जायेगी और कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस बारे में घोषणा करेंगी कि किस प्रकार की जांच कराई जानी है । परन्तु इस बात को लगभग दस दिन हो गये हैं और अभी तक सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है । आशा थी कि सरकार स्वयं इस घटना के बारे में कोई वक्तव्य देगी तथा इस पर दुख प्रकट करेगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस समय राष्ट्रपति का शासन है और केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व पुलिस वहां पर भेजी गई है । क्या नक्सलवादियों से निपटने का यही तरीका है ? सरकार पश्चिम बंगाल की समूची जनता को इस प्रकार अपना शत्रु समझ रही है !

अभी परसों ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने दुर्गापुर में संयंत्र सुरक्षा बल का काम सम्भाला है और इस समय 20 व्यक्ति अस्पताल में हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस हिटलर के तूफानी फौजियों (स्टार्मट्रूपर) की तरह काम कर रही है । मेरे विचार में इस प्रकार नक्सलवादियों से नहीं निपट रहे हैं बल्कि पश्चिम बंगाल की समूची जनता को अपना शत्रु बना रहे हैं । ऐसी गतिविधियों से नक्सलवादी और मजबूत होंगे । उनकी संख्या बढ़ेगी । मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल के लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और अन्ततः उनकी विजय होगी ।

जब तक इस घटना की जांच नहीं कराई जाती और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती, पश्चिम बंगाल के लोग तथा सारा देश यही समझेगा कि विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नहीं बल्कि उसको अस्तव्यस्त करने लिए यह बल बनाया गया है।

Mr. Chairman : I want to inform you that the hon. speaker is welcoming Shri Trilokya Nath Maharaj at 6 P,M. to day. So I could request you to be very brief.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : हम जानना चाहते हैं कि जो बातें उठाई गई हैं उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि न्यायिक जांच हो रही है अथवा नहीं। ताकि वाद-विवाद इसी ढंग से चले।

Mr. Chairman : It has been the practice till now that reply from Government comes only after all the speakers have expressed their views.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे माननीय मित्र ने केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों का शत्रु बताया है। मुझे केन्द्रीय सरकार से कोई प्यार नहीं है परन्तु मेरे विचार लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली को भंग करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों के शत्रु हैं। पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है वह न केवल उस राज्य के लिए बल्कि समूचे भारत के लिए एक चुनौती है।

जादवपुर विश्वविद्यालय का अध्यापक होने के नाते मैं विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा प्राधिकारियों की भावनाओं को समझता हूं। कोई भी व्यक्ति जिसको अपने सम्मान का थोड़ा भी ख्याय होगा वह किसी भी शिक्षा-संस्थान में एक क्षण के लिए भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति सहन नहीं करेगा। किन्तु यदि कुछ विद्यार्थी कमरे में बम व अन्य हथियार लेकर आते हैं और प्रयोगशाला को तोड़ते हैं तो विश्वविद्यालय अधिकारी क्या करेंगे ? क्या ये राजनीतिक दल, जो इस समय विद्यार्थियों की ओर से लड़ रहे हैं, उस समय विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सहायता के लिए आते हैं ? विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें बन्द हो गई हैं। जो होनहार छात्र विश्वविद्यालय में जाते हैं। उनका भविष्य क्या है ?

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने प्रत्येक छात्र के अभिभावकों को पत्र भेजे कि वे हमें अपने वार्ड की सहमति लेकर यह बतायें कि क्या पुलिस अथवा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के संरक्षण में विश्वविद्यालय में परीक्षाएं की जा सकती हैं। 90 प्रतिशत अभिभावकों के उत्तर हां में आये।

कम से कम 75 प्रतिशत विद्यार्थी उप-कुलपति से मिले और कहा कि हम परीक्षायें चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्राधिकारी क्या करेंगे ? उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों और उप-कुलपति के सम्मान का कोई संरक्षण नहीं है।

मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। जब इन लोगों की सरकार थी तब इन्होंने 1,10,000 सैनिकों की सुदृढ़ सेना का संगठन किया था। मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होने ऐसा क्यों

नहीं कहा कि, "हम उनको संरक्षण देंगे, परीक्षायें कीजिये, वहां की शांति भंग नहीं होगी, कोई बम नहीं फेंकेगा और हम छात्रों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे।" ये केवल हजारों विद्यार्थियों, जो कि अपने भविष्य का मिर्माण कर रहे हैं, की दयनीय दशा से लाभ उठाना चाहते हूं।

कुछ दिन पूर्व मैंने कार्यकारी उप-कुलपति से बड़ी देर तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को कोई अनुमति नहीं दी। मैं पश्चिम बंगाल सरकार को दोष देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बुरा प्रबन्ध किया हुआ है। उन्होंने एक पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कमान पर नियुक्त किया हुआ है। वह अधिकारी निचली श्रेणी का है। उसके हाथों में कोई कमान नहीं है और वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को कोई आदेश नहीं दे सकता है। यदि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस के अधीन है तो वहां आदेश देने के लिए एक अच्छे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपने सम्मान के मामले में बहुत भावुक हैं। अतः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्दर नहीं रखना चाहिए। उसके आस'पास कहीं बाहर रखना चाहिए। जब स्थिति ही ऐसी हो जाय तब ही उसको बुलाया जाना चाहिए। यदि डा० सेन वहां होते तो स्थिति कुछ और ही होती। दुर्भाग्य से आजकल अध्यापक विद्यार्थियों से सम्पर्क नहीं रखते। उन्होंने स्थिति से निपटने का साहस नहीं दिखाया है। यदि एक सौ विद्यार्थी भी मुकाबला करने का साहस करते तो वे इन गुन्डों का सामना कर सकते थे और विश्वविद्यालय की इज्जत बचा सकते थे।

अतः विश्वविद्यालय प्राधिकारी विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का इस सम्बन्ध में मत-संग्रह करने वाले हैं कि क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पूर्णतः हटा दिया जाय। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को हटाने के बारे में वे सभी सहमत हैं।

मैं पूछना चाहता हूँ कि विद्यार्थी समुदाय को, बंगाल के युवकों को राजनीति के इस घातक मार्ग के लिए, इन आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसने उकसाया ? विद्यार्थी समुदाय को सभी प्रकार की राष्ट्र विरोधी तथा प्रजातंत्र विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हीं लोगों ने उकसाया। अब ये उससे लाभ उठाना चाहते हैं।

जादवपुर विश्वविद्यालय की नींव श्री अरविन्द, भारतीय क्रांति के प्रवर्तक ने रखी थी और पश्चिम बंगाल के अधिकांश बड़े व्यक्तियों—यथा टैगोर, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र, जगदीश चन्द्र, देशबन्धु तथा अन्य लोगों का भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना में किसी न किसी रूप में सहयोग रहा है। शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं का यह विशाल केन्द्र अब खतरे में है। सरकार को अच्छी प्रकार ध्यान देना चाहिए कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का अनुचित प्रयोग न किया जाय और इस ढंग से इसका प्रयोग न किया जाये जिससे विद्यार्थियों या पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को आघात पहुँचे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : सरकार को जादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाओं की उचित जांच करनी चाहिए और तथ्यों का पता करके उसके बाद नियम और विधि के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। यदि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी कानून का उल्लंघन करें तो उनके संबंध में कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु एक बात निश्चित है कि यदि हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल प्रगति करे तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां कानून तथा व्यवस्था कायम रहे। यदि पश्चिम बंगाल को प्रगति करनी है तो आपको बेरोजगारी की समस्या तथा अन्य अनेक समस्याओं का समाधान करना होगा जिनके कारण ऐसी घटनायें घटती हैं, अन्यथा आप पश्चिम बंगाल के दुःखों का कोई स्थायी हल नहीं ढूंढ़ सकते।

शिक्षा पद्धति को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई दंगे हो रहे हैं। मेरे विचार से अधिकांश विद्यार्थी अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहेंगे। इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। शिक्षा संबंधी संस्थानों को समाज के हित में चलाया जाना है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने हैं। विद्यार्थियों का अपना ब्रिगेड होना चाहिए जिससे कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित हो जाये। यह सर्वोच्च महत्व की बात होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वहां कुछ होम गार्ड या कुछ अन्य गार्ड नियुक्त किये जाने चाहिये ताकि कानून तथा व्यवस्था बनी रहे। यदि यह भी सम्भव नहीं है तो दूसरा उपाय स्थानीय पुलिस है। यदि स्थानीय पुलिस कानून तथा व्यवस्था कायम नहीं कर सकती और लोग चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनी रहे तब वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रखी जानी चाहिये।

यदि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने वहां कुछ अनुचित कार्य किया है तो उनके सम्बन्ध में कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके बारे में दो रायें नहीं हैं। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या वहां कोई छेड़ाखानी अथवा भड़काने वाला कार्य किया गया था ? यदि हां, तो किस प्रकार का ? क्या यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बहुत से सैनिक शहर के विभिन्न भागों में तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र में घायल हुए हैं अथवा मारे गये हैं ? इन सब बातों की जांच की जाती है।

जादवपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को वहां असुरक्षित पाकर देश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वहां स्थान खाली न होने के कारण उनको प्रवेश प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिये, मेरे विचार से, पश्चिम बंगाल में शिक्षा संबंधी स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई है और यह पश्चिम बंगाल की भावी पीढ़ी के हित में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में स्थिति संतोषजनक नहीं है और दृढ़ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। जहां कहीं छात्रों की उचित शिकायतें हों, वे दूर की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय के मामलों का कार्यभार जिन लोगों के हाथों में है, उनमें कुछ दोष हैं। सम्भवतः उनके पास आवश्यक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या छात्रों के साथ सम्पर्क नहीं होता है जिससे वे उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान कर सकें। यदि वे ऐसी व्यवस्था प्राप्त कर सकें तो मेरे विचार से शिकायतें कम हो जायेंगी।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न है, अगर पश्चिम बंगाल सरकार 10 हजार नई टैक्सियों को चलाने की अनुमति दे दे तो इससे कुछ सीमा तक बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए और यदि इस उद्देश्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना आवश्यक हो, तो उसे अवश्य ही तैनात किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी तैनात किया जाना चाहिये और जो भी दोषी पाया जाय, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए, चाहे वह पुलिस हो अथवा विद्यार्थी ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : It is right that police should not enter the educational institutions. This is a fact that majority of the students want to pursue their studies. Only a small number of students. whose society is bad, do not want to study. Their future is dark because of the present unemployment problem. The students demand that they should be given jobs instead of diplomas and degrees. We should find a solution to that. Central Reserve Police or the police rod is not its reply. Today, our leaders provocating the public in a wrong and disturbing way. Today, in West Bengal, in Calcutta the honour of the mothers and sisters in being looted. Bombs are being thrown at the teachers. Schools and Colleges are being destroyed. I know that our Government have been at fault. The education has not been made job-oriented and labour oriented. I condemn all this.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : The present pitiable condition in West Bengal is due to the long rope given by the Central Government to the elements which were engaged in creating disorder and violence in this State. This is being done by the Central Government because they were in collusion with those elements. Now when tension has developed between them they want to crush them with a strong hand.

In the month of march, two sons of Sai family were killed and the eyes of the third were destroyed but this Government showed no sympathy. The Government is closing their eyes from truth and justice.

Over 1200 cases involving violence, arson and other serious activities were withdrawn by the United Front Government in West Bengal. Besides, a fear has grown up in the hearts of the police officers that they will be punished if they resort to strictness and if they arrest any body. This has made the Bengal police helpless. I do not want that Central Reserve Police should take the place of the local police. It has become difficult for the Government to rely on the West Bengal police.

The elements, which are responsible for creating disorder in West Bengal, harass their opponents and even kill then. They form their own courts and prosecute their opponents in those Courts. The Central Government have remained a silent spectator. In West Bengal, the first and foremost necessity is that there should be a rule of law.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से आंखें फेरने से कोई लाभ नहीं कि सैकड़ों निरपराध लोगों की पिटाई करके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जो कुछ कर सकी है, उसका कारण यह है कि अब कई सप्ताहों, महीनों से जादवपुर विश्वविद्यालय नक्सलवादियों और साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के प्रति निष्ठा रखने वाले छात्रों के बीच झगड़े का केन्द्र बन गया है। इसी कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां इस तरह का व्यवहार करने का मौका मिला है छात्रों

के दो दलों के बीच संघर्ष होने के कारण विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्थायी रूप से प्रांगण के अन्दर जहां छात्रावास है, तैनात की गई है। सरकार को अब यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जिस घटना को सर्वत्र निन्दा की जा रही है, उसकी न्यायिक जांच कराने की मांग पर वह मौन क्यों है ?

जादवपुर घटना एक अकेली घटना नहीं है, हमें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कई स्थानों पर तैनात की गई है और यह पुलिस ऐसे स्थानों में भी तैनात की गई है, जहां नक्सलवादी नहीं हैं। यह आसनसोल और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में भी तैनात की गई हैं जहां उनका एकमात्र कार्य हस्तक्षेप करना और अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन करने वाले कोयला खान कर्मचारियों को पीटना मालूम पड़ता है। जम्बाद कोयला खान में दो व्यक्तियों पर गोली चालाई गई। यही बात हाल में सिलीगुड़ी में उत्तर सीमान्त रेलवे की हड़ताल के दौरान हुई। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को खुली छुट्टी दी गई, पुलिस ने कर्मचारियों के घरों में घुसकर और उनको बाहर निकाल-निकाल कर खूब पीटा।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई। यह पुलिस ब्रिटिश राज्य के समय 1939 में एक बटैलियन के रूप में थी। उस समय इसका नाम 'क्राउन रिप्रैजैन्टेटिव्स पुलिस' था। इसका प्रयोग कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका प्रयोग जनता द्वारा अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के लिए किये जाने वाले आन्दोलनों को दबाने के लिए किया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् सरदार पटेल ने इसका नाम बदल दिया। तब से इस पुलिस का विस्तार तथा विकास हो रहा है, लेकिन इन लोगों का रवैया अब भी वैसा ही है जैसा ब्रिटिश-काल में था।

सभा को ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों सहित अनेक राज्य-सरकारों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती का विरोध करते हुए अपनी राय भेजी थी क्योंकि यह एक समानान्तर सेना हो गई है। संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। यहां एक नई सेना परा-सेना का गठन किया गया है जो कि पूर्णरूप से केन्द्र के अधिकार में है। अतः यह केन्द्र का एक अंग है जो कि जब चाहता है किसी भी राज्य में घुसता है और हस्तक्षेप करता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नियम बनाये गये हैं और इन नियमों के अधीन कुछ ऐसे गुप्त अधिकार दिये गये हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार इस दल का प्रयोग जब चाहे किसी भी राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए कर सकती है। यदि केन्द्रीय सरकार को ऐसे गुप्त अधिकार दिये गये हैं तो राज्य सरकारों के लिए भी यह प्रश्न करना उचित है कि क्या उनको संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिए।

सरकार को यहां इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये कि जादवपुर घटना के बारे में उसका क्या विचार है। क्या यह एक न्यायिक जांच करायेगी ? क्या वे उन अधिकारियों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कराने जा रही है, जिन्होंने इतनी अधिक ज्यादतियाँ की हैं। कभी वह ऐसे ही

अत्याचारों के आरोपों की जांच करायेगी, चाहे वे आदरा के रेलवे कर्मचारियों अथवा आसनसोल क्षेत्र के कोयलाखान मालिकों अथवा सिलीगुड़ी के रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध हों।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस एक इस प्रकार की सेना है जो किसी समस्या को हल करने के बजाये उसको और अधिक जटिल बनाती है। यदि यह समाज-विरोधी तत्व व्यक्तिगत आतंकवाद की भांति व्यवहार कर रहे हैं, और यदि इनका दमन करना है, तो यह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, पूर्वी सीमान्त राइफल्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह तो केवल जनता में जागरूकता पैदा करने से ही किया जा सकता है जिससे कि लोग दल बनाकर इनका सामना करने के लिए कुछ कर सकें।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : जादवपुर विश्वविद्यालय के 200 से अधिक विद्यार्थियों, जिनमें छात्रायें, विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी शामिल थे, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा पीटा जाना बहुत ही खेदजनक है। हम यह जानना चाहेंगे कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां लगायी ही क्यों गयी। वह वहां प्रांगण के अन्दर क्या कर रही है। इन घृणित परिस्थितियों के लिए कौन उत्तरदायी है। क्या यह हमारी शिक्षा प्रणाली की दोषपूर्ण आयोजना के परिणामस्वरूप हुई अशांति और निराशा के कारण नहीं हुआ है।

Mr. Chairman : You may continue your speech on the next day. The date will be ixed by the speaker.

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 7 अगस्त, 1970/16 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 7,1970/ Sravana 16, 1892 (Saka)

———

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6